



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



मध्य प्रदेश शासन
वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 5

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

मध्य प्रदेश शासन
वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 5

विषय सूची

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
प्राक्कथन		vii
कार्यपालन सारांश		ix
अध्याय 1—विहंगावलोकन		
राज्य की रूपरेखा	1.1	1
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1.1	1
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण	1.2	4
प्रतिवेदन संरचना	1.3	4
शासकीय लेखों की संरचना का विहंगावलोकन	1.4	5
बजटीय प्रक्रियायें	1.5	7
वित्त के मुख्य बिंदु	1.6	8
सरकार की सम्पत्ति और दायित्वों के मुख्य बिंदु	1.6.1	9
राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति	1.7	10
मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के मुख्य लक्ष्यों पर राजकोषीय मापदण्ड और उनकी उपलब्धियां	1.7.1	11
मध्यम कालीन राजकोषीय नीति विवरण	1.7.2	12
घाटा और अधिशेष	1.7.3	13
घाटा/अधिशेष की प्रवृत्तियां	1.7.4	13
लेखापरीक्षा में जाँच के बाद घाटा	1.8	14
अध्याय 2—राज्य शासन के वित्त		
प्रस्तावना	2.1	17
2018–19 की तुलना में 2019–20 के दौरान मुख्य राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तन	2.2	17
निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग	2.3	17
राज्य के संसाधन	2.4	18
राज्य की प्राप्तियां	2.5	19
राजस्व प्राप्तियां	2.6	19
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां और संवृद्धि	2.6.1	19
राज्य के स्वयं के संसाधन	2.6.2	21
चौदहवां वित्त आयोग अनुदान	2.7	27
पूंजीगत प्राप्तियां	2.8	28
संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन	2.9	29
संसाधनों का उपयोग	2.10	30
व्यय की संवृद्धि और संरचना	2.10.1	30
राजस्व व्यय	2.10.2	33
पूंजीगत व्यय	2.10.3	40
अपूर्ण परियोजनाओं में पूंजी का अवरुद्धीकरण	2.10.4	44
उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) का कार्यान्वयन	2.10.5	44
सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए संसाधन की उपलब्धता	2.10.6	45
व्यय की प्राथमिकता	2.10.7	47
उद्देश्य शीर्षवार व्यय	2.10.8	47
लोक लेखा	2.11	48

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
निवल लोक लेखा शेष	2.11.1	48
आरक्षित निधियां	2.11.2	50
ऋण प्रबंधन	2.12	52
ऋण रूपरेखा: संघटक	2.12.1	52
ऋण रूपरेखा: परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान	2.12.2	55
ऋण संधारणीयता विश्लेषण	2.13	57
उधार लिए गए धन का उपयोग	2.13.1	58
प्रत्याभूतियों की स्थिति-आकस्मिक देयताएं	2.13.2	59
रोकड़ शेष का प्रबंधन	2.13.3	60
निष्कर्ष	2.14	64
अनुशांसाएं	2.15	64
अध्याय 3-बजटीय प्रबंधन		
प्रस्तावना	3.1	65
बजट तैयार करने की प्रक्रिया	3.1.1	65
जेण्डर बजट	3.1.2	66
कृषि बजट	3.1.3	67
वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधान, वास्तविक संवितरण और बचतों का सारांश	3.1.4	68
विनियोग लेखे	3.2	69
विनियोगों की लेखापरीक्षा	3.2.1	69
विनियोग लेखों का सारांश	3.2.2	69
बजटीय निधि का उप-इष्टतम उपयोग	3.2.3	70
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणियां	3.3	70
निधियों का अंतरण विनियोग अधिनियम द्वारा आवश्यक नहीं एवं सिविल जमा में रखना	3.3.1	70
व्यय का गलत वर्गीकरण	3.3.2	71
डिक्रीटल राशि के भुगतान हेतु त्रुटिपूर्ण बजट	3.3.3	72
अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान	3.4	73
निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग	3.5	74
सारभूत समर्पण	3.5.1	75
समर्पित न की गयी प्रत्याशित बचतें	3.5.2	75
प्रधान महालेखाकार द्वारा स्वीकार न किये गये समर्पण/पुनर्विनियोजन आदेश	3.5.3	75
बचतें	3.6	76
बजट से भिन्नता के लिए अनुपलब्ध/अपूर्ण व्याख्या	3.6.1	77
अनुदान/विनियोग जहां बजट का उपयोग 50 प्रतिशत से कम था	3.7	79
आधिक्य व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है	3.8	79
एकमुश्त बजटीय प्रावधान	3.9	80
योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त प्रावधान	3.10	81
बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक निधियन	3.11	83
व्यय की अत्यधिकता	3.12	84
चयनित अनुदानों की समीक्षा	3.13	85
अनुदान संख्या 13 किसान कल्याण और कृषि विकास	3.13.1	86
अनुदान संख्या 22 नगरीय विकास और आवास	3.13.2	90

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
निष्कर्ष	3.14	93
अनुशंसाएं	3.15	94
अध्याय 4—लेखाओं एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली की गुणवत्ता		
प्रस्तावना	4.1	95
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर	4.2	95
उपकर का लेखांकन	4.2.1	95
श्रम उपकर की उपयोगिता	4.2.2	96
मण्डल को श्रम उपकर का अंतरण न करना	4.2.3	97
स्थानीय निधियों का जमा	4.3	98
उपयोगिता प्रमाण—पत्रों की प्रस्तुति में विलंब	4.4	98
अनुदानग्राही संस्थान का “अन्य” के रूप में अभिलेखन	4.5	100
व्यक्तिगत जमा खाते	4.6	100
लघु शीर्ष 800 का विवेकहीन उपयोग	4.7	101
उचंत एवं ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष	4.8	103
विभागीय आंकड़ों का गैर मिलान	4.9	105
रोकड़ शेष का मिलान	4.10	106
लेखांकन मानकों का अनुपालन	4.11	106
स्वायत्त निकायों के लेखाओं/पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति	4.12	107
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम	4.13	108
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों को अंतिम रूप देने में विलंब	4.14	108
लाभांश घोषित न किया जाना	4.15	109
समता पूंजी/ऋणों/प्रत्याभूतियों का गैर मिलान	4.16	109
दुर्विनियोग, हानियाँ, चोरियाँ, इत्यादि	4.17	110
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	4.18	111
निष्कर्ष	4.19	112
अनुशंसाएं	4.20	112

परिशिष्ट

विवरण	परिशिष्ट	पृष्ठ क्रमांक
राज्य रूपरेखा (मध्य प्रदेश)	1.1	115
राज्य शासन के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े	2.1	116
पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण का विवरण पत्रक	3.1	119
राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत पूंजीगत व्यय का गलत वर्गीकरण का विवरण पत्रक	3.2	121
अनुपूरक बजट की आवश्यकता	3.3	122
अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान	3.4	123
निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन	3.5	125
सारभूत समर्पण 50 प्रतिशत या अधिक	3.6	130
प्रत्याशित बचतें, जो समर्पित नहीं की गईं	3.7	135
विभिन्न अनुदानों/विनियोगों, जिनमें बचतें (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) थी, परन्तु जिसका कोई भी भाग समर्पित नहीं किया गया, का विवरण पत्रक	3.8	139
समर्पण आदेश, जो प्रधान महालेखाकार द्वारा स्वीकार नहीं किये गये	3.9 (अ)	141
पुनर्विनियोजन आदेश, जो प्रधान महालेखाकार द्वारा स्वीकार नहीं किये गये	3.9 (ब)	142
विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण पत्रक जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचत ₹10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक थी	3.10	143
बजट से भिन्नता के लिए अनुपलब्ध/अपूर्ण व्याख्या	3.11	146
आधिक्य व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है	3.12	149
एकमुश्त प्रावधानों का विवरण (जहाँ समर्पण प्रत्येक प्रकरण में ₹15 करोड़ से अधिक और कुल बजट प्रावधान का 50 प्रतिशत या उससे अधिक था)	3.13	150
योजनाएं जिनमें कुल प्रावधान ₹10 करोड़ या अधिक अप्रयुक्त रहा	3.14	153
2015-16 से 2019-20 के दौरान सतत बचतों का विवरण	3.15	156
₹ पाँच करोड़ से अधिक की सारभूत बचतों का विवरण	3.16	158
अनुदान संख्या 13 के अन्तर्गत 2019-20 के दौरान समर्पण का विवरण	3.17	160
विभिन्न योजनाओं की सारभूत बचतें, जहाँ बचतें ₹10 करोड़ तथा उससे अधिक और कुल प्राप्त बजट का 20 प्रतिशत से अधिक थी	3.18	162
विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सारभूत बचतें, जहाँ बचतें ₹ पाँच करोड़ या अधिक थी	3.19	164
विभिन्न योजनाओं में अप्रयुक्त प्रावधान का विवरण	3.20	166
लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की विभागवार स्थिति	4.1	168
31 मार्च 2020 की स्थिति में अप्रचलित व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण	4.2	169
लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' के अन्तर्गत पुस्तांकन	4.3	171

विवरण	परिशिष्ट	पृष्ठ क्रमांक
लघु शीर्ष '800—अन्य व्यय' के अन्तर्गत पुस्तांकन	4.4	172
विभागीय वाणिज्यक उपक्रमों/निगमों/कंपनियों में लेखों और निवेशों को अंतिम रूप देने का विवरण	4.5	173
लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विवरण	4.6	175

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन के अध्याय I में राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण, प्रतिवेदन की संरचना, शासकीय लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, वित्त के मुख्य बिंदु, मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन लक्ष्यों का अनुपालन, प्रमुख राजकोषीय मापदंडों जैसे राजस्व अधिशेष/घाटा, राजकोषीय अधिशेष/घाटा, इत्यादि की प्रवृत्तियां शामिल हैं।
3. इस प्रतिवेदन के अध्याय II एवं III में 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य शासन के क्रमशः वित्त लेखों एवं विनियोग लेखों की जाँच से उद्भूत तथ्यों पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं। मध्य प्रदेश शासन से, जहाँ भी आवश्यक हो, जानकारी प्राप्त की गई है।
4. अध्याय IV वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के साथ राज्य शासन के अनुपालन का विहंगावलोकन और स्थिति प्रदान करता है।
5. निष्पादन लेखा परीक्षा एवं विभिन्न शासकीय विभागों में अनुपालन लेखापरीक्षा तथा सांविधिक निगमों, मण्डलों और शासकीय कंपनियों की लेखापरीक्षा से उद्भूत आपत्तियों और राजस्व प्राप्तियों पर आपत्तियों के निष्कर्षों को सम्मिलित करते हुए प्रतिवेदनों को अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा का संचालन किया गया है।

कार्यपालन सारांश

कार्यपालन सारांश

1 प्रतिवेदन

मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए मध्य प्रदेश शासन के लेखापरीक्षित लेखाओं के आधार पर, यह प्रतिवेदन राज्य शासन के वित्त की एक विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रदान करता है।

2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1 राज्य शासन के वित्त

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में ₹1,250 करोड़ (0.84 प्रतिशत) की कमी एवं राजस्व व्यय में ₹8,295 करोड़ (5.84 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। राज्य ने विगत पाँच वर्ष की अवधि 2015-20 के दौरान 2019-20 में पहली बार राजस्व घाटा दर्ज किया एवं राज्य के अन्य राजकोषीय संकेतक जैसे वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया ऋणों का अनुपात से संबंधित मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम के लक्ष्यों की सीमा से बढ़े।

2019-20 तक राज्य शासन द्वारा सांविधिक निगमों, कंपनियों, सहकारी समितियों, इत्यादि में ₹36,372.52 करोड़ का निवेश किया गया, 2019-20 के दौरान जिस पर प्रतिलाभ (₹475.96 करोड़) मिला, जो वर्ष के दौरान औसत उधारी लागत दर 6.69 प्रतिशत के विरुद्ध केवल 1.31 प्रतिशत था; शासन द्वारा दिये गये कर्ज एवं अग्रिमों (₹43,085 करोड़) पर प्राप्त ब्याज की दर भी केवल 0.30 प्रतिशत थी।

राज्य शासन ने सहायतानुदानों में से किये गये व्ययों के लेखांकन प्रशोधन के संबंध में भारत सरकार के लेखांकन मानक का गैर अनुपालन जारी रखा। आगे, इसने उदय योजना के अंतर्गत भारत सरकार एवं डिस्कॉम के साथ समझौता ज्ञापन में की गई अपनी प्रतिबद्धता/कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। प्रत्याभूति विमोचन निधि में कोई अंशदान नहीं किया।

(अध्याय 2)

2.2 बजटीय प्रबंधन

2019-20 के दौरान, बचतों का 24.18 प्रतिशत (राशि ₹62,131.62 करोड़) वर्ष के अंत में व्यपगत होने दिया गया अथवा वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन समर्पित किया गया।

31 मार्च 2020 को आहरित राशि ₹46.82 करोड़ व्यपगत होने से बचाने के लिए राज्य की समेकित निधि से लोक लेखों में सिविल डिपॉजिट में अंतरित की गई, जिसने राज्य की समेकित निधि के अंतर्गत वर्ष के खर्च को बढ़ाया।

कुल 3,946 उप शीर्षों में से, अनुमोदित बजटीय आवंटन के सन्दर्भ में 1,266 उप शीर्षों में व्यय के स्पष्टीकरण आवश्यक थे, लेकिन केवल 164 प्रकरणों (1,266 का 12.95 प्रतिशत) में आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त हुए और 1,102 उप शीर्षों के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त ही नहीं हुए थे।

पिछले वर्षों के 11 अनुदानों और नौ विनियोग से संबंधित ₹1,668.32 करोड़ के आधिक्य व्यय को संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत नियमितीकरण की आवश्यकता है।

(अध्याय 3)

2.3 लेखाओं एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली की गुणवत्ता

विभिन्न विभागों द्वारा विशिष्ट विकासात्मक कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए आहरित कुल राशि ₹15,541.32 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जो कि निर्धारित वित्तीय नियमों एवं निर्देशों का उल्लंघन था तथा अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण को इंगित करता है।

2019-20 के दौरान, 2018-19 की तुलना में व्यक्तिगत जमा खातों में अंतिम शेष 59.17 प्रतिशत से बढ़ गया। आगे, 261 व्यक्तिगत जमा खातों में ऋणात्मक शेष था तथा 216 व्यक्तिगत जमा खातों ₹64.65 करोड़ (कुछ ऋणात्मक शेष सहित) के साथ तीन वर्षों से अधिक से असंचालित थे। सरकार को इन खातों की सावधानीपूर्वक निगरानी करनी चाहिए थी और सुनिश्चित करना चाहिए था कि ऐसे असंचालित खाते बंद कर दिए गए हैं तथा राज्य के कोषालय संहिता के अनुसार शेषों को शासकीय खातों में अंतरित कर दिया गया है।

सर्वग्राही लघु शीर्ष 800-‘अन्य प्राप्तियां’ (₹7,399.14 करोड़) एवं ‘अन्य व्यय’ (₹34,503.04 करोड़) के विवेकहीन संचालन ने वित्तीय सूचना में पारदर्शिता को प्रभावित किया तथा व्यय की गुणवत्ता एवं आवंटन प्राथमिकताओं के उचित विश्लेषण को अस्पष्ट किया।

नियंत्रण अधिकारियों ने अपने लेखा आंकड़ों का मिलान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय द्वारा पुस्तांकित आंकड़ों से प्राप्तियों के संबंध में केवल 11.33 प्रतिशत एवं व्यय के संबंध में 50.70 प्रतिशत की सीमा तक किया है। लेखा प्रतिपादन इकाइयों/प्राधिकरणों द्वारा लेखाओं के गैर-मिलान ने राज्य के लेखाओं की शुद्धता एवं पूर्णता और प्रभावी बजटीय प्रबंधन को प्रभावित किया।

(अध्याय 4)

अध्याय 1
विहंगावलोकन

अध्याय 1—विहंगावलोकन

1.1 राज्य की रूपरेखा

मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यह राज्य 3,08,245 वर्ग किमी (देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.38 प्रतिशत) के भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है और जनगणना 2011 के अनुसार, लगभग 7.26 करोड़ व्यक्तियों (देश की जनसंख्या का छः प्रतिशत) का घर है, जिसमें से 2.01 करोड़ लोग शहरी क्षेत्रों में और 5.25 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। राज्य की जनसंख्या की दशकीय (2010–2020) वृद्धि दर 14.58 प्रतिशत थी जो कि अखिल भारतीय वृद्धि दर 11.09 प्रतिशत से अधिक थी।

राज्य में 52 जिले हैं, जिन्हें दस प्रशासनिक संभागों में वर्गीकृत किया गया है। वर्तमान मूल्य पर राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय 2019–20 में ₹99,763 थी, जो कि अखिल भारतीय औसत ₹1,35,050 से कम थी।

राज्य से संबंधित सामान्य और वित्तीय आंकड़े *परिशिष्ट 1.1* में दिए गए हैं।

1.1.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद दी गयी समयावधि में राज्य के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को लक्षित करता है।

देश के सापेक्ष मध्य प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (सांकेतिक) की वार्षिक संवृद्धि की प्रवृत्तियों को *तालिका 1.1* में दर्शाया गया है:

तालिका 1.1: सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि की प्रवृत्तियां					
	(₹ करोड़ में)				
विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
वर्तमान मूल्य पर राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (2011–12 श्रृंखला)	1,37,71,874	1,53,91,669	1,70,98,304	1,89,71,237	2,03,39,849
वर्तमान मूल्य पर पिछले वर्ष की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	10.46	11.76	11.09	10.95	7.21
वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011–12 श्रृंखला)	5,41,068	6,49,823	7,24,729 (पी.ई.)	8,09,592 (क्यू.ई.)	9,06,672 (ए.ई.)
पिछले वर्ष की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	12.74	20.10	11.53	11.71	11.99



स्रोत: भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण (2019–20) तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश
पी.ई.—अनंतिम अनुमान; क्यू.ई.—त्वरित अनुमान; ए.ई.—अग्रिम अनुमान

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, कि 2015–16 से 2019–20 की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय वृद्धि दर की तुलना में उच्च दर से बढ़ा।

2016–17 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उल्लेखनीय वृद्धि मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र में 38 प्रतिशत (मुख्यतः फसलों के अन्तर्गत 41 प्रतिशत से) से वृद्धि अच्छी बारिश के कारण हुई।

आर्थिक गतिविधि को आम तौर पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो क्रमशः कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होता है। अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान में बदलाव भी महत्वपूर्ण है।


2019-20 के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मध्य क्षेत्रीय संघटकों की तुलना नीचे चार्ट 1.1 एवं 1.2 में दर्शायी गयी है।



स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश एवं सांख्यिकी एवं योजना क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 29.05.2020 को जारी प्रेस बुलेटिन


मध्य प्रदेश अपने विस्तृत क्षेत्रफल के साथ, कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिये उपयुक्त जलवायु विविधता, मिट्टी की परिस्थितियों का उपभोग करता है। मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जैसा कि उपरोक्त चार्टों से देखा जा सकता है, कि 2019-20 के दौरान, राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 38.64 प्रतिशत था जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र (16.01 प्रतिशत) के सापेक्ष हिस्सेदारी की तुलना में काफी महत्वपूर्ण और बहुत अधिक था।

चार्ट 1.3 से परिलक्षित होता है कि पाँच साल की अवधि 2015-16 से 2019-20 के दौरान, राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि की सापेक्ष हिस्सेदारी 2015-16 में 32.89 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 38.64 प्रतिशत तक हो गयी। इसी अवधि के दौरान उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी 2015-16 में 24.64 प्रतिशत से 2019-20 में 20.23 प्रतिशत तक एवं सेवा क्षेत्र में 2015-16 में 36.39 प्रतिशत से 2019-20 में 34.23 प्रतिशत तक मामूली कम हुयी। उत्पादों पर कर और राजसहायताएं 2015-16 में 6.08 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 6.90 प्रतिशत हो गई।



स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदाय जानकारी

राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन नीचे चार्ट 1.4 में दिया गया है:



स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदाय जानकारी

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के संदर्भ में, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो उनको राज्य के विधानमण्डल के समक्ष रखवाएगा। 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए मध्य प्रदेश के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार किया गया है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राज्य के वित्त एवं विनियोग लेखे प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रमाणकों, चालानों और कोषालय कार्यालयों तथा विभागों द्वारा सौंपे गए प्रारंभिक एवं सहायक लेखे, लेखे जो ऐसे लेखाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी हैं तथा राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्यरत हैं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से तैयार करता है। ये लेखे स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा लेखापरीक्षा एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा सत्यापित किये जाते हैं।

इस प्रतिवेदन के लिए वर्ष 2019-20 के राज्य के वित्त एवं विनियोग लेखों के प्रमुख आंकड़े शामिल हैं, निम्नलिखित अन्य स्रोतों को भी शामिल किया गया है:

- वर्ष 2019-20 के लिए राज्य का बजट भी राजकोषीय मापदण्डों और अनुमान के सापेक्ष आवंटन प्राथमिकताओं दोनों का आंकलन करने के लिए आंकड़ों का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनता है और साथ ही इसके कार्यान्वयन और प्रासंगिक नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए अनुमान लगाता है;
- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), मध्य प्रदेश, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय), मध्य प्रदेश वर्ष के दौरान राज्य सचिवालय के साथ-साथ क्षेत्रीय स्तर पर लेखापरीक्षा का परिणाम तैयार करता है;
- विभागीय प्राधिकारियों और कोषालयों से प्राप्त अन्य आंकड़े;
- संचालनालय, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्य प्रदेश शासन के सकल राज्य घरेलू उत्पाद आंकड़े और अन्य राज्य से सम्बन्धित सांख्यिकी आंकड़े; एवं
- जैसा उपयुक्त है, 2015-20 के दौरान इस विश्लेषण/टिप्पणी को तैयार करने के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का भी उपयोग किया गया है।

चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों, मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, भारत सरकार के दिशानिर्देशों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रासंगिक संदर्भ में विश्लेषण किया गया है।

1.3 प्रतिवेदन संरचना

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निम्नलिखित चार अध्यायों में संरचित है:

अध्याय - I

विहंगावलोकन

यह अध्याय प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण, अंतर्निहित आंकड़े एवं शासकीय लेखों की संरचना का अवलोकन प्रस्तुत करता है, बजट प्रक्रियाओं, प्रमुख संकेतकों के स्थूल राजकोषीय विश्लेषण और घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति दर्शाता है।

अध्याय - II	राज्य सरकार का वित्त यह अध्याय राज्य के वित्त के व्यापक परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करता है, पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तनों, 2015–16 से 2019–20 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्तियों, राज्य की ऋण रूपरेखा और मुख्य लोक लेखा लेनदेन का राज्य के वित्त लेखों के आधार पर विश्लेषण करता है।
अध्याय - III	बजटीय प्रबंधन यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखे पर आधारित है तथा राज्य शासन के विनियोगों एवं आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।
अध्याय - IV	लेखाओं एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली की गुणवत्ता यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा सौंपे गये लेखाओं की गुणवत्ता और राज्य शासन के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के गैर अनुपालन के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।

1.4 शासकीय लेखों की संरचना का विहंगावलोकन

सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:

1. राज्य की समेकित निधि {भारत के संविधान का अनुच्छेद 266 (1)}

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किया गया समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बंध पत्र, केन्द्र सरकार से कर्ज, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी की गयी विशेष प्रतिभूतियाँ, इत्यादि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम एवं राज्य सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान से प्राप्त किया गया सभी धन समाविष्ट होता है। इस निधि में से कोई धन विधि के अनुरूप और भारत के संविधान में उपबन्धित प्रयोजनों तथा रीति से अन्यथा विनियुक्त नहीं किया जायेगा। व्यय की कुछ श्रेणियाँ (जैसे—संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण का पुनर्भुगतान, इत्यादि), राज्य की समेकित निधि (भारत व्यय) पर प्रभारित होती हैं तथा विधानसभा द्वारा मत के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (मतदेय व्यय) विधान सभा द्वारा मतदेय होता है।

2. राज्य की आकस्मिकता निधि {भारत के संविधान का अनुच्छेद 267 (2)}

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है जो राज्य विधायिका द्वारा विधि से स्थापित की जाती है और राज्य की विधायिका द्वारा ऐसे व्यय प्राधिकृत किए जाने तक अप्रत्याशित व्यय करने के लिए अग्रिम प्रदाय करने हेतु राज्यपाल की सुपुर्दगी में रखी जाती है। उक्त निधि की प्रतिपूर्ति, व्यय को राज्य की समेकित निधि से संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष को नामे कर की जाती है।

3. राज्य का लोक लेखा {भारत के संविधान का अनुच्छेद 266 (2)}

उपरोक्त के अलावा, अन्य समस्त लोक धन जो सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त किया जाता है, जहाँ सरकार बैंक अथवा न्यासी की तरह कार्य करती है, लोक लेखा में जमा किया जाता है। लोक लेखा में वापसी योग्य जैसे – अल्प बचतें एवं भविष्य निधियाँ, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधियाँ (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (अंतिम रूप से पुस्तांकित होने तक लंबित है एवं दोनों अस्थायी शीर्ष हैं) शामिल होते हैं। लोक लेखे में सरकार के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी शामिल रहता है। लोक लेखे विधायिका के मत के अधीन नहीं है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण, राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भारत में एक संवैधानिक आवश्यकता (अनुच्छेद 202) है। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' मुख्य बजट दस्तावेज का गठन करता है। इसके अलावा, बजट को राजस्व लेखों पर व्यय को अन्य व्यय से अलग करना चाहिए।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेतर राजस्व, केंद्रीय कर/शुल्कों में राज्य का अंश और भारत सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के सभी व्यय शामिल होते हैं जिसके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। यह सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज और विभिन्न सेवाओं, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (भले ही कुछ अनुदान संपत्ति के निर्माण के लिए हो सकते हैं) पर किए गए खर्चों से संबंधित हैं।

पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल हैं:

ऋण प्राप्तियां: बाजार कर्ज, बंध-पत्र, वित्तीय संस्थानों से कर्ज, अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेनदेन, केंद्र सरकार से कर्ज और अग्रिम, इत्यादि;

ऋणेतर प्राप्तियां: विनिवेश की प्रक्रिया से, कर्ज और अग्रिम की वसूलियां;

पूंजीगत व्यय में भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, शयरो में निवेश और सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य पक्षों को कर्ज और अग्रिम पर किया गया व्यय शामिल है।


वर्तमान में, हमारे पास सरकार में एक लेखा वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यात्मक और आर्थिक दोनों में विस्तृत रूप में निम्न है।

	लेन-देन का प्रकार	वर्गीकरण
महालेखा नियंत्रक द्वारा लेखों की मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची में मानकीकृत	कार्य-शिक्षा, स्वास्थ्य, इत्यादि/विभाग	मांग के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (4 अंकों में)
	उप कार्य	उप-मुख्य शीर्ष (2 अंकों में)
	कार्यक्रम	लघुशीर्ष (3 अंकों में)
राज्य के लिए छोड़ा लचीलापन	योजना	उप शीर्ष (2 अंकों में)
	उप-योजना	विस्तृत शीर्ष (2 अंकों में)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	उद्देश्य शीर्ष-वेतन, लघु कार्य, इत्यादि (2 अंकों में)

कार्यात्मक वर्गीकरण में आर्थिक श्रेणियों द्वारा प्राप्तियों और व्यय की व्यवस्था करना, सरकारी लेनदेन को राजस्व और पूंजीगत (लोक ऋण, कर्ज और अग्रिम सहित) अनुभागों में अंतर करना, क्षेत्र जैसे अन्य राजस्व और सहायतानुदान से कर राजस्व, उप क्षेत्रों जैसे आय और व्यय पर कर, राजकोषीय सेवाओं, इत्यादि शामिल है। व्यय पक्ष में भी, लेनदेन को क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे सामान्य सेवायें, आर्थिक सेवायें, सामाजिक सेवायें और सहायतानुदान एवं अंशदान तथा इनके क्षेत्रों को लेखाओं के मुख्य शीर्ष में उप विभाजित किया गया है। समेकित निधि में शामिल होने वाले लेखों के मुख्य शीर्ष सामान्यतः सरकार के 'कार्य' के अनुरूप होते हैं, जैसे शिक्षा, जबकि मुख्य शीर्ष के अधीन लघुशीर्ष द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए कार्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए "कार्यक्रम" की पहचान करते हैं। एक कार्यक्रम में कई योजनाएं या गतिविधियां शामिल हो सकती हैं और ये आम तौर पर "लघु शीर्ष" के नीचे 'उप शीर्ष' के अनुरूप होते हैं। उप शीर्ष के नीचे 'विस्तृत शीर्ष', मुख्य रूप से व्यय पर नियंत्रण के मद

के लिए होता है और 'वेतन', 'कार्यालय व्यय', 'सहायतानुदान' जैसे मदों के संदर्भ में किसी योजना के क्रियान्वयन पर व्यय की वस्तु या प्रकृति आदि को इंगित करता है।

शासकीय लेखों की संरचना का एक चित्रात्मक चित्रण चार्ट 1.5 में दिया गया है:



1.5 बजटीय प्रक्रियायें

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के संदर्भ में, मध्य प्रदेश के राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के समक्ष वर्ष 2019–20 के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण **वार्षिक वित्तीय विवरण** के रूप में रखा जाना है।

अनुच्छेद 203 के संदर्भ में, उपर्युक्त अनुदान/विनियोजन के लिए 74 मांगों के रूप में राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किया गया था, और इनके अनुमोदन के बाद, समेकित निधि से आवश्यक धन का विनियोग प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 204 के तहत विनियोग विधेयक को पारित किया गया था।

जैसा कि पूर्व में **कंडिका 1.2** में वर्णित है, राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करने के लिए वित्त लेखों और विनियोग लेखों में उल्लिखित मुख्य आंकड़े शामिल हैं। ये लेखे वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय पर आधारित हैं, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए विभिन्न अंतर्शासकीय और अन्य समायोजन शामिल हैं। यह विचार करते हुए कि इन प्राप्तियों और व्यय का बजट में अनुमान और व्यय राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, 2019–20 के लिए

राज्य के बजट का सूक्ष्मता से अध्ययन करना और बजट में किए गए अनुमान के संदर्भ में वर्ष के दौरान वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है।

मध्य प्रदेश बजट नियमावली बजट तैयार करने, बजट निष्पादन और बजट निगरानी की प्रक्रिया का विवरण देता है। आगे, एक समेकित बजट के अलावा राज्य सरकार जेण्डर बजट और कृषि बजट जैसे उप-बजट भी तैयार करती है।

जेंडर बजट: राज्य का जेंडर बजट समग्र बजट का हिस्सा है और इसे महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है। जेंडर बजट दस्तावेज के अनुसार, महिलाओं से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था— (1) योजनाएँ जिनमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित हैं, और (2) योजनाएँ जिनमें कम से कम 30 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित हैं।

कृषि बजट: इस बजट में कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की गतिविधियों के हितों के साथ-साथ इन गतिविधियों पर खर्च की जानकारी भी शामिल है।

बजट नियमावली में यह भी उल्लेख किया गया था कि एक परिणामोन्मुखी बजट तैयार किया जाना चाहिए, जो वित्तीय परिव्यय से जुड़ी प्रत्येक योजना के तहत प्रस्तावित परिमाणात्मक विवरण प्रस्तुत करता है वह योजना के घोषित उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा 2015-16 से परिणामोन्मुखी बजट तैयार नहीं किया गया था। वित्त विभाग द्वारा परिणामोन्मुखी बजट के तैयार न करने का कारण योजना और योजनेत्तर योजनाओं का बंद होना बताया (जनवरी 2021)।

बजट की लेखापरीक्षा जांच और राज्य शासन की अन्य बजटीय पहलों के कार्यान्वयन के परिणाम इस प्रतिवेदन के **अध्याय 3** में विस्तृत रूप से दिये गये हैं।

1.6 वित्त के मुख्य बिंदु

2019-20 के बजट अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों के सापेक्ष वास्तविक वित्तीय परिणामों के विवरण निम्न **तालिका 1.2** प्रदाय करती है:

तालिका 1.2: 2019-20 के लिए बजट अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक वित्तीय परिणाम						
(₹ करोड़ में)						
स. क्र.	संघटक	2018-19 (वास्तविक)	2019-20 (वास्तविक)	2019-20 (बजट अनुमान)	वास्तविक से बजट अनुमान का प्रतिशत	वास्तविक से सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत
1	राजस्व कर	50,882.41	55,823.69	65,273.74	85.52	6.16
2	करेत्तर राजस्व	11,898.69	10,349.56	13,968.27	74.09	1.14
3	केन्द्रीय करों और शुल्कों का अंश	57,487.01	49,517.61	63,750.81	77.67	5.46
4	सहायतानुदान और अंशदान	28,624.68	31,952.49	36,360.93	87.88	3.52
5	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3+4)	1,48,892.79	1,47,643.35	1,79,353.75	82.32	16.28
6	कर्जों और अग्रिमों की वसूली	69.88	45.86	2,625.15	1.75	0.01
7	अन्य प्राप्तियां	13.04	13.66	-	-	-
8	उधार और अन्य देयतायें (अ)	19,006.19	35,302.35	32,384.44	109.01	3.89
9	पूँजीगत प्राप्तियां (6+7+8)	19,089.11	35,361.87	35,009.59	101.01	3.90
10	कुल प्राप्तियां (5+9)	1,67,981.90	1,83,005.22	2,14,363.34	85.37	20.18
11	राजस्व व्यय	1,42,149.21	1,50,444.30	1,78,621.12	84.23	16.59
12	ब्याज भुगतान	12,695.69	14,216.52	14,432.07	98.51	1.57
13	पूँजीगत व्यय	30,513.85	30,228.64	35,463.90	85.24	3.33
14	पूँजीगत परिव्यय	29,424.19	29,241.48	33,490.15	87.31	3.23
15	कर्ज तथा अग्रिम	1,089.66	987.16	1,973.75	50.01	0.11
16	कुल व्यय (11+13)	1,72,663.06	1,80,672.94	2,14,085.02	84.39	19.93
17	राजस्व घाटा (-)/अधिशेष(+)	6,743.58	-2,800.95	732.63	-382.31	-0.31
18	राजकोषीय घाटा	23,687.65	32,969.70	32,106.12	102.69	3.64
19	प्राथमिक घाटा	10,991.96	18,753.18	17,674.05	106.11	2.07

स्रोत: वित्त लेखे और बजट पुस्तिकाएं 2019-20

(अ) उधार और अन्य देयतायें: निवल लोक ऋण (प्राप्तियां-वितरण) + निवल आकस्मिकता निधि + निवल लोक लेखा (प्राप्तियां-वितरण) + निवल प्रारम्भिक एवं अंतिम रोकड़ शेष।

1.6.1 सरकार की सम्पत्ति और दायित्वों के मुख्य बिंदु

शासकीय लेखे सरकार की वित्तीय देनदारियों और व्यय की गयी राशि से परिसंपत्तियों के निर्माण को दर्शाते हैं। देयताओं में मुख्यतः आंतरिक ऋण, भारत सरकार से कर्ज और अग्रिम, लोक लेखे और आरक्षित निधियों से प्राप्तियां शामिल हैं। परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्ज और अग्रिम और रोकड़ शेष भी शामिल हैं।

तालिका 1.3: परिसम्पत्तियों और देयताओं की सारांशीकृत स्थिति							
							(₹ करोड़ में)
देयताएं				सम्पत्तियां			
	2018-19	2019-20	वृद्धि प्रतिशत में		2018-19	2019-20	वृद्धि प्रतिशत में
संचित निधि							
आंतरिक ऋण	1,40,009.31	1,59,792.74	14.13	सकल पूंजीगत परिव्यय	2,13,157.55	2,42,399.03	13.72
भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	17,388.60	21,035.97	20.98	कर्ज तथा अग्रिम	42,143.85	43,085.15	2.23
आकस्मिकता निधि	500.00	500.00	—				
लोक लेखे							
अल्प बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि	16,577.33	19,033.74	14.82	अग्रिम	3.40	3.48	2.35
जमा	14,260.20	18,809.47	31.90	प्रेषण	--	--	--
आरक्षित निधियां	6,490.37	12,316.00	89.76	उचंत तथा विविध	--	--	--
उचंत तथा विविध शेष	650.90	-898.43 ¹	-238.03				
प्रेषण	2,229.91	2,161.37	-3.07	रोकड़ शेष (उद्धिष्ट निधि में निवेश सहित)	5,389.02	7,060.93	31.02
				योग	2,60,693.82	2,92,548.59	12.22
				शासकीय लेखों में कमी	-62,587.20	-59,797.73	4.46
योग	1,98,106.62	2,32,750.86	17.49	योग	1,98,106.62	2,32,750.86	17.49

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

1.7 राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

मध्य प्रदेश शासन ने राजकोषीय प्रबंधन में बुद्धिमता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्व घाटे को समाप्त करने, राजकोषीय घाटे को कम करने और कुल/बकाया ऋण को स्वीकार्य स्तर तक पहुंचाने, बेहतर ऋण प्रबंधन की स्थापना और मध्यम कालिक रूपरेखा की पारदर्शिता में सुधार करने के उद्देश्य से, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम पारित किया। इस संदर्भ में, अधिनियम राज्य द्वारा घाटे के मापदण्डों और ऋण के स्तर का पालन करने के लिए मात्रात्मक लक्ष्य प्रदान करता है।

¹ उचंत और विविध शेषों के आंकड़ों में मुख्य शीर्ष 8658—उचंत लेखा ₹1,391.42 करोड़ (नामे), मुख्य शीर्ष 8679—अन्य देशों की सरकारों के साथ खोले गए लेखे ₹0.15 करोड़ (नामे) तथा मुख्य शीर्ष 8670—चैक्स और बिल ₹493.14 करोड़ (जमा) के शेष शामिल है।

1.7.1 मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के मुख्य लक्ष्यों पर राजकोषीय मापदण्ड और उनकी उपलब्धियां

मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार, राज्य शासन को 31 मार्च 2009 तक राजस्व घाटे को समाप्त करना था और उसके बाद राजस्व अधिशेष को बनाए रखना था; 31 मार्च 2009 तक राजकोषीय घाटे को अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत तक कम करना था एवं उसके बाद समान स्तर को बनाए रखना था। इसके अलावा, अधिनियम में यह भी परिकल्पित था कि राज्य शासन 31 मार्च 2015 तक कुल बकाया ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 40 प्रतिशत तक सीमित कर देगी।

जनवरी 2016 में मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम संशोधन में राज्यों के लिए उनके अवार्ड अवधि (2015-16 से 2019-20) के दौरान राज्यों के लिए अनुशासित राजकोषीय घाटे की सीमा से संबंधित चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को शामिल किया गया। अधिनियम ने प्रावधान किया कि राजकोषीय घाटा किसी भी वित्त वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.50 प्रतिशत की वार्षिक सीमा से अधिक न हो।

2015-16 से 2019-20 तक की पांच साल की अवधि के दौरान संशोधित मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में परिकल्पित प्रमुख राजकोषीय मापदण्डों से संबंधित पुनरीक्षित लक्ष्य और उनकी उपलब्धियां तालिका 1.4 में दी गई हैं:

तालिका 1.4: मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन						
राजकोषीय मापदण्ड	अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धियां (₹ करोड़ में)				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+)	राजस्व आधिक्य	5,740 ✓	7,781 ² ✓	4,629 ✓	6,744 ✓	(-)2,801 X
राजकोषीय घाटा (-)/ आधिक्य (+) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	संबंधित वर्षों के अंतर्गत कोष्ठक में दिया गया है।	2.60 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.50 % से अधिक नहीं) ✓	3.12 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.50 % से अधिक नहीं) ✓	3.14 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.50 % से अधिक नहीं) ✓	2.93 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.24 % से अधिक नहीं) ✓	3.64 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.34 % से अधिक नहीं) X
कुल बकाया ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात (प्रतिशत में)		23.49 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 25 % से अधिक नहीं) ✓	23.98 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 25 % से अधिक नहीं) ✓	23.78 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 25 % से अधिक नहीं) ✓	24.01 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 26.34 % से अधिक नहीं) ✓	25.43 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 24.43 % से अधिक नहीं) X

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य ने 2015-16 से 2018-19 की अवधि के दौरान राजस्व अधिशेष प्राप्त किया, लेकिन 2019-20 के दौरान इसे बरकरार नहीं रख सका। 2019-20 के दौरान राजस्व घाटा ₹2,801 करोड़, राजस्व व्यय में 5.84 प्रतिशत (2018-19 में ₹1,42,149 करोड़ के सापेक्ष 2019-20 में ₹1,50,444 करोड़) की वृद्धि एवं

² उदय के प्रभाव को छोड़कर, उदय के प्रभाव को शामिल करने पर राजस्व अधिशेष ₹3,770 करोड़ होगा।

राजस्व प्राप्तियों में 0.84 प्रतिशत (2018-19 में ₹1,48,893 करोड़ के सापेक्ष 2019-20 में ₹1,47,643 करोड़) की कमी के कारण था। कर राजस्व के अधिकांश घटकों के संबंध में संग्रहण विशेष रूप से राज्य माल और सेवा कर (₹3,652 करोड़ से) तथा मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क (₹931 करोड़ से) के प्रकरणों में बजट अनुमानों में किए गए अनुमानों से कम था।

2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में राजस्व व्यय में ₹8,295 करोड़ से वृद्धि, सामाजिक सेवाओं (₹5,517 करोड़ से) के अंतर्गत मुख्य रूप से "शहरी स्वास्थ्य सेवाओं" के अंतर्गत "अस्पताल और औषधालयों" में व्यय पर वृद्धि के कारण एवं "प्राथमिक शिक्षा" तथा "माध्यमिक शिक्षा" के अंतर्गत "शासकीय प्राथमिक विद्यालयों", "विश्व विद्यालय और उच्च शिक्षा" के अंतर्गत "शासकीय महाविद्यालयों और संस्थानों" पर व्यय तथा आर्थिक सेवाओं (₹2,835 करोड़ से) में "ग्रामीण विद्युतीकरण" के अंतर्गत "अन्य व्यय" पर वृद्धि के कारण थी।

राज्य शासन 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार राजकोषीय घाटे को लक्ष्य के भीतर नियंत्रित करने में विफल रहा, हालांकि 2015-16 से 2018-19 के दौरान मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार राजकोषीय घाटे के लक्ष्य प्राप्त किए गए थे।

इसी प्रकार, 2019-20 के दौरान राज्य, मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार बकाया ऋण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका, जबकि 2015-16 से 2018-19 के दौरान इसे प्राप्त करने में सफल रहा।

1.7.2 मध्यम कालीन राजकोषीय नीति विवरण

मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार, राज्य शासन प्रत्येक वित्त वर्ष में, बजट के साथ मध्यम कालीन राजकोषीय नीति विवरण राज्य विधानमंडल के समक्ष रखेगा, जिसमें राज्य शासन के राजकोषीय उद्देश्यों और बजट के साथ पंचवर्षीय चलित लक्ष्य निहित होंगे।

तालिका 1.5 राज्य विधान मण्डल को 2019-20 के लिए वार्षिक बजट के साथ प्रस्तुत किए गए, मध्यम कालीन राजकोषीय नीति विवरण में 2019-20 के लिए किए गए अनुमानों तथा वर्ष के वास्तविक आंकड़ों के बीच परिवर्तन को इंगित करती है।

तालिका 1.5: 2019-20 के लिए मध्यम कालीन राजकोषीय नीति विवरण में किए गए अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक आंकड़े			
राजकोषीय चर	मध्यम कालीन राजकोषीय नीति विवरण के अनुसार अनुमान	वास्तविक (2019-20)	(₹ करोड़ में)
			परिवर्तन (प्रतिशत में)
स्वयं के कर राजस्व	65,273.74	55,823.69	-14.48
करेत्तर राजस्व	13,968.27	10,349.56	-25.91
केन्द्रीय कर का अंश	63,750.81	49,517.61	-22.33
भारत सरकार से सहायतानुदान	36,360.93	31,952.49	-12.12
राजस्व प्राप्तियां	1,79,353.75	1,47,643.35	-17.68
राजस्व व्यय	1,78,621.12	1,50,444.30	-15.77
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+)	0.08	(-0.31)	-487.50
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा	3.54	3.64	2.82
ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (प्रतिशत)	21.88	25.43	16.22
वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	14.23	11.99	-18.49

स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज 2019-20


1.7.3 घाटा और अधिशेष

जब कोई सरकार राजस्व के माध्यम से एकत्र करने से अधिक खर्च करती है, तो वह घाटा होता है। ऐसे कई मापदण्ड हैं जो कि सरकारी घाटे को अधिग्रहीत करते हैं।


<p>राजस्व घाटा/अधिशेष (राजस्व व्यय – राजस्व प्राप्तियां)</p>	<p>राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच अंतर को संदर्भित करता है।</p> <ul style="list-style-type: none"> जब सरकार राजस्व घाटा करती है, तो इसका अर्थ है कि सरकार अधिव्यय कर रही है और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की बचत का उपयोग करके इसके उपभोग व्यय का एक हिस्सा वित्तपोषित कर रही है। राजस्व घाटे का अस्तित्व चिंता का कारण है क्योंकि राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय को भी पूरा करने में पर्याप्त नहीं थीं। इसके अलावा, पूंजीगत प्राप्तियों के हिस्से का उपयोग राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए किया गया था, पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए उस सीमा तक पूंजी संसाधनों की उपलब्धता को कम किया। इस स्थिति का अर्थ है कि सरकार को न केवल अपने निवेश को वित्त पोषित करने के लिए उधार लेना होगा, बल्कि इसके उपभोग की आवश्यकताओं को भी पूरा करना होगा। यह ऋण और ब्याज देनदारियों के भंडार का निर्माण करता है और सरकार को आखिरकार खर्च में कटौती करने के लिए मजबूर करता है। यदि राजस्व व्यय का बड़ा हिस्सा प्रतिबद्ध व्यय (ब्याज देनदारियां, वेतन, पेंशन) है, तो सरकार उत्पादक व्यय या कल्याण व्यय को कम करती है। इसका अर्थ कम विकास और प्रतिकूल कल्याण निहितार्थ होगा।
<p>राजकोषीय घाटा/अधिशेष (कुल व्यय – (राजस्व प्राप्तियां + ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियां जो पूंजीगत प्राप्तियां बनती हैं))</p>	<p>यह राजस्व प्राप्तियों और ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों (NDCR) और कुल व्यय के बीच का अंतर है। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं के लिए विचारारत्मक है।</p> <ul style="list-style-type: none"> राजकोषीय घाटा उधारियों को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और उसकी कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है। ऋणोत्तर सृजन पूंजीगत प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं, जो उधार नहीं हैं, और इसलिए, ऋण को उत्पन्न नहीं करती हैं। उदाहरणार्थ कर्ज की वसूली और सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री से आय है। राजकोषीय घाटे को उधार के माध्यम से वित्तपोषित करना होगा। इस प्रकार, यह सभी स्रोतों से सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को इंगित करता है। <p>सरकारें आमतौर पर राजकोषीय घाटे से चलती हैं और पूंजी/परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए या आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए धन उधार लेती हैं, ताकि उधार के माध्यम से बनाई गई परिसंपत्ति एक आय प्रवाह उत्पन्न करके अपने लिए भुगतान कर सकें। इस प्रकार पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उधार ली गयी निधियों का उपयोग और मूलधन और ब्याज की अदायगी के लिए राजस्व प्राप्तियों का उपयोग करना विचारणीय है।</p>

1.7.4 घाटा/अधिशेष की प्रवृत्तियां

विगत वर्ष की तुलना में 2019–20 के दौरान प्रमुख वित्तीय मापदंडों के संबंध में, चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्यों के भीतर राज्य अच्छी स्थिति में था। वर्ष 2019–20 के दौरान इसका राजकोषीय घाटा ₹32,970 करोड़ था, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.64 प्रतिशत और कुल व्यय का 18.25 प्रतिशत था। 2018–19 के दौरान ₹10,992 करोड़ का प्राथमिक घाटा वर्तमान वर्ष के दौरान बढ़कर ₹18,753 करोड़ हो गया और 2018–19 में ₹6,744 करोड़ का राजस्व अधिशेष 2019–20 के दौरान ₹2,801 करोड़ के घाटे में बदल गया। 2015–16 से 2019–20 तक की पांच साल की अवधि में अधिशेष और घाटे की प्रवृत्ति को चार्ट 1.6 में दर्शाया है और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष अधिशेष या घाटे की प्रवृत्ति नीचे चार्ट 1.7 में दी गई है:



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें

1.8 लेखापरीक्षा में जाँच के बाद घाटा

बजट घाटे पर काबू पाने के लिए अल्पकालिक उद्देश्यों पर अत्यधिक ध्यान घाटे को कम करने के उपायों को प्रोत्साहित कर सकता है। निम्न तालिका 1.6 वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य शासन द्वारा निधियों और गलत वर्गीकरण/पुस्तांकन तथा निधियों के कम/गैर-अंशदान को लेखों में लेने के पश्चात् वास्तविक अधिशेष/घाटे का मूल्यांकन करती है।

तालिका 1.6: वास्तविक राजस्व एवं राजकोषीय घाटा		
विवरण	(₹ करोड़ में)	
	राजस्व घाटे पर प्रभाव (न्यूनोक्ति)	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव (न्यूनोक्ति)
राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण (लेखों की टिप्पणियों की कड़िका संख्या 1(V), वित्त लेखे खंड-1)	1,210.60	--
एन.एस.डी.एल/ट्रस्टी बैंक को अंशदान का कम अंतरण (लेखों की टिप्पणियों की कड़िका संख्या 3(i), वित्त लेखे खंड-1)	51.60	51.60
ब्याज सहित जमा एवं आरक्षित निधियों पर ब्याज का गैर भुगतान (लेखों की टिप्पणियों की कड़िका संख्या 3(viii), वित्त लेखे खंड-1)	1.24	1.24
विद्युत विकास कोष में ऊर्जा विकास उपकरण का कम अंतरण (लेखों की टिप्पणियों की कड़िका संख्या 3(viii) (ख), वित्त लेखे खंड-1)	434.32	434.32
योग	1,697.76	487.16

स्रोत: वित्त लेखे 2019-20

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, वर्ष के दौरान राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटे में क्रमशः ₹1,697.76 करोड़ से और ₹487.16 करोड़ से न्यूनोक्ति थी। वित्त लेखों के अनुसार, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹2,800.95 करोड़ और ₹32,969.70 करोड़ था, जो वास्तव में क्रमशः ₹4,498.71 करोड़ और ₹33,456.86 करोड़ होगा।

अध्याय 2

राज्य शासन के वित्त

अध्याय 2—राज्य शासन के वित्त

2.1 प्रस्तावना

यह अध्याय राज्य के वित्त लेखों पर आधारित राज्य के वित्त का एक व्यापक परिदृश्य, पिछले वर्ष के सापेक्ष होने वाले समस्त मुख्य वित्तीय क्रांतिक परिवर्तनों, पाँच वर्ष की अवधि 2015–16 से 2019–20 के दौरान समग्र प्रवृत्तियाँ, राज्य की ऋण स्थिरता और मुख्य लोक लेखा के लेन-देनों का विश्लेषण प्रदान करता है।

2.2 2018–19 की तुलना में 2019–20 के दौरान मुख्य राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तन

तालिका 2.1 विगत वर्ष की तुलना में 2019–20 के दौरान राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तनों का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.1: 2018–19 की तुलना में 2019–20 के दौरान मुख्य राजकोषीय समुच्चयों में परिवर्तन	
राजस्व प्राप्तियाँ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ 0.84 प्रतिशत से कम हुई। ➤ राज्य के स्वयं के कर की प्राप्तियाँ 9.71 प्रतिशत से बढ़ी। ➤ स्वयं की करेतर प्राप्तियाँ 13.02 प्रतिशत से कम हुई। ➤ संघ करों/शुल्कों में राज्य का अंश 13.86 प्रतिशत से कम हुआ। ➤ भारत सरकार से सहायतानुदान 11.62 प्रतिशत से बढ़ा।
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none"> ➤ राजस्व व्यय 5.84 प्रतिशत से बढ़ा। ➤ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय 4.50 प्रतिशत से बढ़ा। ➤ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 9.40 प्रतिशत से बढ़ा। ➤ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 7.53 प्रतिशत से बढ़ा। ➤ सहायतानुदान पर व्यय 23.10 प्रतिशत से कम हुआ।
पूँजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पूँजीगत व्यय 0.62 प्रतिशत से कम हुआ। ➤ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 35.82 प्रतिशत से बढ़ा। ➤ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 21.04 प्रतिशत से बढ़ा। ➤ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 7.16 प्रतिशत से कम हुआ।
कर्ज तथा अग्रिम	<ul style="list-style-type: none"> ➤ कर्जों एवं अग्रिमों का संवितरण 9.45 प्रतिशत से कम हुआ। ➤ कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ 34.37 प्रतिशत से कम हुई।
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none"> ➤ लोक ऋण प्राप्तियाँ 5.75 प्रतिशत से बढ़ी। ➤ लोक ऋण का पुनर्भुगतान 19.15 प्रतिशत से कम हुआ।
लोक लेखा	<ul style="list-style-type: none"> ➤ लोक लेखा प्राप्तियाँ 7.66 प्रतिशत से बढ़ी। ➤ लोक लेखों का संवितरण 3.28 प्रतिशत से बढ़ा।
रोकड़ शेष	<ul style="list-style-type: none"> ➤ रोकड़ शेष ₹1,671.91 करोड़ (31.02 प्रतिशत) से बढ़ा।


उपर्युक्त प्रत्येक संकेतकों का विश्लेषण उत्तरवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।

2.3 निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

तालिका 2.2 2019–20 के दौरान राज्य के निधियों के स्रोत एवं उपयोग की तुलना 2018–19 के आंकड़ों से करती है, जबकि वर्ष 2019–20 के दौरान संचित निधि में प्राप्तियाँ और उसमें से होने वाले व्यय का विवरण प्रतिशतता के संदर्भ में **चार्ट 2.1 और 2.2** में दिया गया है।

तालिका 2.2: 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान निधियों के स्रोत एवं उपयोग का विवरण				
विवरण	(₹ करोड़ में)		वृद्धि (+)/कमी (-) (प्रतिशत)	
	2018-19	2019-20		
स्रोत के संघटक	भारतीय रिजर्व बैंक के साथ प्रारंभिक रोकड़ शेष	7,135.56	5,389.02	(-)24.48
	राजस्व प्राप्तियां	1,48,892.79	1,47,643.35	(-)0.84
	पूंजीगत प्राप्तियां	13.04	13.66	4.75
	कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियां	69.88	45.86	(-)34.37
	लोक ऋण प्राप्तियां (निवल)	18,973.70	23,430.79	23.49
	लोक लेखा प्राप्तियां (निवल)	2,967.41	11,210.82	277.79
	अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.75	(-) 0.25	(-)133.33
	कुल	1,78,053.13	1,87,733.25	5.44
स्रोत के अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	1,42,149.21	1,50,444.30	5.84
	पूंजीगत व्यय	29,424.19	29,241.48	(-)0.62
	कर्जों एवं अग्रिमों का संवितरण	1,089.66	987.16	(-)9.41
	अंतर्राज्यीय परिशोधन	1.05	(-) 0.62	(-)159.05
	भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अंतिम रोकड़ शेष	5,389.02	7,060.93	31.02
	कुल	1,78,053.13	1,87,733.25	5.44

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे



नोट: विविध पूंजीगत प्राप्तियां और कर्ज तथा अग्रिम की वसूलियां ₹60 करोड़ (0.03 प्रतिशत)

2.4 राज्य के संसाधन

राज्य के स्रोतों को नीचे वर्णित किया गया है:


1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश और भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों को शामिल किया गया है।

2. **पूँजीगत प्राप्तियों** में विविध पूँजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेश की प्रक्रिया से, कर्ज एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थान/वाणिज्यिक बैंको से उधार) और भारत सरकार से प्राप्त कर्ज एवं अग्रिम शामिल हैं। राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियां दोनों राज्य की संचित निधि के भाग हैं।

3. **निवल लोक लेखा प्राप्तियां:** निश्चित लेन-देनों के संदर्भ में प्राप्तियां एवं अदायगियां जैसे अल्प बचत, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमा, उचंत, प्रेषण, इत्यादि जो संचित निधि का भाग नहीं हैं। इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और राज्य विधान सभा इन पर मतदान नहीं करवाती है। यहां, सरकार बैंकर की तरह कार्य करती है। संवितरण के पश्चात् शेष उपलब्ध निधि का सरकार उपयोग करती है।

2.5 राज्य की प्राप्तियां

चार्ट 2.3 2019–20 के दौरान समग्र प्राप्तियों की संरचना प्रदान करता है।




2.6 राजस्व प्राप्तियां

2.6.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां और संवृद्धि

तालिका 2.3 पाँच वर्षों की अवधि 2015–20 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व प्राप्तियों के साथ-साथ राजस्व उत्प्लावकता की प्रवृत्तियां एवं संवृद्धि प्रदान करती है। आगे, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां और राजस्व प्राप्तियों के संघटक क्रमशः चार्ट 2.4 एवं 2.5 में दिये गये हैं।


तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां					
विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	1,05,511	1,23,307	1,34,875	1,48,893	1,47,643
राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	19.03	16.87	9.38	10.39	- 0.84
स्वयं के कर राजस्व (₹ करोड़ में)	40,214	44,194	44,811	50,882	55,824
स्वयं के करेत्तर राजस्व (₹ करोड़ में)	8,569	9,086	9,061	11,899	10,349
स्वयं के राजस्व की संवृद्धि दर (कर एवं करेत्तर राजस्व) (प्रतिशत)	3.92	9.22	1.11	16.54	5.40
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	5,41,068	6,49,823	7,24,729	8,09,592	9,06,672
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	12.74	20.10	11.53	11.71	11.99
राजस्व प्राप्तियां/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	19.50	18.98	18.61	18.39	16.28
उत्प्लावकता अनुपात ¹					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व उत्प्लावकता	1.49	0.84	0.81	0.89	-0.07
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राज्य की स्वयं की राजस्व उत्प्लावकता	0.31	0.46	0.10	1.41	0.45

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं संचालनालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त जानकारी



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा संचालनालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदाय जानकारी

¹ उत्प्लावकता अनुपात आधार चर में दिए गए परिवर्तन के संबंध में राजकोषीय परिवर्तनीयता की लोच या डिग्री की गतिशीलता को इंगित करता है। उदाहरण के लिए 1.85 पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में राजस्व उत्प्लावकता का अर्थ है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत से वृद्धि होने पर राजस्व प्राप्ति में 1.85 प्रतिशत से वृद्धि होती है।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य की राजस्व प्राप्तियों से संबंधित सामान्य प्रवृत्तियां निम्न प्रकार हैं:

- राजस्व प्राप्तियां वार्षिक औसत विकास दर 10.97 प्रतिशत की दर से 2015-16 में ₹1,05,511 करोड़ से 2019-20 में ₹1,47,643 करोड़ तक 39.93 प्रतिशत से बढ़ी। 2019-20 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में ₹1,250 करोड़ (0.84 प्रतिशत) से कमी मुख्यतः भारत सरकार से संघ के करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश में ₹7,969 करोड़ (13.86 प्रतिशत) से प्राप्ति में कमी के कारण थी।
- 2015-16 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों का लगभग 46 प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधनों से आया, जबकि केंद्रीय कर अंतरण और सहायतानुदान ने मिलकर 54 प्रतिशत का योगदान दिया। वर्ष 2019-20 में, राजस्व प्राप्तियों का लगभग 45 प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधनों से आया एवं केंद्रीय कर अंतरण और सहायतानुदान ने मिलकर 55 प्रतिशत योगदान दिया।
- वस्तु एवं सेवा कर (2017-18 में) के क्रियान्वयन एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की उच्च वृद्धि दर के कारण 2015-16 की तुलना में राज्य की राजस्व उत्प्लावकता में महत्वपूर्ण कमी थी, जिसने राजस्व के विभिन्न संघटकों की वास्तविक प्राप्तियों को प्रभावित किया।


2.6.2 राज्य के स्वयं के संसाधन

केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान का निर्धारण, केंद्रीय कर प्राप्तियों के संग्रहण की मात्रा एवं योजनाओं के लिये प्रत्याशित केंद्रीय सहायता के द्वारा होता है। अतिरिक्त संसाधनों के जुटाने में राज्य का प्रदर्शन इसके स्वयं के संसाधनों जिसमें कर एवं करेत्तर स्त्रोंतो से राजस्व शामिल है, के संदर्भ में आंकलित करना चाहिए।

2015-20 के दौरान मुख्य कर एवं करेत्तर राजस्व के सकल संग्रहण के संदर्भ में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष उनका अंश **परिशिष्ट 2.1** में दिया गया है।

2.6.2.1 स्वयं के कर राजस्व

पांच साल की अवधि 2015–20 के दौरान राज्य शासन का स्वयं के कर राजस्व चार्ट 2.6 में दिया गया है:



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2015–20 के दौरान एकत्र किए गए स्वयं के कर राजस्व का घटक-वार विवरण तालिका 2.4 में दिया गया है:

तालिका 2.4: 2015–20 के दौरान घटक-वार स्वयं के कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर	19,806	22,561	14,984	9,903	11,258
राज्य माल एवं सेवा कर	-	-	8,696	18,508	20,448
राज्य उत्पाद शुल्क	7,923	7,533	8,245	9,542	10,829
वाहन कर	1,933	2,252	2,692	3,008	3,251
स्टाम्प तथा पंजीयन शुल्क	3,868	3,925	4,789	5,278	5,569
भू-राजस्व	277	407	491	384	562
माल तथा यात्री पर कर	3,085	3,805	1,159	118	145
विद्युत पर कर एवं शुल्क	2,258	2,621	2,590	2,616	2,268
अन्य कर ²	1,064	1,090	1,165	1,525	1,494
योग	40,214	44,194	44,811	50,882	55,824
वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद	5,41,068	6,49,823	7,24,729	8,09,592	9,06,672
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व (प्रतिशत में)	7.43	6.80	6.18	6.28	6.16

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य का स्वयं का कर राजस्व 2015–16 में ₹40,214 करोड़ से 2019–20 में ₹55,824 करोड़ तक 8.90 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से ₹15,610 करोड़ से बढ़ा। वर्तमान वर्ष के दौरान, कर राजस्व के मुख्य अंशदाता राज्य माल और सेवा कर (36.63 प्रतिशत), बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर (20.17 प्रतिशत) और राज्य उत्पाद शुल्क (19.40 प्रतिशत) थे।

² अन्य करों में कृषि भूमि के अलावा अन्य अचल संपत्ति पर कर, आय और व्यय पर अन्य कर और वस्तुओं तथा सेवाओं पर शुल्क शामिल हैं।

2.6.2.2 राज्य माल और सेवा कर

माल और सेवा कर 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम 2017 के अनुसार केन्द्र सरकार राज्यों को पाँच वर्ष की अवधि के लिए माल और सेवा कर के क्रियान्वयन के कारण हुई राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति करेगी। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, आधार वर्ष (2015-16) के राजस्व ₹15,329 करोड़ पर प्रति वर्ष 14 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि दर लागू करते हुए वर्ष 2019-20 के लिए मध्य प्रदेश का अनुमानित राजस्व ₹25,890 करोड़ परिकल्पित किया गया था।

2019-20 के दौरान, राज्य शासन ने मुख्य शीर्ष-‘0006 राज्य माल और सेवा कर’ के अन्तर्गत राजस्व के रूप में ₹20,448 करोड़ प्राप्त किए। इसके अलावा, भारत सरकार ने माल और सेवा कर के क्रियान्वयन के कारण उत्पन्न हुयी राजस्व की हानि की प्रतिपूर्ति के रूप में वर्ष के दौरान ₹4,531 करोड़ जारी किए। इस प्रकार राज्य शासन को भारत सरकार से राजस्व की अनुमानित हानि की क्षतिपूर्ति ₹911 करोड़ से कम प्राप्त हुई।

भारत सरकार का निर्णय, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को माल और सेवा कर प्राप्तियों से संबंधित पेन इण्डिया डेटा तक पहुंच प्रदान करता है, को जी.एस.टी.एन. परिसर में 22 जून 2020 को सूचित किया गया। हालांकि, राज्य शासन के स्तर पर इस निर्णय को कार्यान्वित करने वाली प्रशासनिक कार्यवाही लंबित है। इसलिए, वर्ष 2019-20 के लिए लेखों को नमूना लेखापरीक्षा के आधार पर प्रमाणित किया गया है, जैसा कि तब किया जाता था, जब अभिलेखों को मैनुअली (हाथों से) संधारित किया जाता था।

2.6.2.3 कर अपवंचन

उत्पाद एवं करारोपण विभाग द्वारा कर अपवंचन के प्रकरणों का पता लगाना, प्रकरणों को अंतिम रूप देकर अतिरिक्त कर की मांग उठाना राज्य सरकार द्वारा राजस्व संग्रहण के लिए किये गये प्रयासों के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। वापिसी प्रकरणों का तत्काल निपटान करना विभागीय दक्षता का एक संकेतक है। धन की वापिसी के प्रकरणों का उच्च अवलंबन, लाल फीताशाही, निहित स्वार्थों, स्पीड मनी की व्यापकता, इत्यादि का संकेत हो सकते हैं।

31 मार्च 2020 तक खनन विभाग, पंजीयन और मुद्रांक विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रतिवेदित कर अपवंचना के प्रकरणों की जांच, प्रकरणों को अंतिम रूप देकर अतिरिक्त कर की मांग को उठाने संबंधी विवरण नीचे तालिका 2.5 में दिया गया है:

तालिका 2.5: कर अपवंचन जाँच							
राजस्व की प्रकृति	31.03.2019 की स्थिति में लंबित प्रकरणों की संख्या	2019-20 के दौरान पता चले प्रकरणों की संख्या	कुल प्रकरणों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिनमें जांच पूरी हुई और जुर्माना सहित अतिरिक्त मांग को उठाया गया		31.03.2020 की स्थिति में लंबित प्रकरणों की संख्या	
				प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)		
खनन	4,831	16,223	21,054	13,901	55.88	7,153	
स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क	13,937	8,764	22,701	9,865	65.01	12,836	
वाणिज्यिक कर	201	172	373	206	79.23	167	
योग	18,969	25,159	44,128	23,972	200.12	20,156	

स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रदत्त जानकारी

तालिका 2.6 वाणिज्यिक कर एवं स्टाम्प तथा पंजीयन शुल्क की वापसी के प्रकरणों का विवरण दर्शाती है।

स. क्र.	विवरण	वाणिज्यिक कर		स्टाम्प तथा पंजीयन शुल्क	
		प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	वर्ष 2019-20 के प्रारंभ में बकाया दावे	962	24.69	2,305	7.81
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	5,593	329.29	7,287	28.46
3	वर्ष के दौरान की गई वापसी	5,509	291.37	7,196	26.53
4	वर्ष के दौरान खारिज की गई वापसियां	-	-	-	-
5	वर्ष 2019-20 के अंत में बकाया राशि	1,046	62.61	2,396	8.45

स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रदत्त जानकारी

2.6.2.4 करेत्तर राजस्व


वर्ष 2015-20 के दौरान एकत्र किए गए करेत्तर राजस्व का घटक-वार विवरण तालिका 2.7 में दिया गया है:

राजस्व शीर्ष	₹ करोड़ में				
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
अलौह खनन एवं धातु शोधन उद्योग	3,060	3,168	3,641	3,934	4,320
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	1,292	1,824	1,310	2,366	2,060
वानिकी एवं वन्य जीवन	1,002	918	1,112	1,043	833
ब्याज प्राप्तियां	429	582	639	880	443
लाभांश एवं लाभ	130	231	622	347	476
अन्य करेत्तर प्राप्तियां	2,656	2,363	1,737	3,329	2,217 ³
योग	8,569	9,086	9,061	11,899	10,349
राजस्व प्राप्तियां	1,05,511	1,23,307	1,34,875	1,48,893	1,47,643
राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत	8.12	7.37	6.72	7.99	7.01

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

करेत्तर राजस्व, जो राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का सात से आठ प्रतिशत के बीच था, 2015-16 से 2019-20 तक पाँच साल की अवधि के दौरान अंतरवर्षीय उतार-चढ़ाव के साथ 2015-16 से 2018-19 तक ₹3,330 करोड़ से बढ़ा लेकिन 2019-20 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में ₹1,550 करोड़ (13.03 प्रतिशत) से कम हुआ। यह कमी मुख्य रूप से ब्याज प्राप्तियों (₹437 करोड़ से) और शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹306 करोड़ से) के अंतर्गत थी।


³ विविध सामान्य सेवाएं (₹337.75 करोड़), लघु सिंचाई (₹234.98 करोड़), अन्य प्रशासनिक सेवाएं (₹326.95 करोड़), मध्यम सिंचाई (₹113.47 करोड़), पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अंशदान और वसूलियां (₹129.62 करोड़), चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य (₹176.34 करोड़), ऊर्जा (₹54.56 करोड़), लोक निर्माण (₹117.91 करोड़), पुलिस (₹124.39 करोड़), अन्य सामाजिक सेवाएं (₹213.47 करोड़), ग्राम और लघु उद्योग (₹28.43 करोड़), फसल कृषि कर्म (₹46.92 करोड़), मुख्य सिंचाई (₹58.15 करोड़) और अन्य प्राप्तियां (₹254 करोड़) के अन्तर्गत प्राप्तियां शामिल हैं।



2018-19 के दौरान करेत्तर राजस्व में वृद्धि मुख्यतः शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹1,056 करोड़ से) के अंतर्गत थी। यह मुख्यतः समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राप्ति के गलत वर्गीकरण के कारण थी। राज्य शिक्षा केंद्र ने राशि का गलत वर्गीकरण किया तथा संपूर्ण राशि ₹1,697 करोड़ (₹1,018 करोड़ + ₹679 करोड़) मुख्य शीर्ष 2202 के स्थान पर मुख्य शीर्ष 0202 में अंतरित कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के राजस्व व्यय एवं करेत्तर राजस्व में ₹1,697 करोड़ से वृद्धि हुई।

2.6.2.5 केन्द्र से निधियों का अंतरण

केन्द्र सरकार से निधियों का अंतरण वित्त आयोग की अनुशंसा पर निर्भर करता है। 10 वर्ष की अवधि 2010-20 के दौरान इनसे संबंधित प्रवृत्तियां चार्ट 2.9 में दी गई हैं:



पहले तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार प्राप्त केंद्रीय करों में राज्य का अंश 32 प्रतिशत के स्थान पर चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 2015-16 से केंद्रीय करों में राज्य का अंश 42 प्रतिशत होगा। इसलिए 2015-16 से केंद्र से निधियों के अंतरण में वृद्धि हुई, जैसा कि चार्ट 2.9 में दिखाया गया।

केंद्र से अंतरण 2010-11 में ₹24,716 करोड़ से 2019-20 में ₹81,471 करोड़ तक ₹56,755 करोड़ से बढ़ा। हालांकि, यह 2018-19 में ₹86,112 करोड़ से 2019-20 में ₹81,471 करोड़ तक ₹4,641 करोड़ से कम हुआ।

केंद्रीय कर अंतरण

2015-20 के दौरान भारत सरकार से राज्य शासन को केन्द्रीय कर अंतरण का विवरण तालिका 2.8 में दिया गया है:

तालिका 2.8: केंद्रीय कर अंतरण की प्रवृत्तियां					
विवरण	(₹ करोड़ में)				
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
केन्द्रीय माल एवं सेवा कर	-	-	716	14,188	14,052
एकीकृत माल एवं सेवा कर	-	-	5,132	1,132	-
निगम कर	12,078	14,752	15,569	19,990	16,884
निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर	8,400	10,252	13,147	14,722	13,229
सीमा शुल्क	6,134	6,346	5,131	4,075	3,139
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	5,100	7,246	5,363	2,708	2,182
सेवा कर	6,656	7,434	5,795	531	-
सम्पत्ति पर कर	3	34	0	7	1
उत्पादों एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	27	0	0	30	31
आय और व्यय पर अन्य कर	0	0	0	104	-
कुल केन्द्रीय कर अंतरण	38,398	46,064	50,853	57,487	49,518
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	59.28	19.96	10.40	13.05	-13.86
राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष केंद्रीय कर अंतरण का प्रतिशत	36.39	37.36	37.70	38.61	33.54

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

केंद्रीय कर अंतरण 2015-16 में ₹38,398 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹57,487 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 में केंद्रीय कर अंतरण में ₹7,969 करोड़ की कमी, मुख्य रूप से निगम कर (₹3,106 करोड़ से), निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर (₹1,493 करोड़ से) और एकीकृत माल और सेवा कर (₹1,132 करोड़ से) के अन्तर्गत कमी के कारण थी।

भारत सरकार से सहायतानुदान

राज्य सरकार वित्त आयोग की अनुशंसा पर आधारित सहायतानुदान एवं केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यों के अंश प्राप्त करती है। राज्य को भारत सरकार से सहायतानुदान का विवरण नीचे तालिका 2.9 में दिया गया है:

तालिका 2.9: भारत सरकार से सहायतानुदान					
					(₹ करोड़ में)
विवरण ⁴	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
आयोजनेत्तर अनुदान	3,990	5,473	4,408	4,921	-
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	13,371	17,702	23,164	20,821	-
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	359	257	67	17	-
केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान	610	531	-	-	-
केंद्र प्रायोजित योजनाएं	-	-	-	-	19,548
राज्य को अन्य अनुदान (माल एवं सेवा कर के लागू होने के कारण हुयी राजस्व हानि के लिये प्रतिपूर्ति)	-	-	2,511	2,866	6,327
वित्त आयोग अनुदान	-	-	-	-	6,078
योग	18,330	23,963	30,150	28,625	31,953
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत	4.19	30.73	25.82	(-5.06)	11.63
राजस्व प्राप्तियां	1,05,511	1,23,307	1,34,875	1,48,893	1,47,643
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल अनुदान	17.37	19.43	22.35	19.23	21.64

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

भारत सरकार से सहायतानुदान में 2015-16 में ₹18,330 करोड़ से 2019-20 में ₹31,953 करोड़ तक लगातार वृद्धि हुई, सिवाय 2018-19 में हुई कमी को छोड़कर, जिसे राज्य योजनागत योजनाओं के अनुदान में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। योजनागत एवं गैर-योजनागत वर्गीकरण को वित्त वर्ष 2019-20 से वार्षिक लेखों से समाप्त कर दिया गया है एवं भारत सरकार से दिया जाने वाला सहायतानुदान केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं, वित्त आयोग अनुदान एवं अन्य अनुदानों की निधियों के रूप में दिया गया। भारत सरकार से सहायतानुदान में पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 में ₹3,328 करोड़ (11.63 प्रतिशत) से वृद्धि प्रमुखतः माल एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति में ₹1,665 करोड़ से वृद्धि के कारण थी।

2.7 चौदहवां वित्त आयोग अनुदान

चौदहवां वित्त आयोग के अनुसार स्थानीय निकायों एवं राज्य आपदा मोचन निधि के लिए राज्यों को अनुदान प्रदान किया जाता है। स्थानीय निकायों के लिए अनुदान, पहले भारत सरकार से राज्य के लिये अंतरित होते हैं और वही अनुदान तब राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों के लिए अंतरित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा इस संदर्भ में दिये गये अनुदानों का वर्णन तालिका 2.10 में दिया गया है:

⁴ लेखा-महानियंत्रक ने 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी सहायता अनुदान के वर्गीकरण को संशोधित किया है। हालांकि, मध्य प्रदेश के लेखों में 1 अप्रैल 2019 से संशोधन प्रभावी किया गया।

तालिका 2.10: अनुशंसित राशि, वास्तविक जारी एवं अंतरित सहायतानुदान									
(₹ करोड़ में)									
अंतरण	चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशें			भारत सरकार द्वारा वास्तविक जारी			राज्य शासन द्वारा जारी		
	2015-19	2019-20	योग	2015-19	2019-20	योग	2015-19	2019-20	योग
(i) पंचायती राज संस्थानों को अनुदान	9,448.88	4,107.48	13,556.36	8,806.42	3,956.83	12,763.25	8,806.42	3,956.83	12,763.25
(अ) सामान्य मूलभूत अनुदान	8,540.58	3,660.14	1,2200.72	8,540.58	3,660.19	12200.77	8,540.58	3,660.19	12,200.77
(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान	908.30	447.34	1,355.64	265.84	296.64	562.48	265.84	296.64	562.48
(ii) शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान	3,592.60	1,584.00	5,176.60	3,101.94	1,472.11	4,574.05	3,101.94	1,472.11	4,574.05
(अ) सामान्य मूलभूत अनुदान	2,898.92	1,242.36	4,141.28	2,898.92	1,242.36	4,141.28	2,898.44	1,242.36	4,141.28
(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान	693.68	341.64	1,035.32	203.02	229.75	432.77	203.02	229.75	432.77
स्थानीय निकायों का योग	13,041.48	5,691.48	18,732.96	11,908.36	5,428.94	17,337.30	11,908.36	5,428.94	17,337.30
राज्य आपदा मोचन निधि*	3,404.00	960.00	4,364.00	2,988.15	647.10	3,635.25	-	-	-

* कुल अनुदान का राज्य का 25 प्रतिशत अंश भी शामिल है।

स्रोत: वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त जानकारी

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि, 2015-20 की अवधि के लिये चौदहवें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए ₹18,732.96 करोड़ (पंचायती राज संस्थानों के लिए ₹13,556.36 करोड़ और शहरी स्थानीय निकायों के लिए ₹5,176.60 करोड़) के अनुदान की अनुशंसा की थी, जिसके विरुद्ध भारत सरकार ने मध्य प्रदेश शासन को ₹1,395.66 करोड़ कम जारी किए। आगे, चौदहवें वित्त आयोग ने 2015-20 अवधि के लिए राज्य आपदा मोचन निधि को ₹4,364 करोड़ की अनुशंसा की। हालांकि, भारत सरकार ने राज्य को ₹727.75 करोड़ कम जारी किये।

2.8 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेश से प्राप्तियां, कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋणों, वित्त संस्थानों एवं वाणिज्यिक बैंकों से उधारियां) और भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम शामिल होती हैं।

पांच साल की अवधि 2015-20 के दौरान, मध्य प्रदेश शासन की पूंजीगत प्राप्तियों का विवरण नीचे तालिका 2.11 में दिया गया है:

तालिका 2.11: पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियों का विवरण						
(₹ करोड़ में)						
स.क्र.	राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	26	24	19	13	14
2	अंतर्राज्यीय परिशोधन	2	-	-	-	-
3	कर्जों और अग्रिमों की वसूली	162	772 ⁵	5,070 ⁶	70	46
4	ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	190	796	5,089	83	60
5	ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-97.20)	318.95	539.32	(-98.37)	(-27.71)
6	आंतरिक ऋण	18,659	28,581	19,975	28,701	29,496
7	आंतरिक ऋण की वृद्धि दर	36.23	53.18	(-30.11)	43.68	2.77
8	केंद्र सरकार से प्राप्त कर्ज और अग्रिम	1,326	1,267	1,917	3,796	4,868
9	केंद्र सरकार से प्राप्त कर्जों और अग्रिमों की वृद्धि दर	-3.35	-4.45	51.42	98.02	28.24
10	लोक ऋण प्राप्तियां (6+8)	19,985	29,847	21,892	32,497	34,364
11	पूंजीगत प्राप्तियां (4+10)	20,175	30,643	26,981	32,580	34,424
12	लोक ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	32.62	49.35	(-26.65)	48.44	5.75
13	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.74	20.10	11.53	11.71	11.99
14	पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-7.72)	51.89	(-11.95)	20.75	5.66

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य शासन की पूंजीगत प्राप्तियां 2015-16 में ₹20,175 करोड़ से 2019-20 में ₹34,424 करोड़ तक 70.63 प्रतिशत से बढ़ी, जो मुख्यतः आंतरिक ऋण में वृद्धि 2015-16 में ₹18,659 करोड़ से 2019-20 में ₹29,496 करोड़ के कारण थी। 1 अप्रैल 2019 को भारत सरकार से कुल कर्ज की राशि ₹17,389 करोड़ (कुल लोक ऋण ₹1,57,398 करोड़ में से) थी। 2019-20 के दौरान, राज्य शासन ने भारत सरकार से ₹4,868 करोड़ का ब्लॉक कर्ज (बैंक टू बैंक बेसिस कर्ज) के रूप में कर्ज प्राप्त किया। सरकार ने 6.69 प्रतिशत की औसत वार्षिक ब्याज दर से भारत सरकार के इस कर्ज पर ब्याज अदायगियों के रूप में ₹325.67 करोड़ का भुगतान किया।

2.9 संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

संसाधनों के एकत्रीकरण में राज्य के प्रदर्शन का आंकलन उसके स्वयं के संसाधनों के संदर्भ में वर्ष 2019-20 के लिए स्वयं के कर और करेत्तर स्रोत शामिल कर किया जाता है।

तालिका 2.12: अनुमान के सापेक्ष स्वयं के कर एवं करेत्तर प्राप्तियां					
(₹ करोड़ में)					
विवरण	चौदहवें वित्त आयोग के अनुमान	बजट अनुमान	वास्तविक	वास्तविक से भिन्नता का प्रतिशत	
				चौदहवें वित्त आयोग के अनुमान	बजट अनुमान
स्वयं के कर राजस्व	85,867	65,274	55,824	34.99	14.48
करेत्तर राजस्व	21,093	13,968	10,349	50.93	25.90
योग	1,06,960	79,242	66,173	38.13	16.49

स्रोत: वित्त लेखे 2019-20, चौदहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन और बजट अनुमान

⁵ इसमें से ₹507 करोड़ कृषि और संबद्ध गतिविधियों के कर्जों की वसूली से संबंधित हैं।

⁶ इसमें से ₹4,622 करोड़ 'ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कर्जों की वसूली से संबंधित हैं।

तालिका 2.12 से, यह देखा जा सकता है कि राज्य शासन के संसाधन जुटाने में बजट अनुमानों से, निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध 16.49 प्रतिशत से कमी थी, जिसमें से स्वयं के कर राजस्व में ₹9,450 करोड़ की वृद्धि कमी थी।

2.10 संसाधनों का उपयोग

राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के ढांचे के अन्तर्गत व्ययों को उठाने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार में निहित है, जबकि उसी समय पर यह सुनिश्चित करना कि राज्य की चल रही राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया पूंजीगत अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र के विकास की दिशा में किये गये व्यय की कीमत पर नहीं है। यह कंडिका उपकंडिकाओं के साथ राज्य में व्यय के आवंटन का विश्लेषण देता है।

2.10.1 व्यय की संवृद्धि और संरचना


वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान कुल व्यय, इसकी संरचना एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उनकी सापेक्ष हिस्सेदारी **तालिका 2.13** में प्रस्तुत की गई है:

तालिका 2.13: कुल व्यय और इसकी संरचना					
(₹ करोड़ में)					
मापदण्ड	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल व्यय	1,19,764	1,51,766	1,62,709	1,72,663	1,80,672
राजस्व व्यय	99,771	1,19,537	1,30,246	1,42,149	1,50,444
पूंजीगत व्यय	16,835	27,288	30,913	29,424	29,241
कर्ज और अग्रिम	3,158	4,941	1,550	1,090	987
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	5,41,068	6,49,823	7,24,729	8,09,592	9,06,672
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	22.13	23.35	22.45	21.33	19.93
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	18.44	18.40	17.97	17.56	16.59
पूंजीगत व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3.11	4.20	4.27	3.63	3.23
कर्ज तथा अग्रिम/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.58	0.76	0.21	0.13	0.11


स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि, राज्य का कुल व्यय 2015-16 में ₹1,19,764 करोड़ से 2019-20 में ₹1,80,672 करोड़ तक में 51 प्रतिशत से बढ़ा। 2019-20 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में इसमें पाँच प्रतिशत की वृद्धि हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 2015-20 के दौरान कुल व्यय अंतरवर्षीय उतार-चढ़ाव के साथ 22.13 प्रतिशत से 19.93 प्रतिशत तक कम हुआ।


चार्ट 2.10 और **2.11** 2015-20 की अवधि में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय की प्रवृत्तियां प्रस्तुत करते हैं जबकि **चार्ट 2.12** कुल व्यय में घटकों के हिस्सेदारी की प्रवृत्ति को दर्शाता है।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा संचालनालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त जानकारी



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा संचालनालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त जानकारी



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपरोक्त चार्टों से यह आसानी से देखा जा सकता है कि पिछले पांच वर्षों में अंतरवर्षीय उतार-चढ़ाव के साथ पूंजीगत प्राप्तियों में सामान्यतः बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई दी, इसका हिस्सा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 2015-16 में 3.11 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 3.23 प्रतिशत हो गया। हालांकि, इस वृद्धि को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए देखा जाना चाहिए कि सहायतानुदान के ₹257.04 करोड़ 2019-20 में राजस्व अनुभाग के बजाय पूंजीगत अनुभाग में पुस्तांकित किये गये थे (आगे, कंडिका 3.10 में चर्चा की गई)।


गतिविधियों के संदर्भ में, कुल व्यय ब्याज भुगतान सहित सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और अन्य पर व्यय से अंगभूत हैं। 2019-20 के दौरान कुल व्यय ₹1,80,672 करोड़ (संदर्भ परिशिष्ट 2.1) में इन घटकों का सापेक्ष हिस्सा तालिका 2.14 में दिया गया है:

तालिका 2.14: व्यय में विभिन्न क्षेत्रों के सापेक्ष अंश					
(प्रतिशत में)					
मापदण्ड	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
सामान्य सेवाएं	21.92	18.85	20.19	22.49	22.59
सामाजिक सेवाएं	38.14	33.75	39.15	37.31	39.38
आर्थिक सेवाएं	32.39	39.66	35.37	35.12	34.22
अन्य (स्थानीय निकायों के लिये अनुदान और कर्ज एवं अग्रिम)	7.55	7.74	5.29	5.08	3.81

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

व्यय के उपरोक्त घटकों के सापेक्ष अंशों से पता चलता है कि कुल व्यय में सामान्य सेवाओं और सामाजिक सेवाओं के अंशों में पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 के दौरान क्रमशः 0.10 प्रतिशत और 2.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, ये बढ़ोत्तरी आर्थिक सेवाओं और अन्य के संबंधित हिस्से में कमी (कर्ज और अग्रिम के कम संवितरण के कारण) से प्रति संतुलित हुयी।

2019-20 के दौरान व्यय की संरचना चार्ट 2.13 में चित्रण है।



स्रोत: वित्त लेखे 2019-20

2.10.2 राजस्व व्यय

पिछले दायित्वों के भुगतान के लिये एवं सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाये रखने के लिये राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार, यह राज्य की अवसंरचना एवं सेवा नेटवर्क में कोई इजाफा नहीं करता है।


राजस्व व्यय की संवृद्धि दर पाँच वर्षों की अवधि 2015-20 के दौरान वृहद् रूप से घटी-बढ़ी। समग्र राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर, उसका कुल व्यय से अनुपात, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष उत्प्लावकता और राजस्व प्राप्तियों से इसका अनुपात तालिका 2.15 में प्रदर्शित है एवं 2019-20 से संबंधित राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण चार्ट 2.14 में दिया गया है:

तालिका 2.15: राजस्व व्यय-मूल मापदण्ड

मापदण्ड	(₹ करोड़ में)				
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल व्यय	1,19,766	1,51,767	1,62,709	1,72,664	1,80,672
राजस्व व्यय	99,771	1,19,537	1,30,246	1,42,149	1,50,444
राजस्व व्यय की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	21.12	19.81	8.96	9.14	5.84
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	83.30	78.76	80.05	82.33	83.27
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	5,41,068	6,49,823	7,24,729	8,09,592	9,06,672
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	18.44	18.40	17.97	17.56	16.59
राजस्व प्राप्तियाँ	1,05,511	1,23,307	1,34,875	1,48,893	1,47,643
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	94.56	96.94	96.57	95.47	101.90
राजस्व व्यय की उत्प्लावकता के साथ					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	1.66	0.99	0.78	0.78	0.49
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	0.68	1.17	0.96	0.88	-6.95

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि राजस्व व्यय की उत्प्लावकता के साथ राजस्व प्राप्तियों (अनुपात) में पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 के दौरान 7.83 प्रतिशत की कमी आई।



स्रोत: वित्त लेखे 2019-20

2019-20 के दौरान, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय में 0.97 प्रतिशत की गिरावट आई है, हालांकि इसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹8,295 करोड़ (5.84 प्रतिशत) की वृद्धि देखी गई। आगे, मध्यम कालीन राजकोषीय नीति विवरण (₹1,78,621 करोड़) में किए गए आंकलन की तुलना में राजस्व व्यय ₹28,177 करोड़ से कम हुआ।

निर्गम सम्मेलन (मार्च 2021) के दौरान, वित्त विभाग ने बताया कि वर्तमान वर्ष के राजस्व लेखों का भुगतान कोविड-19 के कारण आगामी वित्तीय वर्ष (2020-21) में किया जाएगा।

2.10.2.1 राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन

2018-19 की तुलना में 2019-20 के दौरान राज्य के राजस्व व्यय के संबंध में विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण भिन्नता का विवरण तालिका 2.16 में वर्णित है।

तालिका 2.16: 2018-19 की तुलना में 2019-20 के दौरान राजस्व व्यय में भिन्नता			
लेखा का मुख्य शीर्ष	(₹ करोड़ में)		
	2018-19	2019-20	भिन्नता (प्रतिशत)
2049-ब्याज भुगतान	12,695.69	14,216.52	1,520.83(11.98)
2202-सामान्य शिक्षा	25,333.50	28,015.38	2,681.88(10.59)
2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	6,031.01	7,952.92	1,921.91(31.87)
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	4,664.15	5,997.16	1,333.01(28.58)
2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	1,434.00	2,838.02	1,404.02(97.91)
2801-ऊर्जा	9,812.72	13,968.16	4,155.44(42.35)
2217-शहरी विकास	5,873.21	4,757.80	-1,115.41(18.99)
2401-फसल कृषि कर्म	11,064.14	9,164.91	-1,899.23(17.17)
3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समानुदेशन	7,671.66	5,900.24	-1,771.42(23.09)

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष के दौरान मुख्य शीर्ष 2801-ऊर्जा के अन्तर्गत राजस्व व्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि मुख्यतः ग्रामीण विद्युतीकरण पर हुये व्यय में वृद्धि के कारण थी। आगे, 2019-20 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में

शीर्ष 2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के अंतर्गत व्यय में वृद्धि का कारण बाढ़, चक्रवात, इत्यादि के लिए प्रदान की गई राहत अनुग्राहिक पर व्यय में हुई वृद्धि है।

2.10.2.2 प्रतिबद्ध व्यय

राज्य सरकार के राजस्व लेखों पर प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान; वेतन एवं मजदूरी; तथा पेंशन पर व्यय शामिल हैं। प्रतिबद्ध व्यय की बढ़ती प्रवृत्ति सरकार को विकासात्मक क्षेत्र के लिए कम लचीलेपन के साथ छोड़ देती है।


तालिका 2.17 2015-20 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय के संघटकों की प्रवृत्तियां प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.17: प्रतिबद्ध व्यय के संघटक					
					(₹ करोड़ में)
प्रतिबद्ध व्यय के संघटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
वेतन एवं मजदूरी	20,554	21,577	24,026	27,256	31,160
पेंशन पर व्यय	7,819	8,793	9,290	11,984	12,053
ब्याज भुगतान	8,091	9,079	11,045	12,696	14,217
राजसहायताएं	11,725	16,512	19,381	21,222	12,642
योग	48,189	55,961	63,742	73,158	70,072
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	19.48	17.50	17.81	18.31	21.10
पेंशन पर व्यय	7.41	7.13	6.89	8.05	8.16
ब्याज भुगतान	7.67	7.36	8.19	8.53	9.63
राजसहायताएं	11.11	13.39	14.37	14.25	8.56
योग	45.67	45.38	47.26	49.13	47.46
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	20.60	18.05	18.45	19.17	20.71
पेंशन पर व्यय	7.84	7.36	7.13	8.43	8.01
ब्याज भुगतान	8.11	7.60	8.48	8.93	9.45
राजसहायताएं	11.75	13.81	14.88	14.93	8.40
योग	48.30	46.81	48.94	51.47	46.58

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

प्रतिबद्ध व्यय 2015-16 में ₹48,189 करोड़ (राजस्व व्यय का 48.30 प्रतिशत) से बढ़कर 2019-20 में ₹70,072 करोड़ (राजस्व व्यय का 46.58 प्रतिशत) हो गया। हालांकि, 2018-19 की तुलना में 2019-20 में प्रतिबद्ध व्यय में ₹3,086 करोड़ से कमी मुख्यतः राजसहायताओं (₹8,580 करोड़) में हुआ कम व्यय जो 2019-20 में प्रतिबद्ध व्यय के अन्य शीर्षों के अंतर्गत संचयी वृद्धि (₹5,494 करोड़) से प्रति संतुलित हुआ।

2015-20 के दौरान राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के लिए प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत चार्ट 2.15 में दिया गया है:



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि उपरोक्त सारणी से देख सकते हैं, 2019-20 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय (₹70,072 करोड़) कुल व्यय (₹1,50,444 करोड़) का 46.58 प्रतिशत लेखांकित था।

2.10.2.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली भुगतान में अन-उन्मोचित दायित्व

वर्ष 2019-20 के दौरान पेंशन भुगतान पर व्यय ₹12,053.49 करोड़ था, जिसमें से ₹916.71 करोड़ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पर व्यय हुआ जो 1 जनवरी 2005 या उसके बाद भर्ती हुये कर्मचारियों पर लागू होता है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.)

नवीन पेंशन योजना को 1 जनवरी 2005 से प्रारंभ में शासकीय कर्मचारियों के लिये अभिकल्पित किया गया था। आगे इसे, 2009 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के रूप में पुनर्संरचित किया गया। योजना के अनुसार कर्मचारी मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करता है जिसमें राज्य शासन द्वारा समरूप अंश मिलाया जाता है और संपूर्ण राशि मनोनीत निधि प्रबंधक को राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) के माध्यम से अंतरित की जाती है।

1 अक्टूबर 2009 के बाद से प्रभावी, मध्य प्रदेश शासन ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (सितम्बर 2008) द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार, कर्मचारियों के अंशदान को शीर्ष 0071-01-500-‘अन्य लघु शीर्ष को अंतरण के लिए प्रतीक्षित प्राप्तियां’ के अंतर्गत एवं शासन के अंशदान को शीर्ष 2071-01-117-में परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए शासकीय अंशदान से विकलित कर एवं उसके बाद शासकीय अंशदान को 0071-01-500 शीर्ष ‘अन्य लघु शीर्षों को अंतरण के लिए प्रतीक्षित प्राप्तियां’ में अंतरण हेतु वर्गीकृत करना शुरू किया।

वित्त लेखों पर आधारित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का विश्लेषण

अवधि 2012-13 से 2019-20 से संबंधित वित्त लेखों पर आधारित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का विश्लेषण तालिका 2.18 में दिया गया है:

तालिका 2.18: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत लेनदेनों का विवरण

वर्ष	से प्राप्त अंशदान का विवरण				निधि का राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड में अंतरण	राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड में कम अंतरण
	कर्मचारी	मध्य प्रदेश शासन	मध्य प्रदेश शासन द्वारा आधिक्य अंशदान (3-2)	योग (2+3)		
1	2	3	4	5	6	7
2012-13	113.86	122.72	8.86	236.58	228.78	7.80
2013-14	158.66	176.78	18.12	335.44	323.10	12.34
2014-15	216.73	239.40	22.67	456.13	438.47	17.66
2015-16	264.29	284.92	20.63	549.21	530.39	18.82
2016-17	313.40	336.94	23.54	650.34	628.48	21.86
2017-18	392.64	428.81	36.17	821.45	801.63	19.82
2018-19	424.82	728.88	304.06	1,153.70	1,040.60	113.10
2019-20	817.17	916.71	99.54	1,733.88	1,682.28	51.60
योग	2,701.57	3,235.16	533.59	5,936.73	5,673.73	263.00

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि उपरोक्त तालिका 2.18 से देखा जा सकता है, अवधि 2012–20 के दौरान कुल संग्रहित अंशदान ₹5,936.73 करोड़ (कर्मचारियों का अंशदान एवं सरकार का अंशदान) में से राज्य सरकार ने मनोनित प्राधिकारी को राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड के माध्यम से केवल ₹5,673.73 करोड़ हस्तांतरित किये, जिसके परिणामस्वरूप योजना के प्रावधान के अनुसार आगे निवेश के लिये राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड को ₹263 करोड़ कम अंतरित हुये। इस प्रकार, राज्य शासन की वर्तमान देयताएं भविष्य के वर्षों के लिये स्थगित हैं। आगे, राज्य शासन ने राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड को अंतरित नहीं की गई राशि पर परिहार्य ब्याज देयताएं सृजित की हैं। राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड को किये कम अंशदान और मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिक अंशदान देने से संबंधित जानकारी चाही गई थी, जो अभी भी प्रतीक्षारत है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की कटौती न किया जाना

2019–20 के दौरान मध्य प्रदेश में पुलिस अधीक्षक/सेनानी, विशेष सशस्त्र बल/हॉक फोर्स के कुल 102⁷ कार्यालयों में से 39⁸ कार्यालयों (38 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा की गयी। इन कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन कार्यालयों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की कटौती नहीं हुई, जहाँ नियोक्ता ने 1,668 कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग एवं महंगाई भत्ते के बकाए से न तो राशि ₹17.21 लाख के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अंशदान की कटौती की और न ही समान अंशदान का मिलान किया। विवरण तालिका 2.19 के भाग (क) में दिया गया है।

इसी प्रकार, 2019–20 के दौरान विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों (बी.ई.ओ.) के 76 कार्यालयों (322 कार्यालयों में से) और जनपद पंचायत के 68 कार्यालयों (313 कार्यालयों में से) की लेखापरीक्षा की गयी। इन कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन कार्यालयों (दो विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों एवं एक जनपद पंचायत) में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की कटौती नहीं हुई, जहाँ नियोक्ता ने 104 कर्मचारियों के वेतन से न तो राशि ₹183.80 लाख के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अंशदान की कटौती की और न ही समान अंशदान का मिलान किया। विवरण तालिका 2.19 के भाग (ख) में दिया गया है।

⁷ पुलिस अधीक्षक के 77 कार्यालय, सेनानी, विशेष सशस्त्र बल के 24 कार्यालय और सेनानी, हॉक फोर्स का एक कार्यालय शामिल है।

⁸ पुलिस अधीक्षक के 35 कार्यालय, सेनानी, विशेष सशस्त्र बल के तीन कार्यालय और सेनानी हॉक फोर्स का एक कार्यालय शामिल है।

तालिका 2.19: 7वें वेतन आयोग के बकायों/वेतन से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की कटौती नहीं किये जाने का इकाई-वार विवरण							
							(₹ लाख में)
स. क्र.	कार्यालय का नाम	लेखापरीक्षा का वर्ष	कर्मचारियों की संख्या	अवधि जिसके दौरान कटौती नहीं की गई	कर्मचारी अंशदान जिसकी कटौती नहीं की गई	नियोक्ता का समरूप अंशदान	राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड को अंतरित नहीं की गई राशि
(क) 7वें वेतन आयोग के बकायों से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की कटौती न होने वाले प्रकरण							
1	सेनानी, हॉक फोर्स, भोपाल	2019-20	787	जुलाई से अक्टूबर 2017	6.17	6.17	12.34
2	पुलिस अधीक्षक, खण्डवा	2019-20	474	जुलाई से नवम्बर 2017	5.97 ⁹	5.97	11.94
3	पुलिस अधीक्षक, बुरहानपुर	2019-20	407	जुलाई से अक्टूबर 2017	5.07	5.07	10.14
योग (क)			1,668		17.21	17.21	34.42
(ख) वेतन से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की कटौती न होने वाले प्रकरण							
1	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, पथरिया, जिला- दमोह	2019-20	14	अप्रैल 2017, जून 2017 और अगस्त 2017	0.92	0.92	1.84
2	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, मालथौन, जिला- सागर	2019-20	30	अगस्त 2018	0.75	0.75	1.50
3	जनपद पंचायत गोटेगाँव	2019-20	60	अगस्त 2013 से फरवरी 2020	182.13	182.13	364.26
योग (ख)			104		183.80	183.80	367.60
महायोग (क एवं ख)			1,772		201.01	201.01	402.02

स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा दी गई जानकारी

तालिका 2.19 से यह देखा जा सकता है कि नियोक्ताओं ने 1,772 राज्य शासकीय कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग के बकायों एवं वेतन से न तो राशि ₹201.01 लाख के अंशदान की कटौती की और न ही शासन ने समान अंशदान का मिलान किया, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड/न्यासी बैंक को ₹402.02 लाख का कम अंतरण हुआ। इसने शासकीय कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लाभ से वंचित किया।

इस ओर इंगित किये जाने पर, पुलिस अधीक्षकों एवं सेनानी ने उत्तर दिया कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (आई.एफ.एम.आई.एस.) सॉफ्टवेयर में बकायों से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अंशदान की कटौती के लिये प्रावधानों की अनुपलब्धता के कारण कटौती नहीं की जा सकी तथा विकास खंड शिक्षा अधिकारियों ने उत्तर दिया कि अंशदान की कटौती स्थाई निवृत्ति खाता संख्या (पी.आर.ए.एन.) की प्राप्ति न होने के कारण नहीं की जा सकी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि प्रमुख सचिव, वित्त विभाग ने समस्त विभागाध्यक्षों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अभिदाताओं के बकायों को पूर्व पद्धति के अनुसार आहरित करने हेतु निर्देशित (सितम्बर 2017) किया था, जब तक कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में आवश्यक बदलाव नहीं किया जाता। आगे, सचिव, वित्त विभाग ने अपने आदेश (जनवरी 2016) में स्थाई निवृत्ति खाता संख्या (पी.आर.ए.एन.) को बनाने की समय सीमा कर्मचारी की नियुक्ति दिनांक से 20 दिन निर्धारित की गई थी।

⁹ महंगाई भत्ते के बकाए से सम्बन्धित ₹0.62 लाख सहित

2.10.2.4 राजसहायताएं

राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजसहायताएं 2018-19 में 14.25 प्रतिशत से 2019-20 में 8.56 प्रतिशत तक कम हुईं और राजस्व व्यय के रूप में 2018-19 में 14.93 प्रतिशत से 2019-20 में 8.40 प्रतिशत तक कम हुईं। वास्तविक संदर्भों में, राजसहायताओं के भुगतान पर व्यय 2018-19 में ₹21,222 करोड़ से 2019-20 में ₹12,642 करोड़ तक कम हुआ, जिसे तालिका 2.20 में दिये गये विवरण से देखा जा सकता है।

तालिका 2.20: 2015-20 के दौरान राजसहायताओं पर व्यय					
(₹ करोड़ में)					
विवरणियां	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजसहायताएं	11,725	16,512	19,381	21,222	12,642
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजसहायताएं	11.11	13.39	14.37	14.25	8.56
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में राजसहायताएं	11.75	13.81	14.88	14.93	8.40
राजस्व अधिशेष (+)/घाटा(-)	5,740	7,781	4,629	6,744	(-) 2,801
राजस्व अधिशेष (+)/घाटा(-) के प्रतिशत के रूप में राजसहायताएं	204	212	419	315	(-) 451

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2019-20 के दौरान राजसहायताओं में पिछले वर्ष की तुलना में ₹8,580 करोड़ से कमी ऊर्जा विभाग के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र में ₹5,506 करोड़ से, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत कृषि कर्म में ₹812 करोड़ से एवं आध्यात्म विभाग के अंतर्गत अन्य सामाजिक सेवाओं में ₹136 करोड़ से कम राजसहायताएं देने के कारण हुयी।

2.10.2.5 स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को राज्य शासन द्वारा वित्तीय सहायता

2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदानों एवं कर्जों के माध्यम से प्रदान की गयी सहायता की मात्रा को तालिका 2.21 में प्रस्तुत किया है:

तालिका 2.21: स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता					
(₹ करोड़ में)					
संस्थानों को वित्तीय सहायता	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
(अ) स्थानीय निकाय					
पंचायती राज संस्थान	14,316.52	16,807.89	27,638.46	26,301.03	18,828.94
शहरी स्थानीय निकाय	7,578.89	8,194.05	11,002.14	11,408.89	6,204.28
योग (अ)	21,895.41	25,001.94	38,640.60	37,709.92	25,033.22
(ब) अन्य					
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	72.60	91.50	979.15	661.03	93.50
स्वायत्त निकाय	3,722.45	10,241.06	1,567.26	2,245.30	3,099.07
सहकारी समितियाँ और सहकारी संस्थाएं	0.00	0.00	146.35	80.28	0.00
गैर-सरकारी संगठन	2,154.78	2,498.40	3,097.42	1,280.38	689.03
अन्य	8,687.61	10,912.97	7,766.145	11,368.55	35,292.46
₹10 करोड़ से कम व्यय वाली अन्य योजनाएं	1,112.80	1,234.28	1,258.064	1,082.58	1,051.05
योग (ब)	15,750.24	24,978.21	14,814.39	16,718.12	40,225.11
महायोग (अ+ब)	37,645.65	49,980.15	53,454.99	54,428.04	65,258.33
राजस्व व्यय	99,770.70	1,19,537.37	1,30,246.09	1,42,149.21	1,50,444.30
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वित्तीय सहायता	37.73	41.81	41.04	38.29	43.38

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे


स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता में 2015-16 में ₹37,645.65 करोड़ से 2019-20 में ₹65,258.33 करोड़ तक ₹27,612.68 करोड़ से वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की तुलना में स्थानीय निकायों की वित्तीय सहायता में ₹12,676.70 करोड़ से कमी मुख्यतः पंचायती राज संस्थानों एवं शहरी स्थानीय निकायों के लिये कम वित्तीय सहायता प्रदान करने के कारण थी। मुख्य घटक जिनमें कमी घटित हुई उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ₹260.94 करोड़ से, इंदिरा आवास योजना ₹795.06 करोड़ से, प्राथमिक विद्यालय ₹766.79 करोड़ से, माध्यमिक विद्यालय ₹428.45 करोड़ से, अध्यापक संवर्ग के वेतन के लिये अनुदान ₹5,187.55 करोड़ से, सभी के लिये आवास ₹3,444.60 करोड़ से, शहरी परिवर्तन एवं पुनर्जीवन के लिये अटल मिशन ₹957.75 करोड़ से थे।

पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 के दौरान 'अन्य' के लिये वित्तीय सहायता में ₹23,506.99 करोड़ से वृद्धि मुख्यतः इंदिरा किसान ज्योति योजना (₹6,814.00 करोड़), शासकीय प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना (₹6,727.52 करोड़) एवं समग्र शिक्षा अभियान (₹4,035.97 करोड़) में व्यय होने के कारण थी।

राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वित्तीय सहायता 2015-16 में 37.73 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 43.38 प्रतिशत हो गई।

2.10.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय में प्राथमिक रूप से स्थायी अवसंरचना परिसंपत्तियों, जैसे- भवन, सड़कें, पुलों, इत्यादि के निर्माण पर व्यय शामिल होता है। पाँच वर्ष की अवधि 2015-20 के दौरान बजट के सापेक्ष पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण चार्ट 2.16 में दिया गया है:



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं बजट पुस्तिकाएं

पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्य का पूंजीगत व्यय 2015-16 में ₹16,835 करोड़ से 2019-20 में ₹29,241 करोड़ अंतरवर्षीय उतार चढ़ाव के साथ बढ़ा। यद्यपि, राज्य 2018-19 को छोड़कर, 2015-16 से 2019-20 तक परिसंपत्तियों के सृजन पर आवंटित बजट को खर्च नहीं कर सका।

2.10.3.1 पूंजीगत व्यय में मुख्य परिवर्तन

तालिका 2.22 विगत वर्ष के सापेक्ष 2019-20 के दौरान पूंजीगत व्यय के विभिन्न लेखा शीर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि या कमी के प्रकरणों को प्रदर्शित करती है।

तालिका 2.22: 2018-19 की तुलना में 2019-20 के दौरान पूंजीगत व्यय में भिन्नता			
			(₹ करोड़ में)
लेखों का मुख्य शीर्ष	2018-19	2019-20	भिन्नता (प्रतिशत)
4055-पुलिस पर पूंजीगत व्यय	369.87	553.85	183.98(49.74)
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत व्यय	942.35	1,490.26	547.91(58.14)
4225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण पर पूंजीगत व्यय	738.17	982.48	244.31(33.10)
4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत व्यय	29.37	70.22	40.85(139.09)
4406-वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूंजीगत व्यय	836.86	537.55	-299.31(35.77)
4425-सहकारिता पर पूंजीगत व्यय	1,032.20	4.73	-1,027.47(99.54)
4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत व्यय	3,218.49	4,452.28	1,233.79(38.33)
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत व्यय	932.07	480.70	-451.37(48.43)
4705-कमाण्ड क्षेत्र विकास पर पूंजीगत व्यय	100.24	55.97	-44.27(44.16)
4801-ऊर्जा परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय	2,272.48	562.29	-1,710.19(75.26)
4851-ग्राम एवं लघु उद्योग पर पूंजीगत व्यय	68.79	255.15	186.36(270.91)
4875-अन्य उद्योगों पर पूंजीगत व्यय	202.50	309.14	106.64(52.66)
5054-सड़कें और पुल पर पूंजीगत व्यय	6,888.56	6,145.82	-742.74(10.78)
योग	17,631.95	15,900.44	-1,731.51(9.82)
वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय	29,424.19	29,241.48	-182.71(0.62)

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि कुल पूंजीगत व्यय का 21 प्रतिशत सड़कों एवं पुलों पर खर्च किया गया यद्यपि यह पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 में ₹742.74 करोड़ से कम हुआ है। कुल पूंजीगत व्यय का 15 प्रतिशत अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों, जैसे-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (₹2,487 करोड़), मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (₹1,125 करोड़), मध्य प्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना (₹364 करोड़), इत्यादि पर भी व्यय किया गया।

2.10.3.2 पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता

निवेश पर प्रतिलाभ की कोई संभावना नहीं है, यदि राज्य सरकार घाटे में चल रही ऐसी शासकीय कंपनियों में निवेश करना जारी रखती है जिनका निवल मूल्य पूरी तरह समाप्त हो गया है। इसी तरह, अनुभव दर्शाता है, कि घाटे में चल रहे निगमों एवं अन्य निकायों, जैसे-चीनी मिलों, वित्तीय निगमों आदि को दिये गये कर्जों को बट्टे खाते में डालना अपरिहार्य हो जाता है। ऐसी वित्तीय प्रक्रियाओं के संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये अपेक्षित कदम उठाने होंगे। यह अनुभाग वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेश एवं अन्य पूंजीगत व्यय का एक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

कंपनियों, निगमों एवं अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

कंपनियां, निगम एवं अन्य निकाय जो घाटे में चल रहे हैं या जिनका निवल मूल्य पूरी तरह समाप्त हो गया है, में पूंजीगत व्यय संवहनीय नहीं है।

कंपनियों (जैसे डिस्कॉम), निगमों (जैसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्तीय निगम) एवं सहकारिता (जैसे चीनी मिलों), जो घाटे में चल रहीं हैं या जिनका निवल मूल्य पूरी तरह समाप्त हो गया है, में निवेश करना एवं कर्ज देना, पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। विविध

निकायों को दिये जाने वाले कर्जों के पुनर्भुगतान का इतिहास, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किये गये पूंजीगत निवेश के अंश में निवेश पर प्रतिलाभ पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं।

निवेश एवं प्रतिलाभ

2019-20 के वित्त लेखों के अनुसार, मध्य प्रदेश शासन ने 31 मार्च 2020 तक 35 सांविधिक निगमों, 41 शासकीय कंपनियों, 24 संयुक्त स्टॉक कंपनियां और साझेदारियां, एक बैंक एवं 130 सहकारी संस्थाओं में ₹36,373.52 करोड़ का निवेश किया था। 2019-20 के दौरान राज्य शासन ने इन निवेशों पर ₹475.96 करोड़ का प्रतिलाभ अर्जित किया। पाँच वर्ष की अवधि 2015-16 से 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश शासन द्वारा किये गये निवेश का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 2.23: 31 मार्च 2020 तक निवेश एवं निवेश पर प्रतिलाभ का विवरण					
(₹ करोड़ में)					
इकाइयाँ	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
सांविधिक निगम (इकाइयों की संख्या)	9,636.96 (26)	10,316.45 (26)	8,760.96 (33)	9,259.66 (34)	10,038.35 (35)
शासकीय कंपनियां (इकाइयों की संख्या)	5,686.40 (35)	9,423.12 (35)	20,521.26 (43)	24,349.56 (41)	24,713.23 (41)
संयुक्त स्टॉक कंपनियां और साझेदारियां (इकाइयों की संख्या)	0.11 (23)	0.11 (23)	0.11 (23)	1.31 (24)	1.31 (24)
बैंक ¹⁰ (इकाइयों की संख्या)	नगण्य (01)	नगण्य (01)	नगण्य (01)	नगण्य (01)	नगण्य (01)
सहकारी संस्थाएं (इकाइयों की संख्या)	200.06 (130)	2,087.30 (133)	254.93 (130)	1,629.57 (130)	1,620.63 (130)
कुल निवेश	15,523.53	21,826.98	29,537.26	35,240.10	36,373.52
निवेश पर प्रतिलाभ	129.64	231.50	622.36	347.26	475.96
निवेश पर प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.83	1.06	2.11	0.99	1.31
शासकीय उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	6.86	6.42	6.73	6.92	6.69
शासकीय उधार पर ब्याज एवं निवेश पर प्रतिलाभ के बीच अंतर (प्रतिशत)	6.03	5.36	4.62	5.93	5.38

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

पाँच वर्ष की अवधि 2015-16 से 2019-20 के दौरान निवेश पर औसत प्रतिलाभ दर 1.26 प्रतिशत थी, जबकि राज्य शासन द्वारा उक्त अवधि के दौरान औसत ब्याज दर 6.72 प्रतिशत से भुगतान किया।

निर्गम सम्मेलन (मार्च 2021) के दौरान, वित्त विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि निवेश का उद्देश्य लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदाय करना है न कि उचित प्रतिलाभ अर्जित करना।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित विवरण जैसा कि उपरोक्त तालिका 2.23 (वित्त लेखों के अनुसार) में दिया गया है एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में भिन्नता है। ये अंतर मुख्यतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) में प्राप्त प्रमाणकों के आधार पर शासकीय लेखों में पुस्तांकित किये निवेश लेनदेनों एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दिये गए विवरण अलग-अलग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त होने के कारण उद्भूत हुये है।

2019-20 के दौरान एवं पूर्व वर्षों में राज्य शासन से कई बार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या के साथ-साथ राज्य शासन द्वारा इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किये गये निवेश में अंतरों का मिलान करने एवं कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के सही आंकड़ों की पुष्टि हेतु

¹⁰ इसमें ग्रामीण एवं शहरी बैंक तथा औद्योगिक सहकारी बैंक शामिल है।

अनुरोध किया, ताकि इस संबंध में सही स्थिति प्रकट हों। राज्य शासन के द्वारा अभी भी इस प्रकरण पर कार्रवाई करना शेष है।

तालिका 2.24 कंपनियों में किए गए निवेश को दर्शाती है, जिसका निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया है:

तालिका 2.24: कंपनियों में किया गया निवेश, जिसका निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया है				
स. क्र.	कंपनी/निगम	31.03.2020 को निवल मूल्य	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	संचयी निवेश
1.	मध्य प्रदेश पुलिस आवास और अवसंरचना विकास निगम, भोपाल	31.03.2017 तक ₹6,130.89 लाख	निरंक	31.03.2017 तक ₹457.50 लाख
2.	मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य सेवाएँ निगम लिमिटेड	31.03.2019 तक ₹2,837.88 लाख	निरंक	31.03.2019 तक ₹1,000.00 लाख
3.	मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम	31.03.2004 तक ₹2,087.07 लाख	निरंक	31.03.2004 तक ₹1,836.00 लाख
4.	मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम	31.03.2011 तक ₹979.13 लाख	निरंक	31.03.2011 तक ₹854.85 लाख
5.	मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	31.03.2018 तक ₹5,056.35 लाख	निरंक	31.03.2018 तक ₹847.44 लाख
6.	मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन	31.03.2019 तक ₹98,985.35 लाख	निरंक	31.03.2019 तक ₹806.16 लाख
7.	नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	31.03.2020 तक ₹599.17 लाख	निरंक	31.03.2020 तक ₹500.00 लाख

स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रदत्त जानकारी

राज्य शासन द्वारा कर्ज एवं अग्रिम

राज्य शासन ने सहकारी समितियों, निगमों एवं कंपनियों में निवेश के अतिरिक्त कई संस्थानों/संगठनों को कर्ज एवं अग्रिम भी प्रदान किया। **तालिका 2.25** 31 मार्च 2020 की स्थिति में बकाया कर्ज एवं अग्रिमों के साथ-साथ पाँच वर्ष की अवधि 2015-16 से 2019-20 के दौरान ब्याज प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.25: बकाया कर्ज एवं अग्रिम तथा राज्य शासन द्वारा ब्याज प्राप्तियाँ एवं भुगतान					
(₹ करोड़ में)					
कर्ज/ब्याज प्राप्तियाँ/उधारियों की लागत की मात्रा	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कर्ज एवं अग्रिम का प्रारंभिक शेष (1)	37,842	40,827¹¹	44,989¹²	41,124¹³	42,144
वर्ष के दौरान सवितरित राशि (2)	3,158	4,941	1,550	1,090	987
वर्ष के दौरान वसूल राशि (3)	162	772	5,070	70	46
कर्ज तथा अग्रिमों का अंतिम शेष (4)	40,838	44,996	41,469	42,144	43,085
कर्ज तथा अग्रिमों का निवल संयोजन (5)=(2-3)	2,996	4,169	(-)3,520	1,020	941
ब्याज प्राप्तियाँ (6)	139	62	97	235	130
बकाया कर्ज तथा अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्तियाँ (7)	0.34	0.14	0.23	0.56	0.30
शासकीय उधारियों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत) (8)	6.86	6.42	6.73	6.92	6.69
बाजार उधारियों पर ब्याज दर एवं कर्जों पर प्राप्त ब्याज के मध्य अंतर (प्रतिशत) (9)	6.52	6.28	6.50	6.36	6.39

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

31 मार्च 2020 तक बकाया कर्ज एवं अग्रिमों की कुल राशि ₹43,085 करोड़ थी। आर्थिक क्षेत्र (₹38,881 करोड़) में वृहद् बकाया कर्ज एवं अग्रिम है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹620.36 करोड़

¹¹ छत्तीसगढ़ को प्रोफॉर्म अंतरण के कारण प्रारंभिक शेष ₹10.21 करोड़ से कम हुआ।

¹² छत्तीसगढ़ को प्रोफॉर्म अंतरण के कारण प्रारंभिक शेष ₹6.74 करोड़ से कम हुआ।

¹³ छत्तीसगढ़ को प्रोफॉर्म अंतरण के कारण प्रारंभिक शेष ₹345.35 करोड़ से कम हुआ।

से वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान संवितरित कर्ज की राशि वर्तमान वर्ष में 9.45 प्रतिशत से घटकर ₹1,090 करोड़ से ₹987 करोड़ हो गई।

2019-20 के दौरान 6.69 प्रतिशत की औसत ब्याज दर से उधारियों पर भुगतान किया गया, जबकि शासन द्वारा दिये गये कर्ज एवं अग्रिमों पर केवल 0.30 प्रतिशत की औसत ब्याज दर प्राप्त हुई।

2.10.4 अपूर्ण परियोजनाओं में पूंजी का अवरुद्धीकरण

अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों में अवरुद्ध पूंजी में रूझानों का आंकलन, पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता को भी इंगित करेगा। राज्य शासन ने उन परियोजनाओं का विवरण उपलब्ध नहीं कराया जो कि समय-सीमा से पीछे चल रहे थे, जहां अनुमानित लागत और समय-सीमा को पुनरीक्षित किया गया था। इस जानकारी के अभाव में, नीचे दी गयी अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण संपूर्ण राज्य के जल संसाधन संभागों में चयनित कुछ परियोजनाओं (₹100 करोड़ और अधिक की अनुमानित लागत पर ली गई परियोजनाएं) के नमूने की जांच पर आधारित है।

वर्ष 2019-20 के लिए राज्य के वित्त लेखों के अनुसार, 31 मार्च 2020 तक जल संसाधन विभाग में 81 परियोजनाएं अपूर्ण/प्रगतिरत थी। इन परियोजनाओं के स्वीकृति/प्रारंभ होने के आधार पर 31 मार्च 2020 तक अपूर्ण परियोजनाओं की अवधि-वार रूपरेखा निम्नानुसार है:

तालिका 2.26: 31 मार्च 2020 को अपूर्ण परियोजनाओं की अवधि-वार रूपरेखा			
			(₹ करोड़ में)
वर्ष	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय (31 मार्च 2020 तक)
2011-12	03	656.82	268.98
2012-13	05	3,349.29	3,031.86
2013-14	07	1,968.28	1,798.19
2014-15	02	3,558.15	2,403.36
2015-16	07	7,086.08	5,981.11
2016-17	16	8,066.87	4,637.41
2017-18	16	14,587.28	8,604.08
2018-19	25	23,813.05	2,880.73
योग	81	63,085.82	29,605.72

स्रोत: वित्त लेखे 2019-20

अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर राशि का अवरुद्ध होना व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और राज्य को लंबी अवधि तक इच्छित लाभ से वंचित करता है। आगे, संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उधार ली गयी राशि व्यर्थ साबित हुई और राज्य को ऋण और ब्याज देनदारियों की सेवाओं के मामले में अतिरिक्त बोझ को साझा करना पड़ा। समय बीतने के कारण लागत बढ़ने से बचने के लिए आगे बिना किसी देरी के इन सभी उपरोक्त परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

2.10.5 उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) का कार्यान्वयन

उज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) भारत सरकार द्वारा नवम्बर 2015 में राज्य स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कम्पनियों के परिचालन एवं वित्तीय कार्याकल्प के लिए प्रारम्भ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ब्याज भार, विद्युत लागत, वितरण क्षेत्र में विद्युत हानि को कम करना एवं विद्युत वितरण कम्पनियों की परिचालन दक्षता में सुधार करना था।

मध्य प्रदेश शासन ने अगस्त 2016 में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों¹⁴ एवं विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार) के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके अंतर्गत राज्य 30 सितम्बर 2015 की स्थिति में ₹26,055 करोड़ (मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों के कुल ऋण ₹34,739 करोड़ का 75 प्रतिशत) मूल्य के ऋण को पाँच¹⁵ वर्षों में अधिग्रहण करेगी। मध्य प्रदेश शासन को 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान ₹4,622 करोड़ का ऋण भार ग्रहण करना आवश्यक था एवं उसी राशि को मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों को अनुदान के रूप में अंतरित करना था। ऐसा नहीं किया गया। तथापि, जैसा कि समझौता ज्ञापन में प्रतिबद्ध था, मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 2017-18 के लिए मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनियों को हुई हानि का पाँच प्रतिशत राशि ₹253.21 करोड़ 2018-19 में एवं 2018-19 के लिए हानि का 10 प्रतिशत ₹729.95 करोड़ का 2019-20 में भार ग्रहण किया था। विवरण नीचे तालिका 2.27 में देखा जा सकता है:

तालिका 2.27: उदय के अंतर्गत विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय सहायता					
(₹ करोड़ में)					
वर्ष	अधिग्रहण किया गया ऋण			अधिग्रहण की गयी हानि	योग
	इक्विटी	ऋण	अनुदान	अनुदान	
2015-16	-	-	-	-	-
2016-17	3,557.00	-	4,011.00	-	7,568.00
2017-18	4,011.00	-	611.00	-	4,622.00
2018-19	-	-	500.00 ¹⁶	253.21	253.21
2019-20	-	-	-	729.95	729.95
योग	7,568.00	-	4,622.00	983.16	13,173.16

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख एवं ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदाय जानकारी

शासन ने बताया (दिसंबर 2019 एवं मार्च 2021) कि विद्युत वितरण कंपनियों को राशि के अंतरण हेतु पात्र होने के लिये कुछ मापदंड निर्धारित किये गये थे, तथा विद्युत वितरण कंपनियों मापदंडों को जैसा कि समझौता ज्ञापन में परिकल्पित था पूर्ण नहीं कर सकी। आगे, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत नियत विभिन्न वित्तीय एवं राजकोषीय लक्ष्यों की अनुपालन के लिये अन्य प्राथमिकताओं (जैसे किसानों का ऋण माफ करना, विद्युत शुल्क कम करना, किसानों को फसल का उचित मूल्य देना इत्यादि) एवं आवश्यकताओं का ध्यान में रखते हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार उदय के अंतर्गत विद्युत वितरण कंपनियों को कोई राशि अंतरित नहीं की गई।

2.10.6 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए संसाधन की उपलब्धता

सार्वजनिक निजी भागीदारी सरकार या वैधानिक इकाई और एक निजी क्षेत्र की इकाई के बीच ढांचा प्रदान करने के लिए एक व्यवस्था है, जो उन्हें बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जनता की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक साथ काम करने में सक्षम बनाती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2020 तक प्रारम्भ की गई 201 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं (लागत: ₹21,320.07 करोड़) में से, ₹11,802.98 करोड़ लागत की 113 परियोजनाओं (56.22 प्रतिशत) को पूर्ण किया गया था, जबकि ₹4,796.92 करोड़ लागत वाली 33 परियोजनाओं (16.42 प्रतिशत) में कार्य

¹⁴ मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड एवं मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड शामिल हैं।

¹⁵ 2016-17 के दौरान ₹7,568 करोड़, 2017-18 के दौरान ₹4,622 करोड़, 2018-19 के दौरान ₹4,622 करोड़, 2019-20 के दौरान ₹4,622 करोड़, 2020-21 के दौरान ₹4,621 करोड़।

¹⁶ ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश शासन से स्वीकृति की प्राप्ति विलंब से मिलने के कारण पुनर्भुगतान की राशि ₹500 करोड़ को 2018-19 के लेखों में शामिल नहीं किया जा सका। इसके लिए 2020-21 के वित्त लेखों में गलती में सुधार (Correction of Error) किया जाएगा। अतः ₹500 करोड़ को तालिका में लेखांकित नहीं किया है।

प्रगति पर था तथा ₹4,720.17 करोड़ लागत वाली 55 परियोजनाएं (27.36 प्रतिशत) प्रक्रियाधीन या बोली के अंतर्गत थी। विवरण निम्न तालिका 2.28 में दिया गया है:

तालिका 2.28: 31 मार्च 2020 को विभिन्न विभागों के अंतर्गत सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं की स्थिति											
(₹ करोड़ में)											
स. क्र.	विभाग	कुल परियोजनाएं		योजनाधीन / प्रक्रियाधीन		निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत		कार्यान्वयनाधीन / निर्माणाधीन		पूर्ण परियोजनाएं	
		संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत
1	पशुपालन	2	93.14	2	93.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	7	1,082.18	4	786.08	1	78.52	2	217.58	0	0.00
3	ऊर्जा	3	382.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	382.70
4	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	1	138.50	0	0.00	0	0.00	1	138.50	0	0.00
5	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	2	374.92	0	0.00	1	125.00	0	0.00	1	249.92
6	वन	4	196.68	1	130.00	1	50.00	1	15.68	1	1.00
7	उद्यानिकी	3	334.69	1	223.19	2	111.50	0	0.00	0	0.00
8	आवास एवं पर्यावरण	3	47.00	1	45.00	0	0.00	0	0.00	2	2.00
9	चिकित्सा शिक्षा	1	164.01	1	164.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1	67.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	67.00
11	लोक निर्माण कार्य	133	13,164.43	12	214.85	1	16.67	20	2,115.33	100	10,817.58
12	खेलकूद एवं युवा कल्याण	1	900.00	0	0.00	0	0.00	1	900.00	0	0.00
13	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	3	331.30	1	176.30	0	0.00	2	155.00	0	0.00
14	पर्यटन	3	35.00	0	0.00	2	20.00	1	15.00	0	0.00
15	परिवहन	1	1,094.00	0	0.00	0	0.00	1	1,094.00	0	0.00
16	आदिम जाति कल्याण	1	52.02	1	52.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00
17	नगरीय विकास एवं आवास	32	2,862.50	22	2,419.95	1	13.94	4	145.83	5	282.78
योग		201	21,320.07	46	4,304.54	9	415.63	33	4,796.92	113	11,802.98

स्रोत: संचालनालय संस्थागत वित्त, मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा प्रदायित जानकारी

2.10.7 व्यय की प्राथमिकता

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य, इत्यादि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर अपने खर्च को बढ़ाने की आवश्यकता है। कम राजकोषीय प्राथमिकता (कुल व्यय के एक श्रेणी के अंतर्गत व्यय का अनुपात) एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी है, यदि आवंटन सापेक्ष राष्ट्रीय औसत से कम है। कुल व्यय के लिए इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होगा, व्यय की गुणवत्ता को उतना ही बेहतर माना जाता है।

2015-16 से 2019-20 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक सेवाएं व्यय एवं पूंजीगत व्यय के संबंध में राज्य शासन की राजकोषीय प्राथमिकताओं का विश्लेषण निम्न तालिका 2.29 में दिया गया है:

तालिका 2.29: 2015-16 एवं 2019-20 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता							
							(प्रतिशत में)
राजकोषीय प्राथमिकता (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष प्रतिशतता)	कुल व्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	विकास व्यय#/ कुल व्यय	सामाजिक क्षेत्र का व्यय/ कुल व्यय	आर्थिक क्षेत्र का व्यय/ कुल व्यय	पूंजीगत व्यय/ कुल व्यय	शिक्षा पर व्यय/ कुल व्यय	स्वास्थ्य पर व्यय/ कुल व्यय
सामान्य संवर्ग के राज्यों का औसत (अनुपात) 2015-16	16.97	70.29	36.09	34.19	14.81	18.32	5.95
मध्य प्रदेश का (अनुपात) 2015-16	22.13	73.15	38.17	34.99	14.06	14.07	4.08
सामान्य संवर्ग के राज्यों का औसत (अनुपात) 2019-20	15.15	65.42	36.73	28.69	12.97	17.42	6.19
मध्य प्रदेश का (अनुपात) 2019-20	19.93	57.96	35.55	22.41	16.19	15.77	4.40

विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत व्यय तथा सवितरित कर्ज एवं अग्रिम सम्मिलित है।

2015-16 के साथ-साथ वर्तमान वर्ष 2019-20 दोनों के दौरान मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए आवंटन इन वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों में सामान्य संवर्ग राज्यों के औसत आवंटन की तुलना में कम था। जबकि वास्तव में, 2015-16 के दौरान राज्य के विकास व्यय के लिए आवंटन का अनुपात सामान्य संवर्ग राज्यों द्वारा आवंटित औसत मात्रा से अधिक था, बाद में 2019-20 के दौरान यह पिछड़ गया।

2.10.8 उद्देश्य शीर्षवार व्यय

वित्त लेखे केवल लघु शीर्ष तक के लेनदेन को दर्शाते हैं। इसलिए उद्देश्य शीर्ष स्तर पर वास्तविक मदों पर किए गए बजटीय आवंटन एवं व्यय की सीमा (₹1,000 करोड़ से अधिक) की गहन (Drill down) समीक्षा नीचे तालिका 2.30 में दी गयी है:

तालिका 2.30: बजट प्राधिकार की तुलना में उद्देश्य शीर्षवार व्यय			
			(₹ करोड़ में)
शीर्ष	बजट	व्यय	उपयोगिता प्रतिशत
11-वेतन	32,136.66	29,635.66	92.22
12-मजदूरी	1,777.78	1,524.03	85.73
13-पेशन तथा पेंशन हितलाभ	13,345.14	11,162.89	83.65
19-कार्यभारित आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों का वेतन	1,484.73	1,262.14	85.01
31-पेशेवर सेवाओं के लिये भुगतान	3,144.73	2,649.68	84.26
32-लघु निर्माण कार्य	1,675.02	1,368.28	81.69
33-अनुरक्षण	1,966.37	1,369.12	69.63

34-सामग्री एवं आपूर्ति	5,437.99	4,199.37	77.22
41-शिष्यवृत्ति एवं छात्रवृत्ति	2,701.82	2,393.68	88.60
42-सहायता अनुदान	89,083.54	64,444.15	72.34
44-राजसहायताएं	18,329.19	12,641.50	68.97
51-अन्य प्रभार	1,886.49	1,135.26	60.18
52-ब्याज भुगतान/लाभांश	14,484.09	14,250.48	98.39
64-मुख्य निर्माण कार्य	29,359.49	23,604.58	80.40
65-निवेश	2,976.78	1,088.39	36.56
73-अंतर लेखा हस्तांतरण	10,947.49	3,813.28	34.83
योग	2,30,737.31	1,76,542.49	76.51

स्रोत: वित्त लेखे एवं व्ही.एल.सी. आंकड़े 2019-20

जैसा कि उक्त तालिका से देखा जा सकता है, उपरोक्त उद्देश्य शीर्षों पर कुल बजटीय आवंटन ₹2,30,737 करोड़ में से, 2019-20 के दौरान विभिन्न उद्देश्य शीर्षों पर वास्तविक व्यय केवल ₹1,76,542 करोड़ (76.51 प्रतिशत) था। उपरिलिखित 16 उद्देश्य शीर्षों में से, दो उद्देश्य शीर्षों ने अपने आवंटन का 50 प्रतिशत से कम उपयोग किया।

2.11 लोक लेखा

अल्प बचत, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमा, उचन्त, प्रेषण, इत्यादि के अंतर्गत प्राप्तियों एवं संवितरण के संबंध में कुछ लेनदेन जो कि समेकित निधि का भाग नहीं है और राज्य विधान मण्डल द्वारा मतदान के अधीन नहीं है, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते हैं। सरकार इनके संबंध में बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के पश्चात शेष राशि सरकार के पास विभिन्न उद्देश्यों के उपयोग के लिए उपलब्ध रहती है।

2.11.1 निवल लोक लेखा शेष

मार्च 2020 के अन्त तक में राज्य के निवल लोक लेखा शेषों का संघटक-वार विवरण निम्न तालिका 2.31 में दिया गया हैः


		(₹ करोड़ में)				
क्षेत्र	उपक्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
झ. अल्प बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि, राज्य भविष्य निधियां एवं अन्य लेखा	13,682.37	14,493.19	14,331.30	16,577.33	19,033.74
ज. आरक्षित निधियां	(क) ब्याज सहित आरक्षित निधियां	770.46	770.46	102.46	75.43	5,199.92
	(ख) ब्याज रहित आरक्षित निधियां	6,959.33	6,446.85	5,408.85	5,998.52	6,699.66
ट. जमा एवं अग्रिम	(क) ब्याज सहित जमा	32.46	2.93	-16.63	-31.54	-44.45
	(ख) ब्याज रहित जमा	8,313.36	11,778.25	14,112.89	14,291.74	18,853.92
	(ग) अग्रिम	-4.80	-3.93	-3.40	-3.40	-3.48
ठ. उचन्त एवं विविध	(ख) उचन्त	-28.24	-178.36	-679.42	-222.35	-1,391.42
	(ग) अन्य लेखा	-7,411.02	-9,236.12	-5,405.15	-7,762.72	-10,774.66
	(घ) विदेशी देशों की सरकारों के साथ खोले गये लेखे	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15
	(ड) विविध	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ड. प्रेषण	(क) धनादेश तथा अन्य प्रेषण	1,140.84	1,424.99	2,167.14	2,885.48	2,855.74
	(ख) अंतः सरकार समायोजन लेखा	-184.70	-540.72	-579.47	-655.57	-694.37
योग		23,269.91	24,957.39	29,438.42	31,152.77	39,734.45

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

संबंधित वर्षों के 31 मार्च को लोक लेखा में संघटक-वार निवल शेष 2015-16 में ₹23,269.91 करोड़ से 2019-20 में ₹39,734.45 करोड़ तक वृद्धि हुई। विगत वर्ष की तुलना में 2019-20 में लोक लेखों के निवल शेषों में ₹8,581.68 करोड़ से वृद्धि मुख्यतः अल्प बचत, भविष्य निधि, इत्यादि में ₹2,456.41 करोड़ से, ब्याज सहित आरक्षित निधियों में ₹5,124.49 करोड़ से एवं ब्याज रहित जमा में ₹4,562.18 करोड़ से वृद्धि के कारण हुई, जो कि अन्य लेखों में कमी ₹3,011.94 करोड़ से प्रतिसंतुलित हुई।

पाँच वर्षों की अवधि 2015-20 में लोक लेखों में शेष राशि की संरचना में वार्षिक परिवर्तन चार्ट 2.17 में दिया गया है:



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2.11.2 आरक्षित निधियां

आरक्षित निधियां राज्य शासन के लोक लेखों के अंतर्गत पूर्ण परिभाषित विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्मित की जाती है। ये निधियां भारत सरकार या राज्य सरकार की समेकित निधि या बाह्य एजेंसियों के अंशदान या अनुदानों से बनती है। 2015-16 से 2019-20 के दौरान आरक्षित निधियों के अंतर्गत लेन-देनों को तालिका 2.32 में सारांशिकृत किया गया है।

तालिका 2.32: 2015-20 के दौरान आरक्षित निधियों की स्थिति							
							(₹ करोड़ में)
स. क्र.	लेखा शीर्ष	आरक्षित निधियों की संख्या		1 अप्रैल 2015 को प्रारम्भिक शेष	2015-20 के दौरान प्राप्तियां	2015-20 के दौरान संवितरण	31 मार्च 2020 को अंतिम शेष
		संचालित	असंचालित				
ब्याज सहित आरक्षित निधियां							
1	8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां	02	00	102.46	14,443.67	9,346.22	5,199.91
ब्याज रहित आरक्षित निधियां							
1	8223-सूखा राहत निधि	01	00	5.92	0.01	निरंक	5.93
2	8226-मूल्य ह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	00	01	4.64	निरंक	निरंक	4.64
3	8228-राजस्व आरक्षित निधि	01	00	31.63	0.07	निरंक	31.70
4	8229-विकास एवं कल्याण निधि	03	04	5,859.72	4,769.91	3,964.63	6,665.00
5	8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां	01	01	394.61	14.21	निरंक	408.82
योग		08	06	6,398.98	19,227.87	13,310.85	12,316.00

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

31 मार्च 2020 तक विभिन्न आरक्षित निधियों में उपलब्ध कुल बकाया शेष ₹12,316 करोड़ में से मध्य प्रदेश शासन ने ₹416.42 करोड़ का निवेश किया जो मुख्यतः प्रत्याभूति विमोचन निधि (₹409 करोड़) के अंतर्गत था।

सरकार की देयताओं की स्थिति पर प्रभाव डालने वाली कुछ मुख्य आरक्षित निधियों का विश्लेषण, उनका निधियन एवं व्यय आगे कंडिकाओं में दिया गया है।

2.11.2.1 राज्य आपदा मोचन निधि

राज्य शासन ने 2010-11 में तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राज्य आपदा मोचन निधि का संचालन शुरू किया। दिशानिर्देशों के संदर्भ एवं चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, केन्द्र एवं राज्य सरकारों को 75:25 के अनुपात में राज्य आपदा मोचन निधि में अंशदान किया जाना आवश्यक है। यह अंशदान मुख्य शीर्ष 8121 के अंतर्गत लोक लेखा में अंतरित किया जाना है एवं वर्ष के दौरान मुख्य शीर्ष 2245 के संचालन द्वारा व्यय होता है। दिशानिर्देशों के संदर्भ में, गंभीर आपदाओं के मामलों में जहां राज्य आपदा मोचन निधि में शेष राशि आवश्यकता से कम होती है, केन्द्र सरकार राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से तत्काल राहत प्रदान कर सकती है।

वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य शासन ने राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत ₹1,066 करोड़ (₹799.50 करोड़ केन्द्रांश एवं ₹266.50 करोड़ राज्यांश) की स्वीकृति जारी की। यद्यपि, 2019-20 के दौरान भारत सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत केवल ₹647.10 करोड़ जारी किए। वर्ष 2018-19 के दौरान, भारत सरकार ने ₹334 करोड़ की राज्य शासन को अतिरिक्त सहायता प्रदाय की,

जिसे राज्य शासन ने 2018-19 के बजाय वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत अंतरित किया। 2019-20 के दौरान भारत सरकार द्वारा राशि ₹1,712.14 करोड़ की एक अतिरिक्त सहायता जारी की जो राज्य शासन द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि में अंतरित की गयी। इस प्रकार, 2019-20 के दौरान राज्य शासन द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत कुल राशि ₹3,112.14 करोड़ अंतरित की गयी। 31 मार्च 2019 को निधि में ₹75.19 करोड़ का शेष था। प्राकृतिक आपदाओं में राहत के लिए संपूर्ण राशि ₹3,187.33 करोड़ का उपयोग किया गया। राज्य आपदा मोचन निधि से भारित व्यय का विवरण नीचे तालिका 2.33 में दिया गया है:

तालिका 2.33: राज्य आपदा मोचन निधि से भारित व्यय का विवरण				
			(₹ करोड़ में)	
मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	राशि	
2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	02-बाढ़, चक्रवात, आदि	101-आनुग्रहिक राहत	2,423.11	
	05-राज्य आपदा विमोचन निधि	101-आरक्षित निधि और जमा लेखों को अन्तरण-राज्य आपदा विमोचन निधि	1,066.00	
		901-घटाएं-राज्य आपदा विमोचन निधि से पूरी की गई राशि	-1,141.18	
		80-सामान्य	001-निर्देशन और प्रशासन	1.64
			102-विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध	93.99
			103-राष्ट्रीय आपदा विमोचन निधि से राज्य को सहायता	2,046.14 ¹⁷ -2,046.14 ¹⁸
			800-अन्य व्यय	308.38
योग			2,751.94	

स्रोत: वित्त लेखे 2019-20

2.11.2.2 प्रत्याभूति विमोचन निधि

राज्य शासन ने बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए 2005-06 में प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन किया। प्रत्याभूति विमोचन निधि के दिशानिर्देशानुसार, निधि में, पूर्ववर्ती वर्ष में प्राप्त प्रत्याभूति शुल्क एवं राज्य शासन द्वारा समरूप अंशदान जमा किया जाना अपेक्षित है। यह नीति तथापि राज्य वित्त सचिवों की समिति के प्रतिवेदन पर आधारित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है, जिसमें प्रत्याभूति विमोचन निधि का सृजन प्रत्याभूतियों के जोखिम भार के अनुसार किया जाना है। आगे, राज्य शासन को निधि के गठन के समय बकाया प्रत्याभूतियों का कम से कम एक प्रतिशत अंशदान करना अपेक्षित है तथा तत्पश्चात आगामी पाँच वर्षों में तीन प्रतिशत तक का न्यूनतम स्तर प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 0.50 प्रतिशत अंशदान करें। निधि का सही आकार विगत वर्ष की बकाया प्रत्याभूति का न्यूनतम तीन प्रतिशत हो सकता है।

2018-19 में राज्य शासन ने ₹14.73 करोड़ की प्रत्याभूति शुल्क प्राप्त की। दिशानिर्देशानुसार, राज्य को वर्ष 2019-20 में ₹29.46 करोड़ का निधि में अंशदान किया जाना था। यद्यपि, राज्य शासन ने निधि में कोई अंशदान नहीं किया। 31 मार्च 2020 की स्थिति में, राज्य शासन ने ₹408.79 करोड़ का निधि में अंशदान किया था जो केन्द्र सरकार की दिनांकित सिक्क्योरिटी में निवेशित किया गया था। प्रत्याभूति


¹⁷ मुख्य शीर्ष 8121-122-राज्य आपदा मोचन निधि में अंतरण।

¹⁸ मुख्य शीर्ष 8121-122-राज्य आपदा मोचन निधि से पुनर्प्राप्ति।

विमोचन निधि के दिशानिर्देशों के अनुसार, 31 मार्च 2020 को प्रत्याभूति विमोचन निधि में न्यूनतम राशि ₹922.90 करोड़ (31 मार्च 2019 को बकाया प्रत्याभूति ₹30,763.38 करोड़ का तीन प्रतिशत) उपलब्ध होनी चाहिए थी। इस प्रकार, 31 मार्च 2020 को प्रत्याभूति विमोचन निधि में ₹514.11 करोड़ का कम अंशदान किया।

2.12 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन, सरकार के ऋण के प्रबंधन के लिए धन की आवश्यक राशि जुटाने हेतु एक रणनीति स्थापित करने और निष्पादित करने की प्रक्रिया है जो अपने जोखिम और लागत उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं, और किसी भी अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा करते हैं जो सरकार ने अधिनियम या अन्य किसी वार्षिक बजट घोषणाओं के माध्यम से निर्धारित किया हो। 2015-16 और 2019-20 के बीच समग्र ऋण की प्रवृत्ति नीचे चार्ट 2.18 में देखी जा सकती है:



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदाय जानकारी

2.12.1 ऋण रूपरेखा: संघटक


मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार, लोक ऋण में राज्य सरकार का आंतरिक ऋण और केन्द्र सरकार से कर्ज और अग्रिम शामिल है। आंतरिक ऋण में बाजार कर्ज, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय एवं अग्रिम, क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंध पत्र, वित्तीय संस्थाओं से कर्ज एवं केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां शामिल है।

प्राप्त कुल ऋण, ऋण का पुनर्भुगतान, ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात एवं पाँच वर्ष की अवधि 2015-20 के दौरान राज्य के पास उपलब्ध ऋण की वास्तविक मात्रा से संबंधित विवरण तालिका 2.34 में दिया गया है:

तालिका 2.34: ऋण की प्रवृत्ति		(₹ करोड़ में)				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
बकाया ऋण		1,27,144	1,55,800	1,72,363	1,94,309	2,30,572
लोक ऋण	आंतरिक ऋण	83,718	1,08,391	1,23,683	1,40,009	1,59,793
	भारत सरकार से कर्ज	13,668	13,917	14,741	17,389	21,036
लोक लेखा देयताएं ¹⁹		29,758	33,492	33,939	36,911	49,743
कुल बकाया ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)		16.98	22.54	10.63	12.73	18.66
सकल राज्य घरेलू उत्पाद		5,41,068	6,49,823	7,24,729	8,09,592	9,06,672
ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)		23.50	23.98	23.78	24.00	25.43
कुल ऋण प्राप्तियां		49,524	64,106	52,579	71,063	85,613
कुल ऋण पुनर्भुगतान		31,067	35,448	34,506	49,087	49,351
कुल उपलब्ध ऋण		18,457	28,658	18,073	21,976	36,262
ऋण पुनर्भुगतान/ऋण प्राप्तियां (प्रतिशत)		62.73	55.30	65.63	69.08	57.64
चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य (ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में))		24.87	25.34	25.49	25.63	25.75

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाएं

जैसा कि तालिका 2.34 से देखा जा सकता है, ऋण के पुनर्भुगतान में 2018-19 की तुलना में 2019-20 में आंशिक वृद्धि हुई और 2018-19 की तुलना में कुल ऋण प्राप्तियां भी ₹14,550 करोड़ (20.48 प्रतिशत) से बढ़ी। 2019-20 के अंत में राज्य शासन का कुल बकाया ऋण ₹2,30,572 करोड़ था। ऋण का घटक-वार विभाजन नीचे चार्ट 2.19 में दर्शाया गया है:




स्रोत: वित्त लेखे 2019-20


आंतरिक ऋण, जो मुख्यतः राज्य विकास ऋणों को जारी करने के माध्यम से बाजार उधारियां हैं, कुल बकाया ऋण का 69 प्रतिशत है।

चार्ट 2.20 पिछले पांच वर्षों के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण प्रतिमान को दर्शाता है, जबकि चार्ट 2.21 राज्य सरकार द्वारा लिए गए आंतरिक ऋण और उसी अवधि के लिए पुनर्भुगतान को दर्शाता है।

¹⁹ लोक लेखा देयताओं में लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि शामिल हैं, ब्याज सहित आरक्षित निधियां, ब्याज रहित आरक्षित निधियां, ब्याज सहित जमा, ब्याज रहित जमा।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2.12.1.1 राजकोषीय घाटा और उसके वित्तपोषण प्रतिमान के घटक

राजकोषीय घाटा राजस्व और ऋणोत्तर प्राप्तियों पर राजस्व और पूंजीगत व्यय (कर्ज और अग्रिम सहित) की अधिकता को पूरा करने के लिए राज्य (मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक से अपने नगदी और निवेश शेष को आहरित करने एवं उधारी द्वारा) को आवश्यक होता है, के कुल वित्तपोषण का प्रतिनिधित्व करता है। राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण प्रतिमान **तालिका 2.35** में परिलक्षित होता है:

तालिका 2.35: राजकोषीय घाटे का संघटन एवं इसका वित्तपोषण प्रतिमान					
(₹ करोड़ में)					
विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+) (राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद)	-14,065 (2.60)	-27,664 (4.26)	-22,745 (3.12)	-23,688 (2.93)	-32,970 (3.64)
राजकोषीय घाटा/आधिक्य के घटक					
1 राजस्व घाटा(-)/आधिक्य(+)	5,740	3,770	4,629	6,744	-2,801
2 निवल पूंजीगत व्यय	-16,809	-27,265	-30,894	-29,411	-29,228
3 निवल कर्ज एवं अग्रिम	-2,996	-4,169	3,520	-1,021	-941
राजकोषीय घाटे का वित्तीय प्रतिमान					
1 बाजार उधारियां	12,991	14,551	13,125	15,001	16,550
2 भारत सरकार से कर्ज	414	249	824	2,647	3,647
3 राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	922	1,266	1,348	1,086	2,970
4 वित्तीय संस्थानों से कर्ज	798	1,590	913	334	310
5 आरक्षित निधियां	1,733	-498	-1,038	590	5,827
6 अल्प बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	1,025	813	680	2,249	2,456
7 जमा एवं अग्रिम	574	3,436	2,316	164	4,550
8 उचंत एवं विविध	1,457	-842	110	-677	-1,552
9 प्रेषण	-352	-72	704	642	-69
10 अन्य ²⁰	0	7,266	-94	-94	-47
11 रोकड़ में वृद्धि (+)/कमी(-)	-5,497	-95	3,857	1,746	-1,672
12 सकल राजकोषीय घाटा	14,065	27,664	22,745	23,688	32,970

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण वाले विभिन्न घटकों के अंतर्गत प्राप्तियां और संवितरण को तालिका 2.36 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.36: राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण वाले घटकों के अंतर्गत प्राप्तियां और संवितरण				
(₹ करोड़ में)				
स. क्र.	विवरण	प्राप्तियां	संवितरण	निवल
1	बाजार उधारियां	22,371	5,821	16,550
2	भारत सरकार से कर्ज	4,868	1,221	3,647
3	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	5,147	2,177	2,970
4	वित्तीय संस्थानों से कर्ज	1,978	1,668	310
5	अल्प बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	5,085	2,629	2,456
6	जमा एवं अग्रिम	37,151	32,601	4,550
7	उचंत एवं विविध	1,32,007	1,33,559	-1,552
8	प्रेषण	17,356	17,425	-69
9	आरक्षित निधियां	9,013	3,186	5,827
10	अन्य	0	47	-47
11	रोकड़ शेष में वृद्धि (+)/कमी(-)	5,389	7,061	-1,672
12	सकल राजकोषीय घाटा	--	--	32,970

स्रोत: वित्त लेखे 2019-20


2.12.2 ऋण रूपरेखा: परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान

लोक ऋण एवं उसकी परिपक्वता रूपरेखा का विवरण तालिका 2.37 एवं चार्ट 2.22 में नीचे दिया गया है:

²⁰ आकस्मिक निधि एवं निवेश एवं बंधपत्र के अधीन लेन-देन

तालिका 2.37: लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा					
					(₹ करोड़ में)
परिपक्वता वर्ष	परिपक्वता रूपरेखा	राशि			कुल लोक ऋण का प्रतिशत
		आंतरिक ऋण	भारत सरकार से प्राप्त कर्ज एवं अग्रिम	कुल	
2020-21 तक	0-1 वर्ष	9,703.00	625.68	10,328.68	5.72
2021-22 एवं 2022-23 के मध्य	2-3 वर्ष	17,430.44	1,270.46	18,700.90	10.34
2023-24 एवं 2024-25 के मध्य	4-5 वर्ष	23,366.44	927.75	24,294.19	13.43
2025-26 एवं 2026-27 के मध्य	6-7 वर्ष	37,181.70	337.37	37,519.07	20.75
2027-28 से आगे	7 वर्ष से अधिक	72,111.16	17,874.71	89,985.87	49.76
योग		1,59,792.74	21,035.97	1,80,828.71	-

स्रोत: वित्त लेखे 2019-20



स्रोत: वित्त लेखे 2019-20

31 मार्च 2020 तक लोक ऋण की बकाया मात्रा की परिपक्वता रूपरेखा इंगित करती है कि बकाया लोक ऋण ₹1,80,828.71 करोड़ में से 50.24 प्रतिशत (₹90,842.84 करोड़) आगामी सात वर्षों में देय है जबकि शेष 49.76 प्रतिशत (₹89,985.87 करोड़) सात वर्षों से अधिक की परिपक्वता वर्ग में है। कुल बकाया लोक ऋण के आंतरिक ऋण में बाजार उधारियां, नाबार्ड से कर्ज और केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां का 88.37 प्रतिशत (₹1,59,792.74 करोड़) शामिल है।

वास्तविक किये गये भुगतान के सापेक्ष 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सांकेतिक भुगतान का विवरण नीचे तालिका 2.38 में तालिकाबद्ध है:

तालिका 2.38: लोक ऋण का भुगतान			
			(₹ करोड़ में)
वर्ष	31 मार्च को बकाया ऋण	सांकेतिक भुगतान	वास्तविक पुनर्भुगतान
2018-19	1,57,397.92	6,991.71	13,523.72
2019-20	1,80,828.71	8,720.67	10,933.62

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि उपरोक्त से देखा जा सकता है, राज्य के पास ऋण सेवाओं की संतोषजनक उपलब्धियां हैं।

2.13 ऋण संधारणीयता विश्लेषण

ऋण संधारणीय माना जाता है, यदि उधारकर्ता (इस प्रकरण में राज्य), अभी और भविष्य में अपने ऋण की सेवा देने की स्थिति में है। ऋण संधारणीयता संकेतक तदनुसार उधारकर्ता की साख योग्यता एवं तरलता स्थिति का आंकलन, राजस्व के चालू एवं नियमित स्रोतों में से समय पर ब्याज भुगतान एवं ऋण पुनर्भुगतान के जरिये उनकी ऋण सेवा देने की सामर्थ्य की जांच द्वारा करते हैं।

यह अनुभाग राज्य सरकार की ऋण संधारणीयता का आंकलन, ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात राजकोषीय घाटा, ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात का मापन) एवं राज्य सरकार के ऋण परिपक्वता की रूपरेखा के संदर्भ में करता है।


तालिका 2.39 अवधि 2015-16 से 2019-20 के लिये इन संकेतकों के अनुसार राज्य की ऋण संधारणीयता दर्शाती है:

तालिका 2.39: ऋण संधारणीयता: संकेतक एवं प्रवृत्तियां					
	(₹ करोड़ में)				
ऋण संधारणीयता संकेतक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
बकाया लोक ऋण एवं अन्य देयताएं	1,27,144	1,55,800	1,72,363	1,94,309	2,30,572
बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	16.98	22.54	10.63	12.73	18.66
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	5,41,068	6,49,823	7,24,729	8,09,592	9,06,672
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.74	20.10	11.53	11.71	11.99
ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	23.50	23.98	23.78	24.00	25.43
लोक ऋण एवं अन्य देयताओं के अंतर्गत प्राप्तियां	49,524	64,106	52,579	71,063	85,613
राज्य के ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता रूपरेखा-पूर्व के चूककर्ता सहित, यदि कोई हो	31,067	35,448	34,506	49,087	49,351
ब्याज भुगतान	8,091	9,079	11,045	12,696	14,217
बकाया ऋण पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	6.86	6.42	6.73	6.92	6.69
ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियों का अनुपात	7.67	7.36	8.19	8.53	9.63
ऋण का पुनर्भुगतान से ऋण प्राप्तियों का प्रतिशत	62.73	55.30	65.63	69.08	57.64
राज्य को निवल ऋण की उपलब्धता [#]	10,366	19,579	7,028	9,280	22,045
ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में निवल ऋण की उपलब्धता [#]	20.93	30.54	13.37	13.06	25.75

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

[#] राज्य शासन के लिए उपलब्ध निवल ऋण की गणना लोक ऋण प्राप्तियों की लोक ऋण पुनर्भुगतान एवं लोक ऋण पर ब्याज भुगतान की अधिकता के रूप में की जाती है।

राज्य शासन के ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के संदर्भ में ऋण की संधारणीयता को नीचे दिए गए चार्ट 2.23 में दर्शाया गया है।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे


बकाया राजकोषीय देयताएं 2015-16 में ₹1,27,144 करोड़ से निरंतर बढ़कर 2019-20 के अंत में ₹2,30,572 करोड़ हो गयी। 2018-19 में 12.73 प्रतिशत के विरुद्ध इन देयताओं में 2019-20 के दौरान 18.66 प्रतिशत से वृद्धि हुयी। पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 के दौरान राजकोषीय देयताओं में वृद्धि मुख्य रूप से बाजार कर्ज (₹16,550 करोड़ से) के कारण थी। 2019-20 के अंत में राजकोषीय देयताएं, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 25.43 प्रतिशत, चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर थी, जबकि यह राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 24.43 प्रतिशत से अधिक नहीं) द्वारा निर्धारित सीमा से परे थी। ऋण की बढ़ती मात्रा के परिणामस्वरूप ऋण की सेवाओं के लिए देयताएं बढ़ गयी।

2.13.1 उधार लिए गए धन का उपयोग

उधार लिए गए धन का उपयोग आदर्श रूप से पूंजी निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान उपभोग को पूरा करने के लिए एवं बकाया कर्ज पर ब्याज की अदायगी के लिए उधार लिए गए धन का उपयोग करना संधारणीय नहीं है। 2015-16 से 2019-20 के दौरान उधार लिए गए धन के उपयोग की प्रवृत्तियां और विवरण तालिका 2.40 एवं चार्ट 2.24 में दिया गया है:

तालिका 2.40: उधार लिए गए धन का उपयोग					
(₹ करोड़ में)					
विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल उधारियां (लोक ऋण एवं अन्य दायित्व)	49,524.35	64,105.57	52,578.89	71,062.85	85,612.99
पूर्व की उधारियों का पुनर्भुगतान (मूलधन)	31,066.63	35,448.03	34,505.58	49,086.80	49,350.88
उधार की निवल उपलब्ध निधि	18,457.72	28,657.54	18,073.31	21,976.05	36,262.11
निवल पूंजीगत व्यय	16,809.00	27,261.84	30,893.87	29,411.17	29,227.82
निवल कर्ज एवं अग्रिम	2,995.59	4,168.22	(-) 3,519.33	1,019.78	941.30
राजस्व व्यय का भाग जो निवल उपलब्ध उधारियों से मिलता है	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	6,092.99

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है, 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान ऋण का पुनर्भुगतान करने के बाद ऋण की निवल उपलब्ध निधि 30.92 प्रतिशत से 44.70 प्रतिशत रही, विकासात्मक गतिविधियों के लिए सीमित धन शेष रहता है।

2.13.2 प्रत्याभूतियों की स्थिति—आकस्मिक देयताएं


प्रत्याभूतियां राज्य की समेकित निधि पर उधारकर्ता जिसके लिए प्रत्याभूति बढ़ाई गई की चूक के कारण है, देय आकस्मिक देयताएं हैं। राज्य शासन की कुल बकाया प्रत्याभूतियां राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम²¹ के अंतर्गत निर्धारित सीमा के अंतर्गत थी। 2015-20 के दौरान राज्य शासन द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियां नीचे दी गयी तालिका 2.41 में दर्शायी गयी है:

तालिका 2.41: राज्य शासन द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियां					
(₹ करोड़ में)					
प्रत्याभूतियां	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
ब्याज सहित प्रत्याभूतियों की बकाया राशि लागू सीमा तक (मानदण्ड)	70,913	84,409	98,646	1,07,900	1,19,114
ब्याज सहित प्रत्याभूतियों की बकाया राशि	27,530	33,397	14,003	30,763	30,930

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

²¹ कुल प्रत्याभूतियां, पूर्ववर्ती वर्ष की कुल राजस्व प्राप्ति के 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

मध्य प्रदेश शासन द्वारा दी गयी बकाया प्रत्याभूतियां एवं अधिकतम प्रत्याभूति राशि का विवरण **परिशिष्ट 2.1** में दिया गया है। 31 मार्च 2020 की स्थिति में बकाया प्रत्याभूतियों के क्षेत्रवार संघटक को **चार्ट 2.25** में दर्शाया गया है।



मध्य प्रदेश शासन ने 2019-20 के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा चूक के कारण प्रत्याभूतियों की किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया। प्रत्याभूति की अधिकतम राशि के संघटक ऊर्जा क्षेत्र की छह²² इकाइयां (₹5,496 करोड़), नगरीय विकास एवं आवास के छह²³ संस्थान (₹7,011 करोड़), अन्य क्षेत्रों के पाँच²⁴ संस्थान (₹29,310 करोड़) एवं राज्य वित्त निगम (₹1,200 करोड़) थे।

प्रत्याभूति शुल्क प्रमुख ऋणी से प्रभारित किया जाता है जब तक कि विशेष रूप से छूट नहीं दी गयी हो। 2019-20 के दौरान, मध्य प्रदेश शासन ने प्रत्याभूति शुल्क के रूप में कुल प्राप्य ₹64.72 करोड़ में से ₹2.03 करोड़ प्राप्त किए।

निर्गम सम्मेलन (मार्च 2021) के दौरान, वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि प्रकरण संबंधित प्रशासनिक विभागों को अग्रेषित किया जाएगा एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.13.3 रोकड़ शेष का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए समझौते के अनुसार, राज्य शासन को बैंक के साथ न्यूनतम दैनिक रोकड़ शेष बनाए रखना होगा। यदि यह शेष राशि निश्चित न्यूनतम शेष राशि से किसी भी दिन कम होती है, उस कमी की पूर्ति समय-समय पर साधारण अर्थोपाय अग्रिम/विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षण लेकर की जाती है। साधारण अर्थोपाय अग्रिम की सीमा राज्य सरकारों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षित की जाती है।


2.13.3.1 रोकड़ शेष

मध्य प्रदेश शासन के 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2020 को रोकड़ शेषों का विवरण नीचे **चार्ट 2.26** में दर्शाया गया है:

²² मध्य प्रदेश ऊर्जा उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश ऊर्जा पारेषण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र ऊर्जा वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र ऊर्जा वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र ऊर्जा वितरण कम्पनी लिमिटेड, इंदौर, मध्य प्रदेश ऊर्जा प्रबंधन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर

²³ नगर निगम, नगर पालिका, राज्य विकास इकाई, मध्य प्रदेश नगरीय विकास कम्पनी लिमिटेड, नगर परिषद, मध्य प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड

²⁴ मध्य प्रदेश औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, मध्य प्रदेश खाद्य, सिविल आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, लोक निर्माण कार्य विभाग, उच्च शिक्षा



स्रोत: वित्त लेखे 2019–20

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए समझौते के अनुसार, राज्य शासन को बैंक के साथ न्यूनतम दैनिक रोकड़ शेष ₹1.96 करोड़ बनाए रखना होगा। यदि यह शेष निश्चित न्यूनतम शेष राशि से किसी भी दिन कम होती है, उस कमी की पूर्ति समय-समय पर साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षण लेकर की जाती है। 1 फरवरी 2016 से राज्य शासन के लिए साधारण अर्थोपाय अग्रिम की सीमा ₹1,600 करोड़ थी और बैंक द्वारा समय-समय पर विशेष अर्थोपाय अग्रिम की सीमा को पुनरीक्षित किया जाता है।

2019–20 के दौरान राज्य शासन ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ न्यूनतम दैनिक रोकड़ शेष को बनाए रखा एवं वर्ष के दौरान कोई भी साधारण और विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षण नहीं लिया गया।

2.13.3.2 रोकड़ शेषों का निवेश

तालिका 2.42 वर्ष के दौरान राज्य शासन द्वारा रोकड़ शेष एवं इनमें से किए गए निवेशों का चित्रण करती है।

तालिका 2.42: रोकड़ शेष एवं उनका निवेश		
(₹ करोड़ में)		
विवरण	1 अप्रैल 2019 को प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2020 को अंतिम शेष
(अ) सामान्य रोकड़ शेष		
कोषालयों में रोकड़	--	--
भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	(-)3,663.52 ²⁵	(-)4,623.28 ²⁶
पारगमन में प्रेषण— स्थानीय	--	--
कुल	(-)3,663.52	(-)4,623.28
रोकड़ शेष निवेश लेखे में हुए निवेश	8,638.46	11,270.17
कुल (अ)	4,974.94	6,646.89

²⁵ मार्च 2019 के समापन पर "भारतीय रिजर्व बैंक में जमा" के अंतर्गत प्रधान महालेखाकार के लेखाओं में दर्शित ₹3,663.52 करोड़ (जमा) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹2,302.81 करोड़ (नामे) के मध्य आंकड़ों में ₹1,360.71 करोड़ (जमा) का अंतर था। रिजर्व बैंक में जमा के अंतर्गत अंतर का कारण एजेंसी बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक तथा कोषालय अधिकारियों द्वारा लेखों में लेन-देनों की गलत रिपोर्टिंग है।

²⁶ मार्च 2020 के समापन पर "भारतीय रिजर्व बैंक में जमा" के अंतर्गत प्रधान महालेखाकार के लेखाओं में दर्शित ₹4,623.28 करोड़ (जमा) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹4,589.24 करोड़ (नामे) के मध्य आंकड़ों में ₹34.04 करोड़ (जमा) का अंतर था। रिजर्व बैंक में जमा के अंतर्गत अंतर का कारण एजेंसी बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक तथा कोषालय अधिकारियों द्वारा लेखों में लेन-देनों की गलत रिपोर्टिंग है।

(ब) अन्य रोकड़ शेष एवं निवेश		
विभागीय रोकड़ शेष	(-)3.17	(-)3.21
स्थायी पेशगी	0.83	0.83
उद्दिष्ट निधि से निवेश	416.42	416.42
कुल (ब)	414.08	414.04
महायोग (अ)+(ब)	5,389.02	7,060.93
प्राप्त ब्याज	146.45	145.29

स्रोत: वित्त लेखे 2019-20

वर्तमान वर्ष की समाप्ति पर राज्य शासन का रोकड़ शेष सार्थक रूप से ₹1,672 करोड़ से बढ़कर, 2018-19 में ₹5,389 करोड़ से 2019-20 में ₹7,061 करोड़ हो गया। यह मुख्य रूप से ट्रेजरी बिल में निवेश में ₹2,632 करोड़ से वृद्धि के कारण था यह 2018-19 में ₹8,638 करोड़ से 2019-20 में ₹11,270 करोड़ तक हो गया।

निर्गम सम्मेलन (मार्च 2021) के दौरान, वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि शासन लगभग ₹ छः से सात हजार करोड़ वेतन, मजदूरी, पेंशन, इत्यादि के लिए रखती है जो कि प्रक्रियाधीन एवं समय पर भुगतान हेतु आवश्यक थे। आगे, यह भी बताया गया कि शासन लघु अवधि की उधारियां नहीं लेती है, यह रोकड़ शेष निवेश में पर्याप्त शेष रखती है।

राज्य शासन अपने रोकड़ शेष अधिशेष को भारत सरकार की अल्प और दीर्घ अवधि की प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिल में निवेशित करती है। इस प्रकार के निवेश से प्राप्त लाभ को शीर्ष '0049-ब्याज प्राप्तियां' के अंतर्गत प्राप्तियों के रूप में जमा किया जाता है। 2019-20 के दौरान, राज्य शासन ने भारत सरकार के प्रतिभूतियों एवं ट्रेजरी बिल में किए गए निवेश से ₹145 करोड़ का ब्याज अर्जित किया। वर्ष के अंत में उद्दिष्ट निधि में निवेशित ₹416.42 करोड़ में से ₹408.79 करोड़ प्रत्याभूति विमोचन निधि में निवेश किए गए थे।


2015-16 से 2019-20 तक की संपूर्ण अवधि के लिए अर्जित ब्याज **तालिका 2.43** में दिया गया है:

तालिका 2.43: रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673)				
				(₹ करोड़ में)
वर्ष	प्रारम्भिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि (+)/कमी(-)	अर्जित ब्याज
2015-16	4,791.31	9,485.24	4,693.93	250.71
2016-17	9,485.24	10,628.22	1,143.64	426.89
2017-18	10,628.22	7,412.19	(-)3,216.03	491.39
2018-19	7,412.19	8,638.46	956.27	146.45
2019-20	8,638.46	11,270.17	2,631.71	145.29

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे


2015-20 के दौरान राज्य शासन के रोकड़ शेष निवेश के अंतिम शेष का प्रवृत्ति विश्लेषण, 31 मार्च 2016 को ₹9,485.24 करोड़ से 31 मार्च 2020 तक ₹11,270.17 करोड़ की अंतरवर्षीय उतार-चढ़ाव के साथ ₹1,784.93 करोड़ की वृद्धि को दर्शाता है।

निम्न **चार्ट 2.27**, 2015-20 के दौरान रोकड़ शेष निवेश लेखों में उपलब्ध शेषों एवं राज्य द्वारा लिए गए बाजार कर्ज की तुलना करता है। बाजार कर्ज अधिक ब्याज दर पर लिया गया जबकि ट्रेजरी बिल में किए गए निवेश से कम दरों पर ब्याज प्राप्त हुआ।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2019–20 के दौरान रोकड़ शेष निवेश एवं बाजार कर्ज का माह-वार चित्रण नीचे चार्ट 2.28 में दिया है।



स्रोत: मासिक सिविल लेखें 2019–20

राज्य शासन का अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच माह-वार रोकड़ शेष निवेश ₹2,792 करोड़ से ₹11,270 करोड़ के मध्य था, जबकि बाजार कर्ज ₹7,371 करोड़ तक था। आगे, 2019–20 में राज्य शासन द्वारा उधारियों पर ₹14,217 करोड़ का ब्याज भुगतान किया गया, जबकि रोकड़ शेष निवेश पर ₹145.29 करोड़ का ब्याज प्राप्त किया।

राज्य शासन को आवश्यकता आधारित उधारी की नीति अपनानी चाहिए और न्यूनतम रोकड़ शेष बनाए रखना चाहिए। इन वित्तीय वर्षों के अंत में 'रोकड़ शेष निवेश लेखा' में किया गया उच्च स्तर का निवेश इंगित करता है कि बेहतर नकदी प्रबंधन की आवश्यकता है।

2.14 निष्कर्ष

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में ₹1,250 करोड़ (0.84 प्रतिशत) की कमी एवं राजस्व व्यय में ₹8,295 करोड़ (5.84 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। राज्य ने विगत पाँच वर्ष की अवधि 2015-20 के दौरान 2019-20 में पहली बार राजस्व घाटा दर्ज किया एवं राज्य के अन्य राजकोषीय संकेतक जैसे वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया ऋणों का अनुपात से संबंधित मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम के लक्ष्यों की सीमा से बढ़े।

2019-20 तक राज्य शासन द्वारा सांविधिक निगमों, कंपनियों, सहकारी समितियों, इत्यादि में ₹36,372.52 करोड़ का निवेश किया गया, 2019-20 के दौरान जिस पर प्रतिलाभ (₹475.96 करोड़) मिला, जो वर्ष के दौरान औसत उधारी लागत दर 6.69 प्रतिशत के विरुद्ध केवल 1.31 प्रतिशत था; शासन द्वारा दिये गये कर्ज एवं अग्रिमों (₹43,085 करोड़) पर प्राप्त ब्याज की दर भी केवल 0.30 प्रतिशत थी।

राज्य शासन ने सहायतानुदानों में से किये गये व्ययों के लेखांकन प्रशोधन के संबंध में भारत सरकार के लेखांकन मानक का गैर अनुपालन जारी रखा। आगे, इसने उदय योजना के अंतर्गत भारत सरकार एवं डिस्कॉम के साथ समझौता ज्ञापन में की गई अपनी प्रतिबद्धता/कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। प्रत्याभूति विमोचन निधि में कोई अंशदान नहीं किया।

2.15 अनुशंसाएं

- i) राज्य शासन बजट अनुमानों की तुलना में राजस्व की वसूली में कमी के कारणों की समीक्षा करें और बेहतर कर अनुपालन सुनिश्चित करके कर और करेत्तर स्रोतों के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने का पता लगा सकती है।
- ii) राज्य शासन को सहायतानुदान से होने वाले व्यय के वर्गीकरण की समीक्षा एवं भारत सरकार के लेखा मानकों का निष्ठापूर्वक अनुपालन करने के लिये आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
- iii) राज्य शासन को विभिन्न इकाइयों में अपने निवेशों एवं कर्जों अग्रिमों को इस प्रकार युक्तिसंगत बनाना चाहिए ताकि निवेश एवं कर्जों पर प्रतिलाभ कम से कम शासकीय उधारी लागतों से साम्य रखें।
- iv) राज्य शासन को बाद के ऋणों के संबंध में भारत सरकार एवं विद्युत वितरण कंपनियों के साथ त्रिपक्षीय ज्ञापन समझौते में की गई अपनी प्रतिबद्धता/कर्तव्यों का निर्वहन करने की आवश्यकता है।

अध्याय 3
बजटीय प्रबंधन

अध्याय 3—बजटीय प्रबंधन

3.1 प्रस्तावना

प्रभावी वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करता है कि नीतिगत स्तर पर लिये गये निर्णय प्रशासनिक स्तर पर निधियों के बिना किसी व्यपवर्तन या अपव्यय के सफलतापूर्वक क्रियान्वित होते हैं। यह अध्याय राज्य शासन की आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है तथा बजट प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं उसके क्रियान्वयन की प्रभावशीलता पर टिप्पणियां प्रस्तुत करता है।

3.1.1 बजट तैयार करने की प्रक्रिया


मध्य प्रदेश शासन द्वारा बजट तैयारी में अपनाई जाने वाली विस्तृत बजट प्रक्रिया निम्नानुसार है:



राज्य शासन अपने वार्षिक बजट तथा अनुदानों/विनियोगों की 74 मांगों की प्रस्तुती द्वारा राज्य की समेकित निधि में से व्यय के लिए विधायी अनुमोदन प्राप्त करता है। सामान्यतः प्रत्येक विभाग के पास अनुदान के लिए एक मांग होती है, यह सुनिश्चित करने के लिए विभागाध्यक्ष नीति निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए एवं वांछित उद्देश्यों के लिए लोक निधि का व्यय करने का उत्तरदायित्व लेता है।

वित्तीय वर्ष के दौरान मूल प्रावधानित राशि के आधिक्य में व्यय की पूर्ति के लिए अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान/विनियोग प्रदान किया जाता है। आगे, राज्य शासन वर्ष के दौरान विनियोग की विभिन्न ईकाइयों जहां बचत प्रत्याशित है, उसी अनुभाग में (राजस्व-मतदेय, राजस्व-भारित, पूंजीगत-मतदेय, पूंजीगत-भारित) ईकाइयाँ जहां अतिरिक्त व्यय परकल्पित है, (उसी अनुदान/विनियोग के भीतर) सक्षम प्राधिकारी के द्वारा निधियों का पुनर्विनियोजन/पुनर्आवंटन किया जाता है।

वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदित कुल राशि, मूल और अनुपूरक सहित बजट, व्यय और बचतें चार्ट 3.2 में नीचे दी गई है:



स्रोत: विनियोग लेखे 2019-20

निर्गम सम्मेलन (मार्च 2021) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि उनके द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन के लक्ष्य और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समग्र नियंत्रण का प्रयोग किया गया था। आगे, यह भी बताया गया कि अनपेक्षित व्यय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनुपूरक बजट तैयार किया गया था।

3.1.2 जेण्डर बजट

राज्य का जेण्डर बजट महिलाओं को पूर्ण या आंशिक हितलाभ दिलाने वाली योजनाओं पर समग्र बजट में से किए जाने वाले प्रस्तावित व्यय को प्रकट करता है। मध्य प्रदेश में जेण्डर बजटिंग की शुरुआत 2007-2008 के दौरान की गई थी। जेण्डर बजट से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था (i) योजनाएं जिनमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे और (ii) योजनाएं जिनमें कम से कम 30 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे। जेण्डर बजट राज्य के बजट

में एक महत्वपूर्ण वक्तव्य के रूप में शामिल किया गया है, जो अनुदान की मांगों के अंतर्गत जेण्डर के आधार पर बजटीय आवंटन को अलग करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

तालिका 3.1 2015–20 के दौरान जेण्डर बजट के अंतर्गत बजटीय प्रावधान का विवरण दर्शाती है:

तालिका 3.1: 2015–20 के दौरान जेण्डर बजट के अंतर्गत प्रावधान					
(₹ करोड़ में)					
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
जेण्डर बजट	39,097	43,208	47,009	52,344	58,309
कुल बजट	1,66,611	2,01,519	2,06,470	2,38,303	2,56,925

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे तथा बजट पुस्तिकायें

जेण्डर बजट के अंतर्गत बजट आवंटन में 2018–19 में ₹52,344 करोड़ से 2019–20 में ₹58,309 करोड़ तक ₹5,965 करोड़ से वृद्धि हुई। वर्ष 2015–20 की अवधि के लिए श्रेणी 1 एवं 2 के संबंध में वर्ष-वार आवंटन एवं व्यय **तालिका 3.2** में दिया गया है:

तालिका 3.2: 2015–20 के दौरान जेण्डर बजटीय आवंटन						
(₹ करोड़ में)						
वर्ष	श्रेणी 1			श्रेणी 2		
	परिव्यय	व्यय	परिव्यय की तुलना में व्यय का प्रतिशत	परिव्यय	व्यय	परिव्यय की तुलना में व्यय का प्रतिशत
2015-16	2,582.59	2,441.72	94.55	36,514.60	30,543.77	83.65
2016-17	2,359.33	1,422.27	60.28	40,848.26	36,327.84	88.93
2017-18	2,617.70	2,411.88	92.14	44,391.09	45,689.86	102.93
2018-19	3,396.34	3,396.34	100.00	48,948.00	36,574.24	74.72
2019-20	2,695.08	उपलब्ध नहीं *	-	55,614.20	उपलब्ध नहीं *	-

* जानकारी वित्त विभाग द्वारा प्रदाय नहीं की गयी

स्रोत: वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदाय जानकारी

राज्य शासन ने महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए लक्षित योजनाओं की प्रभावशीलता का आंकलन करने के लिए 2019–20 के दौरान जेण्डर बजट के निष्पादन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। वित्त विभाग को इस बात पर जोर देना चाहिए कि संबंधित विभाग विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य में महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सार्वजनिक व्यय में पारदर्शिता लाने के लिए चालू वर्ष के जेण्डर बजट के प्रस्ताव के साथ निष्पादन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

3.1.3 कृषि बजट

राज्य का कृषि बजट, समग्र बजट के भीतर योजनाओं पर किए जाने वाले प्रस्तावित व्यय को दर्शाता है, जो किसानों को लाभान्वित करने के लिए लक्षित है। मध्य प्रदेश में कृषि बजट की शुरुआत 2012–13 के दौरान की गयी थी। इस बजट में कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किसानों के हितों के लिए गतिविधियों को सम्मिलित किया गया। राज्य के बजट में कृषि बजट को एक महत्वपूर्ण वक्तव्य के रूप में शामिल किया गया था, जो अनुदानों की मांगों के अंतर्गत कृषि क्षेत्र के आधार पर बजटीय आवंटन को अलग करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

तालिका 3.3 2015–20 के दौरान किसान कल्याण और कृषि विकास के अंतर्गत राज्य द्वारा किए गए प्रावधान के विवरण को दर्शाती है।

तालिका 3.3: कृषि बजट के सापेक्ष किसान कल्याण और कृषि विकास का बजटीय आवंटन					
(₹ करोड़ में)					
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
किसान कल्याण और कृषि विकास (अनुदान संख्या 13)	3,529	4,161	8,383	16,865	22,609
कृषि बजट	19,675	26,050	33,564	37,499	46,560

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे तथा बजट पुस्तिकायें

बजटीय आवंटन 2018-19 में ₹37,499 करोड़ से 2019-20 में ₹46,560 करोड़ तक ₹9,061 करोड़ से बढ़ा। 2015-20 के दौरान किसान कल्याण और कृषि विकास (अनुदान संख्या 13) में वर्ष-वार आवंटन और व्यय तालिका 3.4 में दिए गए हैं:

तालिका 3.4: किसान कल्याण और कृषि विकास के अंतर्गत बजट आवंटन एवं व्यय				
(₹ करोड़ में)				
वर्ष	बजट आवंटन	व्यय	बचत (प्रतिशत)	
2015-16	3,529	1,293	2,236 (63.36)	
2016-17	4,161	3,047	1,114 (26.77)	
2017-18	8,383	5,183	3,200 (38.17)	
2018-19	16,865	9,746	7,119 (42.21)	
2019-20	22,609	15,021	7,588 (33.56)	

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

जैसा कि उपरोक्त तालिकाओं से देखा जा सकता है, सरकार एक अलग कृषि बजट तैयार करती है, जबकि अनुदान संख्या 13 किसान कल्याण और कृषि विकास के अंतर्गत 26.77 प्रतिशत से 63.36 प्रतिशत के मध्य सारभूत बचत हुई, जो इंगित करता है कि किसान कल्याण और कृषि विकास के लिए आवंटित बजट परिकल्पित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका, जिसने लाभार्थियों को लाभ से वंचित किया और अंततः परिणामस्वरूप सरकार के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया।

3.1.4 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधान, वास्तविक संवितरण और बचतों का सारांश

विनियोग लेखे, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के मतदेय और भारित व्यय के लेखे हैं, जो कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए मतदेय अनुदान और भारित विनियोग की राशि की तुलना में हैं, जैसा कि विनियोग अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट है।

वर्ष 2015-20 के दौरान कुल बजट प्रावधान, संवितरण और बचत/आधिक्य की एक सारांशीकृत स्थिति, आगे इनका मतदेय/भारित में विभाजन तालिका 3.5 में नीचे दिया गया है:

तालिका 3.5: मतदेय एवं भारित के अंतर्गत कुल संवितरण						
(₹ करोड़ में)						
वर्ष	कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत (-)/आधिक्य (+) (प्रतिशत)	
	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
2015-16	1,47,746.06	18,864.46	1,11,288.54	14,525.71	(-36,457.52 (24.67)	(-4,338.75 (23.00)
2016-17	1,80,559.19	20,959.33	1,45,627.37	15,465.52	(-34,931.82 (19.35)	(-5,493.81 (26.21)
2017-18	1,83,449.30	23,020.25	1,54,183.67	17,948.74	(-29,265.63 (15.95)	(-5,071.51 (22.03)
2018-19	2,10,639.84	27,662.83	1,59,729.03	28,101.14	(-50,910.81 (24.17)	(+438.31 (1.58)
2019-20	2,24,923.47	32,001.93	1,68,171.91	26,621.87	(-56,751.56 (25.23)	(-5,380.06 (16.81)

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

उपरोक्त तालिका 3.5 से देखा जा सकता है, कि 2015–20 के दौरान मतदेय बजट में बचतें 15 प्रतिशत से अधिक थीं। इसी प्रकार, 2018–19 को छोड़कर समान अवधि में भारत बजट में बचतें 15 प्रतिशत से अधिक थीं।

3.2 विनियोग लेखे

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत विधानसभा द्वारा पारित विनियोग लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय लेखे हैं, जो कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए मतदेय अनुदान और भारत विनियोग की राशि की तुलना में हैं, जैसा कि विनियोग अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। इन लेखों में मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, समर्पण और पुनर्विनियोजन स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध हैं। वे विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत और राजस्व व्यय का संकेत भी देते हैं, जो कि बजट के दोनों मदों भारत एवं मतदेय के संबंध में विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत है। इस प्रकार, विनियोग लेखे, निधि की उपयोगिता की समझ, वित्त के प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की निगरानी को सुविधाजनक बनाते हैं, इसलिए वित्त लेखों के अनुपूरक हैं।

3.2.1 विनियोगों की लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया वास्तविक व्यय विनियोजन अधिनियमों के अंतर्गत दिये गये प्राधिकार के भीतर है तथा संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत भारत किये जाने वाले व्यय को इस प्रकार भारत किया जाता है। यह भी सुनिश्चित करता है कि इस प्रकार किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों एवं निर्देशों के अनुरूप है।

3.2.2 विनियोग लेखों का सारांश

74 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध 2019–20 के दौरान अनुपूरक बजट सहित बजट, वास्तविक व्यय और आधिक्य/बचत की सारांशीकृत स्थिति तालिका 3.6 में दी गई है:

तालिका 3.6: बजट प्रावधान के सापेक्ष व्यय की सारांशीकृत स्थिति							
(₹ करोड़ में)							
दत्तमत / भारत	व्यय की प्रकृति	बजट (मूल)	बजट (अनुपूरक)	कुल बजट (मूल + अनुपूरक)	व्यय	आधिक्य (+) / बचत (-) (प्रतिशत)	समर्पित राशि (प्रतिशत)
दत्तमत	राजस्व	1,63,759.08	20,587.31	1,84,346.39	1,37,944.52	(-) 46,401.87 (25.17)	13,023.95 (28.07)
	पूंजीगत परिव्यय	35,887.20	2,708.13	38,595.33	29,240.85	(-) 9,354.48 (24.24)	3,102.55 (33.17)
	ऋण एवं अग्रिम	1,973.75	8.00	1,981.75	986.54	(-) 995.21 (50.22)	17.29 (1.74)
	योग दत्तमत	2,01,620.03	23,303.44	2,24,923.47	1,68,171.91	(-) 56,751.56 (25.23)	16,143.79 (28.45)
भारत	राजस्व व्यय	16,845.97	13.16	16,859.13	15,687.62	(-) 1,171.51 (6.95)	66.51 (5.68)
	पूंजीगत	336.55	2.92	339.47	0.63	(-) 338.84 (99.81)	0.19 (0.06)
	लोक ऋण	14,803.33	निरंक	14,803.33	10,933.62	(-) 3,869.71 (26.14)	1.96 (0.05)
	योग भारत	31,985.85	16.08	32,001.93	26,621.87	(-) 5,380.06 (16.81)	68.66 (1.28)
महायोग	2,33,605.88	23,319.52	2,56,925.40	1,94,793.78	(-) 62,131.62 (24.18)	16,212.45 (26.09)	

स्रोत: विनियोग लेखे 2019–20


नोट: कोष्ठक में आंकड़ें बचत एवं समर्पण के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

जैसा कि उपरोक्त तालिका 3.6 से देखा जा सकता है, ₹62,131.62 करोड़ की कुल बचत, राजस्व अनुभाग के अंतर्गत 70 अनुदानों एवं 44 विनियोगों में ₹47,573.37 करोड़ की बचत एवं पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत 60 अनुदान एवं छः विनियोगों में ₹14,558.25 करोड़ की बचत के कारण थी। इसके परिणामस्वरूप कुल अनुदानों और विनियोगों में 24.18 प्रतिशत की कुल बचत हुई, जो वर्ष के दौरान प्राप्त ₹23,319.52 करोड़ के अनुपूरक बजट का 2.66 गुना था। यह बजट निर्माण प्रक्रिया के बारे में सवाल उठाता है। विभागों ने वर्ष के दौरान बचतों का केवल 26.09 प्रतिशत (₹16,212 करोड़) समर्पण किया, जिसमें से ₹8,972 करोड़ (कुल समर्पित राशि ₹16,212 करोड़ का 55.34 प्रतिशत) केवल वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन ही समर्पित किया गया था।

तथ्य यह है कि बचतों का 73.91 प्रतिशत (₹45,919.17 करोड़) वित्तीय वर्ष के अंत में व्यपगत होने दिया गया था, जो दर्शाता है कि राज्य सरकार ने बढ़ा हुआ बजट तैयार किया था अथवा इनके विभागों ने परिकल्पित समय सीमा के भीतर आवंटित निधियों का उपयोग करने के लिए आधारभूत कार्य नहीं किया था।

3.2.3 बजटीय निधि का उप-इष्टतम उपयोग

राज्य द्वारा बजटीय निधि का उपयोग पिछले कुछ वर्षों के दौरान उप-इष्टतम है। 2015-16 से 2019-20 तक की पांच साल की अवधि के दौरान बजट के उपयोग की सीमा निम्न चार्ट 3.3 में दी गई है:



स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

जैसा कि उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है, बजट का उपयोग पिछले पांच वर्षों के दौरान 76 से 83 प्रतिशत के बीच उतार-चढ़ाव सहित रहा है एवं वर्ष 2019-20 में, बजट का उपयोग 75.82 प्रतिशत था। आवंटित मूल राशि में बचतों की वृहद् मात्रा आवश्यकता के गलत मूल्यांकन के साथ-साथ अभीष्ट उद्देश्यों के लिए बजट का उपयोग करने के लिए अपर्याप्त क्षमता, दोनों को इंगित करता है।

3.3 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणियां

3.3.1 निधियों का अंतरण विनियोग अधिनियम द्वारा आवश्यक नहीं एवं सिविल जमा में रखना

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग 1 के सहायक नियम 284 के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी राशि कोषालय से तब तक आहरित नहीं की जानी चाहिए जब तक कि तत्काल संवितरण की आवश्यकता न हो।

वर्ष 2019-20 के दौरान, 31 मार्च 2020 को राशि ₹46.82 करोड़ आहरित की गयी थी एवं लेखे में संबंधित केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत अंतिम व्यय दर्शाते हुए 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में अंतरित की गयी, जैसा कि नीचे तालिका 3.7 में दर्शाया गया है। इस प्रकार, राजस्व व्यय ₹46.82 करोड़ से अधिक था। केन्द्रीय निधियों को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधियों को आवश्यकता से पूर्व आहरित किया गया, जो कि संहितागत प्रावधान के प्रतिकूल था।

तालिका 3.7: निधि का 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में अंतरण					
					(₹ करोड़ में)
स. क्र.	अनुदान संख्या और नाम	विस्तृत शीर्ष तक लेखाओं का शीर्ष एवं योजना का नाम	कुल बजट प्रावधान (मूल+पूरक)	किया गया व्यय	8443-सिविल जमा 800-अन्य जमा में अंतरित राशि
1	55-महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-0701-0658-आंगनवाडी सेवायें	725.17	698.02	24.87
2	55-महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-0702-0658-आंगनवाडी सेवायें	280.66	266.82	16.87
3	55-महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-0703-0658-आंगनवाडी सेवायें	122.30	119.95	5.08
योग			1,128.13	1,084.79	46.82

स्रोत: विनियोग लेखे 2019-20

निर्गम सम्मेलन (मार्च 2021) में, वित्त विभाग ने तथ्य स्वीकार किए एवं आश्वासन दिया कि इस संबंध में कार्यवाही की जाएगी।


3.3.2 व्यय का गलत वर्गीकरण

भारत सरकार लेखा मानक-2 के अनुसार, सहायतानुदान एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार, निकाय, संस्थाओं या व्यक्ति को दी गयी सहायता, दान या अंशदान की प्रकृति का भुगतान है। सहायतानुदान पर किया गया व्यय अनुदानकर्ता की पुस्तकों में राजस्व व्यय और प्राप्तकर्ता की पुस्तकों में राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है।

वर्ष 2015-20 के दौरान राज्य शासन द्वारा राजस्व व्यय के बजाय पूंजीगत व्यय के रूप में सहायतानुदान के वर्गीकरण की सीमा के साथ-साथ उसी अवधि के दौरान राज्य शासन द्वारा भारत सरकार लेखा मानक-2 के प्रावधानों का अनुपालन न करने का प्रभाव वास्तविक संदर्भ में तालिका 3.8 में दिया गया है, जबकि चार्ट 3.4 पूंजीगत व्यय में सहायतानुदान की हिस्सेदारी पर प्रकाश डालता है।

तालिका 3.8: पूंजीगत व्यय के रूप में सहायता अनुदान के वर्गीकरण की सीमा					
					(₹ करोड़ में)
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
पूंजीगत व्यय के रूप में पुस्तंकित सहायता अनुदान	371	201	233	541	257
कुल पूंजीगत व्यय	16,945	28,662	32,588	29,999	29,241
पूंजीगत व्यय में सहायता अनुदान की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	2.19	0.70	0.71	1.80	0.88
राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिक्य (+)	5,740	7,781	4,629	6,744	(-)2,801
राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिक्य (+) पर प्रभाव, यदि सहायतानुदान से किया गया व्यय राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है।	5,369	7,580	4,396	6,203	(-)3,058

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

भारत सरकार लेखा मानक-2 को 2011 में भारत सरकार द्वारा केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा प्राप्त या दी गई अनुदान सहायता के लेखांकन और वर्गीकरण के लिए अधिसूचित किया गया था। भारत सरकार लेखा मानक-2 के अनुसार सहायता अनुदान पर किया गया व्यय स्वीकृतकर्ता की पुस्तकों में राजस्व व्यय के रूप में और प्राप्तकर्ता की पुस्तकों में राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है। स्थायी प्रकृति की सामग्री, मूर्त परिसम्पत्तियों को बढ़ाये जाने अथवा आवर्ती दायित्वों को कम करने के उद्देश्य से किये गये व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है।

तथापि, 2019-20 के दौरान राशि ₹1,248.42 करोड़ राजस्व व्यय के अंतर्गत लेखांकन के बजाय पूंजीगत व्यय के रूप में राज्य शासन द्वारा गलत वर्गीकृत किये गये थे। इनमें से ₹257.05 करोड़ सहायतानुदान से संबंधित थे और ₹991.37 करोड़ अन्य व्यय से संबंधित थे। इसके कारण राजस्व व्यय ₹1,248.42 करोड़ से न्यूनोक्त और पूंजीगत व्यय ₹1,248.42 करोड़ से अत्योक्त था। विवरण **परिशिष्ट 3.1** में दिया गया है।

इसी प्रकार राज्य शासन द्वारा ₹37.82 करोड़ की राशि का गलत तरीके से बजट बनाया और व्यय ("मशीनरी" "वृहद् निर्माण कार्य" और "भूमि और भवन का क्रय" के लिए) कर, पूंजीगत व्यय के बजाय राजस्व व्यय के रूप में किया गया, जिसके कारण राजस्व व्यय ₹37.82 करोड़ से अत्योक्त था और पूंजीगत व्यय ₹37.82 करोड़ से न्यूनोक्त था। विवरण **परिशिष्ट 3.2** में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन (मार्च 2021) के दौरान, वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि कुछ शीर्षों में सुधार किया गया था एवं इसके अलावा आगामी वित्तीय वर्ष में सुधार किया जाएगा।

3.3.3 डिजिटल राशि के भुगतान हेतु त्रुटिपूर्ण बजट

भारत के संविधान के अनुच्छेद 112-3 (एफ) के अनुसार किसी न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के किसी निर्णय, डिक्ली या अवार्ड को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक कोई भी राशि भारत व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत की जानी चाहिये।

2019–20 के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन अनुदानों के अंतर्गत छः योजनाओं में ₹1.04 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध “डिक्रीटल राशि का भुगतान” (विस्तार शीर्ष 53) से संबंधित राशि ₹0.11 करोड़ का व्यय, भारत व्यय के बजाय दत्तमत व्यय के रूप में विस्तृत किया गया। विवरण नीचे तालिका 3.9 में दिया गया है:

तालिका 3.9: डिक्रीटल राशि के भुगतान हेतु त्रुटिपूर्ण बजट				
				(₹ करोड़ में)
स. क्र.	अनुदान संख्या और नाम	विस्तृत शीर्ष तक लेखाओं का शीर्ष एवं योजना का नाम	कुल बजट प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	किया गया व्यय
1	8—भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	2029—103—1472—जिला प्रभार—53 (दत्तमत)	0.02	0.05
		2053—093—1509—जिला स्थापना—53 (दत्तमत)	0.75	0.03
		2053—094—6924—मुख्य राजस्व आयुक्त (स्थापना)—53 (दत्तमत)	0.20	0.00
		2058—001—2286—कार्यालय नियंत्रक, सरकार मुद्रण स्टेशनरी सामग्री—53 (दत्तमत)	0.01	0.00
2	16—मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	2405—101—0162—जिला स्तरीय स्टाफ अंतर्देशीय मत्स्य—53 (दत्तमत)	0.02	0.02
3	47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2230—03—003—0101—6477—व्यवसायी प्रशिक्षण का सुदृढीकरण एवं विस्तार—53 (दत्तमत)	0.04	0.01
योग			1.04	0.11

स्रोत: वित्त लेखे 2019–20

निर्गम सम्मेलन (मार्च 2021) में, वित्त विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं संचालक, कोष एवं लेखा को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिए।

3.4 अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

मध्य प्रदेश बजट नियमावली, 2012 अनुपूरक अनुदान/विनियोजन प्राप्त करने की अनुमति देता है, यदि बजटीय प्रावधान कम रह जाता है और सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अंतर्गत व्यय के लिए प्रतिबद्धता पहले से ही की गई है।

वर्ष 2019–20 के लिए राज्य विधायिका ने जनवरी 2020 में 42 अनुदानों/विनियोगों में ₹23,319.52 करोड़ के अनुपूरक बजट की मंजूरी दी थी। इन अनुपूरक प्रावधानों की उपयोगिता का लेखापरीक्षा विश्लेषण दर्शाता है कि 11 अनुदानों/विनियोगों में केवल ₹5,367.90 करोड़ का प्रावधान आवश्यक था, जहां अंतिम व्यय मूल बजट प्रावधानों से अधिक था, जैसा कि परिशिष्ट 3.3 में विस्तृत है। अनुपूरक प्रावधानों की राशि ₹17,951.58 करोड़ अनावश्यक सिद्ध हुई क्योंकि अंतिम व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं था, जैसा कि विवरण परिशिष्ट 3.4 में दिया गया है। 24 अनुदानों/विनियोगों के लिए जहां मूल बजट प्रावधान में ₹100 करोड़ एवं अधिक की महत्वपूर्ण बचतें थीं, में भी अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया गया था। विवरण तालिका 3.10 में नीचे दिया गया है:

तालिका 3.10: प्रकरण जहां अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया गया यद्यपि मूल बजट प्रावधान में से बचतें ₹100 करोड़ एवं अधिक थी					
					(₹ करोड़ में)
अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में बचत	अनुपूरक प्रावधान
क-राजस्व (दत्तमत)					
1	सामान्य प्रशासन	584.40	438.32	146.08	80.00
3	पुलिस	6,828.34	6,660.61	167.73	95.00
6	वित्त	14,432.23	12,265.83	2,166.40	0.70
7	वाणिज्यिक कर	3,456.95	2,134.71	1,322.24	24.00
8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	1,907.04	1,652.92	254.12	4.00
10	वन	1,833.37	1,456.02	377.35	104.69
13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	22,567.39	15,020.99	7,546.40	41.06
14	पशुपालन	1,155.29	983.57	171.72	10.17
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	7,261.99	6,577.73	684.26	100.88
22	नगरीय विकास एवं आवास	6,995.97	3,550.08	3,445.89	30.54
29	विधि और विधायी कार्य	1,760.21	1,324.56	435.65	10.00
34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	863.19	749.06	114.13	74.72
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	1,538.45	958.42	580.03	10.00
47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	1,291.99	781.89	510.10	4.26
49	अनुसूचित जाति कल्याण	1,221.50	988.18	233.32	5.00
50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	991.31	617.20	374.11	35.89
55	महिला एवं बाल विकास	5,162.03	4,589.34	572.69	95.01
64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	7,476.12	6,392.98	1,083.14	383.56
	योग	87,327.77	67,142.41	20,185.36	1,109.48
ख-पूंजीगत (दत्तमत)					
3	पुलिस	711.18	555.35	155.83	13.00
10	वन	944.41	537.55	406.86	62.52
11	उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	644.74	496.64	148.10	36.89
22	नगरीय विकास एवं आवास	1,315.77	1,058.25	257.52	233.00
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	6,929.69	6,151.08	778.61	450.00
52	चिकित्सा शिक्षा	1,010.40	897.60	112.80	175.44
	योग	11,556.19	9,696.47	1,859.72	970.85

स्रोत: विनियोग लेखे 2019-20

3.5 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग

पुनर्विनियोजन अनुदान के भीतर विनियोग की एक इकाई से, जहां बचत प्रत्याशित होती है, दूसरी इकाई को जहां अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होती है, को पहचान कर निधियों का अंतरण होता है। वित्त विभाग के पास अनुदान के भीतर किसी भी पुनर्विनियोजन की मंजूरी/अधिकृत करने की शक्ति है, जिसमें आवर्ती देयता का उपक्रम शामिल नहीं है। मध्य प्रदेश बजट नियमावली, 2012 की कंडिका 26.6 के अनुसार वित्त विभाग द्वारा बनाये नियमों के आबंध रहते हुए पुनर्विनियोजन को विनियमित करने की शक्ति है।

2019–20 के दौरान, 16 अनुदानों से संबंधित कुल 57 उप शीर्षों में पुनर्विनियोजन किया गया था, जैसा कि विवरण **परिशिष्ट 3.5** में है। चार अनुदानों¹ से संबंधित 15 उप शीर्षों में ₹351.68 करोड़ के पुनर्विनियोजन के बाद भी ₹662.10 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ। शेष 14 अनुदानों² से संबंधित 42 उप शीर्षों में जहां ₹2,241.68 करोड़ पुनर्विनियोजित किये गये थे, उन्हीं उप शीर्षों में अंतिम बचतें ₹6,182.13 करोड़ थीं। “प्राकृतिक आपदाओं और सूखा राहत पर व्यय” से संबंधित अकेले एक उप शीर्ष में राशि ₹1,265 करोड़ पुनर्विनियोजित की गयी थी एवं अंतिम बचतें ₹4,734.32 करोड़ थीं। यह दर्शाता है कि प्रशासन द्वारा पुनर्विनियोजन बगैर पर्याप्त मूल्यांकन और योजना के किया गया था।

3.5.1 सारभूत समर्पण

2019–20 के दौरान, 14 अनुदानों से संबंधित 107 उप शीर्षों में राशि ₹7,085.69 करोड़ (मूल बजट प्रावधान ₹8,484.57 करोड़ का 83.51 प्रतिशत) का सारभूत समर्पण 50 प्रतिशत या अधिक किया गया था, जिसमें 10 अनुदानों से संबंधित 38 उप शीर्षों (₹862.09 करोड़) के 100 प्रतिशत समर्पण शामिल है। जैसा कि विवरण **परिशिष्ट 3.6** में है।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास, सहकारिता एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से संबंधित अनुदानों में प्रत्येक अनुदान में ₹500 करोड़ से अधिक का समर्पण मुख्यतः भारत सरकार से निधि के प्राप्त न होने, काटी गई राशि जारी न करने, वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा निर्धारण करने एवं मितव्ययता माप के कारण बजट की सीमा के कारण था।

3.5.2 समर्पित न की गयी प्रत्याशित बचतें

वर्ष 2019–20 के दौरान, प्रावधानित बजट के विरुद्ध कुल बचतें ₹62,131.62 करोड़ थीं। 131 प्रकरणों में, जिनमें प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹ एक करोड़ एवं अधिक थी, कुल राशि ₹62,122.61 करोड़ थी। इसमें से, राशि ₹45,911.08 करोड़ समर्पित नहीं की गई (**परिशिष्ट 3.7**)। यह राशि उपरिलिखित 131 प्रकरणों (₹62,122.61 करोड़) की बचतों का 73.90 प्रतिशत और कुल बचतों का 73.89 प्रतिशत (₹62,131.62 करोड़) थी।

आगे, यद्यपि 131 प्रकरणों में से 77 प्रकरणों में ₹15,636.31 करोड़ की बचत, का कोई भाग संबंधित विभागों द्वारा समर्पित नहीं किया गया था। विवरण **परिशिष्ट 3.8** में दिया गया है।

अनुदान संख्या 55 महिला और बाल विकास के प्रकरण में, यह देखा गया कि 2235–02–103–0701–6103–एकीकृत बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत राशि ₹5.90 करोड़ को वित्तीय वर्ष (31 मार्च 2020) के अंत में अनुपूरक प्रावधान के रूप में जारी किया गया, परिणामस्वरूप बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारण अधिक बचत हुई। वित्तीय वर्ष के अंत में निधि का जारी किया जाना मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 26.9 का उल्लंघन है।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि अनुदान संख्या 55 महिला और बाल विकास के अंतर्गत 31 मार्च 2020 तक, विभाग ने ₹718.22 करोड़ का समर्पण किया, हालांकि बचतें ₹667.70 करोड़ थीं। यह बचतें अवास्तविक हैं और कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आंकड़ों के साथ विभागीय आंकड़ों के मिलान न होने के कारण हुईं।

3.5.3 प्रधान महालेखाकार द्वारा स्वीकार न किये गये समर्पण/पुनर्विनियोजन आदेश

राज्य शासन के अनुदेशों (फरवरी 2012) के अनुसार पुनर्विनियोजन/समर्पणों की समस्त स्वीकृतियां वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व जारी की जानी चाहिए एवं उन्हें लेखाओं में समावेशन के लिए यथा समय प्रधान

¹ अनुदान संख्या 23, 44, 47 एवं 48

² अनुदान संख्या 7, 10, 20, 23, 26, 27, 33, 37, 40, 48, 52, 58, 66 एवं 69

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए। योजनाओं के उपयुक्त विवरण प्रस्तुत किये जाने चाहिए एवं स्वीकृतियों का योग सही होना चाहिए। जिन शीर्षों में समर्पण/पुनर्विनियोजन स्वीकृत किये गये हैं उनसे संबंधित शीर्षों में प्रावधान उपलब्ध होना चाहिए।

लेखापरीक्षा में परिलक्षित हुआ कि कुल 26 अनुदानों/विनियोगों से संबंधित राशि ₹5,340.79 करोड़ की 29 समर्पण स्वीकृतियां और राशि ₹21.57 करोड़ के पुनर्विनियोजन की सात स्वीकृतियां, उपरोक्त राज्य शासन के निर्देशों का उल्लंघन था एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा लेखाओं में शामिल किये जाने के लिए स्वीकार नहीं की गयी। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 3.9 (अ) और 3.9 (ब)** में दिया गया है।

3.6 बचतें

बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय में प्रत्याशित बचतें 15 जनवरी (मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 26.9) तक वित्त विभाग को प्रस्तुत की जानी आवश्यक हैं, ताकि जहां अतिरिक्त धन की आवश्यकता हो, उनका उपयोग किया जा सके। ₹10 करोड़ एवं अधिक एवं बजट प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक की बचत के अनुदानों/विनियोगों से संबंधित प्रकरणों का सारांश नीचे **तालिका 3.11** में दिया गया है और **परिशिष्ट 3.10** में विस्तृत है।

तालिका 3.11: अनुदानों/विनियोगों से संबंधित प्रकरण, जहां बचतें ₹10 करोड़ एवं अधिक एवं कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक थी							
(₹ करोड़ में)							
स. क्र.	बचत सीमा	उप शीर्ष	कुल अनुदानों की संख्या	कुल बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	कुल अनुदानों के सापेक्ष बचत का प्रतिशत
1	10 करोड़ से < 100 करोड़	30	24	2,766.17	1,654.65	1,111.52	40.18
2	100 करोड़ से < 500 करोड़	24	21	15,918.03	10,139.27	5,778.76	36.30
3	500 करोड़ से अधिक	15	11	1,12,882.10	70,908.32	41,973.78	37.18
योग		69	56	1,31,566.30	82,702.24	48,864.06	37.14

स्रोत: विनियोग लेखे 2019-20

उपरोक्त ₹48,864.06 करोड़ की बचतों में लोक ऋण सहित, जहां प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹10 करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक शामिल थी। वित्तीय वर्ष के दौरान, ₹48,864.06 करोड़ की कुल बचतों में से केवल ₹14,633.81 करोड़ समर्पित किये गये।

परिशिष्ट 3.10, 69 प्रकरणों में ₹10 करोड़ से ₹9,743 करोड़ के मध्य बचतों का अनुदान-वार विश्लेषण प्रस्तुत करता है। राजस्व अनुभाग के अंतर्गत 10 अनुदानों और एक विनियोग तथा पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत 12 अनुदानों और एक विनियोग से संबंधित 24 प्रकरणों में बचतें ₹100 करोड़ से ₹500 करोड़ के मध्य थी। इसी प्रकार, राजस्व अनुभाग के अंतर्गत नौ अनुदानों एवं एक विनियोग तथा पूंजीगत अनुभाग में चार अनुदानों तथा एक विनियोग से संबंधित 15 प्रकरणों में बचतें ₹500 करोड़ एवं अधिक थी।


परिशिष्ट 3.10 में दर्शित अनुदानों में से सात अनुदानों में ₹500 करोड़ एवं अधिक की बचत 2018-19 के दौरान भी हुई थी, जैसा कि नीचे **तालिका 3.12** में विस्तृत है:

तालिका 3.12: ₹500 करोड़ और अधिक की बचतों की अनुदानें			
		(₹ करोड़ में)	
अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	बचतें (₹500 करोड़ से अधिक)	
		2018-19	2019-20
7	वाणिज्यिक कर (राजस्व दत्तमत)	788.29 (28.01)	1,346.24 (38.87)
12	ऊर्जा (राजस्व दत्तमत)	6,515.48 (39.91)	1,905.58 (20.11)
12	ऊर्जा (पूँजीगत दत्तमत)	1,527.71 (39.92)	1,162.30 (65.67)
13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास (राजस्व दत्तमत)	7,118.31 (42.21)	7,587.46 (33.56)
17	सहकारिता (राजस्व दत्तमत)	885.41 (63.64)	978.99 (71.84)
22	नगरीय विकास एवं आवास (राजस्व दत्तमत)	3,153.90 (38.96)	3,476.43 (49.47)
53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)	7,589.70 (21.96)	7,442.64 (27.62)

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े कुल प्रावधान में से बचत के प्रतिशत को प्रदर्शित करते हैं।

इन अनुदानों के अंतर्गत वृहद् बचतें, अवधि के दौरान प्रत्याशित व्यय के गलत अनुमान और व्यय पर नियंत्रण की कमी का संकेत हैं। वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व बचतों एवं समर्पण का विवरण नीचे चार्ट 3.5 में दिया गया है:



स्रोत: विनियोग लेखे 2019-20

3.6.1 बजट से भिन्नता के लिए अनुपलब्ध/अपूर्ण व्याख्या


स्वीकृत बजट के विरुद्ध व्यय दर्शाने के अलावा, विनियोग लेखें उन मामलों के लिए व्याख्या भी प्रदान करते हैं, जहां व्यय बजट प्रावधान (मूल+अनुपूरक) से काफी भिन्न होता है। उप शीर्ष/उप-उप शीर्ष स्तर (विनियोजन की इकाई) तक इस तरह के परिवर्तन से परे सीमा की लोक लेखा समिति द्वारा सितंबर 2004 में निर्धारित व्याख्या विनियोग लेखें में की जाती है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) विभागों के नियंत्रण अधिकारियों को प्रारूप विनियोग लेखा प्रदान करता है और लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार, अनुमोदित बजटीय आवंटन के संदर्भ में व्यय में भिन्नता के कारणों/स्पष्टीकरण की मांग करता है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

<p>बचतें</p>	<ul style="list-style-type: none"> • टिप्पणियाँ की जाना है यदि अनुदान के अंतर्गत कुल बचतें कुल प्रावधान के पाँच प्रतिशत या इससे अधिक हैं। • टिप्पणियाँ की जानी है यदि किसी उपशीर्ष के अंतर्गत कुल बचतें उपशीर्ष के कुल प्रावधान का 10 प्रतिशत या अधिक हो, यदि बचत कि राशि: (क) प्रकरण में ₹40 लाख से कम नहीं हो और कुल प्रावधान ₹30 करोड़ से अधिक हो, (ख) प्रकरण में ₹20 लाख से कम नहीं हो और कुल प्रावधान ₹10 करोड़ एवं ₹30 करोड़ के मध्य हो अथवा (ग) प्रकरण में ₹10 लाख से कम नहीं हो और कुल प्रावधान ₹10 करोड़ से कम हो। • टिप्पणियाँ की जाना है यदि अनुदान में भारत व्यय के अंतर्गत कुल बचत ₹10 लाख से कम नहीं हो।
<p>आधिक्य</p>	<ul style="list-style-type: none"> • सभी प्रकरणों में जहां किसी अनुदान या विनियोग में समग्र आधिक्य हो, पर प्रावधान से आधिक्य के नियमितिकरण पर सामान्य टिप्पणी की जाना है। • प्रकरणों पर टिप्पणियाँ की जाना है जहां किसी उप शीर्ष के अंतर्गत आधिक्य ₹10 लाख और उप शीर्ष के अंतर्गत कुल प्रावधान का 10 प्रतिशत से भी अधिक है। • प्रकरणों में टिप्पणियाँ की जाना है जहां किसी उप शीर्ष के अंतर्गत आधिक्य उस उप शीर्ष के कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है: (क) प्रत्येक उप शीर्ष में आधिक्य ₹40 लाख से अधिक है, जहां कुल प्रावधान ₹30 करोड़ से अधिक है। (ख) प्रत्येक उप शीर्ष में आधिक्य ₹20 लाख से अधिक है जहां कुल प्रावधान ₹10 करोड़ एवं ₹30 करोड़ के मध्य है, अथवा (ग) प्रत्येक उप शीर्ष में आधिक्य ₹10 लाख से अधिक है जहां कुल प्रावधान ₹10 करोड़ से कम है।

स्रोत: विनियोग लेखे 2019-20

वर्ष 2019-20 के विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा और अंतर्निहित लेखांकन आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि सभी 74 अनुदानों/विनियोगों में बजट से भिन्नता के कारणों की आवश्यकता थी। हालांकि, 49 अनुदानों/विनियोगों से संबंधित कारण शासकीय विभागों के नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये थे, शेष 25 अनुदानों/विनियोगों के संबंध में आंशिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। शामिल किये गये उप शीर्षों के संदर्भ में कुल 3,946 उप शीर्षों में से भिन्नताओं के लिए प्राप्ति या अन्यथा स्पष्टीकरण को नीचे चार्ट 3.6 में दर्शाया गया है। इस संबंध में विवरण परिशिष्ट 3.11 में दिया गया है।



स्रोत: विनियोग लेखे 2019-20

बजटीय आवंटन और इसके उपयोग के बीच भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण का अभाव सरकार की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के साधन के रूप में बजट पर विधायी नियंत्रण को सीमित करता है।

निर्गम सम्मलेन (मार्च 2021) के दौरान, वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि प्रकरण सभी विभागों के ध्यान में लाया जाएगा।

3.7 अनुदान/विनियोग जहां बजट का उपयोग 50 प्रतिशत से कम था

2019–20 के दौरान, 74 अनुदानों/विनियोगों में से तीन अनुदानों जहां प्रावधान ₹200 करोड़ या अधिक था एवं बजट का उपयोग 50 प्रतिशत से कम था, में बचतें लेखबद्ध थीं। 2015–20 की अवधि के लिए इन तीन अनुदानों/विनियोगों में बजटीय आवंटन का उपयोग नीचे तालिका 3.13 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.13: अनुदान/विनियोग जहां बजट प्रावधान ₹200 करोड़ या अधिक था, के विरुद्ध बजट का उपयोग 50 प्रतिशत या कम था									
(₹ करोड़ में)									
स. क्र.	अनुदान	2015-16 (प्रतिशत में)	2016-17 (प्रतिशत में)	2017-18 (प्रतिशत में)	2018-19 (प्रतिशत में)	2019-20 (प्रतिशत में)	वर्षों की संख्या	बजट 2019–20	कुल बजट (पाँच वर्षों का)
1	17-सहकारिता	54.25	77.14	86.68	63.56	19.97	1	2,511.47	11,705.30
2	46-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	93.24	94.01	90.19	57.12	28.76	1	246.72	1,244.88
3	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	97.64	91.02	74.24	96.36	38.21	1	15,769.78	32,236.55

स्रोत : कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी

2019–20 के दौरान अनुदान संख्या 58 में बजट का कम उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी के लिए परिवहन की मांग में कमी, चालू वित्त वर्ष में सूखा न पड़ने से फसल को कोई नुकसान नहीं, इत्यादि के कारण था। अनुदान संख्या 46 के मामले में कम उपयोग का कारण सरकार द्वारा समय-समय पर व्यय पर लगाये गये प्रतिबंध था। इसी तरह, अनुदान संख्या 17 के मामले में बजट का कम उपयोग वित्त विभाग से आहरण पर छूट की कमी और मितव्ययिता के तहत सीमित बजट के कारण था।

3.8 आधिक्य व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत राज्य शासन के लिए यह आवश्यक है कि अनुदानों/विनियोगों से आधिक्य व्यय को राज्य विधान सभा द्वारा नियमित कराया जाए। यद्यपि, यह पाया गया कि राज्य शासन ने 2011–19 की अवधि से संबंधित 11 अनुदानों एवं नौ विनियोगों के आधिक्य व्यय राशि ₹1,668.32 करोड़ का नियमन नहीं किया। विवरण *परिशिष्ट 3.12* में दिया गया है।

हालांकि, 2019–20 के दौरान, अनुदान और विनियोग में कोई आधिक्य व्यय नहीं पाया गया, लेकिन पिछले वर्षों के दौरान पूर्व कथित संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत नियमितीकरण की आवश्यकता है। आगे, यह संविधान के अनुच्छेद 204 का उल्लंघन है, जो प्रावधान करता है कि राज्य की संचित निधि में से इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार राज्य विधायिका द्वारा पारित विधि द्वारा किये गये विनियोग के अधीन ही कोई धन निकाला जाएगा, अन्यथा नहीं। यह बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को प्रभावित करता है, और सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को बढ़ावा देता है।

निर्गम सम्मेलन (मार्च 2021) के दौरान, वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि प्रकरण को लोक लेखा समिति के समक्ष लाया जायेगा और लोक लेखा समिति की अनुशंसा अनुसार अन्य प्रकरणों में नियमितीकरण की प्रक्रिया की जा रही थी।

3.9 एकमुश्त बजटीय प्रावधान

एकमुश्त प्रावधान वे प्रावधान हैं जहां विस्तृत उद्देश्य शीर्ष को परिभाषित नहीं किया जाता है। हालांकि, कुछ प्रकरणों में, जहां एकमुश्त प्रावधान अपरिहार्य हो सकता है और उन प्रकरणों को छोड़कर जहां एकमुश्त आवंटन से व्यय को स्थायी स्वीकृतियों, निर्देशों या नियमों द्वारा नियमित किया जाता है, प्रस्तावित प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए विस्तृत विवरण एकमुश्त अनुमानों के साथ बजट टिप्पणी में दिया जाएगा।

2019-20 के दौरान, सात अनुदानों (जहां समर्पण ₹15 करोड़ से अधिक और बजट प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक था) के अंतर्गत 32 प्रकरणों में ₹8,186.52 करोड़ का एकमुश्त प्रावधान अनुमानों में किया गया था। इसमें से राशि ₹6,771.45 करोड़ (82.71 प्रतिशत) अनुपयोगी रही और वर्ष के अंत में समर्पित की गयी। ₹100 करोड़ से अधिक के एकमुश्त प्रावधानों के महत्वपूर्ण प्रकरणों को नीचे तालिकाबद्ध किया गया है, जबकि पूर्ण विवरण **परिशिष्ट 3.13** में दिया गया है।

तालिका 3.14: ₹100 करोड़ या अधिक के एकमुश्त प्रावधानों का विवरण					
(₹ करोड़ में)					
अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान मू: मूल अनुपू: अनुपूरक	समर्पित राशि	समर्पण का प्रतिशत
13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-800-0103-2343-कृषक समृद्धि योजना	(₹)250.00	248.98	99.59
		2401-800-0103-5321-भावांतर/पलेट रेट योजना	(₹)280.00	280.00	100.00
		2401-800-0102-2343-कृषक समृद्धि योजना	(₹)350.00	346.84	99.10
		2401-800-0102-5319-मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना	(₹)1,840.00	1,006.83	54.72
		2401-800-0102-5321-भावांतर/पलेट रेट योजना	(₹)157.00	157.00	100.00
		2401-800-0101-2343-कृषक समृद्धि योजना	(₹)1,000.00	999.17	99.92
		2801-80-101-0101-5855-म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/शेअरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति	(₹)819.23	669.23	81.69
17	सहकारिता	2425-107-0103-9254-सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान	(₹)111.92	87.29	77.99
		2425-107-0102-9254-सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान	(₹)160.88	156.18	97.08

		2425-107-0101-9254- सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान	(मू.)426.69	392.97	92.10
		4425-107-0102-5318- सहकारी बैंकों को अंशपूजी	(मू.)115.00	115.00	100.00
		4425-107-0101-5318- सहकारी बैंकों को अंशपूजी	(मू.)800.00	789.23	98.65
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0102-5468- पेयजल का अधिकार	(मू.)240.00	210.00	87.50
		4215-01-102-0101-5468- पेयजल का अधिकार	(मू.)520.00	418.80	80.54
55	महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-1201-1291- आई.सी.डी.एस. के सुदृढीकरण एवं पोषण स्तर सुधार की परियोजना (ई-स्निप)/एन.एन.एम.	(मू.)185.95 (अनुपू.)89.08	166.33	60.48

स्रोत: विनियोग लेखे 2019-20

प्रमुख अनुदानें जहां वर्ष के दौरान एकमुश्त प्रावधान किये गये थे, किसान कल्याण और कृषि विकास, सहकारिता और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी थी, जिसमें कुल 32 प्रकरणों में से 27 प्रकरणों में एकमुश्त प्रावधानों की कुल राशि 95 प्रतिशत समाहित थी। इन तीनों विभागों में अनुपयोगी राशि ₹6,489.19 करोड़ (96 प्रतिशत) थी।

3.10 योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त प्रावधान

वर्ष 2019-20 के दौरान, 104 प्रकरणों में विभिन्न योजनाओं (प्रत्येक प्रकरण में ₹10 करोड़ या अधिक) के अन्तर्गत कुल ₹11,849.10 करोड़ का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा जैसा कि विवरण परिशिष्ट 3.14 में दिया गया है। इनमें से महत्वपूर्ण प्रकरण, जहाँ अप्रयुक्त बजट प्रावधान ₹100 करोड़ या अधिक था, नीचे तालिका 3.15 में वर्णित है। मुख्य अनुदानें जहां प्रावधान ₹7,132.31 करोड़ की सीमा तक अप्रयुक्त रहे, वे ऊर्जा, वाणिज्यिक कर, वन, जल संसाधन और लोक निर्माण-सड़क और पुल थी। ये उदय योजना के तहत विद्युत वितरण कंपनियों, सोल्यूशन (समाधान) योजना, मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम 1982 के तहत ऊर्जा विकास निधि में ऊर्जा विकास उपकर का अंतरण, मुद्रांक शुल्क और पंजीकरण अधिभार से प्राप्त प्राप्तियों का नगर पालिका अधिनियम के तहत निधि अंतरण, मध्य प्रदेश क्षतिपूरक वन नियोजन निधि प्रबंधन, बांध तथा संलग्न कार्य और मध्य प्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी.), इत्यादि के अंतर्गत श्रृंखलाबद्ध है।

तालिका 3.15: योजनायें जिनमें ₹100 करोड़ या अधिक का प्रावधान अप्रयुक्त रहा						
(₹ करोड़ में)						
स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/ विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + अनुपूरक)	व्यय	बचत
1	भारित विनियोग-II	लोक ऋण	6003-101-0716-विविध ऋण भुगतान	100.00	0.00	100.00
2	भारित विनियोग-II	लोक ऋण	6003-110-0779- कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	2,000.00	0.00	2,000.00

3	भारित विनियोग-II	लोक ऋण	6003-110-0637- अर्थोपाय एवं अग्रिम	2,000.00	0.00	2,000.00
4	भारित विनियोग-I	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-60-701-6971- शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना 2003 (बचत निधि पर ब्याज)	135.15	0.00	135.15
5	भारित विनियोग-I	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-60-701-6972- शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना 1985 (बचत निधि पर ब्याज)	176.24	0.00	176.24
6	6	वित्त	2054-095-5329 लंबित शुल्क का भुगतान	150.00	0.00	150.00
7	7	वाणिज्यिक कर	2030-02-797-0570-0817- नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार से प्राप्त राशि का निधि में अंतरण	570.66	0.00	570.66
8	10	वन	4406-01-800-5399- मध्य प्रदेश प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन योजना	312.52	0.00	312.52
9	12	ऊर्जा	2045-103-3218- मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि में अंतरण	520.13	0.00	520.13
10	12	ऊर्जा	2801-80-101-2361- सोल्यूशन (समाधान) योजना	200.00	0.00	200.00
11	12	ऊर्जा	2801-80-101-0101-0688-उदय योजना के अंतर्गत विद्युत वितरण कंपनियों को अनुदान	500.00	0.00	500.00
12	12	ऊर्जा	4801-05-190-0101-0663- मुख्यमंत्री की स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना	100.25	0.00	100.25
13	12	ऊर्जा	4801-05-190-0410-7900-उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण	192.58	0.00	192.58
14	23	जल संसाधन विभाग	4700-C4-800-0101-2897 बांध तथा संलग्न कार्य	805.00	0.00	805.00
15	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	5054-03-337-1201-5337- मध्य प्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी.)	224.00	0.00	224.00
16	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	5054-80-800-0101-3115- भू-अर्जन हेतु मुआवजा	192.00	0.00	192.00
17	25	खनिज संसाधन	4853-01-800-1701-5453- जिला माइनिंग फंड (जिला स्तर) से अद्योसंरचना कार्य	180.00	0.00	180.00
18	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3604-789-198-0101-4610- अतिरिक्त स्टांप शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	161.88	0.00	161.88

19	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-789-191-1325- 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सामान्य अनुपालन अनुदान	169.25	0.00	169.25
20	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-789-191-0801-1325- 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सामान्य अनुपालन अनुदान	177.48	0.00	177.48
21	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-789-192-0801-1325-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सामान्य अनुपालन अनुदान	109.81	0.00	109.81
योग				8,976.95	0.00	8,976.95

स्रोत: विनियोग लेखे 2019–20

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त के प्रमुख कारण, जैसा कि संबंधित विभागों द्वारा बताया गया कि, सरकार द्वारा व्यय पर प्रतिबंध लागू करना, सरकार से व्यय की मंजूरी नहीं, योजनाओं का संचालन नहीं करना, भारत सरकार से निधि जारी न करना और वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होना।

निर्गम सम्मेलन (मार्च 2021) में वित्त विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि वे इस हेतु आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में समीक्षा करेंगे।

3.11 बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक निधियन

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिकाओं 30.1 और 30.2 के अनुसार, विभाग को वित्तीय वर्ष के दौरान उसके द्वारा किये गये व्यय की समीक्षा करने हेतु बजट की निगरानी करनी चाहिए। इस तरह की निगरानी का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय के लिए राज्य के बजट का प्रस्तुतिकरण और विधायिका द्वारा अनुमोदन एक विश्वसनीय मार्गदर्शक बना रहे। निगरानी में चालू वित्त वर्ष में न केवल व्यय शामिल होना चाहिए, बल्कि पिछले तीन वर्षों की तुलना और विश्लेषण भी होना चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, यह देखा गया कि, 2019–20 के दौरान प्रारंभ 12 नई योजनाओं में ₹10 करोड़ या अधिक की बचतें हुईं, जैसा कि तालिका 3.16 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.16: योजनायें जिनमें बजट प्रावधान ₹10 करोड़ या अधिक था						
(₹ करोड़ में)						
स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल)	व्यय	बचत
1	10	वन	2406-01-004-0101-2330-वन मानचित्रों का डिजिटलइजेशन	50.00	0.17	49.83
2	10	वन	4406-01-800-5399-मध्य प्रदेश प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन योजना	250.0	निरंक	250.00
3	14	पशुपालन	2403-102-5418-सार्टेड सेक्स सीमेन परियोजना	12.42	निरंक	12.42
4	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-03-103-5507-मुख्यमंत्री सुषेण संजीवनी योजना	10.00	निरंक	10.00
5	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-02-103-5507- मुख्यमंत्री सुषेण संजीवनी योजना	10.00	निरंक	10.00

6	22	नगरीय विकास एवं आवास	4217-60-800-5468-पेयजल का अधिकार	10.00	निरंक	10.00
7	25	खनिज संसाधन	4853-01-800-5453-जिला माइनिंग फंड (जिला स्तर) के अद्योसंरचना कार्य	300.00	निरंक	300.00
8	37	पर्यटन	5452-80-800-5395-होटल के मूल्य संवर्धन हेतु सहायता	12.00	निरंक	12.00
9	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	4202-02-105-5400-अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	11.00	0.06	10.94
10	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	2401-119-5403-आपरेशन ग्रीन	50.00	निरंक	50.00
11	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	2401-119-5408-मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना	145.00	101.61	43.39
12	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	4401-119-5474- मुख्यमंत्री बागवानी तथा खाद्य प्रसंस्करण योजना	100.00	निरंक	100.00
योग				960.42	101.84	858.58

स्रोत: वित्त लेखे 2019-20

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, कि वर्ष 2019-20 के दौरान नई पहल की घोषणा करने और इनके लिए धन आवंटित करने के बावजूद सरकार यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि धन का उपयोग इच्छित उद्देश्यों के लिए किया गया था। नई योजनाओं में सारभूत बचतें मुख्यतः तीन अनुदानों के अंतर्गत थी अर्थात् अनुदान संख्या 10-वन, मुख्यशीर्ष 2406 (वानिकी और वन्य जीवन), 4406 (वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय), अनुदान संख्या 25-खनिज संसाधन, मुख्य शीर्ष 4853 (खनिज संसाधनों पर पूंजीगत परिव्यय) एवं अनुदान संख्या 50-उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण, मुख्य शीर्ष 2401 (फसल कृषि कर्म), 4401 (फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय)।

3.12 व्यय की अत्यधिकता

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 26.13 के अनुसार, व्यय की अत्यधिकता विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम माहों में साधारणतः वित्तीय अनियमितता के रूप में माना जाएगा। यह देखा गया कि मार्च 2020 के दौरान नौ अनुदानों/विनियोगों के 12 प्रकरणों³ में राशि ₹2,929.45 करोड़ का 100 प्रतिशत व्यय किया गया। विवरण तालिका 3.17 में दिया गया है।

तालिका 3.17: मार्च में व्यय की प्रमात्रा						
स. क्र.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजना संख्या	जनवरी-मार्च 2020 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2020 में किया गया व्यय	कुल व्यय	(₹ करोड़ में)
						किये गये कुल व्यय का प्रतिशत
1	भारित विनियोग-II, लोक ऋण	6237	1,148.00	1,148.00	1,148.00	100
2	भारित विनियोग-I, ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	5436	21.39	21.39	21.39	100
3	भारित विनियोग-I, ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	5437	39.49	39.49	39.49	100

³ जहां अंतिम तिमाही के दौरान व्यय ₹10 करोड़ से अधिक था।

4	भारित विनियोग-I, ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	9320	59.22	59.22	59.22	100
5	11-उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	5396	30.60	30.60	30.60	100
6	12-ऊर्जा	2034	21.22	21.22	21.22	100
7	12-ऊर्जा	5309	729.95	729.95	729.95	100
8	25-खनिज संसाधन	6606	701.14	701.14	701.14	100
9	33-आदिम जाति कल्याण	9484	30.03	30.03	30.03	100
10	40-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2267	102.74	102.74	102.74	100
11	53-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	6093	32.00	32.00	32.00	100
12	64-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	5728	13.67	13.67	13.67	100
योग			2,929.45	2,929.45	2,929.45	

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी

जैसा कि नीचे दी गई तालिका 3.18 से देखा जा सकता है, वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, अकेले मार्च 2020 में अनुदान संख्या 25—खनिज संसाधनों के अंतर्गत एक प्रकरण जहां कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक हुआ था जो कि ₹702.93 करोड़ (कुल व्यय का 94.91 प्रतिशत) था।

तालिका 3.18: अकेले मार्च में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय की अनुदान									
									(₹ करोड़ में)
स. क्र.	अनुदान संख्या	विवरण	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	योग	मार्च में किया गया व्यय	मार्च में किया गया व्यय (प्रतिशत)
1	25	खनिज संसाधन	10.43	9.31	11.87	709.04	740.65	702.93	94.91

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी

इस प्रकार, वित्तीय नियमन की भावना के विपरीत, सरकार द्वारा वर्ष के अंतिम समय पर पर्याप्त व्यय किया गया था, जो व्यय पर खराब बजटीय प्रबंधन और अपर्याप्त नियंत्रण का संकेत है।

3.13 चयनित अनुदानों की समीक्षा

विधानसभा में अनुदानों की मांगों पर मतदान पूर्ण होने के उपरांत राज्य की समेकित निधि से आवश्यक धन के विनियोग हेतु एक विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है जो (क) विधानसभा द्वारा दी गई अनुदानों और (ख) समेकित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति करता है। विधेयक पर राज्यपाल की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त, विनियोग अधिनियम और इसकी अनुसूचियों में दर्शायी गई राशियां, विभिन्न मांगों में व्यय के लिए स्वीकृत अनुदान बन जाती है।

वर्ष 2019–20 के दौरान, दो अनुदान, अर्थात् अनुदान संख्या 13 किसान कल्याण और कृषि विकास और अनुदान संख्या 22 नगरीय विकास और आवास, को इन अनुदानों में निर्धारित बजटीय प्रक्रियाओं के अनुपालन, निधियों की जाँच, योजनाओं का कार्यान्वयन और नियंत्रण तंत्र की समीक्षा के लिए लेखापरीक्षा में विस्तृत जाँच के लिए चयनित किया गया। लेखापरीक्षा परिणाम की चर्चा आगे कड़िकाओं में की गयी है।

3.13.1 अनुदान संख्या 13 किसान कल्याण और कृषि विकास

अनुदान संख्या 13 किसान कल्याण और कृषि विकास से संबंधित बजटीय प्रक्रिया एवं व्यय पर नियंत्रण की लेखापरीक्षा समीक्षा (अक्टूबर 2020) संचालनालय, किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग, भोपाल में की गई। संचालक, किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग, भोपाल और संचालक, कृषि अभियांत्रिकी विभाग, भोपाल अनुदान संख्या 13 के बजट नियंत्रक अधिकारी थे।

3.13.1.1 बजट और व्यय की सारांशीकृत स्थिति

वर्ष 2019-20 के दौरान अनुदान संख्या 13 के अन्तर्गत बजटीय राशि एवं किये गये व्यय के विवरण निम्न तालिका 3.19 में सारांशीकृत है:

तालिका 3.19: 2019-20 के दौरान सारांशीकृत विनियोग								
(₹ करोड़ में)								
अनुभाग	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल अनुदान	बजट नियंत्रण अधिकारियों को आवंटित बजट	व्यय		बचतें	
					विनियोग लेखे के अनुसार	बजट नियंत्रण अधिकारियों के अनुसार	विनियोग लेखे के अनुसार	बजट नियंत्रण अधिकारियों के अनुसार
राजस्व (दत्तमत)	22,567.39	41.06	22,608.45	20,256.99	15,020.99	15,025.12	7,587.46	5,231.87
राजस्व (भारित)	0.40	0.00	0.40	0.40	0.03	0.03	0.37	0.37
योग	22,567.79	41.06	22,608.85	20,257.39	15,021.02	15,025.15	7,587.83	5,232.24

स्रोत: विनियोग लेखे 2019-20 एवं बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रदायित जानकारी

जैसा कि उपर्युक्त तालिका 3.19 से देखा जा सकता है कि, राजस्व (दत्तमत) अनुभाग के अन्तर्गत विधानसभा द्वारा अनुमोदित मूल बजट ₹22,608.45 करोड़ था एवं वित्त विभाग द्वारा राजस्व (दत्तमत) अनुभाग में बजट नियंत्रण अधिकारियों को जारी वास्तविक बजट ₹20,256.99 करोड़ (90 प्रतिशत) था। इस प्रकार बजट नियंत्रण अधिकारियों को राजस्व (दत्तमत) के अन्तर्गत विधानसभा द्वारा अनुमोदित वास्तविक बजट से ₹2,351.46 करोड़ (10 प्रतिशत) कम जारी किये गये थे।

निर्गम सम्मेलन (मार्च 2021) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि बजट विधानसभा द्वारा विनियमित होता है एवं उपलब्धता के अनुसार संबंधित विभागों को आवश्यक निधियां प्रदाय की गयी थी।

विनियोग लेखा 2019-20 के अनुसार, ₹22,608.85 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध ₹15,021.02 करोड़ का व्यय किया गया, परिणामस्वरूप ₹7,587.83 करोड़ (33.56 प्रतिशत) का प्रावधान अव्ययित रहा। इसके अलावा, बजट नियंत्रण अधिकारियों के अभिलेखों के अनुसार जारी किये गये कुल बजट ₹20,257.39 करोड़ के विरुद्ध ₹15,025.15 करोड़ का व्यय हुआ, जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹5,232.24 करोड़ (25.83 प्रतिशत) अव्ययित प्रावधान रहा। बजट नियंत्रण अधिकारी स्तर पर राशि ₹5,232.24 करोड़ की कुल बचत में से राशि ₹4,721.17 करोड़ जो कि कुल बचत का 90 प्रतिशत थी, केवल फरवरी-मार्च 2020 के दौरान जारी की गई थी।

बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा निधि देरी से जारी किये जाने के कारण वृहद् बचत हुई। बचत का ऐसा मार्जिन इंगित करता है, कि बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा अनुमान के दौरान विशेष ध्यान नहीं दिया गया और न ही बजट अनुमान तैयार करते समय मध्य प्रदेश बजट नियमावली के लागू प्रावधानों का अनुपालन किया।

3.13.1.2 सतत् बचतें

लेखापरीक्षा में देखा गया कि पिछले पांच वर्षों 2015-16 से 2019-20 के दौरान, मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिकाओं 30.1 और 30.2 के उल्लंघन से 11 योजनाओं में ₹ एक करोड़ से अधिक की

सतत् बचतें हुई, संबंधित विनियोग के अंतर्गत कुल बजट आवंटन का 6.11 प्रतिशत और 100 प्रतिशत के मध्य थी, जैसा कि **परिशिष्ट 3.15** और नीचे **तालिका 3.20** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.20: 2015-20 के दौरान सतत् बचतों के संकेत के विनियोगों की सूची (₹ करोड़ में)						
स. क्र.	योजना का नाम	बचत की राशि (योजना में कुल बजट आवंटन का प्रतिशत)				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	7493-नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान	4.93 (98.40)	5.00 (100)	5.21 (95.25)	5.29 (96.71)	2.35 (100.00)
2	7494-सब मिशन आन सीड एण्ड प्लानिंग मटेरियल	19.16 (100)	31.95 (72.81)	23.17 (38.91)	78.71 (71.30)	87.56 (79.60)
3	7497-सब मिशन रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट	22.30 (71.77)	34.18 (84.40)	25.79 (80.27)	12.22 (90.79)	13.05 (95.96)
4	7499-सब मिशन स्वाइल हेल्थ मनेजमेंट	15.00 (100)	41.48 (81.33)	50.96 (99.26)	48.32 (77.52)	57.09 (89.06)
5	7500-नेशनल आईल सीड एण्ड आईल पाल्म मिशन अण्डर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	50.26 (66.99)	33.33 (53.59)	60.03 (71.53)	81.94 (85.96)	70.57 (77.89)
6	7501-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	177.44 (57.24)	112.91 (52.22)	113.22 (40.07)	92.76 (25.21)	190.17 (46.70)
7	4204-शासकीय मशीन ट्रेक्टर स्टेशन योजना	6.39 (35.72)	1.53 (11.79)	2.61 (17.05)	2.72 (15.81)	1.75 (10.13)
8	5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	72.55 (26.68)	37.29 (14.73)	101.39 (27.47)	105.62 (27.44)	241.59 (63.63)
9	6482-कृषि शक्ति योजना	1.23 (17.57)	1.32 (20.15)	2.18 (24.49)	2.16 (25.47)	2.94 (43.11)
10	6674-कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन	3.44 (11.78)	4.47 (13.24)	6.55 (16.17)	23.68 (60.33)	4.89 (48.90)
11	7450-ट्रेक्टर एवं कृषि उपकरणों पर अनुदान (एस.एम.ए.एम.)	22.23 (67.57)	5.98 (18.30)	11.24 (23.15)	4.00 (6.11)	38.96 (27.92)

स्रोत: बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रदाय जानकारी

सतत् बचतें अवास्तविक बजटीय आवंटन, बजटीय निधियों का उप-इष्टतम उपयोग एवं निगरानी या संसाधनों के उपयोग का संकेत है। यह भी दर्शाता है कि बजट आवंटन करते समय पिछले वर्षों के रुझानों को ध्यान में नहीं रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप सतत् बचतें हुई।

3.13.1.3 सारभूत बचतें

अनुदान संख्या 13 के अंतर्गत योजनाओं का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना और कृषि आय को बढ़ाना है। इन योजनाओं के कुछ अन्य उद्देश्य वृक्षारोपण का विस्तार करना, गुणवत्ता रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना, मिट्टी/मृदा परीक्षण को बढ़ावा देना, कृषि को अधिक उत्पादक बनाना, खेत पर पानी की भौतिकी पहुँच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई (हर खेत को पानी), के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना इत्यादि है।

लेखापरीक्षा में देखा कि 2019-20 के दौरान, 25 योजनाओं में ₹5,122.07 करोड़ की सारभूत बचतें थी, जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचत ₹ पाँच करोड़ या अधिक थी, कुल बजट आवंटन का 4.53 प्रतिशत और 100 प्रतिशत के मध्य थी। विवरण **परिशिष्ट 3.16** में दर्शाया गया है।

विभाग ने अपने समर्पण आदेश दिनांक 30 मार्च 2020 में, बचतों के कारण वित्त विभाग द्वारा कटौती की गई राशि, वित्त विभाग द्वारा व्यय की सीमा निर्धारित करना, उपलब्ध निधि की सीमा तक केन्द्र सरकार की योजनाओं पर व्यय करने हेतु वित्त विभाग का निर्णय प्राप्त न होना और कोविड-19 का लॉक डाउन लागू होना बताया।

विभाग द्वारा अपने प्रत्युत्तर में लॉकडाउन का उल्लेख किया है जो स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कोविड-19 के कारण लॉकडाउन 25 मार्च 2020 को लागू किया गया था और ₹7,119 करोड़ (42.20 प्रतिशत) और ₹3,200 करोड़ (38.17 प्रतिशत) की बचतें क्रमशः वर्ष 2018-19 और 2017-18 में हुई थी। ये दर्शाता है कि बजट अनुमान तैयार करते समय पिछले वर्षों के रुझानों का विश्लेषण नहीं किया गया था। सारभूत बचतों ने इन योजनाओं के मुख्य उद्देश्यों को पूरा नहीं किया और लाभार्थियों को योजनाओं के लाभ से वंचित किया।

3.13.1.4 सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग न करना

2019-20 के दौरान, 14 प्रकरणों में जहां प्रावधान ₹ एक करोड़ या अधिक था, योजनाओं का संपूर्ण प्रावधान ₹521.85 करोड़ अनुप्रयुक्त रहा। इसमें से राशि ₹433.47 करोड़ (83 प्रतिशत) वित्त विभाग द्वारा जारी की गयी थी। हालांकि, जारी निधियों से विभाग द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया, जैसा कि नीचे तालिका 3.21 में विस्तृत है:

तालिका 3.21: सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग न करना					
(₹ करोड़ में)					
स. क्र.	योजना का नाम	कुल प्रावधान	बजट नियंत्रण अधिकारियों को जारी की गयी निधियां	व्यय	बचतें
1	2401-102-0701-7243 कृषि वानिकी सब मिशन	4.47	4.47	0.00	4.47
2	2401-102-0702-7243 कृषि वानिकी सब मिशन	1.21	1.21	0.00	1.21
3	2401-102-0703-7243 कृषि वानिकी सब मिशन	1.63	1.63	0.00	1.63
4	2401-109-0701-7493 नेशनल ई-गर्वनेंस प्लान	2.35	2.35	0.00	2.35
5	2401-102-0701-7717 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	35.00	35.00	0.00	35.00
6	2401-102-0702-7717 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	12.65	12.65	0.00	12.65
7	2401-102-0703-7717 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	9.73	9.73	0.00	9.73
8	2401-102-1201-0733 ग्रीन कृषि	2.55	2.08	0.00	2.08
9	2401-800-0801-5311 लघु सिंचाई गणना एवं जल निकायों की गणना	7.86	7.86	0.00	7.86
10	2401-800-0102-5321 भावांतर/फ्लेट रेट योजना	157.00	125.60	0.00	125.60
11	2401-800-0103-5321 भावांतर/फ्लेट रेट योजना	280.00	224.00	0.00	224.00
12	2401-109-0101-7670 कृषि महोत्सव	3.73	3.36	0.00	3.36
13	2401-109-0102-7670 कृषि महोत्सव	1.94	1.86	0.00	1.86
14	2401-109-0103-7670 कृषि महोत्सव	1.73	1.67	0.00	1.67
योग		521.85	433.47	0.00	433.47

स्रोत: बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रदाय जानकारी

विभाग ने अपने समर्पण आदेश (मार्च 2020) में बचतों के मुख्य कारण भारत सरकार से कृषि वानिकी उप मिशन योजना के अंतर्गत प्रस्तावित घटकों का अनुमोदन प्राप्त न होना और भारत सरकार से बजट प्रावधान के अनुसार राशि प्राप्त न होना बताया है।

3.13.1.5 अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान/पुनर्विनियोजन

मध्य प्रदेश बजट नियमावली खण्ड-1 की कंडिकाओं 28.8 और 28.9 के अनुसार, अनुपूरक अनुदानों की तैयारी और औचित्य की प्राथमिक जिम्मेदारी बजट नियंत्रण अधिकारी की होती है। नियंत्रण अधिकारी द्वारा अनुपूरक अनुदान या पुनर्विनियोजन का प्रस्ताव संबंधित प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, उसे प्रस्तावों की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए और वित्त विभाग से केवल उनकी अनुशंसा करनी चाहिए, जो पूरी तरह तर्कसंगत हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 के दौरान, चार योजनाओं में ₹99.47 करोड़ की राशि का अनुपूरक प्रावधान/पुनर्विनियोजन अनावश्यक साबित हुआ, क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं था, जैसा कि विवरण नीचे तालिका 3.22 में है:

तालिका 3.22: अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान/पुनर्विनियोजन का विवरण						
(₹ करोड़ में)						
योजना	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	पुनर्विनियोजन	कुल बजट	व्यय	बचतें
2401-109-7492 सब मिशन आन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (आत्मा)	64.63	8.00	0.00	72.63	61.29	11.34
2401-109-9474 कृषक बन्धु	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87
2401-113-7501- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	32.00	16.20	0.00	48.20	23.18	25.02
2401-800-0101-5321 भावांतर/फ्लेट रेट योजना	683.00	0.00	73.40	756.40	422.84	333.56
योग	779.63	26.07	73.40	879.10	507.31	371.79

स्रोत: बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रदाय जानकारी

यह इंगित करता है कि अनुपूरक बजट के प्रस्तावों को वास्तविक आवश्यकता का आंकलन किए बिना वित्त विभाग को भेजा गया था। जैसा कि अनावश्यक प्रावधान के रूप में अविवेकी बजटीय अभ्यास को दर्शाता है, ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सघन जाँच की जानी चाहिए। इसके अलावा, निधि का पुनर्विनियोजन जो बजट/व्यय के सन्दर्भ में अनुदान को नियंत्रित करने वाले अधिकारियों को गहन जाँच किए जाने की जरूरत है ताकि वह यह सुनिश्चित करें कि निधि का व्यय परिकल्पित उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

3.13.1.6 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा निधियों का समर्पण

बजट नियंत्रण अधिकारी (संचालक, कृषि अभियांत्रिकी विभाग) द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की जांच से प्रकट हुआ कि 2019-20 के दौरान छः प्रकरणों में, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को आवंटित बजट का 50 प्रतिशत से अधिक अनुपयोगी रहा। विवरण नीचे तालिका 3.23 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.23: आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण निधियों का उपयोग न किये जाने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक					
(₹ लाख में)					
स. क्र.	योजना का नाम	2019-20 के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को आवंटित बजट	आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा उपयोग	आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा समर्पण	आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा अनुपयोगी निधियों का प्रतिशत
1	5907-पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नालॉजी एवं मैनेजमेन्ट	6.04	0.00	6.04	100.00
2	6697-नवीन उन्नत कृषि उपकरणों का कृषकों के खेतों में परीक्षण	5.03	0.00	5.03	100.00
3	7500-नेशनल आईल सीड एण्ड आईल पाल्म मिशन अण्डर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	500.00	0.90	499.10	99.82
4	7452-कृषि यंत्रिकृत गतिविधियां एवं ग्राम विकास (एस.एम.ए.एम.)	556.17	177.94	378.23	68.01
5	7451-कस्टम हार्डरिंग सेन्टर की स्थापना पर अनुदान (एस.एम.ए.एम.)	2,166.31	704.35	1,461.96	67.49
6	7501-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	4,820.31	2,318.18	2,502.13	51.91
	योग	8,053.86	3,201.37	4,852.49	60.25

स्रोत: बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रदाय जानकारी

जैसा कि उपरोक्त तालिका 3.23 से देखा जा सकता है, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को आवंटित बजट का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया था। यह भी दर्शाता है कि बजट नियंत्रण अधिकारी ने बजट अनुमानों को वास्तविक आवश्यकता का आंकलन किए बिना और आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से प्रस्ताव प्राप्त किये बिना तदर्थ आधार पर तैयार किया था।

3.13.1.7 निर्धारित समय के भीतर बचत का समर्पण न करना

मध्य प्रदेश बजट नियमावली खण्ड-1 की कंडिका 26.9 के अनुसार व्यय में प्रत्याशित बचत के विवरण को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 15 जनवरी तक बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ताकि वित्त विभाग द्वारा अनुदान की अन्य मांगों के लिए संसाधनों का आवंटन किया जा सके।

वर्ष 2019-20 के दौरान, 48 योजनाओं में कुल प्रावधान ₹13,903.49 करोड़ में से ₹7,232.94 करोड़ (52.02 प्रतिशत) की समग्र बचत माह मार्च 2020 (11.03.2020, 30.03.2020 और 31.03.2020) में समर्पित की गई थी। इन 48 योजनाओं में से 12 योजनाओं में ₹78.22 करोड़ के 100 प्रतिशत समर्पण थे, जिससे अन्य विकासात्मक कार्यक्रमों के लिए निधियों का उपयोग करने की बहुत कम गुंजाइश रही। विवरण परिशिष्ट 3.17 में दिया गया है।

3.13.2 अनुदान संख्या 22 नगरीय विकास और आवास

लेखापरीक्षा ने अनुदान संख्या 22 नगरीय विकास और आवास की बजटीय प्रक्रिया और व्यय पर नियंत्रण से संबंधित समीक्षा (अक्टूबर और नवंबर 2020) की। सचिव, नगरीय विकास और पर्यावरण, संचालक, नगरीय प्रशासन और विकास, संचालक, नगर एवं ग्राम प्रशासन, अधीक्षण यंत्री, राजधानी परियोजना प्रशासन और महानिदेशक पुलिस, अनुदान संख्या 22 के बजट नियंत्रण अधिकारी हैं।

3.13.2.1 बजट और व्यय की सारांशीकृत स्थिति

2019-20 के दौरान अनुदान संख्या 22 के अन्तर्गत बजट की राशि, किये गये व्यय के विवरण नीचे तालिका 3.24 में सारांशीकृत किये गये हैं:

तालिका 3.24: बजट एवं व्यय की सारांशीकृत स्थिति 2019–20

तालिका 3.24: बजट एवं व्यय की सारांशीकृत स्थिति 2019–20						
(₹ करोड़ में)						
विनियोग लेखे के अनुसार		बजट नियंत्रण अधिकारियों के अनुसार	व्यय		बचतें	
अनुभाग	कुल बजट	बजट नियंत्रण अधिकारियों को वास्तविक आवंटन	बजट नियंत्रण अधिकारियों के अनुसार	विनियोग लेखे के अनुसार	बजट नियंत्रण अधिकारियों के अनुसार	विनियोग लेखे के अनुसार
राजस्व (दत्तमत)	7,026.51	6,911.49	3,550.29	3,550.08	3,361.20	3,476.43
राजस्व (भारित)	0.50	0.40	0.00	0.00	0.40	0.50
पूंजीगत (दत्तमत)	1,548.77	1,547.77	1,058.25	1,058.25	489.52	490.52
पूंजीगत (भारित)	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00
योग	8,590.78	8,474.66	4,608.54	4,608.33	3,866.12	3,982.45

स्रोत: विनियोग लेखे 2019–20 एवं बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रदाय जानकारी

विनियोग लेखे 2019–20 के अनुसार, राजस्व (दत्तमत) अनुभाग के अंतर्गत प्रावधानित ₹7,026.51 करोड़ के विरुद्ध ₹3,550.08 करोड़ का व्यय किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹3,476.43 करोड़ (49.48 प्रतिशत) का अव्ययित प्रावधान था। इसी प्रकार, पूंजीगत (दत्तमत) अनुभाग के अंतर्गत ₹1,548.77 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था जिसके विरुद्ध ₹1,058.25 करोड़ का व्यय हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹490.52 करोड़ (31.67 प्रतिशत) का अव्ययित प्रावधान था। साथ ही, ₹0.50 करोड़ और ₹15.00 करोड़ का क्रमशः राजस्व (भारित) और पूंजीगत (भारित) अनुभाग के अंतर्गत किया गया प्रावधान अव्ययित रहा। इस तरह, महत्वपूर्ण बचतें यह दर्शाती हैं, कि बजट नियंत्रण अधिकारी ने व्यय की समीक्षा नहीं की थी और बजट नियमावली खंड-1 की कंडिका 26.9 का अनुपालन नहीं किया गया, जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित बचत को 15 जनवरी तक समर्पण किया जाना आवश्यक है।

3.13.2.2 मूल और अनुपूरक अनुदान के अंतर्गत बढ़े हुए प्रावधान

बजट नियंत्रण अधिकारियों के अनुसार 2019–20 के दौरान, कुल प्राप्त बजट राशि ₹8,474.66 करोड़ के विरुद्ध ₹3,866.12 करोड़ (45.62 प्रतिशत) की बचतें हुईं, लेकिन विनियोग लेखों के अनुसार कुल बजट ₹8,590.78 करोड़ के विरुद्ध ₹3,982.45 करोड़ की बचतें हुईं।

अनुदान के अंतर्गत 21 लेखा शीर्षों में, जहां बचतें ₹10 करोड़ और अधिक तथा कुल प्राप्त बजट का 20 प्रतिशत से अधिक थी, ₹3,436.94 करोड़ (कुल बचतों का 88.90 प्रतिशत) की महत्वपूर्ण बचतें हुईं, जो अनुचित बजट अनुमान को इंगित करता है। विवरण *परिशिष्ट 3.18* में दिया गया है।

3.13.2.3 सतत् और सारभूत बचतें:

(अ) सतत् बचतें

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिकाओं 30.1 और 30.2 के अनुसार, विभाग को वित्तीय वर्ष के दौरान विभाग द्वारा किए गये व्यय की समीक्षा द्वारा बजट की निगरानी करनी चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अवधि 2017–18 से 2019–20 के दौरान, सात योजनाओं (2017–18 में योजना कोड 6989 को

छोड़कर) में ₹ एक करोड़ से अधिक की सतत् बचतें संबंधित विनियोग के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान के 12 प्रतिशत और 100 प्रतिशत के मध्य थी, जैसा कि **तालिका 3.25** में नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 3.25: 2017-20 के दौरान सतत् बचतों के संकेत के विनियोगों की सूची				
(₹ करोड़ में)				
स. क्र.	योजना का नाम	2017-18	2018-19	2019-20
1	4216-01-700-6989-विधान सभा एवं विधायक विश्राम गृहों की मरम्मत	0.42 (12.00)	3.11 (88.86)	3.50 (100.00)
2	4217-03-190-0701-7705-स्मार्ट सिटी	496.00 (70.86)	355.00 (50.71)	57.00 (19.00)
3	4217-60-800-1201-7711-एम.पी. अर्बन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट (विश्व बैंक)	29.00 (58.00)	20.00 (50.00)	17.76 (50.74)
4	4217-60-800-0103-7711-एम.पी. अर्बन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट (विश्व बैंक)	40.00 (100.00)	30.00 (50.00)	35.74 (64.98)
5	6217-60-800-1201-7336-एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.) (विश्व बैंक)	211.71 (78.41)	32.55 (38.75)	41.87 (23.79)
6	6217-60-800-1201-7711-एम.पी. अर्बन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट (विश्व बैंक)	21.00 (30.00)	50.00 (50.00)	92.50 (61.67)
7	4217-01-050-0101-3115-भू अर्जन हेतु मुआवजा	10.00 (100.00)	15.00 (100.00)	15.00 (100.00)

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

सतत् बचतें अपर्याप्त बजटीय निगरानी या निष्पादन में कमी या दोनों के संकेत हैं। इसने यह भी दर्शाया कि, व्यय में पिछले वर्षों के रुझानों पर विचार किए बिना बजट आवंटन किया गया था।

(ब) सारभूत बचतें

कुल 77 योजनाओं में से, 12 योजनाओं में, जहां बचतें ₹ पाँच करोड़ या अधिक थी, ₹3,821.05 करोड़ की सारभूत बचतें हुईं। यह बचतें, 2019-20 के दौरान अनुदान की ऐसी योजनाओं के अंतर्गत बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्त कुल बजट का 12.84 से 100 प्रतिशत तक थी। विवरण **परिशिष्ट 3.19** में दिया गया है।

3.13.2.4 विभिन्न योजनाओं में अप्रयुक्त प्रावधान

बजट नियमावली की कंडिका 26.9, प्रावधान करती है कि अनुमानित बचतों को 15 जनवरी से पहले समर्पण कर दिया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन बजट नियंत्रण अधिकारियों के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के 234 प्रकरणों में से 27 प्रकरणों में जहां आवंटन ₹ एक लाख या अधिक था, ₹129.20 करोड़ का सम्पूर्ण बजट अनुपयोगी रहा, जैसा कि **परिशिष्ट 3.20** में दिया गया है।

3.13.2.5 पुनर्विनियोजन द्वारा अनावश्यक वृद्धि

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2019-20 के दौरान, चार योजनाओं में पुनर्विनियोजन राशि ₹10.04 करोड़ अनावश्यक साबित हुई क्योंकि व्यय मूल बजट प्रावधान के स्तर तक भी नहीं था। विवरण नीचे **तालिका 3.26** में दिया गया है:

तालिका 3.26: अप्रयुक्त पुनर्विनियोजन राशि का विवरण							
							(₹ करोड़ में)
स. क्र.	बजट नियंत्रण अधिकारी का नाम	योजना शीर्ष	कुल बजट	पुनर्विनियोजन	योग	व्यय	बचतें
1	संचालक, नगरीय प्रशासन, भोपाल (बी.सी.ओ. कोड 1802)	22-6217-60-800-1201-5374-V-67-001	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00
		22-4217-60-800-1201-5374-V-64-002	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00
2	अधीक्षण यंत्री, राजधानी परियोजना प्रशासन (बी.सी.ओ. कोड 1807)	22-2059-80-001-1899-21-001	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02
		22-2059-80-001-4002-12	0.40	0.02	0.42	0.38	0.04
योग			10.40	10.04	20.44	10.38	10.06

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे एवं बजट नियंत्रण अधिकारियों से प्राप्त आंकड़ें

3.13.2.6 अनुपूरक अनुदान द्वारा अनावश्यक वृद्धि

संचालक, नगरीय प्रशासन, भोपाल से संबंधित चार प्रकरणों में लेखापरीक्षा ने देखा कि, ₹18.17 करोड़ अनुपूरक अनुदान के रूप में प्रदान किये थे, परन्तु वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहें। तीन प्रकरणों (नगरीय निकाय संचालनालय, मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास फेज-2 एवं केन्द्र सरकार से उज्जैन स्मार्ट सिटी ऋण सहायता) में कोई व्यय नहीं किया गया, जो दर्शाता है कि वास्तविक बजट आवश्यकताओं का वास्तविक मूल्यांकन नहीं किया गया।

इस ओर इंगित किये जाने पर संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा बताया (नवंबर 2020) गया कि अनुपूरक राशि मार्च 2020 में प्राप्त हुई थी और आहरण पर प्रतिबंध और लॉक डाउन के क्रियान्वयन के कारण आहरण नहीं किया जा सका। आगे, वित्त विभाग ने निर्देश दिया था कि निधि के उपयोग के बाद मांग पत्र जारी किया जायेगा।

इस तरह निधि जारी करने और संबंधित निर्देशों में देरी के कारण इस राशि ₹18.18 करोड़ का अनावश्यक आवंटन और बचतें हुईं।

3.14 निष्कर्ष

2019-20 के दौरान, बचतों का 24.18 प्रतिशत (राशि ₹62,131.62 करोड़) वर्ष के अंत में व्यपगत होने दिया गया अथवा वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन समर्पित किया गया।

31 मार्च 2020 को आहरित राशि ₹46.82 करोड़ व्यपगत होने से बचाने के लिए राज्य की समेकित निधि से लोक लेखों में सिविल डिपॉजिट में अंतरित की गई, जिसने राज्य की समेकित निधि के अंतर्गत वर्ष के खर्च को बढ़ाया।

कुल 3,946 उप शीर्षों में से, अनुमोदित बजटीय आवंटन के सन्दर्भ में 1,266 उप शीर्षों में व्यय के स्पष्टीकरण आवश्यक थे, लेकिन केवल 164 प्रकरणों (1,266 का 12.95 प्रतिशत) में आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त हुए और 1,102 उप शीर्षों के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त ही नहीं हुए थे।

पिछले वर्षों के 11 अनुदानों और नौ विनियोग से संबंधित ₹1,668.32 करोड़ के आधिक्य व्यय को संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत नियमितीकरण की आवश्यकता है।

3.15 अनुशंसाएं

- i) राज्य शासन को विभागों की जरूरतों और आवंटित संसाधनों का उपयोग करने की उनकी क्षमता विश्वसनीय अनुमानों के आधार पर वास्तविक बजट तैयार करने की आवश्यकता है।
- ii) राज्य शासन द्वारा एक उपयुक्त नियंत्रण प्रक्रिया स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि बजट का उचित कार्यान्वयन और निगरानी कर यह सुनिश्चित किया जा सके कि बचत में कटौती की गई है, अनुदान/विनियोग के भीतर वृहद् बचतों को नियंत्रित कर प्रत्याशित बचतों की पहचान कर उसे निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर समर्पण किया गया है।
- iii) बजट के उचित विश्लेषण और सार्थक विनियोग लेखा तैयार करने की सुविधा के लिए आवंटन से व्यय में भिन्नता की व्याख्या करने के लिए नियंत्रक अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी से अवगत कराने की आवश्यकता है।

अध्याय 4

लेखाओं एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली
की गुणवत्ता

अध्याय 4—लेखाओं एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली की गुणवत्ता

4.1 प्रस्तावना

राज्य शासन द्वारा कुशल तथा प्रभावी शासन के लिए प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी के साथ एक मजबूत आंतरिक वित्तीय सूचना प्रणाली महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस तरह के अनुपालन की स्थिति पर वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ सूचना की समयबद्धता और गुणवत्ता इस प्रकार, सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन और नियंत्रण पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी और परिचालन में है, सामरिक योजना और उचित निर्णय लेने सहित अपने बुनियादी प्रबंधन की जिम्मेदारियों को पूरा करने में राज्य शासन की सहायता करती है। यह अध्याय लेखाओं की गुणवत्ता और राज्य शासन की वित्तीय प्रतिवेदनों की प्रणाली, निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के साथ परिपूर्णता, पारदर्शिता, माप और प्रकटीकरण के संबंध में अनुपालन की स्थिति एवं विहंगावलोकन को प्रस्तुत करता है।

4.2 भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर

मध्य प्रदेश शासन ने भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के संदर्भ में मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का गठन (अप्रैल 2003) किया। मण्डल को भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों के रोजगार और सेवा की शर्तों को विनियमित करने और उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के उपायों और उनसे संबंधित अन्य मामले या उसके आनुषांगिक मामलों के लिए कर्तव्य सौंपे गए थे। यह भवन एवं अन्य से निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है, और सौंपे गए कार्यों को करता है। मण्डल नियोक्ताओं से निर्माण की लागत के एक प्रतिशत की दर से उपकर संग्रहित करता है और अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए इसका उपयोग करता है। आगे, उपकर को संग्रहण/कटौती के एक माह के भीतर मण्डल को प्रेषित किया जाना है।

4.2.1 उपकर का लेखांकन

श्रम उपकर के संबंध में शासकीय विभागों द्वारा अपनाई गई लेखांकन प्रक्रिया में कोई एकरूपता नहीं है। उदाहरण के लिये लोक निर्माण विभाग के संभागों द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर को ठेकेदारों के चल देयकों में से कटौती कर राशि को मुख्य शीर्ष 8443-108-लोक निर्माण जमाओं में क्रेडिट किया जाता है। तथापि, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर को मुख्यशीर्ष 0230-श्रम एवं रोजगार लघु शीर्ष 101-श्रम कानून से प्राप्तियों के अंतर्गत पुस्तांकित करते हैं। भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर के लेखांकन के लिये मुख्य शीर्ष 8443-108 अथवा मुख्य शीर्ष 0230-101 के अंतर्गत कोई विशिष्ट उप शीर्ष नहीं है। अतः उपकर की वास्तविक संग्रहित राशि एवं तत्पश्चात मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को अंतरित की गई राशि सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम की धारा 27(1) के अनुसार मण्डल को लेखों एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों का उचित संधारण तथा लेखों के वार्षिक विवरण पत्रक तैयार करना होता है, लेखापरीक्षा ने पाया कि मण्डल ने 2013-14 से अपने लेखे तैयार नहीं किये थे। नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में वर्ष दर वर्ष इस मुद्दे पर राज्य शासन का ध्यान आकर्षित करने के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ है।

2015-20 के दौरान श्रम उपकर की प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण तालिका 4.1 में दिया गया है।

तालिका 4.1: 2015-20 के दौरान उपकर की प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण

तालिका 4.1: 2015-20 के दौरान उपकर की प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण								
(₹ करोड़ में)								
वर्ष	प्रारंभिक शेष	संग्रहित उपकर की राशि	पंजीकरण प्रभार	जमाओं पर ब्याज	कुल उपलब्ध निधियां	व्यय	अंतिम शेष	उपलब्ध निधियों की उपयोगिता का प्रतिशत
2015-16	1,111.83	286.44	0.001	65.20	1,463.47	120.18	1,343.29	8.21
2016-17	1,343.29	346.99	0.00008	56.93	1,747.21	261.17	1,486.04	14.95
2017-18	1,486.04	281.95	0.0003	67.84	1,835.83	260.16	1,575.67	14.17
2018-19	1,575.67	351.90	0.0006	50.58	1,978.15	349.52	1,628.63	17.67
2019-20	1,628.63	311.15	0.0001	129.57	2,069.35	569.67	1,499.68	27.53

स्रोत: मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल द्वारा प्रदाय जानकारी

मण्डल द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2020 की स्थिति में राशि ₹1,499.68 करोड़ उपलब्ध थी। तथापि, राशि ₹2,485.39 करोड़ बैंक खातों में रखी गयी थी। ₹985.71 करोड़ का अन्तर मिलान के लिए लंबित था।

4.2.2 श्रम उपकर की उपयोगिता

राज्य शासन ने भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण निधि से कर्मकारों के लाभ के लिए विभिन्न योजनाएँ/गतिविधियाँ अर्थात् मातृत्व हितलाभ, पेंशन, घरों के क्रय/निर्माण के लिए अग्रिम, अंत्येष्टि सहायता, चिकित्सा सहायता, मेधावी छात्रों के लिए नकद पुरस्कार, हितग्राहियों के बच्चों की शिक्षा/विवाह के लिए वित्तीय सहायता, इत्यादि अधिसूचित की थीं। 2015-20 के दौरान इस संबंध में व्यय का विवरण तालिका 4.2 में दिया गया है।

तालिका 4.2: उपलब्ध निधियों के विरुद्ध योजनाओं पर व्यय

तालिका 4.2: उपलब्ध निधियों के विरुद्ध योजनाओं पर व्यय							
(₹ करोड़ में)							
वर्ष	उपलब्ध निधियां	योजनाओं के लिए बजट आवंटन		संचालित योजना		पंजीकृत कर्मकार	सम्मिलित कर्मकार
		योजनाओं की संख्या	आवंटन	योजनाओं की संख्या	वास्तविक व्यय		
2015-16	1,463.47	20	125.80	17	101.24	24,81,926	5,16,958
2016-17	1,747.21	26	151.60	24	240.06	25,28,255	4,25,448
2017-18	1,835.83	24	233.10	21	287.98	25,87,175	4,98,182
2018-19	1,978.15	24	76.01	24	316.83	12,19,230	3,63,289
2019-20	2,300.81	24	304.84	24	350.16	13,12,673	1,75,702

स्रोत: मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल द्वारा प्रदाय जानकारी

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2019-20 के दौरान मण्डल उपलब्ध निधियों का केवल 13.44 प्रतिशत का उपयोग कर सका एवं विभिन्न योजनाओं जैसे शिक्षा, छात्रवृत्ति, आवास, चिकित्सा सहायता, इत्यादि के अंतर्गत केवल 13.39 प्रतिशत पंजीकृत कर्मकार लाभान्वित हुए। इस प्रकार, उपलब्ध निधियों में से राशि ₹2,255.49 करोड़ का उपयोग न करने के कारण लगभग 86 प्रतिशत पंजीकृत कर्मकार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ पाने से वंचित रहे।

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए संचालित होने वाली अधिकांश योजनाएँ राज्य सरकार द्वारा सामान्य रूप से संचालित की जा रही हैं। इसलिए, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल उन कल्याणकारी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने पर विचार कर सकता है जो राज्य शासन द्वारा उनकी मौजूदा योजनाओं में क्रियान्वित नहीं हैं। आगे, सरकार को पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए निधि में अत्यधिक संचित शेष के प्रबंधन के लिए एक संचालन मण्डल के गठन पर विचार करना चाहिए।

4.2.3 मण्डल को श्रम उपकर का अंतरण न करना

मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा प्रदाय की गई जानकारी के अनुसार, राज्य शासन ने 2010-11 से 2019-20 के दौरान राशि ₹2,630.10 करोड़ का उपकर संग्रहित किया, और उसको मण्डल को अंतरित किया। तथापि, राशि ₹8.81 करोड़ के चैकों के अनाद्रीकरण के कारण मण्डल के खाते में मात्र राशि ₹2,621.29 करोड़ जमा की गई जैसा कि विवरण नीचे तालिका 4.3 में दिया गया है:

तालिका 4.3: कर्मकार कल्याण उपकर संग्रहण एवं मण्डल को जमा			
(₹ लाख में)			
वित्तीय वर्ष	संग्रहित उपकर की राशि	मण्डल को जमा राशि	मण्डल को जमा न की गयी राशि
2010-11	12,092.14	12,058.70	33.44
2011-12	13,654.55	13,560.79	93.76
2012-13	22,576.05	22,303.72	272.33
2013-14	26,449.51	26,220.71	228.80
2014-15	30,393.02	30,294.52	98.50
2015-16	28,643.93	28,578.47	65.46
2016-17	34,699.78	34,659.48	40.30
2017-18	28,195.10	28,152.94	42.16
2018-19	35,190.36	35,184.51	5.85
2019-20	31,115.68	31,115.63	0.05
योग	2,63,010.12	2,62,129.47	880.65

स्रोत: मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल द्वारा प्रदाय जानकारी

मण्डल ने सूचित किया (जनवरी 2021) कि अनाद्रीत चैकों को नवीनीकरण के लिए संबंधित एजेंसियों/विभागों को वापस कर दिये गये थे।

एक नगर पालिका परिषद, खरगौन की लेखापरीक्षा (फरवरी 2020) से प्रकट हुआ कि अगस्त 2017 से जनवरी 2020 तक की कर्मकार कल्याण उपकर की राशि ठेकेदार के देयकों से काट ली गई थी, परन्तु यह मण्डल को प्रेषित नहीं की गई थी। काटे गये कल्याण उपकर का विवरण नीचे तालिका 4.4 में दिया गया है:

तालिका 4.4: मण्डल को कर्मकार कल्याण उपकर का गैर प्रेषण			
(₹ लाख में)			
स.क्र.	इकाई का नाम	वर्ष	उपकर राशि
1	नगर पालिका परिषद, खरगौन	2017-18	22.81
2		2018-19	52.15
3		2019-20	25.35
योग			100.31

स्रोत: संबंधित कार्यालय द्वारा प्रदत्त जानकारी

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, 2017-18 से 2019-20 तक कल्याण उपकर राशि ₹ एक करोड़ काटी गई किन्तु मण्डल को अंतरित नहीं की गई। यह मुख्य नगर पालिका अधिकारी की जिम्मेदारी थी कि वह एक माह के निर्धारित समय के भीतर मण्डल को उपकर राशि जमा करे। पिछले तीन वर्षों के दौरान कल्याण उपकर की राशि मण्डल को हस्तांतरित नहीं करने के कारण, उपकर राशि के दुरुपयोग की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।

4.3 स्थानीय निधियों का जमा

मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1993 प्रदान करता है कि, जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत क्रमशः जिला परिषद निधि, पंचायत समिति निधि एवं ग्राम पंचायत निधि (मुख्य शीर्ष-8448-स्थानीय निधि जमा-109-पंचायत निकाय निधि के अंतर्गत) का संधारण करेंगे जिसमें अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त या प्राप्ति योग्य सभी राशियां शामिल होंगी एवं सभी राशियां अन्यथा पंचायती राज संस्थानों द्वारा प्राप्त की जाती हैं, जैसे कि केन्द्रीय वित्त आयोग और राज्य सरकार से राज्य वित्त आयोग पुरस्कार और अपने स्वयं के राजस्व के हिस्से के रूप में प्राप्त अनुदान, जिसमें पंचायत के कर एवं करेत्तर प्राप्तियां शामिल हैं। इसी प्रकार, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 86 में परिकल्पित है कि नगर पालिका निधि को निगम द्वारा ट्रस्ट में रखा जाना है। इस अधिनियम के तहत प्राप्त या प्राप्ति योग्य सभी राशि एवं नगर पालिकाओं द्वारा अन्यथा प्राप्त सभी राशि को नगर पालिका निधि में मुख्य शीर्ष-8448-स्थानीय निधि जमा-102- नगर पालिका निधि के अंतर्गत रखा जाना है। 2015-20 से पंचायती राज संस्थानों और नगर पालिका निधि में स्थानीय निधियों के जमा की स्थिति तालिका 4.5 में दी गई है:

तालिका 4.5: स्थानीय निधियों का जमा		(₹ लाख में)				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
जिला निधियाँ - 8448-101	प्रारंभिक शेष	1.08	1.08	1.08	396.87	1,258.94
	प्राप्तियां	--	--	395.79	862.07	--
	व्यय	--	--	--	--	--
	अंतिम शेष	1.08	1.08	396.87	1,258.94	1,258.94
नगर पालिका निधियाँ - 8448-102	प्रारंभिक शेष	0.33	0.64	24.04	47.45	1,479.55
	प्राप्तियां	0.31	23.40	23.41	1,432.10	513.77
	व्यय	--	--	--	---	--
	अंतिम शेष	0.64	24.04	47.45	1,479.55	1,993.32
पंचायत निकाय निधियाँ - 8448-109	प्रारंभिक शेष	671.36	671.36	672.15	1,331.54	1,332.75
	प्राप्तियां	--	0.79	659.39	1.21	28.65
	व्यय	--	--	--	----	--
	अंतिम शेष	671.36	672.15	1,331.54	1,332.75	1,361.40
अन्य निधियाँ - 8448-120	प्रारंभिक शेष	2,284.34	1,40,713.78	2,57,070.72	4,19,882.11	5,48,203.10
	प्राप्तियां	1,39,047.36	1,31,089.35	1,72,949.57	1,71,789.38	1,98,276.57
	व्यय	617.92	14,732.41	10,138.18	43,468.39	51,227.71
	अंतिम शेष	1,40,713.78	2,57,070.72	4,19,882.11	5,48,203.10	6,95,251.96

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, पिछले पाँच वर्षों में मुख्य शीर्ष 8448-101-जिला निधियाँ, 8448-102-नगर पालिका निधियाँ एवं 8448-109-पंचायत निकाय निधियाँ का कोई उपयोग नहीं किया गया तथा इन शीर्षों में निरंतर निधियों को जमा किया जा रहा है। इसके अलावा, पिछले पाँच वर्षों में 8448-120-अन्य निधियाँ में वृहद् अंतिम शेष है, जिसमें 2015-16 से 2019-20 तक निरंतर ₹5,545.38 करोड़ से वृद्धि हुई।

4.4 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुति में विलंब

वित्तीय नियम विनिर्दिष्ट करते हैं कि सशर्त अनुदानों के प्रकरण में संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को संबंधित अनुदान वर्ष के अगले वर्ष के 30 सितम्बर या उसके पूर्व अनुदान की उचित उपयोगिता के बारे में एक औपचारिक उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना है।


31 मार्च 2020 तक, 27 विभागों द्वारा प्रदान किए गए सहायतानुदान के विरुद्ध राज्य के निकायों और प्राधिकरणों द्वारा ₹15,541.32 करोड़ के कुल 19,604 उपयोगिता प्रमाण-पत्र, जो देय हो गए हैं, प्रस्तुत

नहीं किए गए थे। अवधि-वार उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुति में विलंब को तालिका 4.6 में दिया गया है:

तालिका 4.6: लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का वर्ष-वार विभाजन		
(₹ करोड़ में)		
वर्ष	उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि
2013-14 तक	19,553	13,209.63
2014-15	02	401.49
2015-16	09	39.18
2016-17	02	5.15
2017-18	0	0
2018-19	20	479.56
2019-20	18	1,406.31
योग	19,604	15,541.32

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी

तालिका 4.6 दर्शाती है कि बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की 85 प्रतिशत राशि 2014-15 से पहले की अवधि से संबंधित है। वर्ष 2019-20 तक भुगतान किए गये अनुदानों के लिए बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का विभाग-वार विभाजन परिशिष्ट 4.1 में दिया गया है। यह ध्यान में रखते हुए कि विभागीय अधिकारियों ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया कि विगत वर्षों में राशि ₹15,541.32 करोड़ किस प्रकार व्यय की गई, चिंता का विषय है, क्योंकि इसमें विशिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उन्हें प्रदान किया गया सार्वजनिक धन शामिल है और इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि इन निधियों को प्रदान करने से इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है। पिछले सात वर्ष या उससे अधिक समय के लिये प्रदान की गई धनराशि से संबंधित व्यय के लिये उत्तरदायित्व के अभाव में, इन निधियों के दुर्विनियोजन की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। आगे, उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुति में विलंब से भारत सरकार से निष्पादन अनुदानों की प्राप्ति प्रभावित हो सकती है। 10 प्रमुख विभागों के संबंध में बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति चार्ट 4.1 में दी गई है:



स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या प्राप्तकर्ताओं ने अनुदान का उपयोग उन उद्देश्यों के लिये किया था जिसके लिये अनुदान दिया गया था। उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतिकरण में उच्च लंबमानता निधियों के दुर्विनियोग एवं धोखाधड़ी के जोखिम से भरा है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में वर्ष दर वर्ष इस मुद्दे पर राज्य शासन का ध्यान आकर्षित करने के बावजूद इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है।

निर्गम सम्मेलन (मार्च 2021) के दौरान वित्त विभाग ने कहा कि यह गंभीर विषय था और वे उन विभागों को अनुदान की आगामी किस्त जारी नहीं करेंगे जिनके उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे। आगे, आगामी वित्तीय वर्ष से सभी संबंधित विभागों को इस संबंध में निर्देश जारी किए जाएंगे।

4.5 अनुदानग्राही संस्थान का “अन्य” के रूप में अभिलेखन

सरकार से सहायतानुदान प्राप्त करने वाले विभिन्न निकायों और प्राधिकरणों को संस्थान कोड देने की एक प्रणाली है। इन अनुदानों को कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम के प्रमाणक स्तर कम्प्यूटरीकरण प्रणाली में भी दर्ज किया जाता है और प्रत्येक संस्था के विरुद्ध बकाया राशि के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा करने की अनुवीक्षा की जाती है। कहने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रणाली को कार्य करने के लिए अनुदानग्राही संस्थान ठीक से दर्ज होना चाहिए। उचित कोड के अभाव में, सभी संस्थानों के विरुद्ध बकाया राशि की गणना नहीं की जा सकती। चूंकि सहायतानुदान राज्य के कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण भाग है, यह आवश्यक है कि सरकार अनुदानग्राही संस्थान का विवरण एवं प्रकृति प्रदान करें जिसे वह लेखों की पारदर्शिता के हित में निधियाँ उपलब्ध करा रही है।

वित्त लेखें दर्शाते हैं कि वर्ष 2019-20 के दौरान राशि ₹36,343.51 करोड़ (कुल सहायतानुदान ₹65,258.33 करोड़ का 55.69 प्रतिशत) अनुदानग्राही संस्थानों को “अन्य” के रूप में संवितरित की गयी थी। वर्ष 2015-20 के दौरान अनुदानग्राही संस्थानों को “अन्य” के रूप में जारी कुल राशि का विवरण तालिका 4.7 में दिया गया है:

अनुदानग्राही का नाम	(₹ करोड़ में)				
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
अन्य	9,800.41	12,147.25	9,024.21	12,451.13	36,343.51
कुल सहायतानुदान	37,645.64	49,980.15	53,454.99	54,428.05	65,258.33
सहायतानुदान के संबंध में अन्य का प्रतिशत	26.03	24.30	16.88	22.88	55.69

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, अनुदानग्राही संस्थान को “अन्य” के रूप में संवितरित राशि (2017-18 को छोड़कर) में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2019-20 में इसमें वृद्धि हुई, जो कुल सहायता अनुदान का महत्वपूर्ण भाग (55.69 प्रतिशत) है। वर्ष 2015-20 के दौरान अनुदानग्राही संस्थान को संवितरित राशि “अन्य” के रूप में 16.88 प्रतिशत से 55.69 प्रतिशत तक रही।

निर्गम सम्मेलन (मार्च 2021) में वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि मामले को संबंधित विभागों के समक्ष उठाया जायेगा।

4.6 व्यक्तिगत जमा खाते

भारत के संविधान का अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण/बजट के माध्यम से लोक व्यय पर विधायी वित्तीय नियंत्रण प्रदान करता है। मध्य प्रदेश बजट नियमावली में अपेक्षित है कि बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा वित्त विभाग को व्यय की प्रत्याशित बचतों के विवरण पत्रक प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी तक प्रस्तुत किए जाए।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, मध्य प्रदेश शासन के कई विभागों द्वारा वित्तीय प्रावधानों के उल्लंघन पर बार-बार टिप्पणी की गई है, जहाँ वित्त वर्ष के अंत में अनुदान को

व्यपगत होने से बचाने के लिए अव्ययित निधियों को सामान्यतः लोक लेखे के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तिगत जमा खातों में अंतरित कर दिया जाता है।

व्यक्तिगत जमा खाते वे जमा खाते होते हैं जो कोषालय में खातों के प्रशासकों के नाम पर रखे जाते हैं। धनराशि 8443-सिविल जमा 106 व्यक्तिगत जमा के अंतर्गत रखी जाती है। ये खाते वित्त विभाग की स्वीकृति से खोले जा सकते हैं।

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम 533 के अनुसार, लोक लेखा के अंतर्गत जमा के लिए कोषालय में प्राप्त नियत प्रकार की धनराशियों को व्यक्तिगत जमा खातों में जमा किया जा सकता है। व्यक्तिगत जमा खाते कोषालय में एक बैंकिंग जमा खाते के रूप में संधारित किए जाते हैं तथा प्राप्तियाँ एवं भुगतान प्रशासकों के व्यक्तिगत बही खाते (लेजर) में दर्ज किए जाते हैं। आगे, मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम 543 के अनुसार, व्यक्तिगत जमा खातों में शेष राशियाँ, जो राज्य की समेकित निधि को नामे (डेबिट) कर खातों में जमा (क्रेडिट) कर अंतरित की गयी हैं, को वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व समेकित निधि को वापस अंतरित किया जाना चाहिए तथा यदि ऐसी संभावना उत्पन्न होती है तो आगामी वर्ष में व्यक्तिगत जमा खाते पुनः खोले जा सकते हैं।

व्यक्तिगत जमा खाते जो लगातार तीन वर्षों तक असंचालित रहते हैं, उन्हें कोषालय अधिकारी द्वारा बंद कर दिया जाना चाहिए एवं शेषों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर शासकीय खाते में अंतरित कर दिया जाना चाहिए।

31 मार्च 2020 को व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति तालिका 4.8 में दी गयी है:

तालिका 4.8: 31 मार्च 2020 को व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति						
						(₹ करोड़ में)
प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष के दौरान व्यय	अंतशेष	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	राशि	संख्या	राशि
731	3,938.48	70*	9,267.05	6,936.83	801	6,268.70

स्रोत: वित्त लेखे 2019-20

*70 व्यक्तिगत जमा खातों में से 60 लेनदेन के कारण पुनः खोले गए और 10 नए खोले गए व्यक्तिगत जमा खाते


31 मार्च 2020 को 801 व्यक्तिगत जमा खातों में से 261 व्यक्तिगत जमा खातें ऋणात्मक शेष के साथ एवं ₹64.65 करोड़ (कुछ ऋणात्मक शेषों सहित) 216 व्यक्तिगत जमा खातें तीन वर्ष से अधिक से असंचालित थे। असंचालित व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण परिशिष्ट 4.2 में दिया गया है। ये खाते न तो वित्त वर्ष की समाप्ति पर बंद किए गए न ही राशि को राज्य की समेकित निधि में जमा किया गया। आगे, 2019-20 के दौरान कोई भी खाता बंद नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन (मार्च 2021) के दौरान, वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि उन्होंने मार्च 2019 में व्यक्तिगत जमा खातों को बंद करने के संबंध में आदेश जारी किया है किन्तु भू-अर्जन अधिकारी एवं जेल को इससे छूट प्रदाय की गयी थी।


4.7 लघु शीर्ष 800 का विवेकहीन उपयोग

अन्य प्राप्तियाँ/अन्य व्यय से संबंधित सर्वग्राही लघु शीर्ष 800 का परिचालन मात्र उन प्रकरणों में किया जाना है जहां लेखों में मुख्य शीर्ष के अंतर्गत उपयुक्त लघु शीर्ष प्रदान नहीं किया गया है। यदि ऐसे प्रकरण नियमित आधार पर हों, तो यह राज्य शासन का उत्तरदायित्व है कि वो प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से इस पर चर्चा करें तथा उपयुक्त लघु शीर्ष खोलने के लिए अनुमोदन प्राप्त करें। लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियों एवं व्यय का विवेकहीन पुस्तांकन लेनदेनों की प्रकृति एवं पारदर्शिता को प्रभावित करता है, तथा लेखों को अपारदर्शी बनाता है।

47 राजस्व शीर्षों के अंतर्गत दर्ज ₹7,399.14 करोड़ (वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां ₹1,47,643.35 करोड़ का 5.01 प्रतिशत) की प्राप्तियों को लेखों में लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। इसी प्रकार, विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 42 राजस्व एवं 22 पूंजीगत मुख्य शीर्षों में दर्ज ₹34,503.04 करोड़ (वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य के कुल व्यय ₹1,79,685.78 करोड़ का 19.20 प्रतिशत) के व्यय को लेखों में लघु शीर्ष '800 अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। 2015–20 के दौरान प्राप्तियों एवं व्यय के लिए लघु शीर्ष 800 के परिचालन की सीमा, कुल प्राप्तियों एवं व्यय के प्रतिशत के रूप में चार्ट 4.2 एवं 4.3 में दी गयी है:



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

दृष्टांत जहाँ प्राप्तियों/व्यय के सारभूत भाग (संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियों/व्यय का 10 प्रतिशत या उससे अधिक) को लघु शीर्ष 800—अन्य प्राप्तियों/व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, **परिशिष्ट 4.3** एवं **4.4** में दिया गया है और **तालिका 4.9** में सारांशीकृत किया गया है:

तालिका 4.9: लघु शीर्ष 800—'अन्य प्राप्तियां' एवं 'अन्य व्यय' के अंतर्गत पुस्तांकित राशि				
विवरण	प्राप्तियां		व्यय	
	राशि (₹ करोड़ में)	लेखा शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)	लेखा शीर्ष
100 प्रतिशत	290.45	0211, 0404, 0702, 0801, 1452	733.25	2250, 2852, 4070, 4408, 4875
75 प्रतिशत एवं 99 प्रतिशत के मध्य	2,210.35	0202, 0852, 0435, 0059, 0217, 0056, 0235	12,208.81	2075, 4701, 4853, 2702, 4700, 4515, 4711
50 प्रतिशत एवं 74 प्रतिशत के मध्य	814.52	0515, 0700, 0029, 0401, 0215, 0049, 0210, 0403	4,152.23	2217, 2851, 2705, 2204, 4403
25 प्रतिशत एवं 49 प्रतिशत के मध्य	1,794.26	0220, 0853, 0425, 0405, 0701, 0071	14,504.56	4801, 2401, 5053, 4702, 2801, 5054, 4215, 4225
10 प्रतिशत एवं 24 प्रतिशत के मध्य	1,769.38	0030, 0055, 0408, 0043, 0406, 0250	1,243.94	3054, 4055, 4705, 2701, 2405, 2810, 2245, 2225
10 प्रतिशत से कम	520.18	अन्य मुख्य शीर्ष	1,660.25	अन्य मुख्य शीर्ष
योग	7,399.14		34,503.04	

स्रोत: वित्त लेखे 2019–20

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में यह मुद्दा प्रति वर्ष चिन्हित किया गया है। 2019–20 (5.01 प्रतिशत) के दौरान इस लघु शीर्ष के अंतर्गत प्राप्ति पक्ष में विगत वर्ष (23.39 प्रतिशत) की तुलना में राशियों में बहुत अधिक कमी रही है। वहीं व्यय पक्ष में, यह कुल व्यय का 2018–19 में 17.88 प्रतिशत से बढ़कर 2019–20 के दौरान 19.20 प्रतिशत हो गया था। तथ्य यह है कि संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियों एवं व्यय के ऐसे सारभूत अनुपात लघु शीर्ष 800 में पुस्तांकित किये जाते हैं, जो गंभीर चिंता का कारण है क्योंकि यह गंभीर रूप से पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

निर्गम सम्मेलन (मार्च 2021) में, वित्त विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। आगे, स्थिति को और बेहतर बनाने के प्रयास किए जाएंगे।

आगे, नमूना प्रमाणकों की जांच के दौरान, यह पाया गया कि मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड को लघु शीर्ष 800—'अन्य व्यय' के अंतर्गत ₹113 करोड़ का व्यय एवं मध्य प्रदेश ट्रेड एवं इनवेस्टमेंट फौसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल को निवेश के रूप में ₹38.24 करोड़ क्रमशः मुख्य शीर्ष 4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय एवं 4875—अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत पुस्तांकित किये गए। इन राशियों को लघु शीर्ष 190—सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।

मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को मुख्य शीर्ष—2401—कृषिकर्म के अंतर्गत सहायता अनुदान के रूप में ₹2.64 करोड़ का व्यय, लघु शीर्ष 195—कृषि सहकारिता की सहायता के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। स्पष्ट है कि, राज्य शासन ने उचित लेखा वर्गीकरण संहिता का पालन नहीं किया जैसा कि लेखा के मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची में दिया गया है।

4.8 उचंत एवं ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष

शासकीय खातों में प्राप्ति और भुगतान के लेन-देन को दर्शाने के लिए खोले गये निश्चित मध्यस्थ/समायोजित लेखा शीर्षों को 'उचंत शीर्ष' के रूप में जाना जाता है, जिन्हें कोषालय/वेतन लेखा अधिकारियों द्वारा अनुसूची के निपटान की गैर-प्रस्तुती, भारतीय रिजर्व बैंक से निकासी ज्ञापन की प्राप्ति न होने, प्रमाणक की अप्राप्ति, आदि जानकारी के अभाव में खाते के अंतिम शीर्ष में पुस्तांकित नहीं किया

जा सकता है। खातों के इन शीर्षों को अंततः ऋणात्मक डेबिट या ऋणात्मक क्रेडिट द्वारा समाशोधित (Clear) कर दिया जाता है, जब खातों को उनके संबंधित खातों के अंतिम शीर्षों के अंतर्गत पुस्तांकित किया जाता है। यदि ये राशियां समाशोधित नहीं होती हैं, तो उचंत शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि जमा हो जाएगी एवं सरकार की प्राप्ति और व्यय को सही ढंग से नहीं दर्शाएंगी।

प्रेषण सभी लेन-देनो को अंगीकार करते हैं जो लेखों के शीर्षों को समायोजित कर रहे हैं और इन शीर्षों के अंतर्गत डेबिट या क्रेडिट अंततः उसी क्रेडिट या डेबिट के अंतर्गत या लेखों के अन्य चक्र में पत्राचार द्वारा समाशोधित किए जाते हैं।

वित्त लेखे उचंत और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेष दर्शाते हैं। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष की गणना अलग से विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बकाया डेबिट और क्रेडिट शेष को मिलाकर की जाती है। पिछले तीन वर्षों के उचंत और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत सकल आंकड़ों की स्थिति तालिका 4.10 में दी गई है:

तालिका 4.10: उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेष						
(₹ करोड़ में)						
मुख्य/लघु शीर्ष	2017-2018		2018-19		2019-20	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
8658—उचंत लेखें						
101—वेतन तथा लेखा कार्यालय उचंत	54.32	(-)3.69	112.16	118.53	48.60	47.70
निवल	डेबिट 58.01		क्रेडिट 6.37		डेबिट 0.90	
102—उचंत लेखा (सिविल)	0.72	0.31	0.83	0.64	0.19	0.01
निवल	डेबिट 0.41		डेबिट 0.19		डेबिट 0.18	
107—नकद परिनिर्धारण उचंत लेखा	111.66	(-) 2.09	141.60	28.05	141.60	28.05
निवल	डेबिट 113.75		डेबिट 113.55		डेबिट 113.55	
110—रिजर्व बैंक उचंत—केंद्रीय लेखा कार्यालय	1,029.24	(-) 5.02	719.31	13.87	1,810.57	3.82
निवल	डेबिट 1,034.26		डेबिट 705.44		डेबिट 1,806.75	
112—स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) उचंत	0.03	335.94	---	401.51	---	177.45
निवल	क्रेडिट 335.91		क्रेडिट 401.51		क्रेडिट 177.45	
113—भविष्य निधि उचंत	13.85	--	14.56	--	14.55	--
निवल	डेबिट 13.85		डेबिट 14.56		डेबिट 14.55	
123—ए.आई.एस. अधिकारी समूह बीमा योजना	2.16	12.21	2.70	13.22	3.06	13.88
निवल	क्रेडिट 10.05		क्रेडिट 10.52		क्रेडिट 10.82	
129—सामग्री क्रय परिनिर्धारण उचंत लेखा	71.56	258.74	36.10	223.11	36.10	223.11
निवल	क्रेडिट 187.18		क्रेडिट 187.01		क्रेडिट 187.01	
139—वस्तु एवं सेवा कर	--	--	--	--	77.21	96.16
निवल	निरंक		निरंक		18.95	
8782—नकद प्रेषण						
102—लोक निर्माण प्रेषण	1,23,445.82	1,26,341.49	1,21,170.94	1,24,873.37	1,38,040.17	1,42,048.94
निवल	क्रेडिट 2,895.67		क्रेडिट 3,702.43		क्रेडिट 4,008.77	
103—वन प्रेषण	19,398.95	19,244.49	4,483.09	4,605.35	4,492.03	4,607.38
निवल	डेबिट 154.46		क्रेडिट 122.26		क्रेडिट 115.35	
110—विविध प्रेषण	7,556.96	6,985.25	8,046.85	7,109.51	8,554.27	7,287.74
निवल	डेबिट 571.71		डेबिट 937.34		डेबिट 1,266.53	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे


उपरोक्त तालिका उच्च और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेष को दर्शाती है। यदि इन उच्च शीर्षों के अंतर्गत राशियां असमायोजित रहती हैं, तो इन शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि संचित हो जाती है, परिणामस्वरूप सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों की न्यूनोक्ति हो जाती है। आगे, इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष की गैर निकासी राज्य सरकार के लेखों के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत (जिन्हे वर्ष-दर-वर्ष आगे बढ़ाया जाता है) प्राप्ति/व्यय के आंकड़ों और शेष की परिशुद्धता को प्रभावित करती है।

4.9 विभागीय आंकड़ों का गैर मिलान

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 24.9.3 में अपेक्षित है कि, सभी नियंत्रण अधिकारी शासन की प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान प्रधान महालेखाकार द्वारा लेखांकित राशि के साथ करें। यह नियंत्रण अधिकारियों को व्यय पर प्रभावी नियंत्रण करने एवं उनके बजटीय आवंटन का दक्षतापूर्वक प्रबंधन करने तथा उनके लेखों की शुद्धता सुनिश्चित करने में सक्षम करने के लिए है।

2019-20 के दौरान मार्च 2020 तक सभी 124 नियंत्रण अधिकारियों ने व्यय ₹91,607.84 करोड़ ("लोक ऋण" एवं अंतर्राज्यीय समायोजन के अंतर्गत पुनर्भुगतान को छोड़कर कुल व्यय ₹1,80,672.94 करोड़ का 50.70 प्रतिशत) एवं प्राप्ति ₹16,728.21 करोड़ ("लोक ऋण" एवं अंतर्राज्यीय समायोजन के अंतर्गत प्राप्तियों को छोड़कर कुल प्राप्तियों ₹1,47,702.87 करोड़ का 11.33 प्रतिशत) का मिलान किया है।

पिछले तीन वर्ष की अवधि 2017-20 के दौरान नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्तियों और व्यय के आंकड़ों के मिलान की स्थिति को चार्ट 4.4 में दर्शाया गया है:



स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी

नियंत्रण अधिकारियों की संख्या तथा विगत तीन वर्षों के दौरान मिलान की सीमा से संबंधित विवरण तालिका 4.11 में दिया गया है:

तालिका 4.11: प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़ों के मिलान की स्थिति							
							(₹ करोड़ में)
वर्ष	नियंत्रण अधिकारियों की कुल संख्या	पूर्णतः मिलान	आंशिक मिलान	मिलान नहीं हुआ	कुल प्राप्तियाँ/व्यय	मिलान की गई प्राप्तियाँ/व्यय	मिलान का प्रतिशत
प्राप्तियाँ							
2017-18	117	08	27	82	1,41,881.03	25,914.75	18.27
2018-19	124	01	10	113	1,48,975.71	20,768.47	13.94
2019-20	124	*	*	*	1,47,702.87	16,728.21	11.33
व्यय							
2017-18	117	22	91	04	1,63,802.35	80,505.33	49.15
2018-19	124	08	108	08	1,72,663.06	84,586.64	48.99
2019-20	124	*	*	*	1,80,672.94	91,607.84	50.70

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी

*2019-20 में मिलान का कार्य ऑनलाइन शुरू किया गया है। यह कार्य अब संचालनालय, कोष एवं लेखा (डीटीए), भोपाल द्वारा किया जाता है और संचालक, कोष एवं लेखा, भोपाल के आदेश दिनांक 02.07.2020 के अनुसार, बजट नियंत्रक अधिकारी अब इस कार्य को नहीं कर रहे हैं।

विभागों और कोषालय द्वारा प्राप्तियों और व्यय का कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पुस्तकों से मिलान न किया जाना लेखाओं की शुद्धता और पूर्णता को प्रभावित करता है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से इस मुद्दे को चिन्हित किए जाने के बावजूद भी कमियां निरंतर जारी हैं। राज्य शासन के विभागों द्वारा प्राप्तियों एवं व्यय का वार्षिक मिलान किया जाना चाहिए एवं वित्त विभाग को उक्त के लिये एक कार्य योजना भी प्रतिपादित करने की आवश्यकता है।

निर्गम सम्मेलन (मार्च 2021) के दौरान, वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि प्रकरण को संचालक (कोष एवं लेखा) एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के ध्यान में लाया जाएगा। तथापि, केन्द्र सरकार से प्राप्त प्राप्तियों को इस गणना से बाहर रखने की आवश्यकता है।

4.10 रोकड़ शेष का मिलान

31 मार्च 2020 की स्थिति में, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की लेखा पुस्तकों के अनुसार राज्य शासन का रोकड़ शेष (₹4,623.28 करोड़) एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिवेदित रोकड़ शेष (₹4,589.24 करोड़) के मध्य ₹34.04 करोड़ (क्रेडिट) का अंतर था। जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार आवश्यक है बैंक शाखाओं द्वारा संबंधित बैंक स्कॉल कोषालयों को प्रस्तुत किये जा रहे हैं। ₹34.04 करोड़ का अंतर एंजेसी बैंकों द्वारा त्रुटिपूर्ण सूचना के कारण था। पेंशन भुगतान स्कॉल के साथ-साथ तिथि-वार मासिक पत्रक भी बैंक शाखाओं द्वारा कोषालयों को प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

4.11 लेखांकन मानकों का अनुपालन

वर्ष 2002 में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा स्थापित शासकीय लेखांकन मानक सलाहकार मण्डल जवाबदेही तंत्र को बढ़ाने के लिए शासकीय लेखांकन एवं वित्तीय सूचना के लिए मानक तैयार कर रहा है। मार्च 2020 के अंत तक, तीन भारतीय शासकीय लेखांकन मानक (आई.जी.ए.एस.) अधिसूचित किए गए हैं। इन मानकों के विवरण तथा मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए अपने वित्तीय विवरण में इनके अनुपालन की सीमा तालिका 4.12 में दी गई है:

तालिका 4.12: लेखांकन मानकों का अनुपालन			
आई.जी.ए.एस.	आई.जी.ए.एस. का सार	स्थिति	गैर-अनुपालन का प्रभाव
आई.जी.ए.एस. 1 शासन द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों के प्रकटीकरण की आवश्यकताएँ	इस मानक के अंतर्गत शासन से वर्ष के दौरान अपने वित्तीय विवरण में परिग्रहितियाँ, हटाई गई, आमंत्रित, निपटाई गई एवं वर्ष के अंत में बकाया प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि प्रकट किया जाना अपेक्षित है।	अनुपालन हुआ	राज्य शासन ने मार्च 2020 तक अंतिम लेखों में परिग्रहितियाँ, निपटाई गई, आमंत्रित एवं बकायों सहित 2019-20 के दौरान अधिकतम प्रत्याभूत राशि का प्रकटीकरण किया था।
आई.जी.ए.एस. 2 सहायतानुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण	अंतिम उपयोग के निरपेक्ष, सहायतानुदान प्रदाता के लेखों में राजस्व व्यय के रूप में एवं अनुदानगृहीता के लेखों में राजस्व प्राप्त के रूप में वर्गीकृत किया जाना है।	अनुपालन नहीं हुआ	राज्य शासन ने राशि ₹494.68 करोड़ की सहायतानुदान को राजस्व व्यय के स्थान पर पूंजीगत व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया। गैर-अनुपालन के कारण राजस्व घाटा को न्यूनोक्त एवं पूंजीगत व्यय को अत्युक्त बताया गया।
आई.जी.ए.एस. 3 शासन द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम	यह मानक सम्पूर्ण, सटीक एवं एकरूप लेखांकन प्रथाएँ सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा अपने वित्तीय विवरण में किए गए ऋणों एवं अग्रिमों की पहचान, मापन, मूल्यांकन एवं प्रतिवेदन से संबन्धित है।	आंशिक अनुपालन किया गया	“अप्रतिलभ्य ऋणों एवं अग्रिमों का अपलेखन”, ऋणी संस्थाओं से बकायों में पुनर्भुगतान”, “वर्ष के दौरान प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम” तथा “ऋणों एवं अग्रिमों से संबन्धित असाधारण लेन-देनों को इंगित करने वाले प्रकटीकरण” वित्त लेखों में नहीं किए गए थे, क्योंकि राज्य शासन द्वारा जानकारी प्रदान नहीं की गयी थी।

		इसलिए राज्य वित्त के इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रतिवेदन करना संभव नहीं है।
--	--	---

4.12 स्वायत्त निकायों के लेखाओं/पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

राज्य शासन ने कृषि, आवास, श्रम कल्याण, नगरीय विकास, इत्यादि के क्षेत्रों में अनेक स्वायत्त निकायों या प्राधिकरणों की स्थापना की है। इन निकायों और प्राधिकरणों को वार्षिक लेखा तैयार करने और लेखापरीक्षा के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रस्तुत करना आवश्यक है। राज्य में सात स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। पांच निकायों के लंबित लेखाओं और प्रतिकूल राय के मामलों की स्थिति तालिका 4.13 एवं 4.14 में दी गयी है:

स.क्र.	निकाय या प्राधिकरण का नाम	लेखे जब से लंबित	वित्त वर्ष 2019-20 तक लंबित लेखाओं की संख्या
1	मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल	2013-14	07
2	मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	2010-11	10
3	मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग, भोपाल	2017-18	03
4	मध्य प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण	2018-19	02
5	मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग मंडल, भोपाल	2016-17	04

निकाय या प्राधिकरण का नाम	दी गई राय का प्रकार	कारण
मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल	अस्वीकरण	पर्याप्त एवं उचित जानकारी और स्पष्टीकरण लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किया गया है, जो हमारी सम्पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक था।
		मण्डल द्वारा अपनाए गए लेखा प्रारूप को वित्त विभाग और श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से अनुमोदित नहीं कराया गया था, जैसा कि मण्डल की धारा 27 (रोजगार का विनियमन एवं सेवा की अन्य शर्तें) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत आवश्यक था।
		मण्डल द्वारा लेखों का उचित पुस्तांकन एवं अन्य संबंधित अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया गया, जैसा कि मण्डल की धारा 27 (रोजगार का विनियमन एवं सेवा की अन्य शर्तें) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत आवश्यक था। वित्तीय विवरण तैयार करने में सतत अनियमितताएं हैं, जिन्हें पूर्व में पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किया गया था, परन्तु मण्डल ने इसे ठीक करने के लिए कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है।
मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	अस्वीकरण	फरवरी 2005 में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित प्रारूप में प्राधिकरण के लेखों का संधारण नहीं किया गया था।
		लेखों का रखरखाव उपचय आधार (accrual basis) के बजाय नकद आधार पर किया गया था।
		खातों का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया था और कई प्रविष्टियों को खातों में अप्रविष्ट छोड़ दिया गया था। तीन वर्षों अर्थात् 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के लिए प्रविष्टियाँ एक ही खाते में की गयी थीं, परिणामस्वरूप लेखाओं में दिए गए विभिन्न आंकड़ों को सत्यापित नहीं किया जा सका।
		लेखांकन नीतियों एवं लेखों पर टिप्पणी को प्रदान नहीं किया गया था। प्रबंधन द्वारा परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा रहा था।

<p>मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग मंडल, भोपाल</p>	<p>अस्वीकरण</p>	<p>पर्याप्त एवं उचित जानकारी लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं की गई, इसलिए लेखापरीक्षा उक्त वित्तीय विवरण पर कोई राय व्यक्त नहीं कर सका। स्वायत्त निकायों के लिए तुलन पत्रक, आय और व्यय लेखा तथा प्राप्ति और भुगतान विवरण उचित लेखा प्रारूप के अनुसार नहीं हैं। मण्डल द्वारा लेखाओं का उचित पुस्तांकन और अन्य संबंधित अभिलेखों का संधारण नहीं किया गया।</p> <p>सतत अनियमितताएँ:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. खादी केंद्रों के वित्तीय विवरणों को मण्डल के वित्तीय विवरण में समेकित नहीं किया गया था, ii. परिसंपत्तियों एवं देयताओं के अंतर्गत गैर मिलान शेष लंबे समय से लंबित थे।
--	-----------------	--

4.13 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम

वाणिज्यिक और अर्द्ध-वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों का प्रदर्शन करने वाले कुछ शासकीय विभागों के विभागीय उपक्रमों को प्रतिवर्ष वित्तीय संचालन के कार्य परिणाम दिखाते हुए निर्धारित प्रारूप में प्रोफार्मा लेखे तैयार करने की आवश्यकता होती है, ताकि सरकार अपने काम का आकलन कर सके।

विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक और अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों के अंतिम लेखे उनके व्यवसाय के संचालन में उनके समग्र वित्तीय स्वास्थ्य और दक्षता को दर्शाते हैं। लेखाओं को समय पर अंतिम रूप देने के अभाव में, सरकार का निवेश लेखापरीक्षा/राज्य विधानमंडल की संवीक्षा के बाहर रहता है। परिणामस्वरूप, संशोधनात्मक उपाय, यदि कोई हो, जो उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने और दक्षता में सुधार के लिए आवश्यक है, समय पर नहीं लिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, देरी धोखाधड़ी एवं सार्वजनिक धन के रिसाव के जोखिम के प्रति अतिसंवेदनशील प्रणाली का प्रतिपादन करती है। सरकार में विभागों के प्रमुखों को यह सुनिश्चित करना है कि उपक्रम निर्धारित समय के भीतर लेखे तैयार करें और लेखापरीक्षा के लिए महालेखाकार को प्रस्तुत करें।

सांविधिक निगमों के लेखों को उनके अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार अंतिम रूप दिया जाना, लेखापरीक्षा करना और विधानमंडल में प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन में, 45 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों/कंपनियों के लेखे बकाया हैं। मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र मिनरल्स लिमिटेड और मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के लेखे क्रमशः 18 वर्ष और 15 वर्ष से बकाया थे तथा 43 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के संबंध में यह एक से आठ वर्ष के बीच रहा। 45 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों में से 15 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निगम घाटे में चल रहे थे। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों/सरकारी कंपनियों जिनके लेखे 31 मार्च 2020 की स्थिति में बकाया हैं, का विवरण, **परिशिष्ट 4.5** में दिया गया है।

4.14 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों को अंतिम रूप देने में विलंब

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166 एवं 210 के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनियों को सुसंगत वित्तीय वर्ष के अंत से छः महीने के अन्दर अर्थात् सितम्बर अंत तक, वित्तीय विवरण पत्रक को, अंतिम रूप देना होता है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96(1) सहपठित धारा 129(2) के अंतर्गत इसी प्रकार के प्रावधान विद्यमान हैं। ऐसा करने में विफल रहने पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 129(7) के अंतर्गत दांडिक प्रावधानों का प्रयोग किया जा सकता है, जिसके अनुसार जिम्मेदार चूककर्ता कम्पनी के प्रत्येक अधिकारी को कारावास, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है अथवा अर्थदंड जो कि ₹50,000 से कम नहीं होगा लेकिन जिसे ₹ पाँच लाख तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों हो सकते हैं।

संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार सांविधिक निगमों के लेखों को अंतिम रूप देना, लेखापरीक्षा करना तथा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

उपर्युक्त प्रावधानों के उल्लंघन होने से मध्य प्रदेश में 63 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखे बकाया थे जैसा कि तालिका 4.15 में विवरण दिया गया है:

तालिका 4.15: 31 दिसम्बर 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अवधि-वार बकाया लेखे				
स.क्र.	विवरण	कार्यशील	अकार्यशील	योग
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों की संख्या	54	17	71
2(क)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों की संख्या जिनके लेखे बकाया हैं	37	08	45
2(ख)	बकाया लेखों की संख्या	75	97	172
3(क)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों की संख्या जिनके लेखे पाँच से कम वर्षों से बकाया हैं	31	01	32
3(ख)	उपर्युक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों में बकाया लेखों की संख्या	45	03	48
4(क)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों की संख्या जिनके लेखे पाँच से 10 वर्ष तक बकाया हैं	02	0	02
4(ख)	उपर्युक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों में बकाया लेखों की संख्या	14	0	14
5(क)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों की संख्या जिनके लेखे 10 या अधिक वर्षों से बकाया हैं	01	06	07
5(ख)	उपर्युक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों में बकाया लेखों की संख्या	16	94	110
6	लेखों के बकाया की सीमा (वर्षों में)	1-16	1-30	1-30

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदाय जानकारी

लेखों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक 30 वर्ष की अवधि तक कम्पनी अधिनियम के अनुसार कम्पनियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा एवं संबंधित अधिनियमों के अनुसार निगमों की सांविधिक लेखापरीक्षा करने में असमर्थ रहे हैं।

उपरोक्त संबंधित प्रशासनिक विभाग की असफलता को इंगित करता है, विशेष रूप से वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि चूककर्ता कम्पनियाँ एवं निगम सुसंगत अधिनियमों का पालन करते हैं।

4.15 लाभांश घोषित न किया जाना

राज्य शासन की नीति (जुलाई 2005) के अनुसार सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कर के पश्चात् लाभ का न्यूनतम 20 प्रतिशत लाभांश के रूप में भुगतान करना आवश्यक है। यद्यपि उनके अद्यतन अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के 14 उपक्रमों ने शासकीय समता पूंजी ₹15,510.17 करोड़ के साथ कुल लाभ ₹1,514.12 करोड़ अर्जित किया, सार्वजनिक क्षेत्र के केवल छः उपक्रमों ने ₹31.90 करोड़ या इन उपक्रमों के समग्र लाभ का 2.11 प्रतिशत लाभांश प्रस्तावित किया। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के आठ उपक्रमों ने मध्य प्रदेश शासन की लाभांश नीति का उल्लंघन कर लाभ अर्जित करने के बावजूद ₹270.91 करोड़ का लाभांश घोषित नहीं किया। विवरण परिशिष्ट 4.6 में दिया गया है।

4.16 समता पूंजी/ऋणों/प्रत्याभूतियों का गैर मिलान

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार समता पूंजी, ऋणों एवं बकाया प्रत्याभूतियों से संबंधित आंकड़ों का राज्य के वित्त लेखे में प्रदर्शित आंकड़ों से मिलान होना चाहिए। जहाँ आंकड़ों का मिलान नहीं होता है, संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं वित्त विभाग को अंतरों का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2020 को इससे संबंधित स्थिति तालिका 4.16 में दर्शायी गयी है:

तालिका 4.16: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों एवं वित्त लेखे के अनुसार समता पूंजी, ऋण एवं बकाया प्रत्याभूतियाँ (₹ करोड़ में)			
के संबंध में बकाया	वित्त लेखे के अनुसार राशि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार राशि	अंतर
समता पूंजी	27,671.70	27,717.49	45.79
ऋण	33,490.50	28,546.00	4,944.50
प्रत्याभूतियाँ	3,432.34	4,240.50	808.16

स्रोत: वित्त लेखे 2019-20 एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदाय जानकारी

यद्यपि वित्त लेखों में दर्शित एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार राशि के मध्य अंतर को पूर्व वर्षों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित किया गया था, राज्य शासन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

4.17 दुर्विनियोग, हानियाँ, चोरियाँ, इत्यादि

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता खण्ड-1 का नियम 22(1) प्रावधान करता है कि गबन अथवा अन्य कारण से किसी लोक धन की हानि की सूचना तत्काल महालेखाकार को प्रतिवेदित की जानी चाहिए, भले ही जिम्मेदार पक्ष द्वारा इस हानि की पूर्ति कर दी गई हो।

राज्य शासन ने 31 मार्च 2020 तक दुर्विनियोग, हानियों, चोरियों, इत्यादि के 3,187 प्रकरण सूचित किये थे जिन पर जून 2020 तक अंतिम कार्रवाई लंबित थी, में ₹38.40 करोड़ समाविष्ट थे। मुख्य प्रकरण वानिकी तथा वन्य जीवन (₹16.31 करोड़ के 2,668 प्रकरण), कोषालय एवं लेखा प्रशासन, स्कूल शिक्षा तथा पुलिस विभाग से संबंधित थे। 31 मार्च 2020 की स्थिति में दुर्विनियोग, हानियों, चोरियों, इत्यादि के वसूली हेतु लंबित प्रकरणों का मुख्य शीर्ष-वार विवरण तालिका 4.17 में दिया गया है:

तालिका 4.17: 31 मार्च 2020 को दुर्विनियोग, हानियों, चोरियों, इत्यादि के वसूली हेतु लंबित प्रकरण								
(₹ लाख में)								
मुख्य शीर्ष	सरकारी सामग्री के दुर्विनियोग / हानियों / चोरियों के प्रकरण		दुर्विनियोग / हानियों / चोरियों, इत्यादि के लंबित प्रकरणों के अंतिम निराकरण में विलंब के कारण की गयी कार्यवाही					
	प्रकरणों की संख्या	राशि	विभागीय और आपराधिक जाँच का इंतजार		विभागीय कार्रवाई आरंभ लेकिन पूर्ण नहीं		आपराधिक कार्यवाही पूर्ण परन्तु राशि की वसूली लंबित	
			प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	11	55.24	11	55.24	0	0.00	0	0.00
2211- परिवार कल्याण	03	47.67	03	47.67	0	0.00	0	0.00
2054- कोषालय एवं लेखे प्रशासन	11	830.42	11	830.42	0	0.00	0	0.00
2215- जलपूर्ति एवं सफाई	04	3.09	04	3.09	0	0.00	0	0.00
2014- प्रशासन एवं न्याय	03	15.63	03	15.63	0	0.00	0	0.00
2015- चुनाव	02	8.90	02	8.90	0	0.00	0	0.00
2055- पुलिस	281	274.39	131	115.72	150	158.67	0	0.00
2225- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण	06	7.05	06	7.05	0	0.00	0	0.00
2235- महिला एवं बाल कल्याण	07	16.13	07	16.13	0	0.00	0	0.00
2058- लेखन सामग्री एवं मुद्रण	02	8.58	02	8.58	0	0.00	0	0.00
3604- स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थान को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन	01	8.55	01	8.55	0	0.00	0	0.00

2202-स्कूल शिक्षा	99	707.02	82	543.10	17	163.92	0	0.00
2203- तकनीकी शिक्षा	31	77.57	29	70.97	02	6.60	0	0.00
2204-खेल एवं युवा सेवाएँ	03	4.20	03	4.20	0	0.00	0	0.00
2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	04	46.56	04	46.56	0	0.00	0	0.00
2505-कला एवं संस्कृति	01	0.00	01	0.00	0	0.00	0	0.00
2403- पशुपालन	19	18.48	16	13.18	03	5.30	0	0.00
2401- किसान कल्याण और कृषि विकास	27	74.68	19	42.16	06	31.67	02	0.85
2040- वाणिज्यक कर	01	0.70	01	0.70	0	0.00	0	0.00
2853-खनिज संसाधन विभाग	03	4.22	02	4.22	01	0.00	0	0.00
2406- वानिकी एवं वन्य जीवन	2,668	1,630.61	1,271	722.02	1,365	887.53	32	21.07
योग	3,187	3,839.69	1,609	2,564.08	1,544	1,253.69	34	21.92

स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रदाय जानकारी

सरकार दुर्विनियोग, हानियों, चोरियों, इत्यादि के प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई करने के लिए एक समयबद्ध रूपरेखा तैयार करने तथा ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने पर विचार कर सकती है।

4.18 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने मध्य प्रदेश शासन के वित्त पर अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में राज्य शासन के विभागों/प्राधिकरणों द्वारा वित्तीय एवं बजटीय प्रबंधन के विभिन्न दृष्टिकोण से संबंधित निर्धारित प्रक्रियाओं, नियमों और विनियमों, इत्यादि के मुद्दे अनुपालन न करने के क्षेत्र वर्ष-दर-वर्ष चिन्हित किये हैं। ये प्रतिवेदन वांछित परिणाम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब वे सरकार/प्रशासन से सकारात्मक और पर्याप्त प्रतिक्रिया प्राप्त करें। राज्य वित्त पर पृथक प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 से तैयार किये जा रहे हैं और राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किये जा रहे हैं। वर्ष 2014-19 का विवरण तालिका 4.18 में दिया गया है:

तालिका 4.18: लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा किये गए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति						
प्रतिवेदन वर्ष	क्या लोक लेखा समिति ने राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा की	उस प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति की बैठकों की संख्या	वित्त वर्ष में चर्चा	चर्चा के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं की संख्या और प्रकृति	विभाग द्वारा कार्यान्वयन टीम	द्वारा
2014-15	हाँ	2	2018-19 2019-20	1 कण्डिका: • 2.3.5 आधिक्य व्यय पर अनुदान संख्या-41	निरंक	
2015-16	लोक लेखा समिति द्वारा मौखिक चर्चा के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2015-16 की किसी भी कंडिका का चयन आज दिनांक तक नहीं किया गया है					

2016-17	नहीं	-	4 कंडिकाएँ: • 1.5.2.1— समस्त कर्जों के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि की स्थापना, • 2.2.1— आधिक्य व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है • 3.1.3— व्यक्तिगत जमा खातों के संधारण में अनियमितताएँ, • 3.6— असत्य उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुति	-
2017-18	नहीं	-	लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा के लिए कंडिकाओं का चयन लंबित है	-
2018-19	राज्य विधानमंडल में राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 04.03.2021 को प्रस्तुत किया			

4.19 निष्कर्ष

विभिन्न विभागों द्वारा विशिष्ट विकासात्मक कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए आहरित कुल राशि ₹15,541.32 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जो कि निर्धारित वित्तीय नियमों एवं निर्देशों का उल्लंघन था तथा अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण को इंगित करता है।

2019-20 के दौरान, 2018-19 की तुलना में व्यक्तिगत जमा खातों में अंतिम शेष 59.17 प्रतिशत से बढ़ गया। आगे, 261 व्यक्तिगत जमा खातों में ऋणात्मक शेष था तथा 216 व्यक्तिगत जमा खातों ₹64.65 करोड़ (कुछ ऋणात्मक शेष सहित) के साथ तीन वर्षों से अधिक से असंचालित थे। सरकार को इन खातों की सावधानीपूर्वक निगरानी करनी चाहिए थी और सुनिश्चित करना चाहिए था कि ऐसे असंचालित खाते बंद कर दिए गए हैं तथा राज्य के कोषालय संहिता के अनुसार शेषों को शासकीय खातों में अंतरित कर दिया गया है।

सर्वग्राही लघु शीर्ष 800—'अन्य प्राप्तियां' (₹7,399.14 करोड़) एवं 'अन्य व्यय' (₹34,503.04 करोड़) के विवेकहीन संचालन ने वित्तीय सूचना में पारदर्शिता को प्रभावित किया तथा व्यय की गुणवत्ता एवं आवंटन प्राथमिकताओं के उचित विश्लेषण को अस्पष्ट किया।

नियंत्रण अधिकारियों ने अपने लेखा आंकड़ों का मिलान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय द्वारा पुस्तांकित आंकड़ों से प्राप्तियों के संबंध में केवल 11.33 प्रतिशत एवं व्यय के संबंध में 50.70 प्रतिशत की सीमा तक किया है। लेखा प्रतिपादन इकाइयों/प्राधिकरणों द्वारा लेखाओं के गैर-मिलान ने राज्य के लेखाओं की शुद्धता एवं पूर्णता और प्रभावी बजटीय प्रबंधन को प्रभावित किया।

4.20 अनुशंसाएं

- राज्य शासन को उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुति रोकने वाले मुद्दों की पहचान करने तथा सुनिश्चित करने के लिए कि विभाग उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की समयोचित प्रस्तुती संबंधी निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन करने के लिए एक सख्त नियंत्रण तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।
- राज्य शासन को सभी व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा करनी चाहिए तथा सुनिश्चित करना चाहिए कि इन खातों में निष्क्रिय पड़ी निधियों को शासकीय खातों में तत्काल अंतरित किया जाए। आगे, शासन को व्यक्तिगत जमा खातों में अव्ययित शेषों का विवरण प्रकट करना चाहिए।
- राज्य शासन को वित्तीय प्रतिवेदन में पारदर्शिता में सुधार के लिए सर्वग्राही लघु शीर्ष-800 का उपयोग हतोत्साहित करना चाहिए। सरकार को लेखा-पुस्तकों में लेन-देनों को सही ढंग से

वर्गीकृत करने के लिए उपयुक्त लेखा शीर्षों की पहचान करने के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ परामर्श कर एक विशिष्ट समय—सीमा की रूपरेखा बनाना चाहिए।


- iv) आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है तथा शासन को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि नियंत्रण अधिकारी शासकीय लेन—देनों के लेखांकन में पारदर्शिता एवं सटीकता प्रदान करने के लिए निर्धारित अंतराल पर अपने प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़ों का मिलान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आंकड़ों से करें।

भोपाल
दिनांक: 21 जून 2021

बि. क. मु.
(बिजित कुमार मुखर्जी)
महालेखाकार
(लेखापरीक्षा—द्वितीय)
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 25 जून 2021


(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1
राज्य रूपरेखा (मध्य प्रदेश)
(संदर्भ: कंडिका 1.1; पृष्ठ 1)

क	सामान्य आंकड़े							
स.क्र.	विवरण				आंकड़े			
1	क्षेत्र				3,08,245 वर्ग कि.मी.			
2	जनसंख्या							
	क.	2001 की जनगणना के अनुसार			6.03 करोड़			
	ख.	2011 की जनगणना के अनुसार			7.26 करोड़			
3	क.	जनसंख्या का घनत्व (2001 की जनगणना) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)			196 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी			
	ख.	जनसंख्या का घनत्व (2011 की जनगणना) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)			236 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी			
4	गरीबी रेखा ² से नीचे की जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत = 21.90 प्रतिशत)				31.70 प्रतिशत			
5	क.	साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.80 प्रतिशत)			69.69 प्रतिशत			
	ख.	साक्षरता ³ (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.00 प्रतिशत)			69.30 प्रतिशत			
6	शिशु मृत्यु दर ⁴ (प्रति 1000 जीवित बच्चे) (अखिल भारतीय औसत = 33 प्रति 1000 जीवित बच्चे) (2017)				47 प्रति 1000 जीवित बच्चे			
7	जन्म ⁵ के समय जीवित रहने की आशा (अखिल भारतीय औसत 2014-18 में = 69.40 वर्ष)				66.50 वर्ष			
8	सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2019-20 वर्तमान मूल्य पर				₹9,06,672 करोड़			
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2019-20 स्थिर मूल्य पर				₹5,61,801 करोड़			
10	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर (2012-13 से 2019-20)	मध्य प्रदेश				12.37 प्रतिशत		
		सामान्य संवर्ग के राज्य				10.53 प्रतिशत		
11	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर (2012-13 से 2019-20)	मध्य प्रदेश				14.10 प्रतिशत		
		सामान्य संवर्ग के राज्य				11.98 प्रतिशत		
12	दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर (2010 से 2020)	मध्य प्रदेश				14.58 प्रतिशत		
		सामान्य संवर्ग के राज्य				10.98 प्रतिशत		
ख	वित्तीय आंकड़े							
	विवरण				आंकड़े (प्रतिशत में)			
	संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर		2010-11 से 2018-19		2014-15 से 2018-19		2018-19 से 2019-20	
			सामान्य संवर्ग के राज्य	मध्य प्रदेश	सामान्य संवर्ग के राज्य	मध्य प्रदेश	सामान्य संवर्ग के राज्य	मध्य प्रदेश
क	राजस्व प्राप्तियों के		13.65	14.09	12.71	13.84	2.08	-0.84
ख	स्वयं के कर राजस्व के		12.21	11.42	10.42	8.61	2.12	9.70
ग	करेत्तर राजस्व के		11.19	9.59	9.67	3.49	23.44	-13.03
घ	कुल व्यय के		13.87	14.73	2.22	12.76	4.09	4.63
ङ	पूँजीगत व्यय के		14.64	16.29	12.35	25.46	-3.86	-0.62
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय के		11.58	15.46	9.37	12.70	11.81	8.86
छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय के		15.43	15.64	13.23	9.59	9.48	21.96
ज	वेतन एवं मजदूरी के		10.78	9.59	10.35	8.05	9.51	14.32
झ	पेंशन के		14.14	15.56	14.27	15.07	9.74	0.58

स्रोत: वित्तीय आंकड़े संबंधित वर्षों के वित्त लेखे पर आधारित हैं

¹ भारत की जनगणना 2011 के अनुसार

² आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 (खण्ड II), पृष्ठ ए 169, तालिका 9.8

³ आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 (खण्ड II), पृष्ठ ए 164, तालिका 9.4

⁴ आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 (खण्ड II), पृष्ठ ए 160, तालिका 9.1

परिशिष्ट 2.1
राज्य शासन के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े
(संदर्भ: कड़िकाएं 2.6.2, 2.10.1 एवं 2.13.2; पृष्ठ 21, 32 एवं 60)

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
भाग क. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	1,05,511	1,23,307	1,34,875	1,48,893	1,47,643
(i) कर राजस्व	40,214(38)	44,194(36)	44,811(33)	50,882(34)	55,824(38)
राज्य माल एवं सेवा कर	--	--	8,696 (19)	18,508(36)	20,448(37)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	19,806(49)	22,561(51)	14,984(33)	9,903(20)	11,258(20)
राज्य उत्पाद शुल्क	7,923(20)	7,533(17)	8,245(18)	9,542(19)	10,829(19)
वाहन कर	1,933(5)	2,252(5)	2,692(6)	3,008(6)	3,251(6)
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	3,868(10)	3,925(9)	4,789(11)	5,278(10)	5,569(10)
भू-राजस्व	277(1)	407(1)	491(1)	384(1)	562(1)
माल तथा यात्री कर	3,085(8)	3,805(9)	1,159(3)	118(0)	145(0)
अन्य कर	3,322(8)	3,711(8)	3,755(8)	4,141(8)	3,762(7)
(ii) करेतर राजस्व	8,569(8)	9,086(7)	9,061(7)	11,899(8)	10,349(7)
(iii) संघ करों तथा शुल्कों में राज्य का अंश	38,398(37)	46,064(37)	50,853(38)	57,487(39)	49,518(34)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	18,330(17)	23,963(20)	30,150(22)	28,625(19)	31,952(22)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	26	24	19	13	14
2क. अन्तर्राज्यीय परिशोधन	2	0	0	0	(-)0.25
3. कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	162	772	5,070	70	46
4. कुल राजस्व तथा ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2+2क+3)	1,05,701	1,24,103	1,39,964	1,48,976	1,47,703
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	19,985	29,847	21,892	32,497	34,364
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्ष छोड़कर)	18,659	28,581	19,975	25,325	29,496
अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षों के अधीन निवल लेनदेन	--	--	--	3,376	--
भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1,326	1,266	1,917	3,796	4,868
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	1,25,686	1,53,950	1,61,856	1,81,473	1,82,067
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	1	--	--	--	--
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	1,32,772	1,61,079	1,71,665	1,86,344	2,00,611
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	2,58,459	3,15,029	3,33,521	3,67,817	3,82,678
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	99,771(83)	1,19,537(79)	1,30,246(80)	1,42,149(82)	1,50,444(83)
सामान्य सेवाएं (ब्याज अदायगियों सहित)	25,700(26)	27,903(23)	32,100(25)	38,112(27)	39,827(26)
सामाजिक सेवाएं	42,651(43)	47,942(40)	58,346(45)	58,707(41)	64,224(43)
आर्थिक सेवाएं	25,529(25)	36,885(31)	32,735(25)	37,658(27)	40,493(27)
सहायता अनुदान तथा अंशदान	5,891(6)	6,807(6)	7,065(5)	7,672(5)	5,900(4)
11. पूंजीगत व्यय	16,835(14)	27,288(18)	30,913(19)	29,424(17)	29,241(16)
सामान्य सेवाएं	549(3)	698(3)	743(3)	723(3)	982(3)
सामाजिक सेवाएं	3,024(18)	3,285(12)	5,358(17)	5,719(19)	6,922(24)
आर्थिक सेवाएं	13,262(79)	23,305(85)	24,812(80)	22,982(78)	21,337(73)
12. कर्ज तथा अग्रिमों का संवितरण	3,158(3)	4,941(3)	1,550(1)	1,090(1)	987(1)
13. अन्तर्राज्यीय परिशोधन	2	1	0	1	(-)0.62
14. कुल व्यय (10+11+12+13)	1,19,766	1,51,767	1,62,709	1,72,664	1,80,672
15. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	4,860	4,925	5,776	13,524	10,934
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षों को छोड़कर)	3,948	3,908	4,683	8,999	9,713
अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षों के अधीन निवल लेनदेन	--	--	--	3,376	--
भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	912	1,017	1,093	1,149	1,221

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
16. आकस्मिकता निधि में विनियोग	--	--	--	--	--
17. समेकित निधि में से कुल संवितरण (14+15+16)	1,24,626	1,56,692	1,68,485	1,86,188	1,91,606
18. आकस्मिकता निधि संवितरण	--	--	--	--	--
19. लोक लेखा संवितरण	1,28,337	1,58,256	1,68,893	1,83,377	1,89,401
20. राज्य द्वारा कुल संवितरण (17+18+19)	2,52,963	3,14,934	3,37,378	3,69,565	3,81,007
भाग ग. घाटे					
21. राजस्व घाटा(-)/राजस्व अधिशेष(+) (1-10)	5,740	7,781 ¹	4,629	6,744	(-)2,801
22. राजकोषीय घाटा(-)/राजकोषीय अधिशेष(+) (4-14)	(-)14,065	(-)20,304 ²	(-)22,745	(-)23,688	(-)32,970
23. प्राथमिक घाटा(-)/अधिशेष(+) (22+24)	(-)5,974	(-)11,225 ³	(-)11,700	(-)10,992	(-)18,753
भाग घ. अन्य आंकड़े					
24. ब्याज अदायगियाँ (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	8,091	9,079	11,045	12,696	14,217
25. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	22,656	32,379	36,462	36,735	28,659
26. ली गई अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्ष (दिन)	--	--	--	25	--
लिया गया अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	--	--	--	25	--
लिया गया अधिविकर्ष (दिन)	--	--	--	--	--
27. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षों पर ब्याज	--	--	--	1.16	0.41
28. सकल राज्य घरेलू उत्पाद ⁴	5,41,068	6,49,823	7,24,729	8,09,592	9,06,672
29. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	1,27,144	1,55,800	1,72,363	1,94,309	2,30,572
30. बकाया प्रत्याभूतियां (वर्ष के अन्त में) (ब्याज सहित)	27,530	33,397	14,003	30,763	30,930
31. प्रत्याभूति की अधिकतम राशि (वर्ष के अन्त में)	40,171	40,395	31,653	55,640	43,017
32. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	91	242	-	55	81
33. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी	15,477	8,607	-	2,951	29,606
भाग ङ राजकोषीय स्थिति संकेतक					
I संसाधन संग्रहण					
स्वयं के कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	7.43	6.80	6.18	6.28	6.16
स्वयं के करेतर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	1.58	1.40	1.25	1.47	1.14
केन्द्रीय अंतरण ⁵ /सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	10.48	10.78	11.18	10.64	8.99
राज्य के स्वयं के कर के सन्दर्भ में राजस्व उत्प्लावकता (प्रतिशत)	1.91	1.70	6.70	0.77	-0.09
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	22.14	23.36	22.45	21.33	19.93
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	113.51	123.08	120.64	115.97	122.37
राजस्व व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	83.30	78.76	80.05	82.33	83.27
सामान्य सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	21.92	18.85	20.19	22.49	22.59

¹ उदय के प्रभाव को छोड़कर, उदय के प्रभाव को लेने पर राजस्व अधिशेष ₹3,770 करोड़ होगा।

² उदय के प्रभाव को छोड़कर, उदय के प्रभाव को लेने पर राजकोषीय घाटा ₹27,664 करोड़ होगा।

³ उदय के प्रभाव को छोड़कर, उदय के प्रभाव को लेने पर प्राथमिक घाटा ₹18,585 करोड़ होगा।

⁴ वर्ष 2015-16 से 2018-19 के लिये शासन द्वारा सूचित संशोधित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को अपनाया गया।

⁵ केन्द्रीय अंतरण में संघ करों/शुल्क का भाग एवं भारत सरकार से अनुदान समाविष्ट है।

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	38.14	33.75	39.15	37.31	39.38
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	32.39	39.66	35.37	35.12	34.22
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	14.06	17.98	19.00	17.04	16.18
सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	13.60	17.52	18.54	16.62	15.64
(III) राजकोषीय असंतुलन का प्रबन्धन					
राजस्व घाटा(-)/अधिशेष(+)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	1.06	1.20	0.64	0.83	(-)0.31
राजकोषीय घाटा(-)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	(-)2.60	(-)3.13	(-)3.14	(-)2.93	(-)3.64
प्राथमिक घाटा(-)/अधिशेष(+)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	(-)1.10	(-)1.73	(-)1.61	(-)1.36	(-)2.07
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.08
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	16.94	17.00	16.45	15.99	15.02
(IV) राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन					
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	23.50	23.98	23.78	24.00	25.43
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	120.50	126.35	127.79	130.50	156.17
(V) अन्य राजकोषीय संकेतक					
निवेश पर प्रतिलाभ (कोष्ठक में प्रतिशत)	129.64 (0.83)	231.50 (1.06)	622.36 (2.11)	347.26 (0.99)	475.96 (1.31)
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	0.63	0.68	0.67	0.68	0.74

परिशिष्ट 3.1

पूँजीगत अनुभाग के अन्तर्गत राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण का विवरण पत्रक
(संदर्भ: कांडिका 3.3.2; पृष्ठ 72)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	व्यय
उद्देश्य शीर्ष 11-वेतन				
1	20	4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	28.31	15.54
2	23	4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	56.45	51.95
3	48	4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	129.48	119.11
4	48	4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	5.72	5.21
5	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	70.17	59.54
योग (उद्देश्य शीर्ष 11-वेतन)			290.13	251.35
उद्देश्य शीर्ष 12-मजदूरी				
6	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय	477.94	291.72
7	20	4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	6.48	6.79
8	23	4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	29.67	32.85
9	23	4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	5.73	6.73
10	48	4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	39.34	35.34
11	48	4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	4.18	3.48
12	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	11.97	10.07
13	-	विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत अन्य मुख्य शीर्ष	0.16	0.43
योग (उद्देश्य शीर्ष 12-मजदूरी)			575.30	387.41
उद्देश्य शीर्ष 21-यात्रा भत्ता				
14	48	4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	2.36	1.34
15	48	4801- बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1.05	0.42
16	-	विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत अन्य मुख्य शीर्ष	0.85	0.41
योग (उद्देश्य शीर्ष 21-यात्रा भत्ता)			4.26	2.17
उद्देश्य शीर्ष 22-कार्यालय व्यय				
17	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय	8.50	7.27
18	48	4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	2.25	1.54
19	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	3.78	2.33
20	-	विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत अन्य मुख्य शीर्ष	1.69	0.51
योग (उद्देश्य शीर्ष 22-कार्यालय व्यय)			17.92	11.65
उद्देश्य शीर्ष 24-परीक्षण और प्रशिक्षण				
21	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय	9.15	1.80
22	-	विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत अन्य मुख्य शीर्ष	0.05	0.05
योग (उद्देश्य शीर्ष 24-परीक्षण और प्रशिक्षण)			9.20	1.85
उद्देश्य शीर्ष 26-सेमीनार, कार्यशाला और सम्मेलन				
23	23	4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	0.15	0.25
योग (उद्देश्य शीर्ष 26-सेमीनार, कार्यशाला और सम्मेलन)			0.15	0.25
उद्देश्य शीर्ष 31-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ				
24	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय	12.48	2.76
25	48	4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	5.73	4.16
26	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	6.00	3.68
27	-	विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत अन्य मुख्य शीर्ष	0.05	0.28

स.क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	व्यय
योग (उद्देश्य शीर्ष 31-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ)			24.26	10.88
उद्देश्य शीर्ष 33-अनुरक्षण कार्य				
28	14	4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	1.10	0.99
29	48	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	68.56	75.00
30	48	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	4.25	1.76
31	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	6.59	5.95
32	-	विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत अन्य मुख्य शीर्ष	0.82	0.76
योग (उद्देश्य शीर्ष 33-अनुरक्षण कार्य)			81.32	84.46
उद्देश्य शीर्ष 35-विज्ञापन एवं प्रचार				
33	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	0.15	0.11
योग (उद्देश्य शीर्ष 35-विज्ञापन एवं प्रचार)			0.15	0.11
उद्देश्य शीर्ष 42-सहायता अनुदान				
34	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	60.00	51.55
35	20	4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	3.00	3.00
36	27	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	12.00	7.20
37	30	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	195.00	195.00
38	-	विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत अन्य मुख्य शीर्ष	0.37	0.30
योग (उद्देश्य शीर्ष 42-सहायता अनुदान)			270.37	257.05
उद्देश्य शीर्ष 43-अंशदान				
39	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	6.00	2.97
योग (उद्देश्य शीर्ष 43-अंशदान)			6.00	2.97
उद्देश्य शीर्ष 45-पूंजीगत संपत्ति निर्माण के लिए सहायता अनुदान				
40	6	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	60.00	20.15
41	11	4875-अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	127.00	86.64
42	27	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	16.90	11.83
43	44	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	119.02	119.02
योग (उद्देश्य शीर्ष 45-पूंजीगत संपत्ति निर्माण के लिए सहायता अनुदान)			322.92	237.64
उद्देश्य शीर्ष 53-डिक्री प्रभार का भुगतान				
44	23	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1.00	0.57
45	23	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.16	0.06
योग (उद्देश्य शीर्ष 53-डिक्री प्रभार का भुगतान)			1.16	0.63
महायोग			1,603.14	1,248.42

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदत्त जानकारी

परिशिष्ट 3.2
राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत पूंजीगत व्यय का गलत वर्गीकरण का विवरण पत्रक
 (संदर्भ: कंडिका 3.3.2; पृष्ठ 72)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	व्यय
उद्देश्य शीर्ष 62-भूमि/भवनों का क्रय				
1	3	2055-पुलिस	5.00	1.10
योग (उद्देश्य शीर्ष 62-भूमि/भवनों का क्रय)			5.00	1.10
उद्देश्य शीर्ष 63-मशीनरी				
2	3	2055-पुलिस	25.59	6.48
3	5	2056-जेल	6.39	1.40
4	8	2029-भू-राजस्व	25.34	1.10
5	10	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन	1.32	0.65
6	13	2401-फसल कृषि-कर्म	67.69	7.06
7	19	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	13.01	6.11
8	32	2220-सूचना तथा प्रचार	1.91	1.14
9	44	2202-सामान्य शिक्षा	68.20	0.31
10	56	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	3.06	1.81
11	64	2217-शहरी विकास	11.82	7.62
12		विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत अन्य मुख्य शीर्ष	4.14	1.89
योग (उद्देश्य शीर्ष 63-मशीनरी)			228.47	35.57
उद्देश्य शीर्ष 64-वृहद् निर्माण कार्य				
13	39	3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	1.81	1.15
योग (उद्देश्य शीर्ष 64-वृहद् निर्माण कार्य)			1.81	1.15
महायोग			235.28	37.82

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदत्त जानकारी

परिशिष्ट 3.3
अनुपूरक बजट की आवश्यकता
(संदर्भ: कंडिका 3.4; पृष्ठ 73)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	राज.द.म./ पूँजी.द.म./ पूँजी.भा./ राज.भा.	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	आधिक्य व्यय/बचतें	वास्तविक अनुपूरक की आवश्यकता
1	12	ऊर्जा	राज. द.म.	7,345.23	2,130.00	9,475.23	7,569.65	1,905.58	224.42
2	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राज.भा.	0.25	7.00	7.25	6.92	0.33	6.67
3	20	लोक स्वास्थ्य यात्रिकी	राज.भा.	1.00	4.50	5.50	2.27	3.23	1.27
4	23	जल संसाधन विभाग	पूँजी.द.म.	5,565.26	1,500.00	7,065.26	5,979.35	1,085.91	414.09
5	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	राज. द.म.	14,778.93	1,434.82	16,213.75	15,002.60	1,211.15	223.67
6	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	पूँजी.द.म.	570.67	177.00	747.67	668.33	79.34	97.66
7	33	आदिम जाति कल्याण	राज. द.म.	5,986.14	1,527.93	7,514.07	6,519.83	994.24	533.69
8	38	आयुष	राज. द.म.	458.20	76.38	534.58	490.60	43.98	32.40
9	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	राज. द.म.	2,961.40	370.22	3,331.62	3,077.22	254.40	115.82
10	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राज. द.म.	2,382.98	13,385.00	15,767.98	6,025.34	9,742.64	3,642.36
11	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राज. द.म.	761.80	106.00	867.80	837.65	30.15	75.85
योग				40,811.86	20,718.85	61,530.71	46,179.76	15,350.95	5,367.90

स्रोत: विनियोग लेखे 2019-20

परिशिष्ट 3.4
अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान
(संदर्भ: कंडिका 3.4; पृष्ठ 73)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	राज. द.म. / पूंजी. द.म. / पूंजी. भा. / राज. भा.	मूल बजट	अनुपूरक बजट	वास्तविक व्यय	अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक
1	1	सामान्य प्रशासन	राज. द.म.	584.40	80.00	438.32	80.00
2	1	सामान्य प्रशासन	राज. भा.	63.57	1.23	32.46	1.23
3	1	सामान्य प्रशासन	पूंजी. द.म.	82.65	7.27	40.22	7.27
4	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबन्धित अन्य व्यय	राज. द.म.	99.68	0.29	86.72	0.29
5	3	पुलिस	राज. द.म.	6,828.34	95.00	6,660.61	95.00
6	3	पुलिस	पूंजी. द.म.	711.18	13.00	555.35	13.00
7	4	गृह विभाग से संबन्धित अन्य व्यय	राज. द.म.	56.62	22.14	41.07	22.14
8	6	वित्त	राज. द.म.	14,432.23	0.70	12,265.83	0.70
9	7	वाणिज्यिक कर	राज. द.म.	3,456.95	24.00	2,134.71	24.00
10	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राज. द.म.	1,907.04	4.00	1,652.92	4.00
11	10	वन	राज. द.म.	1,833.37	104.69	1,456.02	104.69
12	10	वन	पूंजी. द.म.	944.41	62.52	537.55	62.52
13	11	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	राज. द.म.	367.26	0.10	353.79	0.10
14	11	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	पूंजी. द.म.	644.74	36.89	496.64	36.89
15	12	ऊर्जा	राज. द.म.	7,345.23	2,130.00	7,569.65	1,905.58
16	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राज. द.म.	22,567.39	41.06	15,020.99	41.06
17	14	पशुपालन	राज. द.म.	1,155.29	10.17	983.57	10.17
18	14	पशुपालन	राज. भा.	0.10	0.08	0.00	0.08
19	16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	राज. भा.	0.15	0.05	0.17	0.03
20	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राज. द.म.	7,261.99	100.88	6,577.73	100.88
21	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राज. भा.	0.25	7.00	6.92	0.33
22	20	लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी	राज. द.म.	611.25	25.00	588.41	25.00
23	20	लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी	राज. भा.	1.00	4.50	2.27	3.23
24	22	नगरीय विकास एवं आवास	राज. द.म.	6,995.97	30.54	3,550.08	30.54
25	22	नगरीय विकास एवं आवास	पूंजी. द.म.	1,315.77	233.00	1,058.25	233.00
26	23	जल संसाधन विभाग	पूंजी. द.म.	5,565.26	1,500.00	5,979.35	1,085.91
27	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राज. द.म.	1,222.39	150.00	1,134.23	150.00
28	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी. द.म.	6,929.69	450.00	6,151.08	450.00
29	26	संस्कृति	राज. द.म.	183.83	2.00	135.19	2.00
30	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	राज. द.म.	14,778.94	1,434.82	15,002.60	1,211.15

31	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	पूंजी. द.म.	570.67	177.00	668.33	79.34
32	29	विधि और विधायी कार्य	राज. द.म.	1,760.21	10.00	1,324.56	10.00
33	33	आदिम जाति कल्याण	राज. द.म.	5,986.14	1,527.93	6,519.83	994.24
34	34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	राज. द.म.	863.19	74.72	749.06	74.72
35	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	पूंजी. द.म.	338.50	0.005	254.82	0.005
36	37	पर्यटन	राज. द.म.	123.33	10.00	95.95	10.00
37	38	आयुष	राज. द.म.	458.20	76.38	490.60	43.98
38	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	राज. द.म.	1,538.45	10.00	958.42	10.00
39	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राज. द.म.	2,961.40	370.22	3,077.22	254.40
40	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राज. भा.	0.30	0.30	0.24	0.30
41	43	खेल एवं युवक कल्याण	पूंजी. द.म.	59.27	1.00	40.02	1.00
42	44	उच्च शिक्षा	राज. द.म.	1,911.90	226.93	1,851.89	226.93
43	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	राज. द.म.	1,291.99	4.26	781.89	4.26
44	48	नर्मदा घाटी विकास	पूंजी. भा.	0.35	2.92	0.00	2.92
45	49	अनुसूचित जाति कल्याण	राज. द.म.	1,221.50	5.00	988.18	5.00
46	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राज. द.म.	991.31	35.89	617.20	35.89
47	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राज. द.म.	88.33	11.00	55.09	11.00
48	52	चिकित्सा शिक्षा	पूंजी. द.म.	1,010.40	175.44	897.60	175.44
49	55	महिला एवं बाल विकास	राज. द.म.	5,162.03	95.01	4,589.34	95.01
50	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राज. द.म.	2,382.98	13,385.00	6,025.34	9,742.64
51	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	पूंजी. द.म.	287.58	10.00	241.14	10.00
52	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राज. द.म.	7,476.12	383.56	6,392.98	383.56
53	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राज. द.म.	761.80	106.00	837.65	30.15
54	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	पूंजी. द.म.	172.30	50.00	138.99	50.00
योग				1,45,365.19	23,319.50	1,28,109.04	17,951.58

स्रोत: विनियोग लेखे 2019-20

परिशिष्ट 3.5
निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन
(संदर्भ: कंडिका 3.5; पृष्ठ 75)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	प्रावधान मू.: मूल अनु.: अनुपूरक पुनर्वि.: पुनर्विनियोजन/ समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-)/ आधिक्य (+)
1	7	वाणिज्यिक कर	2030-02-101-2456- न्यायिकेतर स्टाम्प की लागत	(मूल)25.46 (पुनर्वि.)(+)20.00 45.46	5.35	(-)40.11
2	10	वन	2406-01-204-2901-बांस उत्पादन	(मूल)13.60 (अनुपू.) 2.36 (पुनर्वि.)(+)2.19 18.15	9.52	(-)8.63
3	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0702-7486- गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में पेय जल व्यवस्था	(मूल)2.30 (पुनर्वि.)(+)4.50 6.80	6.06	(-)0.74
4	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0103-2580- पाईपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	(मूल)16.00 (पुनर्वि.)(+)5.60 21.60	20.82	(-)0.78
5	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0103-4379- समस्यामूलक ग्रामों में पेय जल प्रदाय योजना	(मूल)20.00 (पुनर्वि.)(+)10.40 30.40	27.44	(-)2.96
6	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0102-2580- पाईपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	(मूल)24.00 (पुनर्वि.)(+)8.40 32.40	31.00	(-)1.40
7	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0102-4379- समस्यामूलक ग्रामों में पेय जल प्रदाय योजना	(मूल)28.75 (पुनर्वि.)(+)11.60 40.35	38.15	(-)2.20
8	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0101-2580- पाईपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	(मूल)60.00 (पुनर्वि.)(+)21.00 81.00	76.29	(-)4.71
9	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0101-4379- समस्यामूलक ग्रामों में पेय जल प्रदाय योजना	(मूल)76.25 (पुनर्वि.)(+)39.00 115.25	103.65	(-)11.60
10	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-800-1402-7301- जल निगम द्वारा पेय जल योजनाओं का क्रियान्वयन	(मूल)48.00 (पुनर्वि.)(+)28.50 76.50	75.81	(-)0.69
11	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-800-1401-7301- जल निगम द्वारा पेय जल योजनाओं का क्रियान्वयन	(मूल)120.00 (पुनर्वि.)(+)116.50 236.50	215.11	(-)20.39
12	23	जल संसाधन विभाग	4700-60-800-0101-2897- बांध तथा संलग्न कार्य	(मूल)50.00 (अनुपू.) 500.00 (पुनर्वि.)(+)75.00 625.00	320.23	(-)304.77
13	23	जल संसाधन विभाग	4700-C4-800-0101-2897- बांध तथा संलग्न कार्य	(मूल)0.00 (अनुपू.) 800.00 (पुनर्वि.)(+)5.00 805.00	0.00	(-)805.00

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	प्रावधान मू: मूल अनु: अनुपूरक पुनर्वि: पुनर्विनियोजन/ समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-)/ आधिक्य (+)
14	23	जल संसाधन विभाग	4700-20-800-0101-6596-सुधार, सुदृढीकरण एवं पुनर्स्थापना	(मूल) 0.00 (पुनर्वि.)(+) 2.00 2.00	4.00	(+)2.00
15	23	जल संसाधन विभाग	4700-24-800-0101-2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(मूल) 1.08 (पुनर्वि.)(+)3.50 4.58	5.82	(+)1.24
16	23	जल संसाधन विभाग	4700-39-800-0101-2897-बांध तथा संलग्न कार्य	(मूल) 15.00 (पुनर्वि.)(+)16.00 31.00	85.99	(+)54.99
17	23	जल संसाधन विभाग	4700-54-800-0101-2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(मूल) 10.00 (पुनर्वि.)(+)40.00 50.00	67.78	(+)17.78
18	23	जल संसाधन विभाग	4700-69-800-1401-2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(मूल) 2.00 (पुनर्वि.)(+)10.00 12.00	28.40	(+)16.40
19	23	जल संसाधन विभाग	4700-78-800-0101-2897-बांध तथा संलग्न कार्य	(मूल) 25.00 (पुनर्वि.)(+)51.50 76.50	202.49	(+)125.99
20	23	जल संसाधन विभाग	4700-C1-800-0101-2897-बांध तथा संलग्न कार्य	(मूल) 5.00 (पुनर्वि.)(+)125.00 130.00	264.58	(+)134.58
21	23	जल संसाधन विभाग	4701-40-800-0101-2897-बांध तथा संलग्न कार्य	(मूल) 0.00 (पुनर्वि.)(+)1.65 1.65	3.96	(+)2.31
22	23	जल संसाधन विभाग	4701-56-800-0101-2897-बांध तथा संलग्न कार्य	(मूल) 0.00 (पुनर्वि.)(+)0.50 0.50	0.45	(-)0.05
23	23	जल संसाधन विभाग	4701-62-800-0101-2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(मूल) 0.00 (पुनर्वि.)(+)0.50 0.50	0.44	(-)0.06
24	23	जल संसाधन विभाग	4701-80-800-0101-5589-रेहटी मध्यम परियोजना	(मूल) 0.00 (पुनर्वि.)(+)0.25 0.25	0.94	(+)0.69
25	23	जल संसाधन विभाग	4701-89-800-0101-2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(मूल) 0.00 (पुनर्वि.)(+)3.00 3.00	2.99	(-)0.01
26	23	जल संसाधन विभाग	4701-54-800-0102-3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य	(मूल) 0.00 (पुनर्वि.)(+)3.50 3.50	13.40	(+)9.90
27	23	जल संसाधन विभाग	4701-80-800-0101-6598-दातुनी मध्यम सिंचाई योजना	(मूल) 0.00 (पुनर्वि.)(+)1.85 1.85	2.81	(+)0.96
28	23	जल संसाधन विभाग	4701-B2-800-0101-2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(मूल) 25.00 (पुनर्वि.)(+)10.00 35.00	49.33	(+)14.33

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	प्रावधान मू: मूल अनु: अनुपूरक पुनर्वि: पुनर्विनियोजन/ समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-)/ आधिक्य (+)
29	23	जल संसाधन विभाग	4705-204-0701-2823-फील्ड चेनल्स का निर्माण, करेक्शन ऑफ सिस्टम डिफिशियेंसी, ड्रेन एवं अन्य कार्य	(मूल) 8.00 (पुनर्वि.)(+)13.50 21.50	17.00	(-)4.50
30	23	जल संसाधन विभाग	4705-211-0701-2823-फील्ड चेनल्स का निर्माण, करेक्शन ऑफ सिस्टम डिफिशियेंसी, ड्रेन एवं अन्य कार्य	(मूल) 0.50 (पुनर्वि.)(+)4.00 4.50	4.00	(-)0.50
31	23	जल संसाधन विभाग	4705-219-0702-2823-फील्ड चेनल्स का निर्माण, करेक्शन ऑफ सिस्टम डिफिशियेंसी, ड्रेन एवं अन्य कार्य	(मूल) 1.00 (पुनर्वि.)(+) 2.50 3.50	3.40	(-)0.10
32	26	संस्कृति	2205-103-2304-निर्देशन तथा प्रशासन	(मूल) 15.53 (पुनर्वि.)(+) 0.13 15.67	11.86	(-)3.81
33	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2202-01-001-1500-जिला शिक्षा कार्यालय की स्थापना	(मूल) 87.62 (पुनर्वि.)(+) 0.11 87.73	76.09	(-)11.64
34	33	आदिम जाति कल्याण	2225-02-800-0102-9853-आदिवासी संस्कृति का संरक्षण एवं विकास	(मूल) 10.60 (पुनर्वि.)(+) 6.11 16.71	3.31	(-)13.40
35	33	आदिम जाति कल्याण	2225-02-277-0102-0494-आश्रम	(मूल) 137.67 (पुनर्वि.)(+) 72.22 209.89	179.04	(-)30.85
36	37	पर्यटन	3452-01-190-0101-3346-पर्यटन क्षेत्र में प्रचार-प्रसार हेतु अनुदान	(मूल) 75.00 (पुनर्वि.)(+) 5.00 80.00	72.50	(-)7.50
37	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0101-6968-शालाओं का उन्नयन	(मूल) 21.27 (पुनर्वि.)(+) 0.15 21.42	14.33	(-)7.09
38	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0103-0701-अतिथि शिक्षकों का मानदेय	(मूल) 33.24 (पुनर्वि.)(+) 10.00 43.24	41.86	(-)1.38
39	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0102-0701-अतिथि शिक्षकों का मानदेय	(मूल) 42.84 (पुनर्वि.)(+) 10.00 52.84	52.46	(-)0.38
40	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	4202-01-202-0101-0816-छात्रावासों की स्थापना एवं संचालन	(मूल) 22.00 (पुनर्वि.)(+) 3.04 25.04	24.55	(-)0.49
41	44	उच्च शिक्षा	2202-03-103-0101-0798-कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय	(मूल) 727.89 (अनुपू.)(+) 64.35 (पुनर्वि.)(+) 70.00 862.24	1,082.88	(+)220.64

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	प्रावधान मू: मूल अनु: अनुपूरक पुनर्वि: पुनर्विनियोजन/ समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-)/ आधिक्य (+)
42	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2230-03-003-0101-6477-व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार	(मूल) 125.26 (पुनर्वि.)(+) 1.00 126.26	136.56	(+)10.29
43	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-45-001-0101-9091-औंकारेश्वर परियोजना	(मूल) 77.49 (पुनर्वि.)(+) 19.47 96.96	90.02	(-)6.94
44	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-800-0103-1406-काली सिंध लिंक परियोजना	(मूल) 54.08 (पुनर्वि.)(+) 15.43 69.51	119.51	(+)50.00
45	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-800-0102-1250-अलीराजपुर उद्वहन सिंचाई परियोजना	(मूल) 140.00 (पुनर्वि.)(+) 32.53 172.53	144.49	(-)28.04
46	52	चिकित्सा शिक्षा	4210-03-796-105-0102-5402-चिकित्सा विज्ञान संस्थान, छिंदवाड़ा	(मूल) 0.00 (पुनर्वि.)(+) 33.74 33.74	24.90	(-)8.84
47	52	चिकित्सा शिक्षा	2210-05-796-105-0101-6458-चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में वायरोलॉजी (लैब) प्रयोगशाला की स्थापना (13वें वित्त आयोग)	(मूल) 1.60 (पुनर्वि.)(+) 0.30 01.90	0.98	(-)0.92
48	52	चिकित्सा शिक्षा	4210-03-796-105-0101-7158-चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में 1000 बिस्तर अस्पताल का निर्माण	(मूल) 15.00 (पुनर्वि.)(+) 10.00 25.00	24.99	(-)0.01
49	52	चिकित्सा शिक्षा	4210-03-796-105-0101-5402-चिकित्सा विज्ञान संस्थान, छिंदवाड़ा	(मूल) 0.00 (पुनर्वि.)(+) 36.80 36.80	24.38	(-)12.42
50	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-02-101-2018-बाढ़ तथा अतिवृष्टि पीड़ितों को राहत	(मूल) 58.92 (अनुपू.) 5,700.00 (पुनर्वि.)(+) 1,265.00 7,023.92	2,289.60	(-)4,734.32
51	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-02-101-0747-ओला पीड़ितों को राहत	(मूल) 90.93 (पुनर्वि.)(+) 134.00 224.93	133.52	(-)91.42
52	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-80-102-6436-आपदा से संबंधित प्रशिक्षण एवं उपकरणों का क्रय	(मूल) 4.55 (पुनर्वि.) 91.00 95.55	93.80	(-)1.75
53	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-80-800-5504-राजस्व पुस्तक 6-4 के अन्तर्गत आपदा में आर्थिक सहायता	(मूल) 100.02 (पुनर्वि.)(+)83.75 183.77	182.66	(-)1.11
54	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-80-800-6097-सर्पदंश के लिए आर्थिक सहायता	(मूल) 40.00 (अनुपू.) 20.00 (पुनर्वि.)(+) 49.75 109.75	108.83	(-)0.92
55	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-80-800-7249-कीट प्रकोप से फसल क्षति	(मूल) 3.60 (पुनर्वि.)(+) 5.25 8.85	8.53	(-)0.32

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	प्रावधान मू: मूल अनु: अनुपूरक पुनर्वि.: पुनर्विनियोजन/ समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-)/ आधिक्य (+)
56	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	2225-03-277-0101-0496- आश्रम और छात्रावास	(मूल) 8.43 (पुनर्वि.)(+) 0.17 8.60	4.77	(-)3.83
57	69	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण	2225-01-277-0103-7393- विमुक्त जाति छात्रावास	(मूल) 17.01 (पुनर्वि.)(+) 1.47 18.48	12.93	(-)5.55
योग						(-) 6,182.13 (+) 662.10

स्रोत: विनियोग लेखे 2019-20

परिशिष्ट 3.6
सारभूत समर्पण 50 प्रतिशत या अधिक
(संदर्भ: कांडिका 3.5.1; पृष्ठ 75)

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा का शीर्ष	मूल बजट प्रावधान	समर्पित राशि	(₹ करोड़ में)
						समर्पण (प्रतिशत में)
1	1	सामान्य प्रशासन	2015-101-6757-स्थानीय निकायों का निर्वाचन व्यय	(मूल) 0.10	0.08	80.00
			4059-01-051-6925-नई दिल्ली में प्रस्तावित मध्यांचल भवन का निर्माण	(मूल)20.00	19.97	99.85
2	3	पुलिस	4055-207-1309-उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था	(मूल)3.00	3.00	100.00
			4055-207-2643-पुलिस बल का आधुनिकीकरण	(मूल)23.93	18.61	77.77
			4055-207-7453-राज्य साइबर मुख्यालय	(मूल)4.60	3.69	80.22
			4055-207-0801-5430-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य) फोरेन्सिक साईंस लेबोरेटरी का उन्नयन	(मूल)2.95	2.95	100.00
			4055-207-0101-1948-राष्ट्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली	(मूल)5.02	5.02	100.00
			4055-800-0101-7346-केन्द्रीकृत पुलिस कॉल सेन्टर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र	(मूल)10.00	5.29	52.90
3	5	जेल	2056-101-0101-5044-जेलों का आधुनिकीकरण	(मूल)9.69	5.88	60.68
			4059-01-051-0101-1080-खुली जेल की स्थापना	(मूल)0.20	0.20	100.00
4	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-102-1201-0733-ग्रीन कृषि	(मूल)2.55	2.55	100.00
			2401-102-0703-7243-कृषि वानिकी सब-मिशन	(मूल)1.63	1.63	100.00
			2401-102-0703-7497-सब मिशन रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट	(मूल)2.33	2.22	95.28
			2401-102-0703-7498-सब मिशन आन फार्म वाटर मेनेजमेंट	(मूल)16.54	13.35	80.71
			2401-102-0703-7717-प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	(मूल)9.73	9.73	100.00
			2401-102-0702-7243-कृषि वानिकी सब मिशन	(मूल)1.21	1.21	100.00
			2401-102-0702-7496-सब मिशन क्लाइमेट चेंज एण्ड सस्टेनेबिल एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग, मॉडलिंग एण्ड नेटवर्किंग	(मूल)0.50	0.50	100.00
			2401-102-0702-7717-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	(मूल)12.65	12.65	100.00
			2401-102-0701-7243-कृषि वानिकी सब मिशन	(मूल)4.46	4.46	100.00
			2401-102-0701-7497-सब मिशन रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट	(मूल)9.27	9.15	98.71
			2401-102-0701-7498-सब मिशन आन फार्म वाटर मेनेजमेंट	(मूल)53.44	31.33	58.63

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा का शीर्ष	मूल बजट प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
			2401-102-0701-7499-सब मिशन-स्वाइल हेल्थ मेनेजमेंट	(मूल)64.10	57.09	89.06
			2401-102-0701-7717-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	(मूल)35.00	35.00	100.00
			2401-105-0703-1229-स्वाइल हेल्थ-कार्ड योजना	(मूल)07.98	7.41	92.86
			2401-105-0702-1229-स्वाइल हेल्थ-कार्ड योजना	(मूल)8.97	8.54	95.21
			2401-108-0702-7500-नेशनल आईल सीड एण्ड आईल पाल्म मिशन अण्डर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	(मूल)21.53	18.99	88.20
			2401-108-0701-7500-नेशनल आईल सीड एण्ड आईल पाल्म मिशन अण्डर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	(मूल)46.15	30.67	66.46
			2401-109-0701-7493-नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान	(मूल)2.35	2.35	100.00
			2401-109-0701-7494-सब मिशन ऑन-सीड एण्ड प्लानिंग मटेरियल	(मूल)72.87	60.16	82.56
			2401-109-0103-7670-कृषि महोत्सव	(मूल)1.73	1.73	100.00
			2401-109-0102-7670-कृषि महोत्सव	(मूल)1.94	1.94	100.00
			2401-109-0101-7670-कृषि महोत्सव	(मूल)3.73	3.73	100.00
			2401-109-0101-9474-कृषक	(मूल)1.16	1.16	100.00
			2401-113-0701-7500-नेशनल आईल सीड एण्ड आईल पाल्म मिशन अण्डर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	(मूल)3.00	2.99	99.67
			2401-800-0801-0908-कृषि संगणना	(मूल)8.78	8.38	95.44
			2401-800-0801-5311-लघु सिंचाई एवं जल निकायों की गणना	(मूल)7.86	7.86	100.00
			2401-800-0702-5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	(मूल)75.82	64.67	85.29
			2401-800-0103-2343-कृषक समृद्धि योजना	(मूल)250.00	248.98	99.59
			2401-800-0103-5321-भावांतर/फ्लेट रेट योजना	(मूल)280.00	280.00	100.00
			2401-800-0102-2343-कृषक समृद्धि योजना	(मूल)350.00	346.84	99.10
			2401-800-0102-5319-मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना	(मूल)1,840.00	1,006.83	54.72
			2401-800-0102-5321-भावांतर/फ्लेट रेट योजना	(मूल)157.00	157.00	100.00
			2401-800-0101-2343-कृषक समृद्धि योजना	(मूल)1,000.00	999.17	99.92
			2801-80-101-0101-5855-म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/श्रेणियों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति	(मूल)819.23	669.23	81.69

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा का शीर्ष	मूल बजट प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
			2401-001-0119-अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द (जिला एवं अधीनस्थ स्तर का अमला)	(मूल)0.30	0.28	93.33
5	17	सहकारिता	2425-107-0103-2091-मुख्य मंत्री कृषक सहकारी ऋण सहायता योजना	(मूल)14.89	12.29	82.54
			2425-107-0103-2341-मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना	(मूल)68.01	66.01	97.06
			2425-107-0103-9134-प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन ऋण का मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन पर ब्याज अनुदान	(मूल)15.12	13.82	91.40
			2425-107-0103-9254-सहकारी बैंको के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान	(मूल)111.92	87.29	77.99
			2425-107-0102-2091-मुख्य मंत्री कृषक सहकारी ऋण सहायता योजना	(मूल)21.40	12.57	58.74
			2425-107-0102-2341-मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना	(मूल)86.87	80.87	93.09
			2425-107-0102-9134-प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन ऋण का मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन पर ब्याज अनुदान	(मूल)21.74	21.74	100.00
			2425-107-0102-9254-सहकारी बैंको के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान	(मूल)160.88	156.18	97.08
			2425-107-0101-2091-मुख्य मंत्री कृषक सहकारी ऋण सहायता योजना	(मूल)56.76	43.14	76.00
			2425-107-0101-9254-सहकारी बैंको के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान	(मूल)426.69	392.97	92.10
			2425-800-0910-6965-एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	(मूल)11.07	6.22	56.19
			4425-107-0910-6965-एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	(मूल)13.53	9.06	66.96
			4425-107-0103-5318-सहकारी बैंकों को अंशपूजी	(मूल)85.00	85.00	100.00
			4425-107-0102-5318-सहकारी बैंकों को अंशपूजी	(मूल)115.00	115.00	100.00
			4425-107-0101-5318-सहकारी बैंकों को अंशपूजी	(मूल)800.00	789.23	98.65
			4425-107-0101-6684-नवीन सहकारी संस्थाओं को अंशपूजी सहायता	(मूल)5.00	4.75	95.00
			6425-107-0910-6965-एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	(मूल)16.85	12.65	75.07
6	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-101-0101-7221-राज्य जल सहायता संगठन का प्रशासनिक भवन	(मूल)2.00	1.90	95.00
			4215-01-102-0702-9029-सौर ऊर्जा आधारित पेय जल योजना (एन.सी.ई.एफ.)	(मूल)30.00	17.00	56.67
			4215-01-102-0102-5468-पेय जल का अधिकार	(मूल)240.00	210.00	87.50

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा का शीर्ष	मूल बजट प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
			4215-01-102-0101-5468-पेय जल का अधिकार	(मूल)520.00	418.80	80.54
7	29	विधि और विधायी कार्य	2014-105-8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	(मूल)18.19	10.10	55.52
			2014-105-0101-1486-स्टेक होल्डर की सुविधाओं का उन्नयनीकरण	(मूल)2.50	1.40	56.00
			2014-114-0101-9069-महाधिवक्ता कार्यालय के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी एवं पुस्तकालय का सुदृढीकरण	(मूल)1.30	1.30	100.00
			2235-60-200-0102-5136-राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुदान	(मूल)1.64	1.28	78.05
			4059-01-051-0101-9073-महाधिवक्ता कार्यालय का भवन निर्माण एवं उन्नयन	(मूल)1.00	1.00	100.00
8	30	ग्रामीण विकास	2515-001-0102-3926-विकास आयुक्त	(मूल)1.24	1.24	100.00
9	33	आदिम जाति कल्याण	2225-02-001-0102-9843-अनुश्रवण और मूल्यांकन इकाईयां	(मूल)1.21	0.79	65.29
			2225-02-800-0602-5211-आई.टी.डी. पी/माडा पॉकेट/कलस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम	(मूल)6.42	5.13	79.91
			2225-02-800-0102-5211-आई.टी.डी. पी/माडा पॉकेट/कलस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम	(मूल)0.58	0.29	50.00
10	34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	2235-02-001-5663-निर्धन कल्याण आयोग का गठन	(मूल)0.60	0.59	98.33
			2235-02-001-0103-6584-अन्त्योदय मेले का आयोजन	(मूल)1.60	1.60	100.00
			2235-02-001-0102-6584-अन्त्योदय मेले का आयोजन	(मूल)2.31	2.31	100.00
			2235-02-001-0101-6584-अन्त्योदय मेले का आयोजन	(मूल)6.93	4.50	64.93
			2235-02-101-0103-0079-दृष्टि श्रवण बाधित शालाएं तथा संस्थाएं	(मूल)5.35	4.57	85.42
			2235-02-101-0102-0079-दृष्टि श्रवण बाधित शालाएं तथा संस्थाएं	(मूल)2.13	1.13	53.05
			2235-02-101-0101-2084-श्रवण बाधित निःशक्तजनों को आई.टी.आई. प्रशिक्षण	(मूल)2.00	1.64	82.00
			2235-02-800-0803-7569-निःशक्तजनों के लिए बाधरहित वातावरण	(मूल)1.70	1.64	96.47
			2235-02-800-0802-7569-निःशक्तजनों के लिए बाधरहित वातावरण	(मूल)2.00	1.43	71.50
			2235-02-800-0801-7569-निःशक्तजनों के लिए बाधरहित वातावरण	(मूल)6.30	5.06	80.31
			2235-02-800-0801-9477-नशीली दवा में कमी लाने के लिये राष्ट्रीय योजना	(मूल)2.25	2.25	100.00
			2235-60-102-0703-7084-राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	(मूल)17.50	10.81	61.77

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा का शीर्ष	मूल बजट प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
11	48	नर्मदा घाटी विकास	2801-01-001-0101-5018-बरगी केनाल बेड पावर हाउस के परिचालन एवं संधारण का व्यय	(मूल)2.73	1.48	54.21
			4700-43-001-0701-6534-इंदिरा सागर सी.ए.डी. प्लान	(मूल)4.80	4.80	100.00
			4700-80-800-0101-4641-स्थापना	(मूल)0.10	0.10	100.00
12	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2501-06-789-198-0101-2372-रेडी-टू-ईट-टेक होम राशन कार्यक्रम	(मूल)4.00	3.20	80.00
			2515-789-198-0801-0656-किचन शेड डिवाइसेज	(मूल)10.00	10.00	100.00
			4515-789-198-0701-6099-मध्यान्ह भोजन किचन शेड का निर्माण	(मूल)61.00	61.00	100.00
13	55	महिला एवं बाल विकास	2059-01-053-5508-महिला बाल विकास के भवनों का रख-रखाव	(मूल)4.09	3.36	82.15
			2235-02-102-1201-1291-आई.सी.डी. एस. के सुदृढीकरण एवं पोषण स्तर सुधार की परियोजना (ई-स्निप)/एन.एन.एम.	(मूल)185.95	166.37	60.48
			2235-02-102-0701-0851-राष्ट्रीय झूलाघर योजना	(मूल)2.00	2.00	100.00
			2235-02-102-0102-6442-अटल बाल आरोग्य मिशन	(मूल)3.18	1.70	53.46
			2235-02-102-0101-8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	(मूल)3.18	2.36	74.21
			2235-02-103-0701-2367-महिला शक्ति केन्द्र	(मूल)18.55	16.35	88.14
			2235-02-103-0701-2375-सेफ सिटी कार्यक्रम	(मूल)1.74	1.74	100.00
			2235-02-103-0102-5033-जबाली योजना	(मूल)1.82	1.82	100.00
			2236-02-101-0703-6392-किशोरी बालिका योजना	(मूल)2.36	1.57	66.53
			2235-02-103-0701-1326-स्वाधार गृह	(मूल)1.50	1.09	72.67
			2235-02-001-9041-महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय	(मूल)0.13	0.10	76.92
			4235-02-102-1501-7449-क्षेत्र स्तरीय कार्यालय सह प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण	(मूल)13.52	13.52	100.00
			4235-02-800-0701-6103-समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)	(मूल)1.00	1.00	100.00
14	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	4515-800-0101-5775-विध्य विकास प्राधिकरण	(मूल)2.14	1.11	51.87
योग				(मूल)8,484.57	7,085.69	83.51

स्रोत: विनियोग लेखे 2019-20

परिशिष्ट 3.7
प्रत्याशित बचतें, जो समर्पित नहीं की गईं
(संदर्भ: कंडिका 3.5.2; पृष्ठ 75)

(₹ करोड़ में)

स. क.	अनुदान संख्या	नामावली	राज. द.म. / पूंजी. द.म. / पूंजी. भा. / राज. भा.	आधिक्य व्यय/बचतें	कुल समर्पण	बचतें, जो समर्पित नहीं की गईं
1	भारित विनियोग -I	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राज. भा.	215.55	14.54	201.01
2	भारित विनियोग -II	लोक ऋण	पूंजी. भा.	3,869.72	1.96	3,867.76
3	1	सामान्य प्रशासन	राज. द.म.	226.08	27.02	199.06
4	1	सामान्य प्रशासन	राज. भा.	32.34	9.67	22.67
5	1	सामान्य प्रशासन	पूंजी. द.म.	49.70	19.97	29.73
6	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राज. द.म.	13.25	0.00	13.25
7	3	पुलिस	राज. द.म.	262.73	185.25	77.48
8	3	पुलिस	पूंजी. द.म.	168.83	155.04	13.79
9	4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राज. द.म.	37.69	11.50	26.19
10	5	जेल	राज. द.म.	34.47	35.35	-0.88
11	5	जेल	पूंजी. द.म.	12.06	10.99	1.07
12	6	वित्त	राज. द.म.	2,167.1	8.84	2,158.26
13	6	वित्त	राज. भा.	127.94	0.00	127.94
14	6	वित्त	पूंजी. द.म.	171.17	54.85	116.32
15	7	वाणिज्यिक कर	राज. द.म.	1,346.24	0.00	1,346.24
16	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राज. द.म.	258.12	0.00	258.12
17	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	पूंजी. द.म.	73.60	0.00	73.60
18	9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	राज. द.म.	5.26	0.00	5.26
19	9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	पूंजी. द.म.	3.60	0.00	3.60
20	10	वन	राज. द.म.	482.04	2.90	479.14
21	10	वन	पूंजी. द.म.	469.38	0.00	469.38
22	11	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	राज. द.म.	13.57	0.00	13.57
23	11	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	पूंजी. द.म.	184.99	0.00	184.99
24	12	ऊर्जा	राज. द.म.	1,905.58	0.00	1,905.58
25	12	ऊर्जा	राज. भा.	720.13	0.00	720.13
26	12	ऊर्जा	पूंजी. द.म.	1,162.30	0.00	1,162.30
27	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राज. द.म.	7,587.46	7,583.34	4.12
28	14	पशुपालन	राज. द.म.	181.89	0.00	181.89
29	14	पशुपालन	पूंजी. द.म.	13.11	0.00	13.11
30	16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	राज. द.म.	19.87	0.00	19.87
31	16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	पूंजी. द.म.	1.15	0.00	1.15

स. क.	अनुदान संख्या	नामावली	राज. द.म. / पूंजी. द.म. / पूंजी. भा. / राज. भा.	आधिक्य व्यय/बचतें	कुल समर्पण	बचतें, जो समर्पित नहीं की गईं
32	17	सहकारिता	राज. द.म.	978.99	978.88	0.11
33	17	सहकारिता	पूंजी. द.म.	1,031.06	1,031.06	0.00
34	18	श्रम	राज. द.म.	147.08	24.16	122.92
35	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राज. द.म.	785.14	0.00	785.14
36	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	पूंजी. द.म.	106.84	0.00	106.84
37	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राज. द.म.	47.84	9.50	38.34
38	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राज. भा.	3.23	0.80	2.43
39	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	पूंजी. द.म.	1,029.08	867.70	161.38
40	21	लोक सेवा प्रबंधन	राज. द.म.	23.66	0.00	23.66
41	21	लोक सेवा प्रबंधन	पूंजी. द.म.	3.92	0.00	3.92
42	22	नगरीय विकास एवं आवास	राज. द.म.	3,476.43	0.65	3,475.78
43	22	नगरीय विकास एवं आवास	पूंजी. द.म.	490.52	0.00	490.52
44	22	नगरीय विकास एवं आवास	पूंजी. भा.	15.00	0.00	15.00
45	23	जल संसाधन विभाग	राज. द.म.	94.46	0.00	94.46
46	23	जल संसाधन विभाग	पूंजी. द.म.	1,085.91	0.00	1,085.91
47	24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	राज. द.म.	238.16	0.00	238.16
48	24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	पूंजी. द.म.	1,228.61	0.00	1,228.61
49	24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	पूंजी. भा.	320.00	0.00	320.00
50	25	खनिज संसाधन	राज. द.म.	9.26	0.00	9.26
51	25	खनिज संसाधन	पूंजी. द.म.	307.44	0.00	307.44
52	26	संस्कृति	राज. द.म.	50.64	0.00	50.64
53	26	संस्कृति	पूंजी. द.म.	29.76	0.00	29.76
54	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	राज. द.म.	1,211.15	0.41	1,210.74
55	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	पूंजी. द.म.	79.34	0.00	79.34
56	28	राज्य विधान मण्डल	राज. द.म.	15.36	0.65	14.71
57	29	विधि और विधायी कार्य	राज. द.म.	445.65	396.07	49.58
58	29	विधि और विधायी कार्य	राज. भा.	44.98	40.52	4.46
59	29	विधि और विधायी कार्य	पूंजी. द.म.	23.66	23.49	0.17
60	30	ग्रामीण विकास	राज. द.म.	144.99	57.83	87.16
61	30	ग्रामीण विकास	पूंजी. द.म.	82.15	19.52	62.63
62	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राज. द.म.	24.08	7.61	16.47
63	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	पूंजी. द.म.	23.39	21.19	2.20
64	32	जनसंपर्क	राज. द.म.	117.09	0.00	117.09
65	32	जनसंपर्क	पूंजी. द.म.	2.50	0.00	2.50
66	33	आदिम जाति कल्याण	राज. द.म.	994.24	12.30	981.94
67	33	आदिम जाति कल्याण	पूंजी. द.म.	577.12	400.02	177.10
68	34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	राज. द.म.	188.85	194.08	-5.23
69	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	राज. द.म.	220.28	0.00	220.28
70	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	पूंजी. द.म.	83.68	0.00	83.68

स. क.	अनुदान संख्या	नामावली	राज. द.म. / पूंजी. द.म. / पूंजी. भा. / राज. भा.	आधिक्य व्यय/बचतें	कुल समर्पण	बचतें, जो समर्पित नहीं की गईं
71	36	परिवहन	राज. द.म.	16.27	15.32	0.95
72	36	परिवहन	पूंजी. द.म.	10.53	1.65	8.88
73	37	पर्यटन	राज. द.म.	37.38	0.00	37.38
74	37	पर्यटन	पूंजी. द.म.	46.55	0.00	46.55
75	38	आयुष	राज. द.म.	43.98	0.00	43.98
76	38	आयुष	पूंजी. द.म.	2.76	0.00	2.76
77	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	राज. द.म.	590.03	2.33	587.7
78	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	पूंजी. द.म.	1.65	0.00	1.65
79	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राज. द.म.	254.40	0.00	254.40
80	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय	पूंजी. द.म.	73.99	0.00	73.99
81	42	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	राज. द.म.	12.98	0.00	12.98
82	42	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	पूंजी. द.म.	18.70	0.00	18.70
83	43	खेल और युवा कल्याण	राज. द.म.	41.73	0.07	41.66
84	43	खेल और युवा कल्याण	पूंजी. द.म.	20.25	0.00	20.25
85	44	उच्च शिक्षा	राज. द.म.	286.94	0.00	286.94
86	44	उच्च शिक्षा	पूंजी. द.म.	64.47	0.00	64.47
87	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	राज. द.म.	14.03	0.00	14.03
88	46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	राज. द.म.	114.75	0.00	114.75
89	46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	पूंजी. द.म.	61.00	0.00	61.00
90	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	राज. द.म.	514.36	0.00	514.36
91	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	पूंजी. द.म.	207.79	0.00	207.79
92	48	नर्मदा घाटी विकास	राज. द.म.	5.79	2.00	3.79
93	48	नर्मदा घाटी विकास	पूंजी. द.म.	91.74	77.98	13.76
94	48	नर्मदा घाटी विकास	पूंजी. भा.	3.27	0.18	3.09
95	49	अनुसूचित जाति कल्याण	राज. द.म.	238.32	0.00	238.32
96	49	अनुसूचित जाति कल्याण	पूंजी. द.म.	153.89	0.00	153.89
97	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राज. द.म.	410.00	0.00	410.00
98	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	पूंजी. द.म.	100.00	0.00	100.00
99	51	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	राज. द.म.	44.24	0.32	43.92
100	51	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	पूंजी. द.म.	10.00	0.00	10.00
101	52	चिकित्सा शिक्षा	राज. द.म.	163.01	0.00	163.01
102	52	चिकित्सा शिक्षा	पूंजी. द.म.	288.24	0.00	288.24
103	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राज. द.म.	7,442.65	2,714.78	4,727.87

स. क.	अनुदान संख्या	नामावली	राज. द.म. / पूंजी. द.म. / पूंजी. भा. / राज. भा.	आधिक्य व्यय / बचतें	कुल समर्पण	बचतें, जो समर्पित नहीं की गईं
104	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	पूंजी. द.म.	103.86	61.00	42.86
105	54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	राज. द.म.	9.55	9.55	0.00
106	55	महिला एवं बाल विकास	राज. द.म.	667.70	718.22	-50.52
107	55	महिला एवं बाल विकास	पूंजी. द.म.	60.53	59.33	1.20
108	56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	राज. द.म.	46.80	0.14	46.66
109	56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	पूंजी. द.म.	1.69	0.00	1.69
110	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राज. द.म.	9,742.64	0.39	9,742.25
111	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	पूंजी. द.म.	1.02	0.02	1.00
112	59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	पूंजी. द.म.	274.66	274.66	0.00
113	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	राज. द.म.	3.01	3.75	-0.74
114	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	पूंजी. द.म.	56.44	41.09	15.35
115	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	राज. द.म.	1.02	0.00	1.02
116	62	पंचायत	राज. द.म.	28.24	0.00	28.24
117	63	अल्प संख्यक कल्याण	राज. द.म.	14.57	0.00	14.57
118	63	अल्प संख्यक कल्याण	पूंजी. द.म.	6.00	0.00	6.00
119	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राज. द.म.	1,466.7	21.09	1,445.61
120	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राज. भा.	20.58	0.00	20.58
121	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	पूंजी. द.म.	21.75	0.00	21.75
122	65	विमानन	राज. द.म.	14.85	0.00	14.85
123	65	विमानन	पूंजी. द.म.	66.05	0.00	66.05
124	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राज. द.म.	30.15	0.00	30.15
125	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	पूंजी. द.म.	22.96	0.00	22.96
126	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	राज. द.म.	211.17	0.00	211.17
127	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	पूंजी. द.म.	83.31	0.00	83.31
128	68	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	राज. द.म.	161.96	0.00	161.96
129	69	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण	राज. द.म.	8.76	0.00	8.76
130	69	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण	पूंजी. द.म.	4.32	0.00	4.32
131	71	पर्यावरण	राज. द.म.	8.30	0.00	8.30
योग				62,122.61	16,211.53	45,911.08

स्रोत: विनियोग लेखे 2019-20

परिशिष्ट 3.8

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों, जिनमें बचतें (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) थी, परन्तु जिसका कोई भी भाग समर्पित नहीं किया गया का विवरण पत्रक

(संदर्भ: कंडिका 3.5.2; पृष्ठ 75)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	राज. द.म./ पूँजी. द.म./ पूँजी. भा./ राज. भा.	बचतें
1	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राज. द.म.	13.25
2	6	वित्त	राज. भा.	127.94
3	7	वाणिज्यिक कर	राज. द.म.	1,346.24
4	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राज. द.म.	258.12
5	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	पूँजी. द.म.	73.60
6	9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	राज. द.म.	5.26
7	9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	पूँजी. द.म.	3.60
8	10	वन	पूँजी. द.म.	469.38
9	11	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	राज. द.म.	13.57
10	11	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	पूँजी. द.म.	184.99
11	12	ऊर्जा	राज. द.म.	1,905.58
12	12	ऊर्जा	राज. भा.	720.13
13	12	ऊर्जा	पूँजी. द.म.	1,162.30
14	14	पशुपालन	राज. द.म.	181.89
15	14	पशुपालन	पूँजी. द.म.	13.11
16	16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	राज. द.म.	19.87
17	16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	पूँजी. द.म.	1.15
18	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राज. द.म.	785.14
19	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	पूँजी. द.म.	106.84
20	21	लोक सेवा प्रबंधन	राज. द.म.	23.66
21	21	लोक सेवा प्रबंधन	पूँजी. द.म.	3.92
22	22	नगरीय विकास एवं आवास	पूँजी. द.म.	490.52
23	22	नगरीय विकास एवं आवास	पूँजी. भा.	15.00
24	23	जल संसाधन विभाग	राज. द.म.	94.46
25	23	जल संसाधन विभाग	पूँजी. द.म.	1,085.91
26	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राज. द.म.	238.16
27	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूँजी. द.म.	1,228.61
28	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूँजी. भा.	320.00
29	25	खनिज संसाधन	राज. द.म.	9.26
30	25	खनिज संसाधन	पूँजी. द.म.	307.44
31	26	संस्कृति	राज. द.म.	50.64
32	26	संस्कृति	पूँजी. द.म.	29.76
33	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	पूँजी. द.म.	79.34
34	32	जन संपर्क	राज. द.म.	117.09
35	32	जन संपर्क	पूँजी. द.म.	2.50
36	35	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	राज. द.म.	220.28
37	35	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	पूँजी. द.म.	83.68
38	37	पर्यटन	राज. द.म.	37.38

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	राज. द.म. / पूंजी. द.म. / पूंजी. भा. / राज. भा.	बचतें
39	37	पर्यटन	पूंजी. द.म.	46.55
40	38	आयुष	राज. द.म.	43.98
41	38	आयुष	पूंजी. द.म.	2.76
42	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	पूंजी. द.म.	1.65
43	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राज. द.म.	254.40
44	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय	पूंजी. द.म.	74.00
45	42	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	राज. द.म.	12.98
46	42	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	पूंजी. द.म.	18.70
47	43	खेल एवं युवा कल्याण	पूंजी. द.म.	20.25
48	44	उच्च शिक्षा	राज. द.म.	286.94
49	44	उच्च शिक्षा	पूंजी. द.म.	64.47
50	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	राज. द.म.	14.03
51	46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	राज. द.म.	114.76
52	46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	पूंजी. द.म.	61.00
53	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	राज. द.म.	514.36
54	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	पूंजी. द.म.	207.79
55	49	अनुसूचित जाति कल्याण	राज. द.म.	238.32
56	49	अनुसूचित जाति कल्याण	पूंजी. द.म.	153.89
57	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राज. द.म.	410.00
58	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	पूंजी. द.म.	100.00
59	51	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	पूंजी. द.म.	10.00
60	52	चिकित्सा शिक्षा	राज. द.म.	163.01
61	52	चिकित्सा शिक्षा	पूंजी. द.म.	288.24
62	56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	पूंजी. द.म.	1.69
63	62	पंचायत	राज. द.म.	28.24
64	63	अल्प संख्यक कल्याण	राज. द.म.	14.57
65	63	अल्प संख्यक कल्याण	पूंजी. द.म.	6.00
66	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राज. भा.	20.58
67	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	पूंजी. द.म.	21.75
68	65	विमानन	राज. द.म.	14.85
69	65	विमानन	पूंजी. द.म.	66.05
70	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राज. द.म.	30.15
71	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	पूंजी. द.म.	22.96
72	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	राज. द.म.	211.17
73	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	पूंजी. द.म.	83.31
74	68	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	राज. द.म.	161.96
75	69	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण	राज. द.म.	8.76
76	69	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण	पूंजी. द.म.	4.32
77	71	पर्यावरण	राज. द.म.	8.30
		योग		15,636.31

स्रोत: विनियोग लेखे 2019-20

परिशिष्ट 3.9 (अ)
समर्पण आदेश, जो प्रधान महालेखाकार द्वारा स्वीकार नहीं किये गये
 (संदर्भ: कंडिका 3.5.3; पृष्ठ 76)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	स्वीकृतियों की संख्या	अनुदान/विनियोग क्र.	राशि	अनियमितता का विवरण
1	23	1, 2, 6, 7, 8, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 33, 35, 39, 45, 46, 47, 53, 67, 69, 71	4,987.06	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में स्वीकृति आदेश की विलम्ब से प्राप्ति अर्थात् लेखों के बंद करने एवं अंतिम रूप देने के पश्चात्।
2	4	1, 8, 22, 65	164.94	स्वीकृति आदेश में पूर्ण विवरण प्राप्त न होने के कारण।
3	1	8	188.73	स्वीकृति आदेश में विसंगति के कारण।
4	1	33	0.06	बजट में विसंगति के कारण।
योग			5,340.79	

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदत्त जानकारी

परिशिष्ट 3.9 (ब)
पुनर्विनियोजन आदेश जो प्रधान महालेखाकार द्वारा स्वीकार नहीं किये गये
 (संदर्भ: कंडिका 3.5.3; पृष्ठ 76)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	स्वीकृतियों की संख्या	अनुदान/विनियोग क्र.	राशि	अनियमितता का विवरण
1	6	1, 2, 7, 18, 26, 55	3.58	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में स्वीकृति आदेश की विलम्ब से प्राप्ति अर्थात् लेखों के बंद करने एवं अंतिम रूप देने के पश्चात्।
2	1	60	17.99	स्वीकृति आदेश में विसंगति के कारण।
योग			21.57	

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदत्त जानकारी

परिशिष्ट 3.10

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण पत्रक जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचत ₹10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक थी

(संदर्भ: कंडिका 3.6; पृष्ठ 76)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	राज. द.म./ पूंजी. द.म./ प्रभा./ राज. प्रभा.	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचतें	बचत (प्रतिशत में)
प्रकरण जहां बचतें ₹10 करोड़ एवं ₹100 करोड़ के मध्य थी							
1	1	सामान्य प्रशासन	राज. प्रभा.	64.80	32.46	32.34	49.91
2	1	सामान्य प्रशासन	पूंजी. द.म.	89.92	40.22	49.70	55.27
3	4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राज. द.म.	78.76	41.07	37.69	47.85
4	5	जेल	पूंजी. द.म.	25.47	13.41	12.06	47.35
5	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	पूंजी. द.म.	171.40	97.80	73.60	42.94
6	14	पशुपालन	पूंजी. द.म.	17.18	4.07	13.11	76.31
7	21	लोक सेवा प्रबंधन	राज. द.म.	76.39	52.73	23.66	30.97
8	22	नगरीय विकास एवं आवास	पूंजी. प्रभा.	15.00	0.00	15.00	100.00
9	26	संस्कृति	पूंजी. द.म.	42.30	12.54	29.76	70.35
10	26	संस्कृति	राज. द.म.	185.83	135.19	50.64	27.25
11	29	विधि और विधायी कार्य	राज. प्रभा.	183.17	138.18	44.99	24.56
12	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राज. द.म.	87.79	63.71	24.08	27.43
13	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	पूंजी. द.म.	338.51	254.82	83.69	24.72
14	36	परिवहन	पूंजी. द.म.	20.00	9.47	10.53	52.65
15	37	पर्यटन	राज. द.म.	133.33	95.95	37.38	28.03
16	37	पर्यटन	पूंजी. द.म.	106.00	59.45	46.55	43.92
17	42	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	पूंजी. द.म.	18.99	0.29	18.70	98.47
18	43	खेल एवं युवा कल्याण	पूंजी. द.म.	60.27	40.02	20.25	33.60
19	43	खेल एवं युवा कल्याण	राज. द.म.	140.95	99.22	41.73	29.61
20	46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	पूंजी. द.म.	61.00	0.00	61.00	100.00
21	51	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	पूंजी. द.म.	10.00	0.00	10.00	100.00
22	51	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	राज. द.म.	99.33	55.09	44.24	44.54
23	55	महिला एवं बाल विकास	पूंजी. द.म.	130.52	69.99	60.53	46.38
24	56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	राज. द.म.	168.07	121.27	46.80	27.85
25	63	अल्प संख्यक कल्याण	राज. द.म.	27.24	12.67	14.57	53.49
26	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	पूंजी. द.म.	57.17	35.42	21.75	38.04
27	65	विमानन	राज. द.म.	37.24	22.39	14.85	39.88
28	65	विमानन	पूंजी. द.म.	70.50	4.45	66.05	93.69
29	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	पूंजी. द.म.	26.74	3.78	22.96	85.86
30	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	पूंजी. द.म.	222.30	138.99	83.31	37.48
योग				2,766.17	1,654.65	1,111.52	40.18

प्रकरण जहां बचतें ₹100 करोड़ एवं ₹500 करोड़ के मध्य थी							
31	1	सामान्य प्रशासन	राज. द.म.	664.40	438.32	226.08	34.03
32	3	पुलिस	पूँजी. द.म.	724.18	555.35	168.83	23.31
33	6	वित्त	राज. भा.	130.98	3.05	127.93	97.67
34	6	वित्त	पूँजी. द.म.	190.70	19.53	171.17	89.76
35	10	वन	पूँजी. द.म.	1,006.93	537.55	469.38	46.61
36	10	वन	राज. द.म.	1,938.06	1,456.02	482.04	24.87
37	11	उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	पूँजी. द.म.	681.63	496.64	184.99	27.14
38	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	पूँजी. द.म.	284.81	177.97	106.84	37.51
39	22	नगरीय विकास एवं आवास	पूँजी. द.म.	1,548.77	1,058.25	490.52	31.67
40	24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	पूँजी. भा.	320.00	0.00	320.00	100.00
41	25	खनिज संसाधन	पूँजी. द.म.	308.50	1.06	307.44	99.66
42	29	विधि और विधायी कार्य	राज. द.म.	1,770.21	1,324.56	445.65	25.17
43	32	जनसंपर्क	राज. द.म.	447.58	330.49	117.09	26.16
44	34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	राज. द.म.	937.91	749.06	188.85	20.14
45	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	राज. द.म.	783.43	563.15	220.28	28.12
46	46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	राज. द.म.	185.72	70.96	114.76	61.79
47	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	पूँजी. द.म.	374.08	166.29	207.79	55.55
48	49	अनुसूचित जाति कल्याण	पूँजी. द.म.	228.20	74.31	153.89	67.44
49	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	पूँजी. द.म.	100.00	0.00	100.00	100.00
50	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राज. द.म.	1,027.20	617.20	410.00	39.91
51	52	चिकित्सा शिक्षा	पूँजी. द.म.	1,185.84	897.60	288.24	24.31
52	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	पूँजी. द.म.	136.80	32.94	103.86	75.92
53	67	लोक निर्माण कार्य—भवन	राज. द.म.	670.89	459.72	211.17	31.48
54	68	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	राज. द.म.	271.21	109.25	161.96	59.72
योग				15,918.03	10,139.27	5,778.76	36.30
प्रकरण जहां बचतें ₹500 करोड़ या अधिक थी							
55	7	वाणिज्यिक कर	राज. द.म.	3,480.95	2,134.71	1,346.24	38.67
56	12	ऊर्जा	राज. भा.	720.13	0.00	720.13	100.00
57	12	ऊर्जा	पूँजी. द.म.	1,769.67	607.37	1,162.30	65.68
58	12	ऊर्जा	राज. द.म.	9,475.23	7,569.65	1,905.58	20.11
59	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राज. द.म.	22,608.45	15,020.99	7,587.46	33.56
60	17	सहकारिता	राज. द.म.	1,362.60	383.61	978.99	71.85
61	17	सहकारिता	पूँजी. द.म.	1,148.86	117.80	1,031.06	89.75
62	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	पूँजी. द.म.	3,428.93	2,399.85	1,029.08	30.01
63	22	नगरीय विकास एवं आवास	राज. द.म.	7,026.51	3,550.08	3,476.43	49.48
64	33	आदिम जाति कल्याण	पूँजी. द.म.	1,506.10	928.98	577.12	38.32
65	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	राज. द.म.	1,548.45	958.42	590.03	38.10
66	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	राज. द.म.	1,296.25	781.89	514.36	39.68

67	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राज. द.म.	26,938.66	19,496.02	7,442.64	27.63
68	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राज. द.म.	15,767.98	6,025.34	9,742.64	61.79
69	भारित विनियोग - II	लोक ऋण	पूंजी. भा.	14,803.33	10,933.61	3,869.72	26.14
योग				1,12,882.10	70,908.32	41,973.78	37.18
महायोग				1,31,566.30	82,702.24	48,864.06	37.14

स्रोत: विनियोग लेखे 2019-20

परिशिष्ट 3.11
बजट से भिन्नता के लिए अनुपलब्ध/अपूर्ण व्याख्या
(संदर्भ: कंडिका 3.6.1; पृष्ठ 78)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	कुल लेखा शीर्ष	लेखे जहां विवरण आवश्यक	लेखे जहां विवरण दिया गया
1	भारित विनियोग-II	लोक ऋण	51	15	-
2	भारित विनियोग-I	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	129	48	-
3	1	सामान्य प्रशासन	68	22	1
4	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	15	7	-
5	3	पुलिस	114	16	-
6	4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	26	6	1
7	5	जेल	20	8	-
8	6	वित्त	70	34	4
9	7	वाणिज्यिक कर	30	14	-
10	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	42	14	1
11	9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	6	4	-
12	10	वन	82	26	-
13	11	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	18	5	-
14	12	ऊर्जा	57	33	-
15	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	165	28	14
16	14	पशुपालन	104	36	-
17	15	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	2	-	-
18	16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	25	2	5
19	17	सहकारिता	47	4	14
20	18	श्रम	21	7	-
21	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	136	26	-
22	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	76	26	6
23	21	लोक सेवा प्रबंधन	11	9	-
24	22	नगरीय विकास एवं आवास	119	39	-
25	23	जल संसाधन विभाग	273	84	4
26	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	77	39	-
27	25	खनिज संसाधन	12	6	-
28	26	संस्कृति	72	24	-
29	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	83	27	-
30	28	राज्य विधान मण्डल	11	4	-
31	29	विधि एवं विधायी कार्य	56	15	8
32	30	ग्रामीण विकास	49	9	-
33	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	16	6	-
34	32	जनसंपर्क	56	7	-
35	33	आदिम जाति कल्याण	93	35	2
36	34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	84	6	12

स.क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	कुल लेखा शीर्ष	लेखे जहां विवरण आवश्यक	लेखे जहां विवरण दिया गया
37	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	31	10	-
38	36	परिवहन	10	4	-
39	37	पर्यटन	26	9	-
40	38	आयुष	57	16	-
41	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	66	9	12
42	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	82	31	-
43	41	सिंहस्थ 2016 से संबंधित व्यय	1	-	-
44	42	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	18	9	-
45	43	खेल एवं युवा कल्याण	44	14	-
46	44	उच्च शिक्षा	108	24	-
47	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	12	4	-
48	46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	44	21	-
49	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	113	41	3
50	48	नर्मदा घाटी विकास	127	20	2
51	49	अनुसूचित जाति कल्याण	55	19	-
52	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	55	-	24
53	51	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	22	11	-
54	52	चिकित्सा शिक्षा	65	27	2
55	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	176	24	10
56	54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	9	2	-
57	55	महिला एवं बाल विकास	93	12	12
58	56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	86	14	1
59	57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	1	-	-
60	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	25	11	2
61	59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	3	-	1
62	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	17	8	-
63	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	14	1	-
64	62	पंचायत	5	-	3
65	63	अल्प संख्यक कल्याण	19	8	-
66	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	103	22	-
67	65	विमानन	6	4	-
68	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	25	-	9
69	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	32	19	-
70	68	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	15	12	-
71	69	विमुक्त, घुमककड़ एवं अर्द्ध घुमककड़ जनजाति कल्याण	51	-	11

स.क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	कुल लेखा शीर्ष	लेखे जहां विवरण आवश्यक	लेखे जहां विवरण दिया गया
72	70	प्रवासी भारतीय	1	1	-
73	71	पर्यावरण	12	4	-
74	72	आनन्द	1	-	-
		योग	3,946	1,102	164

स्रोत: विनियोग लेखे 2019-20

परिशिष्ट 3.12
आधिक्य व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है
 (संदर्भ: कंडिका 3.8; पृष्ठ 79)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों / विनियोगों की संख्या	अनुदान / विनियोग की संख्या	राशि की अधिकता
2011-12	04 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 33 पूंजीगत (दत्तमत): 15, 52, 74	135.10
	02 विनियोग	राजस्व (भारित): 23 पूंजीगत (भारित): 23	
2012-13	02 विनियोग	राजस्व (भारित): 10 पूंजीगत (भारित): 24	0.24
2013-14	02 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 2 पूंजीगत (दत्तमत): 10	34.31
	01 विनियोग	पूंजीगत (भारित): 21	
2014-15	03 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 2, 6 पूंजीगत (दत्तमत): 42	446.28
	03 विनियोग	राजस्व (भारित): 24, 67 पूंजीगत (भारित): 41	
2016-17	01 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 2	23.77
2018-19	01 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 4	1,028.62
	01 विनियोग	पूंजीगत (भारित): लोक ऋण	
योग	11 अनुदान एवं 09 विनियोग		1,668.32

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

परिशिष्ट 3.13

एकमुश्त प्रावधानों का विवरण (जहाँ समर्पण प्रत्येक प्रकरण में ₹15 करोड़ से अधिक और कुल बजट प्रावधान का 50 प्रतिशत या उससे अधिक था)

(संदर्भ: कंडिका 3.9; पृष्ठ 80)

(₹ करोड़ में)

स. क.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान मू.: मूल अनु.: अनुपूरक	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
1	1	सामान्य प्रशासन	4059-01-051-6925-नई दिल्ली में प्रस्तावित मध्यांचल भवन का निर्माण	(मूल)20.00	19.97	99.85
2	3	पुलिस	4055-207-2643-पुलिस बल का आधुनिकीकरण	(मूल)23.93	18.61	77.77
3	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-102-0701-7498-सब मिशन आन फार्म वाटर मेनेजमेंट	(मूल)53.44	31.33	58.63
			2401-102-0701-7499-सब मिशन स्वाइल हेल्थ मेनेजमेंट	(मूल)64.10	57.09	89.06
			2401-102-0701-7717-प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	(मूल)35.00	35.00	100.00
			2401-108-0702-7500-नेशनल आईल सीड एण्ड आईल पाल्म मिशन अण्डर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	(मूल)21.53	18.99	88.20
			2401-108-0701-7500-नेशनल आईल सीड एण्ड आईल पाल्म मिशन अण्डर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	(मूल)46.15	30.67	66.46
			2401-109-0701-7494-सब मिशन आन सीड एण्ड प्लानिंग मटेरियल	(मूल)72.87	60.16	82.56
			2401-800-0702-5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	(मूल)75.82	64.67	85.29
			2401-800-0103-2343-कृषक समृद्धि योजना	(मूल)250.00	248.98	99.59
			2401-800-0103-5321-भावांतर/फ्लेट रेट योजना	(मूल)280.00	280.00	100.00
			2401-800-0102-2343-कृषक समृद्धि योजना	(मूल)350.00	346.84	99.10
			2401-800-0102-5319-मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना	(मूल)1,840.00	1,006.83	54.72
			2401-800-0102-5321-भावांतर/फ्लेट रेट योजना	(मूल)157.00	157.00	100.00
			2401-800-0101-2343-कृषक समृद्धि योजना	(मूल)1,000.00	999.17	99.92
		2801-80-101-0101-5855-म.प्र. वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/शेअरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति	(मूल)819.23	669.23	81.69	

स. क.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान मू: मूल अनु: अनुपूरक	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
4	17	सहकारिता	2425-107-0103-2341-मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना	(मूल)68.01	66.01	97.06
			2425-107-0103-9254-सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान	(मूल)111.92	87.29	77.99
			2425-107-0102-2341-मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना	(मूल)86.87	80.87	93.09
			2425-107-0102-9134-प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन ऋण का मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन पर ब्याज अनुदान	(मूल)21.74	21.74	100.00
			2425-107-0102-9254-सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान	(मूल)160.88	156.18	97.08
			2425-107-0101-2091-मुख्यमंत्री कृषक सहकारी ऋण सहायता योजना	(मूल)56.76	43.14	76.00
			2425-107-0101-9254-सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान	(मूल)426.69	392.97	92.10
			4425-107-0103-5318-सहकारी बैंकों को अंशपूजी	(मूल)85.00	85.00	100.00
			4425-107-0102-5318-सहकारी बैंकों को अंशपूजी	(मूल)115.00	115.00	100.00
			4425-107-0101-5318-सहकारी बैंकों को अंशपूजी	(मूल)800.00	789.23	98.65
5	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0702-9029-सौर ऊर्जा आधारित पेयजल योजना (एन.सी.ई.एफ.)	(मूल)30.00	17.00	56.67
			4215-01-102-0102-5468-पेयजल का अधिकार	(मूल)240.00	210.00	87.5
			4215-01-102-0101-5468-पेयजल का अधिकार	(मूल)520.00	418.80	80.54
6	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	4515-789-198-0701-6099-मध्यान्ह भोजन किचन शेड का निर्माण	(मूल)61.00	61.00	100.00
7	55	महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-1201-1291-आई.सी.डी.एस. के सुदृढीकरण एवं पोषण स्तर सुधार की परियोजना (ई-स्निप)/एन.एन.एम.	(मूल)185.95 (अनु.)89.08	166.33	60.48

स. क.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान मू.: मूल अनु.: अनुपूरक	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
			2235-02-103-0701-2367- महिला शक्ति केन्द्र	(मूल)18.55	16.35	88.14
योग				(मूल) 8,097.44 (अनु.) 89.08	6,771.45	82.71

स्रोत: विनियोग लेखे 2019-20

परिशिष्ट 3.14
योजनाएं जिनमें कुल प्रावधान ₹10 करोड़ या अधिक अप्रयुक्त रहा
(संदर्भ: कंडिका 3.10; पृष्ठ 81)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	सेगमेंट शीर्ष (जीएच सीडी)	योजना शीर्ष	द.म. / मा.	कुल बजट	व्यय	बचत
1	भारित विनियोग-II	6003	-	101	-	0716	भा.	100.00	निरंक	100.00
2	भारित विनियोग-II	6003	-	110	-	0637	भा.	2,000.00	निरंक	2,000.00
3	भारित विनियोग-II	6003	-	110	-	0779	भा.	2,000.00	निरंक	2,000.00
4	भारित विनियोग-I	2049	01	101	-	5438	भा.	75.90	निरंक	75.90
5	भारित विनियोग-I	2049	01	101	-	5439	भा.	76.10	निरंक	76.10
6	भारित विनियोग-I	2049	01	101	-	9125	भा.	94.00	निरंक	94.00
7	भारित विनियोग-I	2049	01	101	-	9321	भा.	43.27	निरंक	43.27
8	भारित विनियोग-I	2049	01	101	-	9323	भा.	42.77	निरंक	42.77
9	भारित विनियोग-I	2049	01	101	-	9324	भा.	67.01	निरंक	67.01
10	भारित विनियोग-I	2049	01	200	-	6973	भा.	10.00	निरंक	10.00
11	भारित विनियोग-I	2049	03	104	-	0807	भा.	12.10	निरंक	12.10
12	भारित विनियोग-I	2049	03	108	-	0117	भा.	12.10	निरंक	12.10
13	भारित विनियोग-I	2049	60	701	-	6971	भा.	135.15	निरंक	135.15
14	भारित विनियोग-I	2049	60	701	-	6972	भा.	176.24	निरंक	176.24
15	भारित विनियोग-I	2049	03	104	-	4033	भा.	78.65	निरंक	78.65
16	6	2054	-	095	-	5329	द.म.	150.00	निरंक	150.00
17	6	2054	-	095	-	5329	भा.	50.00	निरंक	50.00
18	6	2071	01	101	-	9999	भा.	76.11	निरंक	76.11
19	6	6075	-	800	-	6787	द.म.	50.00	निरंक	50.00
20	6	6075	-	800	-	6788	द.म.	10.00	निरंक	10.00
21	6	6075	-	800	-	6842	द.म.	50.00	निरंक	50.00
22	7	2030	02	797	0570	0817	द.म.	570.66	निरंक	570.66
23	7	2045	-	797	0530	2359	द.म.	26.55	निरंक	26.55
24	7	2045	-	797	0550	2360	द.म.	54.01	निरंक	54.01
25	10	4406	01	102	0703	3730	द.म.	46.20	निरंक	46.20
26	10	4406	01	800	-	5399	द.म.	312.52	निरंक	312.52
27	11	4875	60	190	0101	7359	द.म.	17.00	निरंक	17.00
28	11	4875	60	800	0101	6749	द.म.	32.50	निरंक	32.50
29	11	4875	60	800	-	9485	द.म.	36.89	निरंक	36.89
30	12	2045	-	103	-	3218	भा.	520.13	निरंक	520.13
31	12	2801	80	101	0101	0688	द.म.	500.00	निरंक	500.00

32	12	2801	80	101	-	2361	भा.	200.00	निरंक	200.00
33	12	4801	02	190	0101	5332	द.म.	36.00	निरंक	36.00
34	12	4801	02	190	0101	7253	द.म.	62.48	निरंक	62.48
35	12	4801	02	190	0101	7254	द.म.	60.20	निरंक	60.20
36	12	4801	05	190	0101	0663	द.म.	100.25	निरंक	100.25
37	12	4801	05	190	0102	0663	द.म.	40.10	निरंक	40.10
38	12	4801	05	190	0103	0663	द.म.	26.73	निरंक	26.73
39	12	4801	05	190	0410	7900	द.म.	192.58	निरंक	192.58
40	12	6801	-	190	0101	5336	द.म.	20.00	निरंक	20.00
41	12	6801	-	190	-	5488	द.म.	40.00	निरंक	40.00
42	14	2403	-	102	0101	5418	द.म.	12.42	निरंक	12.42
43	19	2210	01	110	0702	2315	द.म.	59.63	निरंक	59.63
44	19	2210	01	110	0703	2315	द.म.	40.47	निरंक	40.47
45	19	4210	01	110	0101	2283	द.म.	10.00	निरंक	10.00
46	22	2217	05	800	0101	9488	द.म.	10.00	निरंक	10.00
47	22	2217	05	800	0103	5373	द.म.	24.00	निरंक	24.00
48	22	4217	01	050	0101	3115	भा.	15.00	निरंक	15.00
49	22	4217	01	051	0101	7715	द.म.	25.00	निरंक	25.00
50	22	4217	03	190	0101	5372	द.म.	50.00	निरंक	50.00
51	23	4700	70	800	0103	2884	द.म.	20.00	निरंक	20.00
52	23	4700	80	001	0101	2304	द.म.	49.00	निरंक	49.00
53	23	4700	C4	800	0101	2897	द.म.	805.00	निरंक	805.00
54	23	4701	80	001	0101	2304	द.म.	60.09	निरंक	60.09
55	23	4701	80	001	1401	2304	द.म.	10.00	निरंक	10.00
56	23	4701	A6	800	0101	2884	द.म.	10.00	निरंक	10.00
57	24	3054	04	800	0103	7081	द.म.	20.00	निरंक	20.00
58	24	5053	02	102	0101	3115	भा.	20.00	निरंक	20.00
59	24	5054	03	337	1201	5337	द.म.	224.00	निरंक	224.00
60	24	5054	03	337	1203	5337	द.म.	56.00	निरंक	56.00
61	24	5054	80	800	0101	3115	भा.	192.00	निरंक	192.00
62	24	5054	80	800	0102	3115	भा.	60.00	निरंक	60.00
63	24	5054	80	800	0103	3115	भा.	48.00	निरंक	48.00
64	25	4853	01	800	1701	5453	द.म.	180.00	निरंक	180.00
65	25	4853	01	800	1702	5453	द.म.	40.00	निरंक	40.00
66	25	4853	01	800	1702	5453	द.म.	29.00	निरंक	29.00
67	25	4853	01	800	1703	5453	द.म.	30.00	निरंक	30.00
68	25	4853	01	800	1703	5453	द.म.	21.00	निरंक	21.00
69	26	4202	04	800	0101	0749	द.म.	10.00	निरंक	10.00
70	33	4225	02	800	0102	0334	द.म.	38.90	निरंक	38.90
71	35	4851		800	0101	6820	द.म.	35.00	निरंक	35.00
72	37	3452	01	190	-	3346	द.म.	10.00	निरंक	10.00
73	37	5452	80	800	0101	5395	द.म.	12.00	निरंक	12.00
74	39	2408	01	001	0701	6878	द.म.	10.00	निरंक	10.00
75	40	4202	01	202	1701	6007	द.म.	20.00	निरंक	20.00
76	40	4202	01	202	1703	6007	द.म.	15.00	निरंक	15.00
77	40	2202	02	109	0101	2078	द.म.	13.81	निरंक	13.81
78	46	3425	60	600	0101	6874	द.म.	20.37	निरंक	20.37
79	46	3425	60	600	0102	6874	द.म.	10.00	निरंक	10.00
80	46	5425	-	600	0101	5818	द.म.	20.00	निरंक	20.00
81	46	5425	-	600	0101	6874	द.म.	11.50	निरंक	11.50
82	46	5425	-	600	0102	5818	द.म.	11.00	निरंक	11.00
83	46	5425	-	600	0103	5818	द.म.	10.00	निरंक	10.00
84	47	2230	03	003	0102	5373	द.म.	41.40	निरंक	41.40

85	47	2230	03	003	0103	5373	द.म.	28.80	निरंक	28.80
86	47	2230	03	101	0101	2376	द.म.	15.00	निरंक	15.00
87	47	2230	03	003	0701	2327	द.म.	18.09	निरंक	18.09
88	47	4202	03	003	0101	0741	द.म.	10.24	निरंक	10.24
89	50	2401	-	119	0101	0694	द.म.	16.80	निरंक	16.80
90	50	2401	-	119	0101	5403	द.म.	50.00	निरंक	50.00
91	50	4401	-	119	0101	5474	द.म.	59.00	निरंक	59.00
92	50	4401	-	119	0102	5474	द.म.	23.00	निरंक	23.00
93	50	4401	-	119	0103	5474	द.म.	18.00	निरंक	18.00
94	51	2250	-	800	-	5384	द.म.	12.09	निरंक	12.09
95	51	4250	-	800	-	5384	द.म.	10.00	निरंक	10.00
96	53	3604	-	198	0101	4610	द.म.	161.88	निरंक	161.88
97	53	3604	-	198	0102	4610	द.म.	53.96	निरंक	53.96
98	53	3604	-	198	0103	4610	द.म.	41.12	निरंक	41.12
99	64	2217	05	191	0801	1325	द.म.	177.48	निरंक	177.48
100	64	2217	05	191	-	1325	द.म.	169.25	निरंक	169.25
101	64	2217	05	192	0801	1325	द.म.	109.81	निरंक	109.81
102	64	2217	05	192	-	1325	द.म.	95.51	निरंक	95.51
103	64	2217	05	193	0801	1325	द.म.	88.40	निरंक	88.40
104	64	2217	05	193	-	1325	द.म.	76.88	निरंक	76.88
योग								11,849.10		11,849.10

स्रोत: विनियोग लेखे 2019-20

परिशिष्ट 3.15
2015-16 से 2019-20 के दौरान सतत बचतों का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 3.13.1.2; पृष्ठ 87)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	योजना शीर्ष / नाम	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	पुनर्विनियोग		योग	आवृत्त राशि	व्यय	बचतें	प्रतिशत
					+	-					
1	7494 सब मिशन आन सीड एण्ड प्लानिंग मटेरियल (एस.एम. एस.पी.)	2015-16	31.25	0.00	0.00	12.09	19.16	19.16	0.00	19.16	100.00
		2016-17	43.88	0.00	0.00	0.00	43.88	43.88	11.93	31.95	72.81
		2017-18	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	59.55	36.38	23.17	38.91
		2018-19	57.68	58.37	0.00	0.00	116.05	110.39	31.68	78.71	71.30
		2019-20	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	22.44	87.56	79.60
2	7499 सब मिशन स्वाइल हेल्थ मैनेजमेंट	2015-16	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	100.00
		2016-17	15.00	36.00	0.00	0.00	51.00	51.00	9.52	41.48	81.33
		2017-18	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00	51.34	0.38	50.96	99.26
		2018-19	65.17	0.00	0.00	0.00	65.17	62.33	14.01	48.32	77.52
		2019-20	64.10	0.00	0.00	0.00	64.10	64.10	7.01	57.09	89.06
3	7500 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत नेशनल आईल सीड एण्ड आईल पाल्म मिशन	2015-16	35.67	39.36	0.00	0.00	75.03	75.03	24.77	50.26	66.99
		2016-17	62.20	0.00	0.00	0.00	62.20	62.20	28.87	33.33	53.59
		2017-18	91.22	0.00	0.00	7.30	83.92	83.92	23.89	60.03	71.53
		2018-19	95.40	0.00	0.00	0.00	95.40	95.32	13.38	81.94	85.96
		2019-20	90.60	0.00	0.00	0.00	90.60	90.60	20.03	70.57	77.89
4	7501 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	2015-16	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	132.56	177.44	57.24
		2016-17	239.00	0.00	0.00	22.80	216.20	216.20	103.29	112.91	52.22
		2017-18	305.00	0.00	4.70	0.00	309.70	282.58	169.36	113.22	40.07
		2018-19	381.62	0.00	0.00	0.00	381.62	367.96	275.20	92.76	25.21
		2019-20	390.98	16.20	0.00	0.00	407.18	407.18	217.01	190.17	46.70
5	7493 नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान	2015-16	5.01	0.00	0.00	0.00	5.01	5.01	0.08	4.93	98.40
		2016-17	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	100.00
		2017-18	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50	5.47	0.26	5.21	95.25
		2018-19	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50	5.47	0.18	5.29	96.71
		2019-20	2.35	0.00	0.00	0.00	2.35	2.35	0.00	2.35	100.00
6	7497 सब मिशन रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट	2015-16	13.00	18.07	0.00	0.00	31.07	31.07	8.77	22.30	71.77
		2016-17	40.50	0.00	0.00	0.00	40.50	40.50	6.32	34.18	84.40
		2017-18	35.70	0.00	0.00	0.00	35.70	32.13	6.34	25.79	80.27
		2018-19	14.96	0.00	0.00	0.00	14.96	13.46	1.24	12.22	90.79
		2019-20	13.60	0.00	0.00	0.00	13.60	13.60	0.55	13.05	95.96
7	4204 शासकीय मशीन ट्रेक्टर स्टेशन योजना	2015-16	17.89	0.00	0.00	0.00	17.89	17.89	11.50	6.39	35.72
		2016-17	12.98	0.00	0.00	0.00	12.98	12.98	11.45	1.53	11.79
		2017-18	15.31	0.00	0.00	0.00	15.31	15.31	12.70	2.61	17.05
		2018-19	17.20	0.00	0.00	0.00	17.20	17.20	14.48	2.72	15.81
		2019-20	17.28	0.00	0.00	0.00	17.28	17.28	15.53	1.75	10.13
8	5626 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.व्ही.वाय.)	2015-16	271.96	0.00	0.00	0.00	271.96	271.96	199.41	72.55	26.68
		2016-17	193.19	60.00	0.00	0.00	253.19	253.19	215.90	37.29	14.73
		2017-18	400.17	0.00	0.00	0.00	400.17	369.15	267.76	101.39	27.47
		2018-19	417.72	0.00	0.00	0.00	417.72	384.95	279.33	105.62	27.44
		2019-20	364.72	14.98	0.00	0.00	379.70	379.70	138.11	241.59	63.63
9	6482 कृषि शक्ति योजना	2015-16	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	5.77	1.23	17.57
		2016-17	6.55	0.00	0.00	0.00	6.55	6.55	5.23	1.32	20.15
		2017-18	8.90	0.00	0.00	0.00	8.90	8.90	6.72	2.18	24.49
		2018-19	8.48	0.00	0.00	0.00	8.48	8.48	6.32	2.16	25.47
		2019-20	6.82	0.00	0.00	0.00	6.82	6.82	3.88	2.94	43.11

10	6674 कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन	2015-16	29.20	0.00	0.00	0.00	29.20	29.20	25.76	3.44	11.78
		2016-17	33.75	0.00	0.00	0.00	33.75	33.75	29.28	4.47	13.24
		2017-18	40.50	0.00	0.00	0.00	40.50	40.50	33.95	6.55	16.17
		2018-19	41.75	0.00	0.00	2.50	39.25	39.25	15.57	23.68	60.33
		2019-20	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	5.11	4.89	48.90
11	7450 ट्रेक्टर एवं कृषि उपकरणों पर अनुदान (एस.एम. ए.एम.)	2015-16	10.00	22.90	0.00	0.00	32.90	32.90	10.67	22.23	67.57
		2016-17	19.00	0.00	13.68	0.00	32.68	32.68	26.70	5.98	18.30
		2017-18	45.96	0.00	2.60	0.00	48.56	48.56	37.32	11.24	23.15
		2018-19	51.00	14.52	0.00	0.00	65.52	65.52	61.52	4.00	6.11
		2019-20	139.53	0.00	0.00	0.00	139.53	139.53	100.57	38.96	27.92

स्रोत: संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रदत्त जानकारी

परिशिष्ट 3.16
₹ पाँच करोड़ से अधिक की सारभूत बचतों का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 3.13.1.3; पृष्ठ 87)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	वर्ष	योजना क्रमांक एवं नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	पुनर्वियोजन राशि	योग	वित्त विभाग द्वारा आबंटित राशि	व्यय	बचतें	प्रतिशत
1	2019-20	1227-औषधीय पौधा मिशन सहित राष्ट्रीय चिकित्सा मिशन	71.43	0.00	0.00	71.43	71.43	34.81	36.62	51.27
2	2019-20	1229-स्वाइल हेल्थ कार्ड योजना	56.99	0.00	0.00	56.99	56.98	12.48	44.50	78.10
3	2019-20	5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	364.72	14.98	0.00	379.70	379.70	138.10	241.60	63.63
4	2019-20	7494-सब मिशन आन सीड एण्ड प्लानिंग मटेरियल	109.99	0.00	0.00	109.99	109.99	22.42	87.57	79.62
5	2019-20	7497-सब मिशन रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट	9.27	0.00	0.00	9.27	9.27	0.12	9.15	98.71
6	2019-20	7498-सब मिशन आन फार्म वाटर मैनेजमेंट	90.78	0.00	0.00	90.78	90.78	31.01	59.77	65.84
7	2019-20	7499-सब मिशन स्वाइल हेल्थ मैनेजमेंट	64.10	0.00	0.00	64.10	64.10	7.01	57.09	89.06
8	2019-20	7500-नेशनल आईल सीड एण्ड आईल पाल्म मिशन अण्डर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	90.60	0.00	0.00	90.60	90.60	20.03	70.57	77.89
9	2019-20	7501-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	390.98	16.20	0.00	407.18	407.18	217.00	190.18	46.71
10	2019-20	7717-प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	22.38	0.00	0.00	22.38	22.38	0.00	22.38	100.00
11	2019-20	1920-मूल्य स्थिरीकरण निधि की स्थापना	18.18	0.00	0.00	18.18	14.55	4.00	10.55	72.51
12	2019-20	2343-कृषक समृद्धि योजना	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	1,280.00	5.01	1,274.99	99.61
13	2019-20	5319-मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना	8,000.00	0.00	(-)819.50	7,180.50	5,580.50	3,931.51	1,648.99	29.55
14	2019-20	5321-भावांतर/प्लेट रेट योजना	1,120.00	0.00	(+)73.40	1193.40	969.40	422.84	546.56	56.38
15	2019-20	5855-म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/श्रेषारों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति	1,342.77	0.00	0.00	1,342.77	1,179.15	638.00	541.15	45.89

स. क्र.	वर्ष	योजना क्रमांक एवं नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	पुनर्वियोजन राशि	योग	वित्त विभाग द्वारा आबंटित राशि	व्यय	बचतें	प्रतिशत
16	2019-20	8768-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	1,227.74	0.00	(+)819.50 (-)73.40	1,973.84	1,973.84	1,884.39	89.45	4.53
17	2019-20	0908-कृषि संगणना	8.78	0.00	0.00	8.78	8.78	0.40	8.38	95.44
18	2019-20	5311-लघु सिंचाई गणना एवं जल निकायों की गणना	7.85	0.00	0.00	7.85	7.85	0.00	7.85	100.00
19	2019-20	8769-अन्नपूर्णा योजना	25.46	0.00	0.00	25.46	20.37	12.71	7.66	37.60
20	2019-20	3733-राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना	115.16	0.00	0.00	115.16	115.00	100.76	14.24	12.38
21	2019-20	4103-विश्व बैंक की सहायता से गहन विस्तार परियोजना	52.60	0.00	0.00	52.60	52.58	35.10	17.48	33.24
22	2019-20	3142-मृदा संरक्षण कटावरोधक बंधान की योजना	67.28	0.00	0.00	67.28	67.26	59.55	7.71	11.46
23	2019-20	0119-अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द (जिला एवं अधिनस्थ स्तर का अमला)	397.32	0.00	0.00	397.32	397.18	323.13	74.05	18.64
24	2019-20	7450-ट्रेक्टर एवं कृषि उपकरणों पर अनुदान (एस.एम.ए. एम.)	139.53	0.00	0.00	139.53	139.53	100.57	38.96	27.92
25	2019-20	7451-कस्टम हाईरिंग सेन्टर की स्थापना पर अनुदान (एस.एम.ए. एम.)	21.66	0.00	0.00	21.66	21.66	7.04	14.62	67.50
योग			15,415.57	31.18	0.00	15,446.75	13,130.06	8,007.99	5,122.07	39.01

स्रोत: संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रदत्त जानकारी

परिशिष्ट 3.17
अनुदान संख्या 13 के अन्तर्गत 2019-20 के दौरान समर्पण का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 3.13.1.7; पृष्ठ 90)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	योजना का नाम	बजट प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण दिनांक	प्रतिशत
1	7243-कृषि वानिकी सब मिशन	7.31	7.31	11-3-2020	100.00
2	0733-ग्रीन कृषि	2.56	2.56	11-3-2020	100.00
3	1229-स्वाइल हेल्थ कार्ड योजना	56.98	35.23	11-3-2020	61.83
4	5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	379.70	235.96	11-3-2020, 30-03-2020 एवं 31-03-2020	62.14
5	7492-सब मिशन आन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (आत्मा)	55.50	9.25	11-3-2020	16.67
6	7493-नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान	2.35	2.35	11-3-2020	100.00
7	7494-सब मिशन आन सीड एण्ड प्लानिंग मटेरियल	110.00	81.41	11-3-2020 एवं 30-03-2020	74.00
8	7496-सब मिशन क्लाइमेट चेंज एण्ड सस्टेनेबिल एग्रीकल्चर मानिट्रिंग, मॉडलिंग एण्ड नेटवर्किंग	0.70	0.70	11-3-2020	100.00
9	7497-सब मिशन रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट	13.60	12.88	11-3-2020 एवं 30-03-2020	94.70
10	7498-सब मिशन आन फार्म वाटर मेनेजमेंट	90.79	58.10	11-3-2020 एवं 30-03-2020	63.99
11	7499-सब मिशन स्वाइल हेल्थ मेनेजमेंट	64.10	55.17	11-3-2020 एवं 30-03-2020	86.07
12	7500-नेशनल आईल सीड एण्ड आईल पाल्म मिशन अण्डर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	90.60	70.03	11-3-2020, 30-03-2020 एवं 31-03-2020	77.29
13	7717-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	57.38	57.38	11-3-2020 एवं 30-03-2020	100.00
14	1227-परंपरागत खेती विकास योजना	71.43	35.85	30-03-2020	50.18
15	2817-फसलों की सांख्यिकी में सुधार की योजना	3.81	0.64	30-03-2020	16.80
16	5311-लघु सिंचाई गणना एवं जल निकायों की गणना	7.86	7.80	30-03-2020	100.00
17	7501-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	407.18	179.36	30-03-2020 एवं 31-03-2020	44.05
18	1920-मूल्य स्थिरीकरण निधि की स्थापना	18.19	14.00	30-03-2020	76.96
19	2343-कृषक समृद्धि योजना	1,600.00	1,590.50	30-03-2020	99.40
20	2791-प्रायवेट एजेन्सियों, ठेकेदार द्वारा कृषकों के खेतों पर सफल नलकूप खनन पर सहायता	7.68	3.50	30-03-2020	45.57
21	4289-संचालनालय मुख्यालय स्तर का अमला एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	5.83	2.26	30-03-2020	38.76
22	5081-सूरज धारा योजना	50.39	10.08	30-03-2020	20.00
23	5319-मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना	8,000.00	3,225.00	30-03-2020	40.31
24	5321-भावांतर/पलेट रेट योजना	1,120.00	735.60	30-03-2020	65.68
25	5361-कृषि में महिलाओं की भागीदारी	4.89	0.02	30-03-2020	0.41
26	5855-म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/श्रेणियों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति	1,343.00	700.10	30-03-2020	52.13
27	6410-गौबर गैस तथा बायो गैस संयंत्र की स्थापना	2.90	1.54	30-03-2020	53.10
28	6670-राज्य माइक्रो सिंचाई योजना	6.36	4.20	30-03-2020	66.04
29	6673-खाद्य भण्डारण पर ब्याज अनुदान	19.75	3.95	30-03-2020	20.00
30	7438-मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना	16.82	0.15	30-03-2020	0.89

स. क्र.	योजना का नाम	बजट प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण दिनांक	प्रतिशत
31	7670-कृषि महोत्सव	7.40	6.90	30-03-2020	93.24
32	8769-अन्नपूर्णा योजना	50.31	12.63	30-03-2020	25.10
33	9172-प्रदर्शनी मेला तथा प्रचार (बागवानी)	4.31	1.49	30-03-2020	34.57
34	9197-राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था का गठन व संचालन	1.86	1.00	30-03-2020	53.76
35	7450-ट्रेक्टर एवं कृषि उपकरणों पर अनुदान (एस.एम.ए.एम.)	139.53	38.96	31-03-2020	27.92
36	7451-कस्टम हाईरिंग सेन्टर की स्थापना पर अनुदान (एस.एम.ए.एम.)	21.66	14.62	31-03-2020	67.49
37	7452-कृषि यंत्रिकृत गतिविधियां एवं ग्राम विकास (एस.एम.ए.एम.)	5.56	3.78	31-3-2020	67.98
38	5907-पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नालॉजी एवं मैनेजमेन्ट	0.06	0.06	31-3-2020	100.00
39	6697-नवीन उन्नत कृषि उपकरणों का कृषकों के खेतों में परीक्षण (सी.एस.एस.)	0.05	0.05	31-3-2020	100.00
40	8174-मशीन, ट्रेक्टर स्टेशन योजनाओं का सुदृढीकरण	0.002	0.002	31-3-2020	100.00
41	7577-संचालक, कृषि अभियांत्रिकी में अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण	0.004	0.004	31-3-2020	100.00
42	5647-विशेष सहायता टाप-अप अनुदान	0.003	0.003	31-3-2020	100.00
43	6482-कृषि शक्ति योजना	6.82	2.94	31-3-2020	43.10
44	6674-कृषि यंत्रिकरण को प्रोत्साहन	10.00	4.89	31-3-2020	48.90
45	7080-कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन	0.005	0.005	31-3-2020	100.00
46	0903-कृषि यांत्रिकी संचालनालय की स्थापना	19.62	0.87	31-3-2020	4.43
47	4204-शासकीय मशीन ट्रेक्टर स्टेशन योजना	17.28	1.75	31-3-2020	10.12
48	6950-कृषि उपकरणों का व्यावसायिक उपयोग	1.36	0.11	31-3-2020	8.09
	योग	13,903.49	7,232.94		52.02

स्रोत: संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रदत्त जानकारी

परिशिष्ट 3.18
विभिन्न योजनाओं की सारभूत बचतें, जहां बचतें ₹10 करोड़ तथा उससे अधिक और कुल प्राप्त बजट का 20 प्रतिशत से अधिक थी
 (संदर्भ: कंडिका 3.13.2.2; पृष्ठ 91)

(₹ लाख में)

स.क्र.	बजट नियंत्रण अधिकारी का नाम	योजना का नाम और शीर्ष	अनुदान के अन्तर्गत योजना का शीर्ष	कुल बजट (विनियोग लेखे के अनुसार)	कुल प्राप्त बजट	वास्तविक व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1	संचालनालय, नगरीय प्रशासन और विकास म.प्र. (1802)	(1237) हाउसिंग फॉर ऑल	022-2217-05-800-0701-1237-V-42-007	2,43,600.00	2,43,600.00	98,548.22	1,45,051.78	59.55
2			022-2217-05-800-0702-1237-V-42-010	92,400.00	92,400.00	16,291.90	76,108.10	82.37
3			022-2217-05-800-0703-1237-V-42-010	84,000.00	84,000.00	18,349.76	65,650.24	78.16
4		(1238) अटल मिशन-फॉर रिजुवनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफॉरमेशन	022-2217-05-800-0702-1238-V-42-010	42,000.00	42,000.00	28,094.00	13,906.00	33.11
5		(1262) म.प्र. अर्बन-सेनीटेशन एण्ड एनवायरमेंट सेक्टर	022-4217-60-800-1201-1262-V-64-002	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	50.00
6		प्रोग्राम (एम.पी.यू.एस.ई.पी.) (केएफडब्ल्यू)	022-6217-60-800-1201-1262-V-67-001	2,650.00	2,650.00	1,325.00	1,325.00	50.00
7		(5372) सुपर मिनी स्मार्ट सिटी	022-4217-03-190-0101-5372-V-65-000	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
8		(5373) युवा स्वाभिमान योजना	022-2217-05-800-0102-5373-V-42-007	3,300.00	3,300.00	1,485.00	1,815.00	55.00
9			022-2217-05-800-0103-5373-V-42-007	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	100.00
10		(7039) शहरी सुधार कार्यक्रम	022-2217-05-800-0101-7039-V-42-007	5,000.00	4,000.00	2,430.95	1,569.05	39.23
11		(7336) एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	022-4217-60-800-1201-7336-V-64-002	6,000.00	6,000.00	4,685.73	1,314.27	21.90
12			022-4217-60-800-1202-7336-V-64-002	5,000.00	5,000.00	3,916.73	1,083.27	21.67
13			022-4217-60-800-1203-7336-V-64-002	7,500.00	7,500.00	5,861.53	1,638.47	21.85

स.क्र.	बजट नियंत्रण अधिकारी का नाम	योजना का नाम और शीर्ष	अनुदान के अन्तर्गत योजना का शीर्ष	कुल बजट (विनियोग लेखे के अनुसार)	कुल प्राप्त बजट	वास्तविक व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
14			022-6217-60-800-1201-7336-V-67-001	17,600.00	17,600.00	13,412.68	4,187.32	23.79
15			022-6217-60-800-1202-7336-V-67-001	6,300.00	6,300.00	4,135.17	2,164.83	34.36
16			022-6217-60-800-1203-7336-V-67-001	4,600.00	4,600.00	3,019.34	1,580.66	34.36
17		(7705) स्मार्ट सिटी	022-4217-03-190-0702-7705-V-65-000	5,000.00	5,000.00	3,200.00	1,800.00	36.00
18			022-4217-03-190-0703-7705-V-65-000	3,800.00	3,800.00	2,800.00	1,000.00	26.32
19		(7711) एम.पी. अर्बन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट (विश्व बैंक)	022-4217-60-800-0103-7711-V-64-002	5,500.00	5,500.00	1,925.70	3,574.30	64.99
20			022-4217-60-800-1201-7711-V-64-002	3,500.00	3,500.00	1,224.30	2,275.70	65.02
21			022-6217-60-800-1201-7711-V-67-001	15,000.00	14,500.00	5,250.00	9,250.00	63.79
		योग		5,62,150.00	5,60,650.00	2,16,956.01	3,43,693.99	61.30

स्रोत: संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रदाय जानकारी

परिशिष्ट 3.19
विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सारभूत बचतें, जहां बचतें ₹ पांच करोड़ या अधिक थी
(संदर्भ: कंडिका 3.13.2.3(ब); पृष्ठ 92)

(₹ लाख में)

स.क्र.	बजट नियंत्रण अधिकारी का नाम	योजना का नाम और शीर्ष	अनुदान के अन्तर्गत योजना का शीर्ष	कुल बजट (विनियोग लेखे के अनुसार)	कुल प्राप्त बजट	वास्तविक व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1	संचालनालय, नगरीय प्रशासन और विकास म.प्र. (1802)	(0852) इंदिरा अन्नपूर्णा योजना	022-2217-05-800-0101-0852-V-42-007	1,000.00	1,000.00	229.01	770.99	77.10
2		(1237) हाउसिंग फॉर ऑल	022-2217-05-800-0701-1237-V-42-007	2,43,600.00	2,43,600.00	98,548.22	14,5051.78	59.55
3			022-2217-05-800-0702-1237-V-42-010	92,400.00	92,400.00	16,291.90	76,108.10	82.37
4			022-2217-05-800-0703-1237-V-42-010	84,000.00	84,000.00	18,349.76	65,650.24	78.16
5		(1238) अटल मिशन-फॉर रिजुवेनेशन	022-2217-05-800-0701-1238-V-42-007	1,18,000.00	1,18,000.00	96,006.37	21,993.63	18.64
6		एण्ड अर्बन ट्रान्सफॉरमेशन	022-2217-05-800-0702-1238-V-42-010	42,000.00	42,000.00	28,094.00	13,906.00	33.11
7		(1262) म.प्र. अर्बन-सेनीटेशन एण्ड एनवायरमेंट सेक्टर	022-4217-60-800-1201-1262-V-64-002	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	50.00
8		प्रोग्राम (एम.पी.यू.एस.ई. पी.) (केएफडब्ल्यू)	022-4217-60-800-1203-1262-V-64-002	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	50.00
9			022-6217-60-800-1201-1262-V-67-001	2,650.00	2,650.00	1,325.00	1,325.00	50.00
10		(5372) सुपर मिनी स्मार्ट सिटी	022-4217-03-190-0101-5372-V-65-000	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
11		(5373) युवा स्वाभिमान योजना	022-2217-05-800-0101-5373-V-42-007	9,300.00	9,300.00	754.00	8,546.00	91.89
12			022-2217-05-800-0102-5373-V-42-007	3,300.00	3,300.00	1,485.00	1,815.00	55.00
13			022-2217-05-800-0103-5373-V-42-007	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	100.00
14		(5374) मध्यप्रदेश अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम फेस-2	022-6217-60-800-1201-5374-V-67-001	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	50.00

स.क्र.	बजट नियंत्रण अधिकारी का नाम	योजना का नाम और शीर्ष	अनुदान के अन्तर्गत योजना का शीर्ष	कुल बजट (विनियोग लेखे के अनुसार)	कुल प्राप्त बजट	वास्तविक व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत	
15		(5468) पेयजल का अधिकार	022-4217-60-800-0101-5468-V-64-002	500.00	500.00	0.00	500.00	100.00	
16		(7039) शहरी सुधार कार्यक्रम	022-2217-05-800-0101-7039-V-42-007	5,000.00	4,000.00	2,430.95	1,569.05	39.23	
17		(7336) एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	022-4217-60-800-1201-7336-V-64-002	6,000.00	6,000.00	4,685.73	1,314.27	21.90	
18			022-4217-60-800-1202-7336-V-64-002	5,000.00	5,000.00	3,916.73	1,083.27	21.67	
19			022-4217-60-800-1203-7336-V-64-002	7,500.00	7,500.00	5,861.53	1,638.47	21.85	
20			022-6217-60-800-1201-7336-V-67-001	17,600.00	17,600.00	13,412.68	4,187.32	23.79	
21			022-6217-60-800-1202-7336-V-67-001	6,300.00	6,300.00	4,135.17	2,164.83	34.36	
22			022-6217-60-800-1203-7336-V-67-001	4,600.00	4,600.00	3,019.34	1,580.66	34.36	
23			(7705) स्मार्ट सिटी	022-4217-03-190-0701-7705-V-65-000	43,700.00	43,600.00	38,000.00	5,600.00	12.84
24				022-4217-03-190-0702-7705-V-65-000	5,000.00	5,000.00	3,200.00	1,800.00	36.00
25		022-4217-03-190-0703-7705-V-65-000		3,800.00	3,800.00	2,800.00	1,000.00	26.32	
26		(7711) एम.पी. अर्बन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट (विश्व बैंक)	022-4217-60-800-0103-7711-V-64-002	5,500.00	5,500.00	1,925.70	3,574.30	64.99	
27			022-4217-60-800-1201-7711-V-64-002	3,500.00	3,500.00	1,224.30	2,275.70	65.02	
28			022-6217-60-800-1201-7711-V-67-001	14,500.00	14,500.00	5,250.00	9,250.00	63.79	
		योग		7,36,150.00	7,35,050.00	3,52,945.39	3,82,104.61	51.98	

स्रोत: संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रदाय जानकारी

परिशिष्ट 3.20
विभिन्न योजनाओं में अप्रयुक्त प्रावधान का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 3.13.2.4; पृष्ठ 92)

(₹ लाख में)									
स.क्र.	बजट नियंत्रण अधिकारी का नाम	योजना का नाम और शीर्ष	अनुदान के अन्तर्गत योजना का शीर्ष	कुल बजट (विनियोग लेखे के अनुसार)	कुल प्राप्त बजट	वास्तविक व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत	
1	संचालनालय, नगरीय प्रशासन और विकास म.प्र. (1802)	(3115) भू-अर्जन हेतु मुआवजा	022-4217-01-050-9999-3115-V-62-000	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	
2		(5372) सुपर मिनी स्मार्ट सिटी	022-4217-03-190-0101-5372-V-65-000	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	
3		(5373) युवा स्वाभिमान योजना	022-2217-05-800-0103-5373-V-42-007	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	100.00	
4		(5468) पेयजल का अधिकार	(5468) पेयजल का अधिकार	022-4217-60-800-0101-5468-V-64-002	500.00	500.00	0.00	500.00	100.00
5				022-4217-60-800-0102-5468-V-64-002	320.00	320.00	0.00	320.00	100.00
6				022-4217-60-800-0103-5468-V-64-002	180.00	180.00	0.00	180.00	100.00
7		(6148) संचालनालय, नगरीय स्थानीय निकाय	(6148) संचालनालय, नगरीय स्थानीय निकाय	022-2217-05-800-9999-6148-C-53-000	50.00	40.00	0.00	40.00	100.00
8				022-2217-05-800-9999-6148-V-11-011	1.50	1.50	0.00	1.50	100.00
9				022-2217-05-800-9999-6148-V-11-016	1.50	1.50	0.00	1.50	100.00
10				022-2217-05-800-9999-6148-V-11-018	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00
11				022-2217-05-800-9999-6148-V-16-006	10.00	10.00	0.00	10.00	100.00
12				022-2217-05-800-9999-6148-V-16-010	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00
13			(7704) डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड	022-2217-05-800-0101-7704-V-31-002	90.93	72.74	0.00	72.74	100.00

स.क्र.	बजट नियंत्रण अधिकारी का नाम	योजना का नाम और शीर्ष	अनुदान के अन्तर्गत योजना का शीर्ष	कुल बजट (विनियोग लेखे के अनुसार)	कुल प्राप्त बजट	वास्तविक व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
14	संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश संचालनालय, म.प्र. (1803)	(2020) टाउन एण्ड रीजनल प्लानिंग	022-2217-05-001-9999-2020-V-11-018	2.20	2.20	0.00	2.20	100.00
15			022-2217-05-001-9999-2020-V-16-006	1.50	1.50	0.00	1.50	100.00
16			022-2217-05-001-9999-2020-V-31-007	30.00	19.65	0.00	19.65	100.00
17			022-2217-05-001-9999-2020-V-53-000	2.00	1.60	0.00	1.60	100.00
18	अधीक्षण यंत्री, राजधानी परियोजना प्रशासन भोपाल (1807)	(6989) विधान सभा भवन एवं विधायक विश्राम गृहों की मरम्मत	022-4216-01-700-9999-6989-V-64-002	350.00	350.00	0.00	350.00	100.00
19			022-4217-01-050-0101-3115-C-62-000	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
20			022-4217-01-051-0101-7715-V-64-001	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
21			022-2059-80-001-9999-3296-V-11-018	6.00	6.00	0.00	6.00	100.00
22			022-2059-80-001-9999-3296-V-11-019	2.40	2.40	0.00	2.40	100.00
23			022-2059-80-001-9999-3296-V-19-011	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00
24			022-2059-80-001-9999-3296-V-19-018	2.00	2.00	0.00	2.00	100.00
25			022-4217-01-052-0101-3296-V-63-001	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00
26			022-2059-80-001-9999-4025-V-11-018	2.00	2.00	0.00	2.00	100.00
27			022-2217-01-001-0101-3889-V-16-008	1.75	1.75	0.00	1.75	100.00
योग				12,958.78	12,919.85	0.00	12,919.85	100.00

स्रोत: संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रदाय जानकारी

परिशिष्ट 4.1
लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की विभाग-वार स्थिति
(संदर्भ: कंडिका 4.4; पृष्ठ 99)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि
1	विधि एवं विधायी कार्य	2011	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल	30	1.29
		2014	न्याय प्रशासन	375	1.55
2	राजस्व एवं पुनर्वास	2029	भू-राजस्व	104	1.20
		2245	प्राकृतिक आपदा राहत	01	0.09
3	वाणिज्यिक कर	2045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	04	0.17
4	सामान्य प्रशासन	2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं	93	87.72
5	वित्त	2047	अन्य राजकोषीय सेवाएं	04	0.01
		2075	विविध सामान्य सेवाएं	532	4.95
6	खेल एवं युवक कल्याण	2204	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	05	10.78
7	संस्कृति	2205	कला एवं संस्कृति	01	0.15
8	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	जलपूर्ति तथा सफाई	535	19.45
9	नगरीय विभाग एवं आवास	2216	आवास	05	324.21
10	जन संपर्क	2220	सूचना एवं प्रचार	35	1.50
11	अनुसूचित जाति एवं आदिम जाति कल्याण	2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	79	306.42
12	श्रम	2230	श्रम तथा रोजगार	1,269	44.61
13	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग	2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1,143	748.03
14	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401	फसल कृषि-कर्म	3,090	439.99
		4402	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	11	1.25
15	पशुपालन	2403	पशुपालन	495	201.86
16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	2405	मछली पालन	3,359	10.48
17	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	2408	खाद्य, भंडारण एवं भंडागार	1,453	2,186.80
18	सहकारिता	2425	सहकारिता	714	284.62
19	ग्रामीण विकास	2505	ग्रामीण विकास	02	0.25
20	जल संसाधन	2702	लघु सिंचाई	280	12.55
21	ऊर्जा	2801	ऊर्जा	11	1,398.00
22	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	2810	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	28	23.36
23	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	2851	ग्राम तथा लघु उद्योग	657	217.45
24	उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	2852	उद्योग	2,987	187.07
25	खनिज संसाधन	2853	अलौह खनिज तथा धातुकर्म उद्योग	849	233.46
26	पर्यटन	3452	पर्यटन	185	81.05
27	पंचायती राज विकास	3604	स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	1,268	8,711.00
योग				19,604	15,541.32

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी

परिशिष्ट 4.2
31 मार्च 2020 की स्थिति में अप्रचलित व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण
 (संदर्भ: कंडिका 4.6; पृष्ठ 101)

			(₹ लाख में)
स.क्र.	कोषालय का नाम	व्यक्तिगत जमा खातों की संख्या	राशि
1	अनूपपुर	2	-32.47
2	अशोकनगर	1	13.01
3	बड़वानी	8	-466.47
4	बालाघाट	6	64.70
5	बैतूल	8	-122.36
6	भिण्ड	2	-34.26
7	भोपाल	3	292.68
8	बुरहानपुर	2	0.46
9	छतरपुर	3	20.11
10	छिंदवाड़ा	8	758.80
11	दतिया	5	181.61
12	धार	2	1.29
13	डिंडोरी	2	4.35
14	गुना	1	2.80
15	ग्वालियर	1	-0.78
16	हरदा	5	48.92
17	होशंगाबाद	10	-30.97
18	इंदौर शहर	11	16,642.34
19	इंदौर	6	5,291.05
20	जबलपुर शहर	3	4.34
21	जबलपुर	3	17.61
22	झाबुआ	5	208.98
23	खरगौन	6	-327.47
24	खण्डवा	3	20.50
25	मंडला	7	65.56
26	मंदसौर	2	-9.48
27	मुरैना	4	50.12
28	नरसिंहपुर	9	3.43
29	पन्ना	4	3.36
30	राजगढ़	3	-36.75
31	रतलाम	6	-147.39
32	रीवा	5	44.38
33	रायसेन	12	-87.10
34	सागर	3	7.75
35	शाजापुर	5	4.14
36	सतना	6	15.98
37	सीहोर	1	0.01
38	सिवनी	5	-66.97
39	शहडोल	5	185.12
40	श्योंपुर	2	0.28
41	शिवपुरी	2	150.13
42	सीधी	4	42.01
43	सिंगरौली	4	-22.21

44	टीकमगढ़	1	5.28
45	उज्जैन	3	-0.14
46	उमरिया	1	35.57
47	वल्लभ भवन	8	-17,219.96
48	विदिशा	3	49.51
49	विन्ध्याचल भवन	5	833.26
योग		216	6,464.66

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी

परिशिष्ट 4.3
लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' के अन्तर्गत पुस्तांकन
(संदर्भ: कंडिका 4.7; पृष्ठ 103)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	मुख्य शीर्ष	विवरण	लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत प्राप्ति	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल प्राप्तियाँ	प्रतिशत
1	0029	भू-राजस्व	377.25	562.37	67.08
2	0030	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	1,178.31	5,568.59	21.16
3	0043	विद्युत कर तथा शुल्क	442.45	2,268.00	19.51
4	0049	ब्याज प्राप्तियाँ	255.01	442.54	57.62
5	0055	पुलिस	25.39	124.39	20.41
6	0056	जेल	4.59	4.89	93.87
7	0059	लोक निर्माण कार्य	114.76	117.91	97.33
8	0071	पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली	37.31	129.62	28.78
9	0202	शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति	2,022.03	2,059.65	98.17
10	0210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	94.89	176.34	53.18
11	0211	परिवार कल्याण	0.23	0.23	100.00
12	0215	जल पूर्ति तथा सफाई	8.07	12.51	64.51
13	0217	शहरी विकास	28.88	30.36	95.13
14	0220	सूचना तथा प्रचार	0.28	0.64	43.75
15	0235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	29.82	32.78	90.97
16	0250	अन्य सामाजिक सेवाएं	24.50	213.47	11.48
17	0401	फसल कृषि-कर्म	31.46	46.92	67.05
18	0403	पशुपालन	1.35	2.54	53.15
19	0404	डेयरी विकास	0.06	0.06	100.00
20	0405	मछली पालन	2.72	7.78	34.96
21	0406	वानिकी तथा वन्य जीवन	98.72	834.26	11.83
22	0408	खाद्य, भंडारण एवं भांडागार	0.01	0.05	20.00
23	0425	सहकारिता	3.82	10.49	36.42
24	0435	अन्य कृषि कार्यक्रम	9.75	9.97	97.79
25	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	7.48	11.05	67.69
26	0700	मुख्य सिंचाई	39.01	58.15	67.09
27	0701	मध्यम सिंचाई	34.39	113.47	30.31
28	0702	लघु सिंचाई	234.97	234.97	100.00
29	0801	बिजली	54.56	54.56	100.00
30	0852	उद्योग	0.52	0.53	98.11
31	0853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	1,715.74	4,320.22	39.71
32	1452	पर्यटन	0.63	0.63	100.00
33	10 प्रतिशत से कम अन्य मुख्य शीर्ष	10 प्रतिशत से कम अन्य मुख्य शीर्ष	520.18	1,30,193.41	0.40
योग			7,399.14	1,47,643.35	5.01

स्रोत: वित्त लेखे 2019-20

परिशिष्ट 4.4
लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत पुस्तांकन
(संदर्भ: कंडिका 4.7; पृष्ठ 103)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	मुख्य शीर्षवार विवरण	लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत व्यय	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	प्रतिशत
1	2075-विविध सामान्य सेवाएं	25.73	26.07	98.70
2	2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं	84.25	147.14	57.26
3	2217-शहरी विकास	3,303.85	4,757.80	69.44
4	2225-अनुसूचित जाति, आदिम जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण	408.65	3,930.24	10.40
5	2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	308.38	2,838.02	10.87
6	2250-अन्य सामाजिक सेवाएं	55.19	55.19	100.00
7	2401-फसल कृषि कर्म	4,466.72	9,164.91	48.74
8	2405-मछली पालन	11.36	82.23	13.81
9	2701-मध्यम सिंचाई	122.75	718.84	17.08
10	2702-लघु सिंचाई	160.14	163.96	97.67
11	2705-कमान क्षेत्र विकास	5.90	9.22	63.99
12	2801-बिजली	5,791.02	13,968.16	41.46
13	2810-नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	12.57	109.26	11.50
14	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	479.17	693.05	69.14
15	2852-उद्योग	346.99	346.99	100.00
16	3054-सड़क तथा सेतु	251.32	1,158.19	21.70
17	4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	117.94	553.86	21.29
18	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	21.65	21.65	100.00
19	4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	880.43	2,399.86	36.69
20	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	300.18	782.18	38.38
21	4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	322.54	982.48	32.83
22	4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	2.24	4.07	55.04
23	4408-खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय	0.28	0.28	100.00
24	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	4,068.23	4,452.28	91.37
25	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	7,018.98	7,509.23	93.47
26	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	930.19	945.05	98.43
27	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	203.49	480.70	42.33
28	4705-कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	10.97	55.97	19.60
29	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4.50	4.99	90.18
30	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	276.82	562.29	49.23
31	4853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	1.04	1.06	98.11
32	4875-अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	309.14	309.14	100.00
33	5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	4.45	9.71	45.83
34	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	2,535.73	6,145.82	41.26
35	10 प्रतिशत से कम अन्य मुख्य शीर्ष	1,660.25	1,16,295.89	14.28
	योग	34,503.04	1,79,685.78	19.20

स्रोत: वित्त लेखे 2019-20

परिशिष्ट 4.5
विभागीय वाणिज्यक उपक्रमों/निगमों/कंपनियों में लेखों और निवेशों को अंतिम रूप देने
का विवरण

(संदर्भ: कंडिका 4.13; पृष्ठ 108)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों/कंपनियों के नाम	बकाया लेखें	बकाया लेखों की अवधि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निगम, हानि में चल रही है या नहीं	अद्यतन प्राप्त लेखों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों में किया गया निवेश
1	मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	2	2018-19 से 2019-20	नहीं	0.69
2	मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	1	2019-20	हाँ	3,294.35
3	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	1	2019-20	हाँ	6,092.01
4	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	1	2019-20	हाँ	5,949.34
5	मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड	1	2019-20	हाँ	6,310.54
6	मध्य प्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड	1	2019-20	नहीं	16,527.84
7	दादा धूनीवाले खण्डवा पॉवर लिमिटेड	3	2017-18 से 2019-20	हाँ	45.00
8	मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम	2	2018-19 से 2019-20	नहीं	20.00
9	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित	1	2019-20	नहीं	100.00
10	मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	3	2017-18 से 2019-20	नहीं	4.58
11	मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य सेवा निगम लिमिटेड	1	2019-20	नहीं	10.00
12	मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम	15	2004-05 से 2019-20	नहीं	18.36
13	मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम	8	2011-12 से 2019-20	नहीं	8.55
14	मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लायज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2	2018-19 से 2019-20	नहीं	8.47
15	मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लोजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन	1	2019-20	नहीं	8.06
16	सन्त रविदास म.प्र. हस्त शिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	1	2019-20	नहीं	1.26
17	मध्य प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5	2015-16 से 2019-20	हाँ	400.75
18	मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2	2018-19 से 2019-20	नहीं	2.83
19	डी.एम.आई.सी. पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड	1	2019-20	नहीं	35.00
20	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1	2019-20	नहीं	2.20
21	मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2	2018-19 से 2019-20	नहीं	1,667.78
22	डी.एम.आई.सी. विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड	1	2019-20	नहीं	313.05
23	मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1	2019-20	नहीं	13.40

स. क्र.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / निगमों / कंपनियों के नाम	बकाया लेखें	बकाया लेखों की अवधि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / निगम, हानि में चल रही है या नहीं	अद्यतन प्राप्त लेखों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किया गया निवेश
24	मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र मिनरल्स लिमिटेड	18	2002-03 से 2019-20	हाँ	0.30
25	मध्य प्रदेश वेंचर फाईनेन्स ट्रस्टी लिमिटेड	1	2019-20	हाँ	0.01
26	मध्य प्रदेश वेंचर फाईनेन्स लिमिटेड	1	2019-20	हाँ	0.31
27	प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड	2	2018-19 से 2019-20	नहीं	0.50
28	मध्य प्रदेश फाइनेंसियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्दौर	1	2019-20	नहीं	406.10
29	मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल	1	2019-20	नहीं	21.91
30	जबलपुर इलेक्ट्रॉनिक्स मेन्यूफैक्चरिंग पार्क लिमिटेड, भोपाल	1	2019-20	नहीं	0.05
31	भोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स मेन्यूफैक्चरिंग पार्क लिमिटेड, भोपाल	1	2019-20	नहीं	0.05
32	मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल	1	2019-20	नहीं	39.32
33	स्मार्ट सिटी, भोपाल	2	2018-19 से 2019-20	नहीं	200.00
34	मध्य प्रदेश शहरी विकास निगम लिमिटेड	3	2017-18 से 2019-20	हाँ	1.00
35	मध्य प्रदेश मेट्रो रेल निगम लिमिटेड, भोपाल	3	2017-18 से 2019-20	हाँ	30.00
36	मध्य प्रदेश रियल इस्टेट रेगुलेटरी प्राधिकरण, भोपाल	2	2018-19 से 2019-20	नहीं	4.05
37	मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड	2	2018-19 से 2019-20	हाँ	10.00
38	मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम	3	2017-18 से 2019-20	नहीं	113.97
39	मध्य प्रदेश होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1	2019-20	नहीं	1.60
40	स्मार्ट सिटी, इंदौर	1	2019-20	हाँ	200.00
41	स्मार्ट सिटी, जबलपुर	1	2019-20	हाँ	200.00
42	स्मार्ट सिटी, ग्वालियर	2	2018-19 से 2019-20	नहीं	200.00
43	स्मार्ट सिटी, सागर	1	2019-20	हाँ	40.10
44	स्मार्ट सिटी, उज्जैन	1	2019-20	नहीं	200.00
45	स्मार्ट सिटी, सतना	2	2018-19 से 2019-20	नहीं	0.10
योग					42,503.43

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रस्तुत जानकारी

परिशिष्ट 4.6
लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 4.15; पृष्ठ 109)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	निवल लाभ	समता पूंजी	संचित लाभ/हानि	मध्य प्रदेश शासन के अनुसार लाभांश	घोषित लाभांश/किया गया प्रावधान
1	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2019-20	929.08	5,673.97	-10,491.50	185.82	0.00
2	मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड	2019-20	130.81	6,310.53	-2,895.32	26.16	0.00
3	मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य सेवा निगम लिमिटेड	2019-20	5.20	10.00	21.24	1.04	1.00
4	मध्य प्रदेश राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड	2018-19	7.88	21.91	11.14	1.58	0.00
5	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2018-19	107.47	2.20	42.96	21.49	21.54
6	सन्त रविदास म.प्र. हस्त शिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2018-19	0.70	1.26	2.81	0.14	0.02
7	मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2018-19	45.23	3,294.35	-202.73	9.04	0.00
8	मध्य प्रदेश वन विकास निगम लिमिटेड	2018-19	70.89	39.32	425.08	14.17	0.00
9	मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लोजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन	2018-19	156.52	8.06	476.04	31.30	2.58
10	मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड	2017-18	14.24	20.00	234.21	2.85	0.00
11	मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2017-18	20.83	3.30	169.90	4.17	4.17
12	मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन	2017-18	1.43	8.47	42.09	0.29	0.00
13	मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2017-18	12.92	2.83	17.31	2.58	2.59
14	मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2016-17	10.92	113.97	16.80	2.18	0.00
योग			1,514.12	15,510.17	-12,129.97	302.81	31.90

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रस्तुत जानकारी

©
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.agmp.nic.in